दृष्टि The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

अप्रैल भाग-1
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **7**

- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 7
- समान नागरिक संहिता (UCC) 8
- स्टार प्रचारक एवं आदर्श आचार संहिता 10
- विशिष्ट भूमि पहचान संख्या 12
- एसीटी एक्सलरेटर 13
- संविधान का अनुच्छेद 244(A) 14
- राजनीति का अपराधीकरण 15
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना अवधि में वृद्धि 17
- संदेह के लाभ पर आधारित दोषमुक्ति 18
- संकल्प से सिद्धि' मुहिम 19
- राष्ट्रीय समुद्री दिवस-2021 21
- बाबू जगजीवन राम 22
- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के समक्ष चुनौतियाँ 24
- स्वास्थ्य सूचनाओं के लिये एकीकृत प्लेटफॉर्म 25
- सीबीआई अंतरिम निदेशक 27
- केंद्रीय सतर्कता आयोग 28
- AI-आधारित पोर्टल: SUPACE 30
- अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 31

नोट :

- ओपियम पॉपी स्ट्रॉ 33
- अनामय : आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग 35
- ज्योतिराव फुले 36
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त 37
- जलियाँवाला बाग हत्याकांड 39
- खाद्य उत्पादन में ज़ूनोसिस के जोखिम को कम करना 40
- नगालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर (RIIN) 41

आर्थिक घटनाक्रम **44**

- मोटे अनाजों की खेती का पुन: प्रचलन 44
- टाटा-मिस्त्री निर्णय 46
- मुद्रास्फीति का लक्ष्य 47
- एशिया एवं प्रशांत का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण, 2021: UNESCAP 48
- पीएम-कुसुम 50
- भारत का वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा 52
- तेल आयात अनुबंध 54
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु PLI योजना 55
- विदेशी मुद्रा भंडार में कमी 56
- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक: IMF 57
- न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान 59
- नाबार्ड के व्यवसाय में वृद्धि 60
- अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट 61
- मौद्रिक नीति रिपोर्ट: RBI 63
- शफरी: जलकृषि के लिये प्रमाणन योजना 66

नोट :

- वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर 67
- लाइटहाउस में पर्यटन की संभावना: सागरमाला परियोजना 70

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 73

- प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा 73
- भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार 75
- द हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया 77
- चीन-ईरान सामरिक सहयोग समझौता 78
- बिम्सटेक की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 79
- ला पेरॉस: बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास 81
- भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक 82
- नाटो में शामिल होने के लिये यूक्रेन का प्रयास 84
- E-9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक 85
- फिलिस्तीन के लिये अमेरिका की वित्तीय सहायता 86
- भारत के EEZ क्षेत्र में अमेरिकी गश्ती 89
- भारत-सेशेल्स 90
- भारत-नीदरलैंड 93
- उत्तरी आयरलैंड में हिंसा 95
- कज़ाखस्तान के रक्षा मंत्री की यात्रा 96

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 100

- एपोफिस क्षुद्रग्रह 100
- कोविड-19 का पुन: संक्रमण 101
- कोविड -19 के दौरान महासागरीय ध्वनिक 103
- फॉर्मूला-1 हेतु 100% सतत् ईंधन 104

नोट :

- राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन 106
- HGCO19: mRNA वैक्सीन कैंडिडेट 107

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 109

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को क्षमता बढ़ाने का आदेश 109
- वनाग्नि: एक गंभीर चिंता 110
- दक्षिण पूर्व एशिया को EU का सहयोग 112
- डेन्यूब स्टर्जन 114
- इंडियन राइनो विज़न' 2020 115
- नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम 116

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन 119

- गोदावरी नदी 119
- मानसून पर धूल का प्रभाव 120
- लाल सागर 122
- अंटार्कटिका का डूम्सडे ग्लेशियर 123

सामाजिक न्याय 126

- मानवाधिकार रिपोर्ट 2020: अमेरिका 126
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2021 127
- कोविड के कारण मातृ मृत्यु दर में वृद्धि: लैंसेट रिपोर्ट 129
- राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021 131
- अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस 132
- विश्व स्वास्थ्य दिवस, 2021 और भारत की जीवन प्रत्याशा 134
- B.1.617:भारतीय डबल म्यूटेंट स्ट्रेन 136
- भिक्षावृत्ति 137

नोट :

कला एवं संस्कृति **140**

- शिवकुमार स्वामीगलु 140
- पारंपरिक नववर्ष आधारित त्योहार 141

आंतरिक सुरक्षा **143**

- सुकमा में माओवादी हमला 143

चर्चा में **145**

- वज्र प्रहार 145
- वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम 145
- कवि सारला दास 146
- चिनाब नदी 147
- भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज 147
- नवेगाँव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व 149
- सैन्य अभ्यास 'शांतिर ओग्रोशेना' 150
- भारत ऊर्जा डैशबोर्ड- दूसरा संस्करण 150
- 'ई-सांता' प्लेटफॉर्म 151

विविध **153**

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

चर्चा में क्यों ?

कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण केंद्र सरकार की फ्लैगशिप ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिये स्वीकृत घरों में से केवल 5.4% ही वर्ष 2020-2021 तक पूर्ण हो पाए हैं।

प्रमुख बिंदु:

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) के बारे में:

- लॉन्च: वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 1 अप्रैल, 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana-IAY) का पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) कर दिया गया था।
- मंत्रालय: ग्रामीण विकास मंत्रालय।
- उद्देश्य: मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के आवासहीन और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना।
  - पूर्ण अनुदान सहायता प्रदान करके आवास इकाइयों के निर्माण और मौजूदा गैर-लाभकारी कच्चे घरों के उन्नयन में गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे रह रहे ग्रामीण लोगों की मदद करना।
- लाभार्थी: इसके लाभार्थियों में एससी/एसटी, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी श्रेणियाँ, विधवाओं या कार्रवाई में मारे गए रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक शामिल हैं।
- लाभार्थियों का चयन : तीन चरणों के माध्यम से लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा जिसमें 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC), ग्राम सभा एवं जियो टैगिंग शामिल है।
- साझा लागत: इस योजना की कुल लागत का बँटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में किया जाता है, जबकि पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों के लिये यह राशि 90:10 के अनुपात में साझा की जाती है।
- विशेषताएँ:
  - घर के न्यूनतम आकार को 20 वर्ग मीटर से 25 वर्ग मीटर (एक स्वच्छ रसोई घर सहित) तक बढ़ाया गया है।
  - इकाई सहायता मैदानी क्षेत्रों में 70,000 रुपए से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपए तथा पर्वतीय राज्यों में 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए कर दी गई है।
  - शौचालय के निर्माण के लिये स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G), मनरेगा या वित्तपोषण के किसी अन्य स्रोत से तालमेल बिठाकर सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
  - पाइप के ज़रिये पेयजल आपूर्ति, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन इत्यादि के लिये विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से भी प्रयास किया जाता है।

योजना का प्रदर्शन:

- निर्माण लक्ष्य का केवल 55% पूरा हो चुका है।
  - ग्रामीण गरीबों के लिये बनाए जाने वाले 2.28 करोड़ घरों में से 1.27 करोड़ से कम घरों का कार्य जनवरी 2021 तक पूरा हो चुका था।
  - लगभग 85% लाभार्थियों के लिये धन स्वीकृत किया गया है।

नोट :

- इस योजना ने रोज़गार सृजन में मदद की है तथा कई राज्यों ने अपने प्रवासी मज़दूरों को लॉकडाउन के दौरान रोज़गार उपलब्ध कराया।

प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी

- लॉन्च: 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का शुभारंभ किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के लोगों को 2022 तक आवास उपलब्ध कराना है।
- कार्यान्वयन: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- विशेषताएँ:
  - शहरी गरीबों (झुग्गीवासी सहित) के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करते हुए पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्के घर सुनिश्चित करता है।
  - इस मिशन में संपूर्ण नगरीय क्षेत्र शामिल है (जिसमें वैधानिक नगर, अधिसूचित नियोजन क्षेत्र, विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण जिसे नगरीय नियोजन का कार्य सौंपा गया है)।
  - PMAY(U) के अंतर्गत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोईघर जैसी बुनियादी सुविधाएँ हैं।
  - यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान कर महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती है।
  - विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर और समाज के कमज़ोर वर्गों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है।
- चार कार्यक्षेत्रों में विभाजित:
  - निजी भागीदारी के माध्यम से संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग करने वाले मौजूदा झुग्गीवासियों का इन-सीटू (उसी स्थान पर) पुनर्वास किया जाएगा।
  - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी।
  - साझेदारी में किफायती आवास।
  - लाभार्थी के नेतृत्व वाले निजी घर निर्माण/मरम्मत के लिये सब्सिडी।

समान नागरिक संहिता (UCC)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में तलाक और गुजारा भत्ता पर समान नागरिक संहिता (UCC) के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिये एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिये विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि कानूनों में भी एकरूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है।
- संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।
  - अनुच्छेद-44, संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों में से एक है।
  - अनुच्छेद-37 में परिभाषित है कि राज्य के नीति निदेशक तत्त्व संबंधी प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था में मौलिक प्रकृति के होंगे।

भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति

- वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून, सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे- भारतीय अनुबंध अधिनियम, नागरिक प्रक्रिया संहिता, माल बिक्री अधिनियम, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम आदि।

नोट :

- हालाँकि राज्यों ने कई कानूनों में कई संशोधन किये हैं परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी विविधता है।
  - हाल ही में कई राज्यों ने एक समान रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 2019 को लागू करने से इनकार कर दिया था।

पृष्ठभूमि

- समान नागरिक संहिता (UCC) की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एकरूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया, हालाँकि रिपोर्ट में हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एकरूपता से बाहर रखने की सिफारिश की गई।
- ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिये बी.एन. राव समिति गठित करने के लिये मजबूर किया।
- इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिये निर्वसीयत उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित और संहिताबद्ध करने हेतु वर्ष 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया।
  - हालाँकि मुस्लिम, इसाई और पारसी लोगों के लिये अलग-अलग व्यक्तिगत कानून थे।
- कानून में समरूपता लाने के लिये विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णयों में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिये।
  - शाह बानो मामले (1985) में दिया गया निर्णय सर्वविदित है।
  - सरला मुद्गल वाद (1995) भी इस संबंध में काफी चर्चित है, जो कि बहुविवाह के मामलों और इससे संबंधित कानूनों के बीच विवाद से जुड़ा हुआ था।
- प्राय: यह तर्क दिया जाता है 'ट्रिपल तलाक' और बहुविवाह जैसी प्रथाएँ एक महिला के सम्मान और उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, केंद्र ने सवाल उठाया है कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तारित होनी चाहिये जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं।

व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता के निहितार्थ

- समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण
  - समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा।
- कानूनों का सरलीकरण
  - समान संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकार समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बनाएगी। परिणामस्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों।
- धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल:
  - भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द सन्निहित है और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून बनाना चाहिये।
- लैंगिक न्याय
  - यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है, तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा।

चुनौतियाँ

- केंद्र सरकार के पारिवारिक कानूनों में मौजूद अपवाद
  - स्वतंत्रता के बाद से संसद द्वारा अधिनियमित सभी केंद्रीय पारिवारिक कानूनों में प्रारंभिक खंड में यह घोषणा की गई है कि वे 'जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होंगे।'

नोट :

- इन सभी अधिनियमों में 1968 में एक दूसरा अपवाद जोड़ा गया था, जिसके मुताबिक 'अधिनियम में शामिल कोई भी प्रावधान केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी पर लागू होगा।'
- एक तीसरे अपवाद के मुताबिक, इन अधिनियमों में से कोई भी गोवा और दमन एवं दीव में लागू नहीं होगा।
- नगालैंड और मिज़ोरम से संबंधित एक चौथा अपवाद, संविधान के अनुच्छेद 371A और 371G में शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी संसदीय कानून इन राज्यों के प्रथागत कानूनों और धर्म-आधारित प्रणाली का स्थान नहीं लेगा।

- सांप्रदायिक राजनीति
  - कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिक राजनीति के संदर्भ में की जाती है।
  - समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है।
- संवैधानिक बाधा
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जो किसी भी धर्म को मानने और प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है।

आगे की राह

- परस्पर विश्वास निर्माण के लिये सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्त्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित के रूप में स्थापित किया जाए।
- एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग-अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है।
- सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना काफी महत्त्वपूर्ण है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रुढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परिक्षण किया जा सके।

स्टार प्रचारक एवं आदर्श आचार संहिता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के नाम को स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है।

- चुनाव के समय टिप्पणी करने के लिये उन्हें आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct- MCC) के उल्लंघन हेतु भी फटकार लगाई गई है।

प्रमुख बिंदु:

स्टार प्रचारक:

- एक स्टार प्रचारक किसी पार्टी के लिये चुनाव में एक सेलिब्रिटी के तौर पर वोट मांग सकता है। यह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक राजनीतिज्ञ या यहाँ तक कि एक फिल्म स्टार भी।
- स्टार प्रचारक बनाने या न बनाए जाने के संबंध में कोई कानून उपलब्ध नहीं है।
- वे संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति और अवधि को निर्दिष्ट करके नामित किये जाते हैं
- ECI आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत दिशा-निर्देश जारी करता है ताकि चुनाव अभियान को नियंत्रित किया जा सके।

स्टार प्रचारकों की संख्या:

- ECI द्वारा किसी मान्यता प्राप्त 'राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल' के अधिकतम 40 स्टार प्रचारक नामित किये जा सकते हैं।
- एक गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अधिकतम 20 स्टार प्रचारकों को नामित कर सकता है।

नोट :

स्टार प्रचारकों की आवश्यकता:

- ECI चुनाव अभियान के दौरान अलग-अलग उम्मीदवारों द्वारा किये गए खर्च पर नज़र रखता है। एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा किये जाने वाले खर्च की सीमा का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है-
- लोकसभा चुनाव के लिये-
  - चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। भारत के बड़े राज्यों को छोटे राज्यों की तुलना में अधिक खर्च करने की अनुमति है।
  - लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है।
  - बड़े राज्यों जैसे- आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक आदि में व्यय सीमा 70 लाख रुपए है।
  - छोटे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों जैसे- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा पुददुचेरी में यह व्यय सीमा 54 लाख रुपए है।
  - उल्लेखनीय है कि दिल्ली लोकसभा चुनाव के मामले में भी यह सीमा 70 लाख रुपए है।
- विधानसभा चुनाव के लिये:
  - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े भारतीय राज्यों के विधानसभा चुनावों में खर्च सीमा 28 लाख रुपए है। जबकि छोटे राज्यों जैसे- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुददुचेरी के लिये यह सीमा 20 लाख रुपए तय की गई है।
- स्टार प्रचारक पर किये गए व्यय को एक उम्मीदवार के चुनाव व्यय में नहीं जोड़ा जाता है, जिससे चुनाव पर किये जाने वाले व्यय को बढ़ाने की अधिक गुंजाइश होती है।
  - हालाँकि एक व्यक्तिगत उम्मीदवार को अभियान के खर्च से राहत पाने के लिये स्टार प्रचारक को पार्टी के सामान्य चुनाव अभियान तक सीमित करना होगा।
- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, यह खर्च राजनीतिक दलों द्वारा वहन किया जाएगा।

एक स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री:

- MCC दिशा-निर्देशों के अनुसार, जब कोई प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक होता है, तो बुलेट-प्रूफ वाहनों सहित सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और इसे पार्टी या उम्मीदवार के चुनाव खर्चों में नहीं जोड़ा जाएगा।
- हालाँकि यदि कोई अन्य प्रचारक प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करता है, तो सुरक्षा व्यवस्था पर किये गए खर्च का 50% उम्मीदवार को वहन करना होगा।

स्टार प्रचारक सूची से हटाने के संबंध में चुनौती:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77, जो कि एक उम्मीदवार के चुनाव खर्च से संबंधित है, राजनीतिक पार्टी को नेता तय करने का अधिकार देती है और हर पार्टी को अपने 'स्टार प्रचारकों' की सूची चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति देती है।
- चूँकि स्टार प्रचारकों पर खर्च संबंधित उम्मीदवार के खर्च में शामिल नहीं है, ECI का एक आदेश स्टार प्रचारक की स्थिति को रद्द कर सकता है।

आदर्श आचार संहिता:

- MCC चुनावों से पहले राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिये ECI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का एक समूह है।
- आदर्श आचार संहिता (MCC) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुरूप है, जिसके तहत निर्वाचन आयोग (EC) को संसद तथा राज्य विधानसभाओं में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की निगरानी और संचालन करने की शक्ति दी गई है।

प्रवर्तन की अवधि:

- नियमों के मुताबिक, आदर्श आचार संहिता उस तारीख से लागू हो जाती है जब निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा की जाती है और यह चुनाव परिणाम घोषित होने की तारीख तक लागू रहती है।

नोट :

- कानूनी स्थिति: MCC वैधानिक नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और मतदान एजेंटों से अपेक्षा की जाती है कि वे चुनाव घोषणा पत्र, भाषणों और जुलूसों की सामग्री से लेकर सामान्य आचरण आदि तक के मानदंडों का पालन करें।
  - भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (जैसी विधियों में संबंधित प्रावधानों के माध्यम से MCC के कुछ प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।
- MCC से संबंधित अनुशंसाएँ:
  - वर्ष 2013 में कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी स्थायी समिति ने MCC को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश की अर्थात् MCC को RPA 1951 का हिस्सा बनाया जाएगा।
  - वर्ष 2015 में भारतीय विधि आयोग (LCI) की रिपोर्ट 255 में देखा गया कि चूँकि MCC केवल उसी तारीख से परिचालन में रहती है जिस दिन ECI चुनाव की घोषणा करता है, इसलिये सरकार चुनावों की घोषणा से पहले विज्ञापन जारी कर सकती है।
    - रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि सदन/विधानसभा की समाप्ति की तारीख से छह महीने पहले तक सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।

विशिष्ट भूमि पहचान संख्या

चर्चा में क्यों ?

केंद्र की योजना एक वर्ष के भीतर देश के प्रत्येक भूखंड हेतु 14 अंकों की 'विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या' (Unique Land Parcel Identification Number) जारी करने की है।

- वर्ष 2021 में 'विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या' (Unique Land Parcel Identification Number- ULPIN) योजना को 10 राज्यों में शुरू किया गया है जिसे मार्च 2022 तक संपूर्ण देश में लागू किया जाना है।

प्रमुख बिंदु:

ULPIN के बारे में:

- ULPIN को 'भूमि की आधार संख्या' के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक ऐसी संख्या है जो भूमि के उस प्रत्येक खंड की पहचान करेगी जिसका सर्वेक्षण हो चुका है, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, जहाँ सामान्यत: भूमि-अभिलेख काफी पुराने एवं विवादित होते हैं। इससे भूमि संबंधी धोखाधड़ी पर रोक लगेगी।
- इसके तहत भूखंड की पहचान, उसके देशांतर और अक्षांश के आधार पर की जाएगी जो विस्तृत सर्वेक्षण और संदर्भित भू संपत्ति-मानचित्रीकरण पर निर्भर होगी।
- यह वर्ष 2008 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernisation Programme- DILRMP) का अगला चरण है।
- ULPIN के माध्यम से उचित भूमि सांख्यिकी (Land Statistics) और भूमि लेखांकन (Land Accounting) के कार्यों को संपन्न किया जा सकता है जो भूमि विकास बैंकों को विकसित करने में सहायक होगा तथा एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Information Management System- ILIMS) की ओर ले जाने में मदद करेगा।

लाभ:

- ULPIN द्वारा सभी प्रकार के लेन-देन में विशिष्टता सुनिश्चित की जा सकती है और भूमि रिकॉर्ड को समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।
- इससे संपत्ति के लेन-देन में एक कड़ी या तारतम्यता स्थापित की जा सकेगी।
- सिंगल विंडो (Single Window) के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड से संबंधित नागरिक सेवाओं का वितरण हो सकेगा।
- भूमि रिकॉर्ड डेटा को विभागों, वित्तीय संस्थानों और सभी हितधारकों के साथ साझा किया जा सकेगा।

नोट :

डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम:

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 950 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ वर्ष 2020-21 तक बढ़ा दिया गया है।
- भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने अपने मूल लक्ष्यों को पूरा करने सहित नई योजनाओं की एक शृंखला के साथ अपने दायरे को बढ़ाने हेतु ULPIN का विस्तार वर्ष 2023-24 तक किये जाने का प्रस्ताव दिया है।
- ULPIN, एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली (Integrated Land Information Management System-ILIMS) के विकास हेतु विभिन्न राज्यों में भूमि रिकॉर्ड्स के क्षेत्र में मौजूद समानता पर आधारित होगा, जिसमें अलग-अलग राज्य अपनी विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार, प्रासंगिक और उचित चीज़ों को जोड़ सकेंगे।
  - एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली: इस प्रणाली में भूखंड का स्वामित्व, भूमि उपयोग, कराधान, स्थान सीमा, भूमि मूल्य, ऋण भार और कई अन्य जानकारियाँ शामिल होंगी।
- इस कार्यक्रम के तहत कुछ नई पहलें भी शामिल की गई हैं जैसे- नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (National Generic Document Registration System- NGDRS), ULPIN, राजस्व न्यायालय को भू-अभिलेखों से जोड़ना तथा सहमति के आधर पर भू-अभिलेखों को आधार नंबर के साथ एकीकरण करना आदि।
  - NGDRS: इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त 'बनाने हेतु दस्तावेज़ों और संपत्तियों के पंजीकरण के लिये 'एक राष्ट्र एक सॉफ्टवेयर' (One Nation One Software) सुविधा प्रदान करना है।
- DILRMP के अगले चरण में बैंकों के साथ भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस (Land Record Databases) को लिंक किया जाएगा।
- यह देश के नागरिकों तक सेवाओं की पहुँच में वृद्धि करेगा तथा कृषि, वित्त, आपदा प्रबंधन आदि अन्य क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं के इनपुट के रूप में भी कार्य करेगा।

एसीटी एक्सलरेटर

चर्चा में क्यों ?

कार्ल बिल्ट (Carl Bildt) को 'एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सलरेटर' (ACT-Accelerator) के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है।

- 'एसीटी एक्सलरेटर' कोविड-19 परीक्षण, उपचार और टीकों के विकास, उत्पादन तथा न्यायसंगत पहुँच में तेज़ी लाने के लिये एक वैश्विक सहयोग है।

प्रमुख बिंदु:

एसीटी एक्सलरेटर:

- इसे अप्रैल 2020 में WHO के महानिदेशक, फ्राँस के राष्ट्रपति, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था।
- यह सरकारों, वैज्ञानिकों, व्यवसायों, नागरिक समाज और समाज सेवी वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों को एक साथ लाता है।
  - इसके प्रतिभागियों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेपी (CEPI), फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स (FIND), गावी (GAVI), द ग्लोबल फंड, यूनिटेड (Unitaid), वेलकम ट्रस्ट (लंदन), WHO और विश्व बैंक शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य महामारी को समाप्त करना, विश्व स्तर पर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण रूप से बहाल करना तथा कोविड-19 रोग के उच्च-स्तरीय नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना है।
- एसीटी एक्सलरेटर के कार्यों को चार स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है:
  - निदान, उपचार, टीका और स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत बनाना।
  - प्रत्येक स्तंभ समग्र प्रयास के लिये महत्त्वपूर्ण है और इसमें नवाचार एवं सहयोग शामिल है।

नोट :

कोवैक्स:

- कोवैक्स (COVAX) 'एसीटी एक्सलरेटर' के चार स्तंभों में से एक है।
- यह विश्व के सभी कोनों में लोगों की मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन तक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास है।
  - इसका प्रारंभिक उद्देश्य वर्ष 2021 के अंत तक 2 बिलियन खुराक उपलब्ध कराना है, जो उच्च जोखिम वाले और कमज़ोर लोगों के साथ फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त रूप से उपलब्ध होनी चाहिये।
- विकसित और विकासशील देशों के वैक्सीन निर्माताओं के साथ साझेदारी में काम कर रहे गावी (GAVI), 'कोलेशन फॉर एपिडेमिक रेडीनेस इनोवेशन' (CEPI) और WHO के सह-नेतृत्व में इसका विकास किया गया है।
- भारत की भूमिका:
  - भारत ने COVAX सुविधा के तहत अफ्रीका को कोविड-19 टीके भेजना शुरू कर दिया है।
  - 'सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (SII) ने 'गावी' तथा 'बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन' से भारत और अन्य गरीब देशों को कोविड-19 वैक्सीन (200 मिलियन खुराक) की आपूर्ति को दोगुना करने के लिये 'गावी कोवैक्स सुविधा' (Gavi COVAX Facility) के तहत धन प्राप्त किया।

एसीटी एक्सलरेटर का महत्त्व:

- एसीटी एक्सलरेटर के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण समय है जब दुनिया कोविड-19 के टीके तथा निदान पेश कर रही है।
- यह विश्व स्तर पर टीकों के असमान वितरण और नई समस्याओं का समाधान करने में मदद करेगा।

कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स:

- कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दवा का एक वर्ग है जो शरीर में उत्तेजक क्रियाओं को कम करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली गतिविधि को भी कम करता है।
- सूजन, खुजली, लालिमा और एलर्जी जैसी प्रतिक्रियाओं को कम करता है, इस प्रकार इसका उपयोग अस्थमा, गठिया, एलर्जी आदि के उपचार में किया जाता है।
- कॉर्टिकोस्टिरॉइड्स कोर्टिसोल से मिलता-जुलता है, जो शरीर की एड्रीनल ग्रंथियों द्वारा स्वाभाविक रूप से निर्मित एक हार्मोन है। स्वस्थ रहने के लिये शरीर को कोर्टिसोल की आवश्यकता होती है।
  - कोर्टिसोल शरीर में प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें उपापचय, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और तनाव संबंधी प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

संविधान का अनुच्छेद 244(A)

चर्चा में क्यों ?

असम में कुछ वर्गों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 244A के प्रावधानों के तहत एक स्वायत्त राज्य की मांग उठाई जा रही है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- 1950 के दशक में अविभाजित असम की आदिवासी आबादी के कुछ वर्गों के बीच एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठने लगी।
- लंबे समय तक चले आंदोलन के बाद वर्ष 1972 में मेघालय को राज्य का दर्जा मिला।
- कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के नेता भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। उन्हें असम में रहने या मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया था।
- हालाँकि वे असम में ही रहे क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें अनुच्छेद 244(A) समेत कई अन्य शक्तियाँ देने का वादा किया गया था।
- 1980 के दशक में अधिक शक्ति/स्वायत्तता की मांग ने कई कार्बी समूहों के बीच एक हिंसक आंदोलन का रूप ले लिया।
  - जल्द ही यह एक सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह बन गया, जिसमें पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग की जाने लगी।

नोट :

अनुच्छेद 244A

- यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है।
- यह अनुच्छेद स्थानीय प्रशासन के लिये एक स्थानीय विधायिका या मंत्रिपरिषद अथवा दोनों की स्थापना की भी परिकल्पना करता है।
- इस अनुच्छेद को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1969 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।
- अनुच्छेद 244A, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्तियाँ प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण शक्ति कानून व्यवस्था पर नियंत्रण से संबंधित है।
  - जबकि छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद में आदिवासी क्षेत्रों के पास कानून व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

छठी अनुसूची

- संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिये इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान करती है।
  - ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत प्रदान किये गए हैं।
- असम में डिमा हसाओ, कार्बी आंग्लोंग तथा पश्चिम कार्बी और बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के पहाड़ी ज़िले इस प्रावधान के तहत शामिल हैं।
- राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों के गठन और पुनर्गठन का अधिकार है। अत: राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है या इनका नाम परिवर्तित कर सकता है अथवा सीमाएँ निर्धारित कर सकता है। जहाँ एक ओर पाँचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन संघ की कार्यकारी शक्तियों के अधीन आता है, वहीं छठी अनुसूची, राज्य सरकार की कार्यकारी शक्तियाँ के तहत आती हैं।
  - पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अतिरिक्त किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है।
    - इस व्यवस्था के मुताबिक, एक राज्य में कार्यरत संपूर्ण सामान्य प्रशासनिक तंत्र, अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित नहीं होता है।
    - वर्तमान में 10 राज्य यथा- आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना को पाँचवीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया है।
    - वहीं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में जनजातीय क्षेत्रों को पाँचवीं या छठी अनुसूची के तहत नहीं लाया गया है।
- स्वायत्त ज़िलों और स्वायत्त क्षेत्रों पर संसद या राज्य विधायिका के कानून लागू नहीं होते हैं अथवा कुछ निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।
- इन परिषदों को व्यापक नागरिक और आपराधिक न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं, उदाहरण के लिये ग्राम न्यायालय आदि की स्थापना। हालाँकि इन परिषदों का न्यायिक क्षेत्राधिकार संबंधित उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन है।

राजनीति का अपराधीकरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेशनल इलेक्शन वॉच (National Election Watch) और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association of Democratic Reforms- ADR) के अनुसार असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में 6,318 उम्मीदवारों में से कम-से-कम 1,157 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

- भारत में लोकतंत्र, शासन और चुनावी सुधार के लिये वर्ष 2002 से एक न्यू (NEW) नामक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है, जिसमें 1200 से अधिक गैर-सरकारी संगठन (NGO) और ऐसे ही अन्य नागरिक संगठन शामिल हैं।
- ADR एक गैर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में नई दिल्ली में की गई थी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

राजनीति का अपराधीकरण के बारे में:

- इसका अर्थ राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है, यानी अपराधी चुनाव लड़कर संसद या राज्य विधानमंडलों में सदस्यों के रूप में निर्वाचित हो सकते हैं। यह मुख्य रूप से नेताओं और अपराधियों के बीच साँठ-गाँठ के कारण होता है।

आपराधिक उम्मीदवारों की अयोग्यता का कानूनी पहलू

- भारतीय संविधान में संसद या विधानसभाओं के लिये चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में उपबंध नहीं किया गया है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में विधायिका का चुनाव लड़ने के लिये किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है।
  - इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है और दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है।
  - इस अधिनियम की धारा 8(1) और 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य (सांसद अथवा विधायक) हत्या, बलात्कार, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने जैसे अपराधों में लिप्त है, तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

अपराधीकरण का कारण:

- राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव:
  - लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के बावजूद राजनीतिक दलों के बीच एक सामान्य सहमति बन गई है जो संसद को राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिये मज़बूत कानून बनाने से रोकती है।
- कार्यान्वयन का अभाव:
  - राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिये बने कानूनों और निर्णयों के कार्यान्वयन की कमी के कारण इसमें बहुत मदद नहीं मिली है।
- संकीर्ण स्वार्थ:
  - राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जाति या धर्म जैसे सामुदायिक हितों से प्रभावित होकर मतदान करता है।
- बाहुबल और धन का उपयोग:
  - गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफी अधिक मात्रा में होती है, इसलिये वे दल के चुनावी अभियान में अधिक-से-अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है।
  - इसके अतिरिक्त कभी-कभी तो मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रतियोगी उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं।

प्रभाव:

- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के विरुद्ध:
  - यह एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करने के लिये मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है।
  - यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लोकाचार के खिलाफ है जो कि लोकतंत्र का आधार है।
- सुशासन पर प्रभाव:
  - प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाते हैं, इससे सुशासन स्थापित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावित होती है।

नोट :

- भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में यह प्रवृत्ति यहाँ के संस्थानों की प्रकृति तथा विधायिका के चुने हुए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती है।

- लोक सेवकों के कार्य पर प्रभाव
  - इससे चुनावों के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन बढ़ जाता है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा लोक सेवकों के काम पर असर पड़ता है।
- सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा:
  - यह समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिये एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के हालिया कदम:

- सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने फरवरी, 2020 में राजनीतिक दलों को विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिये अपने उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास को प्रकाशित करने का आदेश दिया, साथ ही उन कारणों को भी जिनसे उन्हें अपराधिक कृत्य करने के लिये मजबूर होना पड़ा था।
- न्यायालय ने पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (Public Interest Foundation vs Union Of India), 2018 में राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के लंबित आपराधिक मामलों को ऑनलाइन प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया था।

आगे की राह

- चुनाव सुधार पर बनी विभिन्न समितियों (दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत समिति) ने राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किये जाने की सिफारिश की, जिससे काफी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप राजनीति के अपराधीकरण को सीमित किया जा सकेगा।
- एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को विनियमित करना आवश्यक है, जिसके लिये निर्वाचन आयोग (Election Commission) को मज़बूत करना ज़रूरी है।
- मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है।
- भारत के राजनीतिक दलों की राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानिकारक प्रभावों को रोकने के प्रति अनिच्छा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले पर विचार करना चाहिये।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना अवधि में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार द्वारा 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme- ECLGS) की अवधि को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है तथा इसके दायरे को आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है।

- ECLGS को वर्ष 2020 में कोविड-19 संकट के समय आत्मनिर्भर पैकेज (Atmanirbhar package) के तहत जारी किया गया था।
  - इसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के कारण अपनी परिचालन देनदारियों को पूरा करने हेतु संघर्ष कर रहे छोटे व्यवसायों को सहायता/समर्थन प्रदान करना था।

प्रमुख बिंदु:

- ECLGS 1.0:
  - 29 फरवरी, 2020 तक व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु MSMEs, व्यावसायिक उद्यमों, MUDRA उधारकर्त्ताओं और व्यक्तिगत ऋणों पर उनके क्रेडिट की 20% सीमा तक पूर्णत: गारंटी और संपार्श्विक मुक्त अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान करना।

नोट :

- 25 करोड़ रुपए तक के बकाया और 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली MSMEs इसके लिये पात्र हैं।
  - हालाँकि नवंबर 2020 में ECLGS 2.0 में संशोधन के बाद टर्नओवर कैप को हटा दिया गया था

- ECLGS 2.0:
  - यह संशोधित संस्करण कामथ समिति (Kamath Committee) द्वारा चिह्नित 26 तनावग्रस्त क्षेत्रों के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित करता है, मुख्यत: जिनका बकाया 29 फरवरी, 2020 तक 50 करोड़ रुपए से अधिक और 500 करोड़ रुपए तक है।
  - SMAs अथवा 'स्पेशल मेंशन अकाउंट' का आशय ऐसे तनावग्रस्त खातों से है, जिनमें ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होता है।
    - जबकि SMA-0 ऐसे खाते हैं जिनमें आंशिक रूप से या 1-30 दिनों तक पूर्ण अतिदेय की स्थिति होती है। SMA-1 और SMA-2 खातों में क्रमश: 31-60 दिनों और 61-90 दिनों हेतु भुगतान अतिदेय होता है।
  - संशोधित योजना में पुनर्भुगतान की अवधि को पाँच वर्ष कर दिया गया है, जबकि ECLGS 1.0 में यह अवधि 4 वर्ष थी।

- ECLGS 3.0:
  - ECLGS 3.0 में 29 फरवरी, 2020 तक सभी ऋण देने वाली संस्थाओं के कुल बकाया ऋण के 40 प्रतिशत तक का विस्तार शामिल है।
  - ECLGS 3.0 के तहत दिये जाने वाले ऋणों की अवधि 6 वर्ष होगी, जिसमें 2 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल होगी।
  - यह आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश तथा खेल क्षेत्रों के व्यावसायिक उद्यमों को कवर करता है। लेकिन;
    - यह सुविधा केवल उन उद्यमों हेतु है, जिनका कुल ऋण 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और विलंबित ऋण, यदि कोई हो तो इसकी मियाद 29 फरवरी, 2020 को 60 दिन या इससे कम हो।

- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (National Credit Guarantee Trustee Company- NCGTC) द्वारा ECLGS योजना के तहत गारंटी प्रदान की जाती है।

नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी:

- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 28 मार्च, 2014 को 10 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में की गई थी।
- इस कंपनी के गठन का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न क्रेडिट गारंटी फंडों के लिये एक सामान्य ट्रस्टी कंपनी के रूप में कार्य करना है।
  - ऋण गारंटी कार्यक्रम उधारदाताओं के उधार जोखिम को साझा करने के लिये डिज़ाइन किये जाते हैं और इसके बदले संभावित उधारकर्त्ताओं को वित्त तक पहुँच की सुविधा प्रदान की जाती है।

संदेह के लाभ पर आधारित दोषमुक्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने स्वीकार किया है कि कोई भी सार्वजनिक नियोक्ता किसी अभ्यर्थी, जो अतीत में "संदेह का लाभ" (Benefit of Doubt) प्राप्त करते हुए गंभीर अपराध से बरी हुआ है, को नौकरी पर रखने से मना कर सकता है।

- किसी अभियुक्त को संदेह का लाभ तब दिया जाता है जब या तो सबूत समग्र तौर पर अनुपस्थिति हों अथवा कानून के मुताबिक, उस विशिष्ट अपराध के लिये मात्र संदेह के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती हो और सबूतों के आधार पर अपराध सिद्ध करना आवश्यक हो।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि

- याचिकाकर्त्ता ने राजस्थान पुलिस सेवा में कांस्टेबल पद संबंधी भर्ती परीक्षा पास की थी, हालाँकि आपराधिक मामले में मुकदमे के मद्देनज़र उसे नियुक्त नहीं किया गया।

नोट :

- यह पाया गया कि यद्यपि उस व्यक्ति को बरी कर दिया गया था, किंतु मामले में अपराध की प्रकृति सामान्य नहीं थी, बल्कि वह गंभीर अपराध था और अभियुक्त को 'संदेह के लाभ' के आधार पर बरी किया गया था।
- उसे न्यायालय द्वारा सम्मानपूर्वक बरी (Honourable Acquittal) नहीं किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी:

- किसी व्यक्ति का बरी होना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह पूर्णरूप से बरी किया गया है।
- नियोक्ता के पास यह अधिकार होगा कि वह अभ्यर्थी को उसके पूर्व के क्रियाकलापों की अच्छी तरह से जाँच कर भर्ती करे।
  - इस संदर्भ में नियोक्ता अभ्यर्थी की जॉब प्रोफाइल को ध्यान में रखकर चयन कर सकता है और अभ्यर्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप की गंभीरता तथा उसके बरी होने की प्रकृति (सम्मानजनक या केवल संदेह के लाभ के आधार बरी) पर विचार कर सकता है ।
- केवल संदेह के लाभ के आधार पर बरी होना एक सम्मानजनक बरी होने से काफी अलग है।
  - किसी जघन्य अपराध के आरोप में सम्मान के साथ बरी एक व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से रोज़गार के लिये योग्य माना जाना चाहिये।
- हालाँकि न्यायालय ने कहा कि अस्वीकृति विवेक रहित नहीं होनी चाहिये क्योंकि देश में रोज़गार के अवसर सीमित हैं।

"सम्मान के साथ बरी" और "संदेह के लाभ पर बरी"

ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों और गवाह की उचित जाँच करने के बाद निम्नलिखित में से कोई भी फैसला सुना सकती है:

- व्यक्ति को अपराधी घोषित करना।
- व्यक्ति को बिना शर्त बरी करना, दूसरे शब्दों में सम्मान के साथ बरी करना।
  - भारतीय कानूनों के अंतर्गत "सम्मान के साथ बरी" शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यह भारतीय न्यायपालिका की देन है।
  - यह न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के पूर्ण विवेचना के बाद अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत पाए जाने की स्थिति को संदर्भित करता है।
- जब अभियोजन पक्ष संदेह से परे उचित या पर्याप्त सबूतों के माध्यम से अभियुक्त को दोषी ठहराने में असफल हो जाता है तो उस अभियुक्त को "संदेह का लाभ" के आधार पर दोषमुक्त कर दिया जाता है।

संकल्प से सिद्धि' मुहिम

चर्चा में क्यों ?

जनजातीय मामले मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ-ट्राइफेड (Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India- TRIFED) ने संकल्प से सिद्धि- गाँव एवं डिजिटल कनेक्ट मुहिम (Sankalp se Siddhi - Village and Digital Connect Drive) लॉन्च की है।

- इस मुहिम/अभियान/ड्राइव का मुख्य उद्देश्य इन गाँवों में वन धन विकास केंद्रों (VDVKs) को सक्रिय बनाना है।

प्रमुख बिंदु

संकल्प से सिद्धि मुहिम के विषय में:

- 100 दिनों (1 अप्रैल, 2021 से आरंभ) की इस मुहिम से 150 टीमें (ट्राइफेड एवं राज्य कार्यान्वयनकारी एजेंसियों/मेंटरिंग एजेंसियों/पाटनर्स से प्रत्येक क्षेत्र में 10) जुड़ेंगी। प्रत्येक टीम द्वारा 10 गाँवों का दौरा किया जाएगा।
  - इस प्रकार अगले 100 दिनों में प्रत्येक क्षेत्र में 100 गाँवों तथा देश भर में 1500 गाँवों को कवर किया जाएगा।
- दौरा करने वाली टीमें स्थानों की भी पहचान करेंगी तथा वृहद् उद्यमों के रुप में ट्राइफूड (TRIFOOD) एवं स्फूर्ति (SFURTI) इकाइयों की क्लस्टरिंग हेतु संभावित वन धन विकास केंद्रों का चयन करेंगी।

नोट :

- पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिये कोष की योजना- स्फूर्ति (Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries- SFURTI) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक योजना है।

- इस पहल के परिणामस्वरूप 1500 गाँवों में वन धन विकास केंद्रों के सक्रिय हो जाने के बाद अगले 12 महीनों के दौरान 200 करोड़ रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा गया है।
- टीमों द्वारा जनजातीय कारीगरों तथा अन्य समूहों की भी पहचान की जाएगी और उन्हें आपूर्तिकर्त्ता के रूप में पैनल में शामिल किया जाएगा, इसके परिणामस्वरूप ट्राइब्स इंडिया नेटवर्क (भौतिक विक्रय केंद्रों एवं tribesIndia.com दोनों) के ज़रिये बड़े बाज़ारों तक उनकी पहुँच सुलभ हो सकेगी।

TRIFED की अन्य सहभागिताएँ:

- गाँव एवं डिजिटल कनेक्ट पहल:
  - इस पहल की शुरुआत यह सुनिश्चित करने के लिये की गई थी कि मौजूदा योजनाएँ और पहल आदिवासियों तक पहुँचती हैं अथवा नहीं। इसके तहत देश भर के क्षेत्रीय अधिकारियों ने उल्लेखनीय जनजातीय आबादी वाले चिह्नित गाँवों का दौरा किया तथा विभिन्न कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण किया।
- आदिवासियों के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु योजनाएँ:
  - न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ज़रिये गौण वन उपज (Minor Forest Produce- MFP) की मार्केटिंग हेतु तंत्र तथा MFP के लिये मूल्य शृंखला का विकास जैसी योजनाएँ वनोपज संग्रहकर्त्ताओं को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती हैं।
  - ये योजनाएँ जनजातियों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याएँ जैसे- उपज के शीघ्र नष्ट होने की प्रकृति, धारण क्षमता की कमी, विपणन अवसंरचना का अभाव, बिचौलियों द्वारा शोषण आदि का समाधान करते हुए संसाधन आधार की निरंतरता सुनिश्चित करती हैं।
- टेक फॉर ट्राइबल्स:
  - टेक फॉर ट्राइबल्स अर्थात् आदिवासियों हेतु तकनीक कार्यक्रम का उद्देश्य प्रधानमंत्री वन धन योजना (Pradhan Mantri Van Dhan Yojana- PMVDY) के तहत नामांकित वनोपज संग्रहकर्त्ताओं के क्षमता निर्माण एवं उद्यमिता कौशल संवर्द्धन के माध्यम से 5 करोड़ जनजातीय उद्यमियों को लाभ पहुँचाना है।
    - वन धन विकास योजना जनजातीय मामले मंत्रालय तथा ट्राइफेड की एक पहल है। इसकी शुरुआत जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से जनजातियों की आय में वृद्धि करने हेतु की गई है।
  - यह कार्यक्रम जनजातीय उद्यमियों को गुणवत्ता प्रमाणपत्र युक्त विपणन उत्पादों के साथ अपना व्यवसाय चलाने हेतु सक्षम और सशक्त बनाएगा जिससे उनकी सफलता की उच्च दर सुनिश्चित होगी।
- वन धन विकास केंद्र:
  - वन धन विकास योजना के तहत ही वन धन विकास केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं।
  - वन धन विकास केंद्रों (VDVK) का उद्देश्य आदिवासियों को कौशल उन्नयन एवं क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन सुविधाओं की स्थापना करना है।
  - यहाँ आदिवासियों को प्रशिक्षित किया जाता है और फिर उन्हें वनों से एकत्रित उत्पादों में गुणों के संवर्द्धन हेतु कार्यशील पूंजी प्रदान की जाती है।
- ट्राइफूड (TRIFOOD) योजना:
  - यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक संयुक्त पहल है। इस योजना के तहत गौण वन उपजों के गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है।

नोट :

राष्ट्रीय समुद्री दिवस-2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में (5 अप्रैल को) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 58वाँ राष्ट्रीय समुद्री दिवस (National Maritime Day) मनाया गया।

- इस अवसर पर मेरीटाइम इंडिया विज़न-2030 (Maritime India Vision-2030) पर भी चर्चा की गई।

प्रमुख बिंदु:

5 अप्रैल, 1919 को मुंबई से लंदन की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत (एम/एस सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के स्वामित्व वाली) 'एस. एस. लॉयल्टी' (S.S LOYALTY) की पहली यात्रा की स्मृति में 58वाँ राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया।

- राष्ट्रीय समुद्री दिवस के बारे में:

राष्ट्रीय समुद्री दिवस-2021:

- 'कोविड-19 से आगे सतत् नौपरिवहन' (Sustainable Shipping beyond Covid-19) थी।

महत्त्व:

- इसका आयोजन भारत के शिपिंग उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु किया जाता है। शिपिंग उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।
- वर्तमान में भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वॉल्यूम के संदर्भ में 90% और मूल्य के संदर्भ में 77% समुद्र के माध्यम से किया जाता है।

अन्य पहलें:

- सागरमाला पहल:
  - सागरमाला कार्यक्रम (Sagarmala Programme) को वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आस-पास बंदरगाहों के इर्द-गिर्द प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है।
- प्रोजेक्ट उन्नति:
  - वर्ष 2014 में जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट उन्नति को शुरू किया गया जिसके तहत उपकरणों की दक्षता का अध्ययन और हर गतिविधि की जाँच की गई ताकि गलतियों की पहचान की जा सके।
- नीली अर्थव्यवस्था की नीति:
  - नीति दस्तावेज़ राष्ट्रीय विकास के दस प्रमुख आयामों में से एक के रूप में नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) पर प्रकाश डालता है जो भारत की अर्थव्यवस्था के समग्र विकास हेतु कई प्रमुख क्षेत्रों में नीतियों के निर्माण पर ज़ोर देता है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल:
  - भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का भी सदस्य है।
  - IMO संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है। यह एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मानक-निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु उत्तरदायी है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग:
  - राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (National Waterways- NW) घोषित किया गया है।
- सागर-मंथन:
  - राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता (NDMA) केंद्र' की स्थापना की गई है।
  - यह समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव क्षमताओं तथा सुरक्षा एवं समुद्री पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु एक सूचना प्रणाली है।

नोट :

- शिप रिपेयर क्लस्टर:
  - इन्हें वर्ष 2022 तक दोनों समुद्री तटों के साथ विकसित किया जाएगा।
- जहाज़ का पुनर्चक्रण:
  - 'वेल्थ फ्रॉम वेस्ट' (Wealth from Waste) के सृजन हेतु घरेलू जहाज़ रिसाइक्लिंग उद्योग (Ship Recycling Industry) को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
    - भारत ने जहाज़ रिसाइक्लिंग अधिनियम, 2019 (Recycling of Ships Act, 2019) को लागू किया है और हॉन्गकॉन्ग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन पर सहमति व्यक्त की है।

मेरीटाइम इंडिया विज़न-2030

मेरीटाइम इंडिया विज़न-2030 के बारे में

- यह भारत के समुद्री क्षेत्र हेतु अगले दशक का व्यापक दृष्टिकोण है जिसे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 (Maritime India Summit 2021) में जारी किया गया।
- यह सागरमाला पहल को आगे बढ़ाएगा और जलमार्ग को बढ़ावा देकर जहाज़ निर्माण उद्योग को गति प्रदान करेगा तथा भारत में क्रूज़ पर्यटन (Cruise Tourism) को प्रोत्साहित करेगा।

नीतिगत पहल और विकास परियोजनाएँ:

- समुद्री विकास निधि:
  - समुद्री क्षेत्र हेतु 25,000 करोड़ रुपए की निधि जिसमें केंद्र द्वारा 2,500 करोड़ रुपए की सहायता भी शामिल होगी, निम्न दर पर सात वर्ष के लिये उपलब्ध कराई जाएगी।
- पोर्ट नियामक प्राधिकरण:
  - प्रमुख बड़े एवं छोटे बंदरगाहों की निगरानी हेतु नए भारतीय बंदरगाह अधिनियम के तहत (पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 को बदलने के लिये) एक अखिल भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण (Pan-India Port Authority) की स्थापना की जाएगी। इस प्राधिकरण द्वारा बंदरगाहों हेतु संस्थागत कवरेज में वृद्धि और निवेशकों का विश्वास बढ़ाने हेतु बंदरगाह क्षेत्र में संरचात्मक वृद्धि की जाएगी।
- पूर्वी जलमार्ग संपर्क परिवहन ग्रिड परियोजना:
  - इस परियोजना का उद्देश्य बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्याँमार के साथ क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करना है।
- तटीय विकास कोष:
  - यह तटीय विकास निधि (RDF) के समर्थन से अंतर्देशीय जहाज़ों हेतु कम लागत वाले तथा दीर्घावधिक वित्तपोषण को बढ़ाने एवं टन भार टैक्स योजना (Tonnage Tax Scheme) जो कि महासागरों में उतरने वाले जहाज़ों और निकर्षण पोतों पर लागू है, को अंतर्देशीय जहाज़ों तक विस्तारित करने का आह्वान करती है ताकि ऐसे जहाज़ों की उपलब्धता में वृद्धि की जा सके।
- बंदरगाह शुल्कों का युक्तिकरण:
  - शिप लाइनर (Ship Liners) द्वारा अधिरोपित सभी हिडन चार्जेज़ (Hidden Charges) को समाप्त करने में अधिक पारदर्शिता के साथ यह उन्हें अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाएगा।
- जल परिवहन को बढ़ावा देना:
  - शहरी क्षेत्रों में विखंडन/विंसकुलन तथा शहरी परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में जलमार्गों को विकसित करना।

बाबू जगजीवन राम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की 113वीं जयंती मनाई गई।

नोट :

- जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय हेतु लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, वंचित वर्गों के हिमायती तथा एक उत्कृष्ट सांसद थे।

प्रमुख बिंदु:

जन्म:

- जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल, 1908 को चंदवा, बिहार के एक दलित परिवार में हुआ था।

आरंभिक जीवन और शिक्षा:

- उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा आरा शहर से प्राप्त की जहाँ उन्होंने पहली बार भेदभाव का सामना किया।
  - उन्हें 'अछूत' (Untouchable) माना जाता था जिसके चलते उन्हें एक अलग बर्तन से पानी पीना पड़ता था। जगजीवन राम ने उस घड़े/बर्तन को तोड़कर इसका विरोध किया। इसके बाद प्रधानाचार्य को स्कूल में अछूतों के लिये अलग से रखे गए पानी पीने के बर्तन को हटाना पड़ा।
- वर्ष 1925 में जगजीवन राम पंडित मदन मोहन मालवीय से मिले तथा उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। बाद में मालवीय जी के आमंत्रण पर वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) गए।
  - विश्वविद्यालय में जगजीवन राम को भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस घटना ने उन्हें समाज के एक वर्ग के साथ इस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ विरोध करने के लिये प्रेरित किया।
  - इस तरह के अन्याय के विरोध में उन्होंने अनुसूचित जातियों को संगठित किया।
- BHU में कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्होंने वर्ष 1931 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.एस.सी. की डिग्री हासिल की।
- जगजीवन राम ने कई बार रविदास सम्मेलन को आयोजित कर कलकत्ता (कोलकाता) के विभिन्न क्षेत्रों में गुरु रविदास जयंती मनाई थी।

स्वतंत्रता पूर्व योगदान

- वर्ष 1931 में वह भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस (कॉन्ग्रेस पार्टी) के सदस्य बन गए।
- उन्होंने वर्ष 1934-35 में अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग (All India Depressed Classes League) की नींव रखने में अहम योगदान दिया था। यह संगठन अछूतों को समानता का अधिकार दिलाने हेतु समर्पित था।
  - वह सामाजिक समानता और शोषित वर्गों के लिये समान अधिकारों के प्रणेता थे।
- वर्ष 1935 में उन्होंने हिंदू महासभा के एक सत्र में प्रस्ताव रखा कि पीने के पानी के कुएँ और मंदिर अछूतों के लिये खुले रखे जाएँ।
- वर्ष 1935 में बाबूजी राँची में हैमोंड आयोग के समक्ष भी उपस्थित हुए और पहली बार दलितों के लिये मतदान के अधिकार की मांग की ।
- उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और इससे जुड़ी राजनीतिक गतिविधियों के लिये 1940 के दशक में उन्हें दो बार जेल जाना पड़ा।

स्वतंत्रता पश्चात् योगदान:

- बाबू जगजीवन राम वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में सबसे युवा मंत्री बने।
  - वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान वे भारत के रक्षा मंत्री थे जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था।
- स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 1952 तक श्रम विभाग का संचालन किया। इसके बाद उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में संचार विभाग (1952–56), परिवहन और रेलवे (1956–62) तथा परिवहन और संचार (1962–63) मंत्री के पदों पर कार्य किया ।
- उन्होंने 1967-70 के मध्य खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में कार्य किया तथा 1970 में उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया।
- हालाँकि उन्होंने आपातकाल के दौरान (1975-77) तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का समर्थन किया किंतु वर्ष 1977 में कॉन्ग्रेस छोड़ दी और जनता पार्टी (नई पार्टी) में शामिल हो गए। बाद में उन्होंने जनता पार्टी सरकार में भारत के उप प्रधानमंत्री (1977-79) के रूप में कार्य किया।
- वर्ष 1936-1986 (40 वर्ष) तक संसद में उनका निर्बाध प्रतिनिधित्व एक विश्व रिकॉर्ड है।
- उनके पास भारत में सबसे लंबे समय तक सेवारत कैबिनेट मंत्री (30 वर्ष) होने का भी रिकॉर्ड है।

नोट :

मृत्यु :

- 6 जुलाई, 1986 को नई दिल्ली में उनकी मृत्यु हो गई।
- उनके दाह संस्कार स्थान को समता स्थल (समानता का स्थान) का नाम दिया गया और उनकी जयंती को समरस दिवस (समानता दिवस) के रूप में मनाया जाता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के समक्ष चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों ?

बीते दिनों कुछ मामलों में यह देखा गया कि कई व्यक्तियों को न्यायिक हिरासत से रिहा होने से रोकने के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act- NSA), 1980 का प्रयोग किया गया, यद्यपि न्यायालय द्वारा उन आरोपियों को ज़मानत दे दी गई थी।

- NSA, सरकार को किसी व्यक्ति विशिष्ट को फॉर्मल चार्ज (Formal Charge) और बिना सुनवाई के हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु:

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के बारे में:

- NSA एक निवारक निरोध कानून है।
  - निवारक निरोध के तहत भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने या अभियोजन से बचने से रोकने के लिये हिरासत में लिया जाना शामिल है।
  - संविधान का अनुच्छेद 22 (3) (ब) राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की स्थापना हेतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर निवारक निरोध और प्रतिबंध की अनुमति प्रदान करता है।
  - इसके अलावा अनुच्छेद 22 (4) में कहा गया है कि निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिये जाने का प्रावधान करने वाले किसी भी कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा:
    - एक सलाहकार बोर्ड द्वारा विस्तारित निरोध हेतु पर्याप्त कारणों के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
    - ऐसे व्यक्ति को संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार हिरासत में लिया जा सकता है।
- सरकार की शक्तियाँ:
  - NSA किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करने से रोकने हेतु केंद्र या राज्य सरकार को उस व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है।
  - सरकार किसी व्यक्ति को आवश्यक आपूर्ति एवं सेवाओं के रखरखाव तथा सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने के लिये उस पर NSA के अंतर्गत कार्यवाही कर सकती है।
- कारावास की अवधि: किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने हिरासत में रखा जा सकता है लेकिन सरकार को मामले से संबंधित नवीन सबूत मिलने पर इस समयसीमा को बढ़ाया जा सकता है।

अधिनियम से संबंधित मुद्दे:

- यह एक प्रशासनिक आदेश है जो या तो डिविज़नल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (डीएम) द्वारा पारित किया जाता है। यह विशिष्ट आरोपों के आधार पर या किसी विशेष कानून के उल्लंघन हेतु पुलिस द्वारा दिया गया निरोध आदेश (Detention Ordered) नहीं है।
- NSA को लागू करने वाली परिस्थितियाँ:
  - अगर कोई व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, तो भी डीएम उसके खिलाफ NSA लागू कर सकता है।
  - यदि किसी व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत दी गई है, तो उसे तुरंत NSA के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।
  - यदि व्यक्ति अदालत से बरी हो गया है, तो उस व्यक्ति को NSA के तहत हिरासत में लिया जा सकता है।

नोट :

- संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-22 के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिये जाने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है, जबकि NSA के तहत इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि एक व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
  - हिरासत में लिये गए व्यक्ति को आपराधिक न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है।
- आदेश पारित करने संबंधी सुरक्षा: निरोध संबंधी आदेश पारित करने वाले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के तहत किसी भी कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान की गई है, अधिनियम के मुताबिक, आदेश पारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अभियोजन अथवा कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन:

- न्यायालय ने माना है कि सामाजिक सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के मध्य एक नाजुक संतुलन के साथ NSA के तहत निवारक नज़रबंदी को सख्ती से बनाए रखना होगा।
- न्यायालय ने यह भी माना कि "इस संभावित खतरनाक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने हेतु निवारक निरोध के कानून को कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये" तथा इसके लिये "प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के साथ सावधानीपूर्वक अनुपालन" सुनिश्चित करना होगा।

अधिनियम के विरुद्ध सुरक्षा उपाय:

- NSA के तहत अनुच्छेद 22 (5) के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा दी गई है, जिसके तहत हिरासत में लिये गए सभी व्यक्तियों को एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया है।
  - इस सलाहकार बोर्ड में तीन सदस्य होते हैं जिसमें बोर्ड का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है।
- हेबियस कार्पस (Habeas Corpus) की रिट भी NSA के तहत लोगों को हिरासत में लेने की अनियंत्रित राज्य शक्ति के खिलाफ संविधान के तहत गारंटीकृत सुरक्षा प्रदान करती है।

स्वास्थ्य सूचनाओं के लिये एकीकृत प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म (Integrated Health Information Platform- IHIP) की शुरुआत की जो वर्तमान में इस्तेमाल किये जा रहे एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (Integrated Disease Surveillance Programme) की अगली पीढ़ी का अत्यधिक परिष्कृत संस्करण है।

- IHIP एक उन्नत रोग निगरानी प्रणाली है।

प्रमुख बिंदु

एकीकृत प्लेटफॉर्म के विषय में:

- यह पहले की 18 बीमारियों की तुलना में 33 रोगों की निगरानी के अलावा डिजिटल मोड में निकट वास्तविक समय के डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- यह रियल टाइम डेटा, केस-आधारित जानकारी, एकीकृत विश्लेषणात्मक और उन्नत दृश्य क्षमता के लिये विकसित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली प्रदान करेगा।।
- इसके तहत रियल टाइम डेटा उपलब्ध कराया जाएगा:
  - ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी अपने गैजेट (टैबलेट) के माध्यम से वास्तविक समय में डेटा प्रदान करेंगे।
  - स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों (प्राथमिक हेल्थ केयर सेंटर/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/ज़िला अस्पताल) में नागरिकों द्वारा मांग किये जाने पर डॉक्टरों द्वारा उनका डेटा उपलब्ध कराया जाएगा।
  - नैदानिक परीक्षण प्रयोगशालाएँ भी अपने यहाँ की गई जाँचों का डेटा प्रदान करेंगी।

नोट :

- मुख्य विशेषताएँ:
  - मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से गाँवों, राज्यों और केंद्र सभी स्तरों पर वास्तविक समय की डेटा रिपोर्टिंग।
  - उन्नत डेटा प्रतिरूपण और विश्लेषणात्मक उपकरण।
  - भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) ने एकीकृत डैशबोर्ड में चित्रात्मक डेटा को सक्षम किया।
  - भूमिका और पदानुक्रम-आधारित प्रतिक्रिया और चेतावनी तंत्र।
  - स्वास्थ्य सुविधाओं की रिपोर्टिंग की जियो-टैगिंग।
  - अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ डेटा एकीकरण की गुंज़ाइश।

महत्त्व:

- प्रामाणिक आँकड़ों का संग्रहण आसान हो जाएगा क्योंकि इनका संग्रहण सीधे गाँव/ब्लॉक स्तर से किया जाता है।
- देश के छोटे-से-छोटे गाँवों और ब्लॉकों में फैली बीमारी के शुरुआती लक्षणों के विषय में बताने के लिये इस तरह का एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भी संभावित प्रकोप या महामारी से शुरुआत में ही निपटने में सहायता करेगा।
- यह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (National Digital Health Mission) के साथ ताल-मेल पर आधारित है।
  - NDHM का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य ढाँचे के लिये आवश्यक आधार विकसित करना है।
- बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 'हर बार सही आबादी के लिये, सही समय पर उचित हस्तक्षेप हेतु' भारत की सूचना प्रणाली को मज़बूती प्रदान करना आवश्यक है।
  - हाल के वर्षों में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सटीकता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी के उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है। इसमें रोगजनक जीनोमिक्स, निगरानी से संबंधित सूचना विज्ञान का विकास और लक्षित हस्तक्षेप शामिल हैं।
- इसके कार्यान्वयन के साथ भारत प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल में आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
- यह परिष्कृत डिजिटल निगरानी मंच डेटा प्रदान करने के साथ-साथ डेटा को कनेक्ट करने और 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण की ओर बढ़ने में सहायता करेगा।
  - 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोण कार्यक्रमों, नीतियों, कानूनों आदि के निर्माण तथा उन्हें कार्यान्वित करने से संबंधित है, इसके तहत विभिन्न क्षेत्र बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों की प्राप्ति हेतु एक साथ संवाद तथा काम करते हैं।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम

- यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल है जिसकी शुरुआत वर्ष 2004 में विश्व बैंक (World Bank) की सहायता से की गई थी।
- इसे 12वीं योजना (वर्ष 2012-17) के दौरान घरेलू बजट से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के अंतर्गत एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के रूप में जारी रखा गया था।
- इसके अंतर्गत दिल्ली में एक केंद्रीय निगरानी इकाई (CSU), सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) में राज्य निगरानी इकाई (SSU) और सभी ज़िलों में ज़िला निगरानी इकाई (DSU) की स्थापना की गई है।
- उद्देश्य:
  - रोग की प्रवृत्ति पर नज़र रखने के लिये महामारी प्रवण रोगों हेतु विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित और आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मज़बूत करना।
  - रोग के प्रकोप का उसके शुरुआती चरण में ही प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीमों (Rapid Response Team) के माध्यम से पता लगा कर प्रतिक्रिया देना।

नोट :

- कार्यक्रम के घटक:
  - केंद्र, राज्य और ज़िला स्तर पर निगरानी इकाइयों की स्थापना के माध्यम से निगरानी गतिविधियों का एकीकरण और विकेंद्रीकरण करना।
  - मानव संसाधन विकास- रोगों की निगरानी हेतु राज्य और ज़िला निगरानी अधिकारियों तथा अन्य चिकित्सा एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करना।
  - डेटा का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण आदि के लिये सूचना संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाना।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को मज़बूत बनाना।
  - ज़ूनोटिक रोगों के लिये अंतर क्षेत्रीय समन्वय।

सीबीआई अंतरिम निदेशक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सरकार से कहा कि केंद्रीय जाँच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation- CBI) के निदेशक पद पर अंतरिम नियुक्तियों को जारी नहीं रखा जा सकता है।

- एक नियमित सीबीआई निदेशक (Regular CBI Director) की सेवानिवृत्ति के बाद अंतरिम सीबीआई निदेशक (Interim CBI Director) नियुक्त किये जाने पर आपत्ति जताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।

प्रमुख बिंदु:

याचिकाकर्त्ता के तर्क:

- सरकार प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के अंतर्गत गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त चयन समिति के माध्यम से एक नियमित निदेशक नियुक्त करने में विफल रही थी।
- 1946 के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE) की वैधानिक योजना में एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से अंतरिम नियुक्ति की परिकल्पना शामिल नहीं थी।
- इसके अलावा याचिकाकर्त्ता ने न्यायालय से इस बात के लिये भी आग्रह किया कि CBI निदेशक के पद पर रिक्ति से 1-2 माह पूर्व ही केंद्र सरकार CBI निदेशक की चयन प्रक्रिया शुरू करने हेतु एक प्रणाली विकसित करे।
- इस संबंध में याचिकाकर्त्ता द्वारा अंजलि भारद्वाज बनाम भारत संघ (2019) मामले का संदर्भ लिया गया जो केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियों से संबंधित था।
  - इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा, यह उचित होगा कि किसी विशेष रिक्ति को भरने की प्रक्रिया उस तिथि से 1-2 माह पूर्व शुरू की जाए, जिस दिन रिक्ति होने की संभावना है, ताकि रिक्ति होने और उसे भरने के मध्य अधिक समय अंतराल न हो।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) के बारे में:

- CBI की स्थापना वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
- अब CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।
- CBI की स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति (1962–1964) द्वारा की गई थी।
- CBI एक सांविधिक निकाय नहीं है। इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को भी सहायता प्रदान करता है।
- यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जाँच का समन्वय करती है।

CBI की कार्यप्रणाली से संबंधित मुद्दे:

- कानूनी अस्पष्टता: कार्यों के अस्पष्ट सीमांकन और विभिन्न संस्थाओं के कार्यों के अतिव्यापन के कारण CBI की अखंडता और प्रभावकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत एक राज्य के क्षेत्र के भीतर किये गए अपराधों की जाँच करने या उस जाँच को जारी रखने हेतु राज्य की सहमति महत्त्वपूर्ण है।

- मानव संसाधनों का अभाव: संसदीय पैनल ने वर्ष 2020 में कहा था कि सीबीआई में अधिकारियों की भारी कमी से जांच की गुणवत्ता में बाधा आ सकती है।
  - पैनल द्वारा किये गए निरीक्षण के अनुसार कार्यकारी रैंक में 789 पद, विधि अधिकारियों के 77 पद और तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों के 415 पद रिक्त हैं।
- पर्याप्त निवेश का अभाव:
  - कर्मियों के प्रशिक्षण, उपकरणों या अन्य सहायता संरचनाओं में अपर्याप्त निवेश अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करता है।
  - एक प्रभावी आधुनिक पुलिस बल को तैयार करने में उच्च गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो पुलिस बल को बदलती सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाता है।
- जवाबदेही:
  - पिछले कुछ दशकों में सार्वजनिक जीवन और संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे गुणों में व्यापक प्रगति हुई है।
  - सभी को समान महत्त्व देते हुए सख्ती के साथ आंतरिक जवाबदेही को लागू करके पुलिस बल का मनोबल बनाए रखने की आवश्यकता है।
- राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप:
  - यह देखते हुए कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 4 के तहत एजेंसी का अधीक्षण और नियंत्रण व्यापक पैमाने पर कार्यपालिका में निहित है, राजनीतिक साधन के रूप में इसके प्रयोग की संभावना कभी बढ़ जाती है।

आगे की राह:

- यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि CBI एक औपचारिक एवं आधुनिक कानूनी ढाँचे जिसे समकालीन जाँच एजेंसियों हेतु निर्मित किया गया है, के तहत कार्य करती है। एक नए CBI अधिनियम को प्रख्यापित किया जाना चाहिये जो CBI की स्वायत्तता सुनिश्चित करता हो, साथ ही पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार भी करता हो।
- CBI को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिये आवश्यक है कि नए अधिनियम में सरकारी हस्तक्षेप की स्थिति में अपराधी दायित्व (Criminal Culpability) को निर्धारित किया जाना चाहिये।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission- CVC) द्वारा सरकारी संगठनों की सतर्कता इकाइयों में अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित करते हुए अधिकारियों के कार्यकाल को किसी एक स्थान पर तीन वर्ष तक सीमित कर दिया है।

- राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु तीन प्रमुख संस्थाएँहैं- लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI)।

प्रमुख बिंदु:

दिशा-निर्देश:

- निचले स्तर के अधिकारियों सहित सतर्कता इकाई में कर्मियों का कार्यकाल एक स्थान पर केवल तीन वर्ष तक सीमित होना चाहिये।
  - हालाँकि किसी अन्य स्थान पर पोस्टिंग के साथ कार्यकाल को तीन वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है।
- जिन कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा एक ही स्थान पर सतर्कता इकाइयों में पाँच वर्ष से अधिक समय पूरा कर लिया है उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरित किया जाना चाहिये।

नोट :

- किसी एक संगठन की सतर्कता इकाई से स्थानांतरण के बाद एक व्यक्ति को पुन: स्थानांतरित करने से पूर्व कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि का अनिवार्य कार्यकाल दिया जाएगा।

कारण:

- यह देखा गया है कि एक संवेदनशील जगह पर किसी अधिकारी के लंबे समय तक रहने से अधिकारी में उस स्थान के प्रति एक लगाव विकसित होने की संभावना होती है, इसके अलावा अनावश्यक शिकायतें/आरोप आदि बढ़ जाते हैं।
  - इस दृष्टिकोण में पारदर्शिता, निष्पक्षता और एकरूपता सुनिश्चित करना आवश्यक है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग

केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission-CVC) एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है जो किसी भी कार्यकारी प्राधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है तथा केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है।
- यह केंद्रीय सरकारी संगठनों में विभिन्न प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन, समीक्षा एवं सुधार करने के संबंध में सलाह देता है।

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति (Committee on Prevention of Corruption) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा CVC की स्थापना की गई थी।
- वर्ष 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम (The Central Vigilance Commission Act) द्वारा आयोग के सांविधिक दर्जे की पुष्टि कर दी गई।
- यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति ज़िम्मेदार है।
  - यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है।

कार्य:

- दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (Delhi Special Police Establishment- CBI) के कार्य CVC की निगरानी एवं नियंत्रण में होते हैं क्योंकि यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जाँच से संबंधित है।
  - CVC भ्रष्टाचार या कार्यालय के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।
  - निम्नलिखित संस्थाएँ, निकाय या व्यक्ति CVC के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं: केंद्र सरकार, लोकपाल, सूचना प्रदाता/मुखबिर/सचेतक (Whistle Blower)
- CVC की अपनी कोई अन्वेषण एजेंसी नहीं है। यह CBI तथा केंद्रीय संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों (Chief Vigilance Officers- CVO) पर निर्भर है जबकि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत CBI की अपनी अन्वेषण विंग है।

संरचना:

- यह एक बहु-सदस्यीय आयोग है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त (सदस्य) शामिल होते हैं।

आयुक्तों की नियुक्ति:

- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री (सदस्य) और लोकसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य) शामिल होता है।

कार्यकाल:

- इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष (जो भी पहले हो) तक होता है।

नोट :

पदच्युत:

- राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उसके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है:
- यदि वह दिवालिया घोषित हो, अथवा
- यदि वह नैतिक आधार पर किसी अपराध में दोषी पाया गया हो, अथवा
- यदि वह अपने कार्यकाल में कार्यक्षेत्र से बाहर किसी प्रकार का लाभ का पद ग्रहण करता हो, अथवा
- यदि वह मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, अथवा
- यदि वह आर्थिक या इस प्रकार के कोई अन्य लाभ प्राप्त करता हो जिससे कि आयोग के कार्यों में वह पूर्वग्रह युक्त हो।

इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को दुराचार व अक्षमता के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है, अगर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें जाँच में दोषी पाया जाता है।

- वे राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

AI-आधारित पोर्टल: SUPACE

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित पोर्टल 'SUPACE' लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिये न्यायाधीशों की सहायता करना है।

- 'SUPACE' का पूर्ण रूप है- 'सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी'
- इससे पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा प्रस्तुत 'भारतीय न्यायपालिका में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय नीति एवं कार्ययोजना-2005' के आधार पर ई-कोर्ट परियोजना की परिकल्पना की गई थी।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- यह उपकरण प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्र करता है और उन्हें न्यायाधीशों के लिये उपलब्ध कराता है।
- इस उपकरण को निर्णय लेने के लिहाज़ से डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि यह केवल तथ्यों को संसाधित करेगा और न्यायाधीशों की सहायता के लिये तथ्य उपलब्ध कराएगा।
- प्रारंभ में इसका प्रयोग बंबई और दिल्ली उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा प्रायोगिक आधार पर किया जाएगा।

महत्त्व

- यह किसी मामले की विशिष्ट आवश्यकता और न्यायाधीश के सोचने के तरीके के अनुरूप परिणाम उत्पन्न करेगा।
- इससे समय की काफी बचत होगी, जिससे भारतीय न्याय प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार के लिये अधिक सुव्यवस्थित, लागत प्रभावी और समयबद्ध साधन प्रस्तुत करेगा।
- यह सेवा वितरण तंत्र को पारदर्शी और लागत प्रभावी बनाएगा।

चुनौतियाँ

- 'SUPACE' की शुरुआत के बाद न्याय प्रणाली में कुछ विशिष्ट पदों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और समय के साथ उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा।
  - चूँकि इसका उद्देश्य उन गतिविधियों को अधिक कुशलतापूर्वक और व्यवस्थित रूप से करना है, जो वर्तमान में मानवों द्वारा की जा रही हैं, ऐसे में बेरोज़गारी में बढ़ोतरी होने की सम्भावना और अधिक बढ़ जाएगी।

नोट :

ई-कोर्ट परियोजना

परिचय

- ई-कोर्ट परियोजना को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका में बदलाव लाने की दृष्टि से संकल्पित किया गया था।
- ई-कोर्ट परियोजना, एक पैन-इंडिया परियोजना (Pan-India Project) है, जिसकी निगरानी और वित्तपोषण न्याय विभाग, कानून एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है।

परियोजना के उद्देश्य:

- ई-कोर्ट प्रोजेक्ट में प्रस्तावित प्रावधानों के तहत प्रभावी और समयबद्ध तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएँ प्रदान करना।
- न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणाली को विकसित और स्थापित करना।
- न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सूचना प्राप्ति को अधिक सुगम बनाने के लिये इससे जुड़ी प्रणाली को स्वचालित बनाना।
- न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने के लिये न्यायिक प्रक्रिया में आवश्यक (गुणवत्तापरक और मात्रात्मक) सुधार करना।

अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति ने अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश [Tribunal Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance], 2021 जारी किया। इस अध्यादेश द्वारा मौजूदा अपीलीय अधिकरणों के कार्यों को दूसरे न्यायिक निकायों (उच्च न्यायालय) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

- इस अध्यादेश द्वारा वित्त अधिनियम (Finance Act), 2017 में संशोधन किया गया है ताकि खोज-सह-चयन (Search-Cum-Selection) समितियों के संयोजन और उनके सदस्यों के कार्यकाल की अवधि से संबंधित प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके।

वित्त अधिनियम, 2017

यह अधिनियम केंद्र सरकार को सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण जैसे 19 अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से संबंधित नियमों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।

प्रमुख बिंदु

खोज-सह-चयन समितियाँ:

- केंद्र सरकार द्वारा अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों को एक खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा।
- इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:
  - भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश जो कि समिति का अध्यक्ष (निर्णायक/कास्टिंग वोट के साथ) भी होगा।
  - केंद्र सरकार द्वारा नामित दो सचिव।
  - वर्तमान या निवर्तमान अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश।
  - जिस मंत्रालय के अंतर्गत अधिकरण का गठन किया गया है, उसका सचिव (बिना वोटिंग अधिकार के)।

कार्यकाल:

- अधिकरणों के अध्यक्ष का कार्यकाल चार वर्ष या उसकी आयु 70 वर्ष होने तक (इसमें से जो भी पहले हो) होगा।
- अधिकरण के अन्य सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष या उनकी आयु 67 वर्ष होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) होगा।

नोट :

इस अध्यादेश में निम्नलिखित कानून के अंतर्गत स्थापित अधिकरणों को वित्त अधिनियम के दायरे से बाहर किया गया है:

- सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952
- ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999
- कॉपीराइट एक्ट, 1957
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
- पेटेंट एक्ट, 1970
- एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, 1994
- राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002
- माल के भौगोलिक संकेत (रजिस्ट्रेशन और संरक्षण) अधिनियम, 1999

अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने के कारण:

- कमज़ोर अधिनिर्णय और विलंब:
  - अधिकरणों के अधिनिर्णय की गुणवत्ता ज़्यादातर मामलों में खराब रही है, इसके साथ ही अंतिम निर्णय आने में देरी होती है क्योंकि सरकार इनमें सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त नहीं कर पाती है। इन सब कारणों से न्याय पाना/मुकदमा लड़ना महँगा हो गया है।
- इन पर आरोप:
  - इन अधिकरणों की कार्यपालिका से स्वतंत्रता जैसे- गंभीर सवालों पर अधिवक्ता बार एसोसिएशनों द्वारा वर्ष 1985 से ही लगातार आरोप लगाया जा रहा है।
- संबंधित चिंता:
  - उच्च न्यायालयों के पास आने वाले मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है।

अधिकरण

अधिकरण की विषय में:

- यह एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था (Quasi-Judicial Institution) है जिसे प्रशासनिक या कर-संबंधी विवादों को हल करने के लिये स्थापित किया जाता है।
- यह विवादों के अधिनिर्णयन, संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयन, किसी विद्यमान प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों का निष्पादन करती है।
  - 'ट्रिब्यूनल' (Tribunal) शब्द की व्युत्पत्ति 'ट्रिब्यून' (Tribunes) शब्द से हुई है जो रोमन राजशाही और गणराज्य के अंतर्गत कुलीन मजिस्ट्रेटों की मनमानी कार्रवाई से नागरिकों की सुरक्षा करने के लिये एक आधिकारिक पद था।
  - सामान्य रूप से ट्रिब्यूनल का आशय ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जिसके पास दावों व विवादों पर निर्णयन, अधिनिर्णयन या निर्धारण का प्राधिकार होता है, भले इसके नामकरण में ट्रिब्यूनल शब्द शामिल हो या नहीं।

संवैधानिक प्रावधान:

- अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे।
- इन्हें भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल किया गया।
- इस संशोधन के माध्यम से संविधान में अधिकरण से संबंधित एक नया भाग XIV-A और दो अनुच्छेद जोड़े गए:
- अनुच्छेद 323A:
  - यह अनुच्छेद प्रशासनिक अधिकरण (Administrative Tribunal) से संबंधित है। ये अधिकरण अर्द्ध-न्यायिक होते हैं जो सार्वजनिक सेवा में काम कर रहे व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को हल करते हैं।

नोट :

- अनुच्छेद 323B:
  - यह अनुच्छेद अन्य विषयों जैसे कि कराधान, विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात, भूमि सुधार, खाद्य, संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव आदि के लिये अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है।

ओपियम पॉपी स्ट्रॉ

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने चिकित्सा उद्देश्यों के लिये उपयोग किये जाने वाले अल्कलॉइड की उपज को बढ़ावा देने हेतु भारत की अफीम फसल से 'कंसेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ' (CPS) का उत्पादन शुरू करने और कई देशों को निर्यात करने के लिये निजी क्षेत्रों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

अल्केलॉइड्स:

- अल्केलॉइड्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों के विशाल समूह हैं, जो कि नाइट्रोजन परमाणु से युक्त (कुछ मामलों में एमिनो या एमिडो) होते हैं।
- ये नाइट्रोजन परमाणु इन यौगिकों की क्षारीयता का कारण बनते हैं।
- सामान्यत: प्रचलित अल्केलॉइड्स में मॉर्फिन, स्ट्राइकिन, क्विनिन, एफेड्रिन और निकोटीन शामिल हैं।
- अल्केलॉइड्स के औषधीय गुणों में काफी विविधता होती है। मॉर्फिन दर्द से राहत के लिये इस्तेमाल किया जाने वाला एक शक्तिशाली मादक पदार्थ है, हालाँकि इसके नशे के गुण के कारण इसका सीमित उपयोग किया जाता है।

प्रमुख बिंदु:

पॉपी स्ट्रॉ:

- अफीम को बीजकोष से निकाले जाने के बाद इसके खसखस को 'पॉपी स्ट्रॉ' कहा जाता है।
- इस 'पॉपी स्ट्रॉ' में बहुत कम मात्रा में मॉर्फिन सामग्री होती है और यदि पर्याप्त मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है, तो यह अधिक मात्रा में मॉर्फिन का उत्सर्जन कर सकती है।
- 'पॉपी स्ट्रॉ' का भंडारण, बिक्री, उपयोग आदि राज्य सरकारों द्वारा 'स्टेट नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रूल्स' के तहत विनियमित किया जाता है।
- किसान 'पॉपी स्ट्रॉ' को राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों को बेचते हैं।
  - अतिरिक्त 'पॉपी स्ट्रॉ' को वापस खेत में डाल दिया जाता है।
- 'पॉपी स्ट्रॉ' नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDC अधिनियम) के तहत मादक दवाओं में से एक है।
  - इसलिये बिना लाइसेंस या प्राधिकार के किसी भी स्थिति के उल्लंघन में 'पॉपी स्ट्रॉ' को रखने, बेचने, खरीदने या उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति NDPS अधिनियम के तहत अभियोजन के लिये उत्तरदायी है।

वर्तमान में अल्केलॉइड का निष्कर्षण:

- वर्तमान में केवल वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग द्वारा विनियमित सुविधाओं के अंतर्गत भारत अफीम की गोंद से अल्केलॉइड निकालता है।
  - यह किसानों को अफीम की फली को चीरकर इसका गोंद निकालकर सरकारी कारखानों को बेचने के कार्य की अनुमति देता है।
- मंत्रालय ने अब नई तकनीकों पर कार्य करने का निर्णय लिया है, दो निजी फर्मों द्वारा परीक्षण खेती के बाद 'कंसेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ' (CPS) का उपयोग करके अल्केलॉइड का उच्च निष्कर्षण दिखाया गया है। इस प्रकार सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के उपयोग पर विचार कर रही है।

साझेदारी मॉडल:

- अफीम के 'पॉपी' से दो प्रकार के 'नारकोटिक रॉ मटेरियल' (NRM) का उत्पादन किया जा सकता है - अफीम गोंद और 'कंसेंट्रेटेड पॉपी स्ट्रॉ' (CPS)।

नोट :

- भारत में केवल अफीम के गोंद का उत्पादन किया जाता है। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत में CPS उत्पादन शुरू किया जाना चाहिये।
- विभिन्न हितधारक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) सहित एक उपयुक्त मॉडल तैयार करेंगे, निजी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिये नियमों और कानूनों में आवश्यक बदलावों की सलाह देंगे और फसल एवं अंतिम उत्पाद की सुरक्षा के लिये सुरक्षा उपायों की सिफारिश करेंगे।
- न्यायिक मुकदमों का सामना कर रही फर्मों को अपने परिसरों में थोक रूप से अल्केलॉइड बनाने के लिये राज्य सरकारों से प्रासंगिक लाइसेंस प्राप्त करने के मामले में कानूनी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इस मुद्दे को हल करना होगा।
- परीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, कुछ CPS किस्मों के आयातित बीजों ने भारतीय क्षेत्रों में प्रभावी रूप से काम किया और उनके 'नारकोटिक रॉ मटेरियल' की उपज वर्तमान में उपयोग किये गए आयातित बीजों से बहुत अधिक थी।
- कुछ फर्मों ने हरितगृह पर्यावरण के अंतर्गत 'हाइड्रोपोनिक' और 'एयरोपोनिक' तरीकों से भी CPS की खेती की।
  - हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स दोनों सतत् जल संरक्षण कृषि के तरीके हैं, ये केवल उन माध्यमों से भिन्न होते हैं जिनका उपयोग पौधों के विकास में किया जाता है।

इस कदम का महत्त्व:

- वर्तमान अफीम फसल में CPS की अपेक्षा अफीम का गोंद अधिक मात्रा में पाया गया, यदि CPS किस्मों का उपयोग एक इनडोर ग्रीनहाउस वातावरण में किया जाता है तो एक वर्ष में दो या तीन फसल चक्रों का होना संभव है ।
- भारत की अफीम फसल का क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से लगातार कम हो रहा है और CPS निष्कर्षण विधि से औषधीय उपयोगों हेतु कोडीन (अफीम से निकाले गए) जैसे उत्पादों के आयात पर सामयिक निर्भरता में कटौती करने में मदद मिलेगी।

भारत में अफीम की खेती:

- स्वतंत्रता के बाद अफीम की कृषि और इसके प्रसंस्करण क्षेत्र पर नियंत्रण अप्रैल 1950 से केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व बन गया।
- वर्तमान में नारकोटिक्स आयुक्त द्वारा अधीनस्थों के साथ सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए और अफीम की खेती तथा इसके उत्पादन के अधीक्षण से संबंधित सभी कार्यों को किया जाता है।
  - आयुक्त इस शक्ति को 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985' और 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस रूल्स, 1985' से प्राप्त करता है।
  - नारकोटिक्स आयुक्त कुछ मादक और नशीले पदार्थों के निर्माण के लिये लाइसेंस जारी करने के साथ मादक पदार्थों के निर्यात और आयात के लिये परमिट तथा इनके अनुमोदन की अनुमति देता है।
- भारत सरकार हर वर्ष अफीम पोस्ता की खेती के लिये लाइसेंसिंग नीति की घोषणा करती है, और लाइसेंस के नवीनीकरण या नवीनीकरण हेतु न्यूनतम अर्हकारी पैदावार को निर्धारित करते हुए अधिकतम क्षेत्र जिस पर एक व्यक्तिगत कृषक द्वारा खेती की जा सकती है तथा प्राकृतिक कारणों की वजह से होनी वाली क्षतिपूर्ति के लिये एक कृषक को पहुँचाए जाने वाले अधिकतम लाभ आदि का निर्धारण करती है।
- अफीम पोस्ता की खेती केवल ऐसे भू-भागों में की जा सकती है, जो सरकार द्वारा अधिसूचित हैं।
  - वर्तमान में ये भू-भाग तीन राज्यों तक ही सीमित हैं- मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
  - अफीम की खेती के कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% हिस्सा मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ ज़िलों में है।
- निर्यात हेतु अफीम की खेती करने के लिये भारत संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमति प्राप्त कुछ देशों में से एक है।

उपयोग:

- अफीम का चिकित्सीय महत्त्व अद्वितीय है और चिकित्सा जगत में अपरिहार्य है।
- इसका उपयोग होम्योपैथी और आयुर्वेद या स्वदेशी दवाओं के यूनानी प्रणालियों में भी किया जाता है।

नोट :

- अफीम जिसका उपयोग 'एनाल्जेसिक' (Analgesics), एंटी-टूसिव (Anti-Tussive), एंटी स्पस्मोडिक (Anti spasmodic) और खाद्य बीज-तेल के स्रोत के रूप में किया जाता है, एक औषधीय जड़ी बूटी के रूप में भी कार्य करती है।

अनामय : आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आदिवासी स्वास्थ्य सहयोगात्मक (THC) कार्यक्रम 'अनामय' (Anamaya) का शुभारंभ किया है।

- वर्ष 2018 में एक विशेषज्ञ समिति ने जनजातीय स्वास्थ्य से संबंधी मुद्दों और चिंताओं पर एक व्यापक रिपोर्ट जारी की थी।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- यह भारत के आदिवासी समुदायों के बीच सभी रोकथाम की जाने वाली मौतों को दूर करने के लिये सरकारी, परोपकारी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, गैर-सरकारी संगठनों (NGO)/ समुदाय आधारित संगठनों (CBO) को एक साथ लाने की अनूठी पहल है।
- यह भारत के जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को बेहतर करने के लिये विभिन्न सरकारी एजेंसियों और संगठनों के प्रयासों को एकीकृत करेगी।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य भारत की जनजातीय आबादी की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों की समाधान के लिये एक स्थायी, उच्च प्रदर्शन वाली स्वास्थ्य परिवेश का निर्माण करना है।

हितधारक:

- यह जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक बहु-हितधारक पहल है जिसे मुख्य रूप से पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF) का समर्थन प्राप्त है।
  - पीरामल फाउंडेशन पीरामल ग्रुप की परोपकारी शाखा है। यह फाउंडेशन चार व्यापक क्षेत्रों (स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका निर्माण और युवा सशक्तीकरण) में परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है।

संचालन:

- यह उच्च जनजातीय आबादी वाले 6 राज्यों के 50 आदिवासी आकांक्षी ज़िलों (20% से अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले) के साथ परिचालन शुरू करेगा।
- अगले 10 साल के दौरान THC के काम का विस्तार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 177 आदिवासी ज़िलों तक किया जाएगा।

जनजातीय समुदायों से संबंधित अन्य पहले:

- स्थानीय स्व-निकायों में अनुसूचित जनजाति (ST) के प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण के लिये कार्यक्रम:
  - इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में जनजातीय प्रतिनिधियों के निर्णय लेने की क्षमताओं में सुधार करके उनको सशक्त बनाना है।
- 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स:
  - 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव्स का उद्देश्य ग्रामीण भारत के कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे जनजातीय लोगों के लिये सुरक्षित एवं पर्याप्त जलापूर्ति में सुधार करना है।
  - यह पहल बारहमासी स्प्रिंग्स के जल का उपयोग करने में सहायता करेगी जिसका उपयोग जनजातीय क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिये किया जाएगा।

नोट :

- जनजातीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ :
  - जनजातीय कार्य मंत्रालय में एक जनजातीय स्वास्थ्य प्रकोष्ठ (Tribal Health Cell) की स्थापना की जा रही है।
  - यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों को सुविधाजनक बनाने और मज़बूत करने तथा आदिवासी स्वास्थ्य अनुसंधान में निवेश करने में मदद करेगा ।

ज्योतिराव फुले

चर्चा में क्यों

महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती (11 अप्रैल) पर शुरू हुआ 'टीका उत्सव (टीकाकरण उत्सव)' 14 अप्रैल 2021 को बाबासाहेब अंबेडकर की जयंती तक जारी रहेगा।

- चार दिवसीय उत्सव का उद्देश्य प्राथमिकता समूहों और कोविड-19 टीके के शून्य अपव्यय के लिये अधिक-से-अधिक लोगों का टीकाकरण करना है।
- ज्योतिराव फुले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्त्ता, विचारक, जातिप्रथा-विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे। उन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।

प्रमुख बिंदु:

विस्तृत जीवन परिचय

- जन्म: ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल, 1827 को वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था और वे सब्जियों की खेती करने वाली माली जाति से संबंधित थे।
- शिक्षा: वर्ष 1841 में, फुले का दाखिला स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल (पुणे) में हुआ, जहाँ उन्होंने शिक्षा पूरी की।
- विचारधारा: उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी।
  - फुले थॉमस पाइन की पुस्तक 'द राइट्स ऑफ मैन' से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र जरिया महिलाओं निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा देना था।
- प्रमुख प्रकाशन: तृतीया रत्न (1855); पोवाड़ा: छत्रपति शिवाजीराज भोंसले यंचा (1869); गुलामगिरि (1873), शक्तारायच आसुद (1881)।
- संबंधित एसोसिएशन: फुले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया, जिसका अर्थ था सत्य के साधक 'ताकि महाराष्ट्र में निम्न वर्गों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके।
- नगरपालिका परिषद सदस्य: वह पूना नगरपालिका के आयुक्त नियुक्त किये गए और वर्ष 1883 तक इस पद पर रहे।
- महात्मा का शीर्षक: 11 मई, 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता विट्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा उन्हें 'महात्मा' की उपाधि से सम्मानित किया गया।

समाज सुधारक:

- वर्ष 1848 में, उन्होंने अपनी पत्नी (सावित्रीबाई) को पढ़ना और लिखना सिखाया, जिसके बाद इस दंपति ने पुणे में लड़कियों के लिये पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला, जहाँ वे दोनों शिक्षण का कार्य करते थे।
  - वह लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में अपनी पत्नी को शामिल कर उन्होंने अपनी मान्यताओं का अनुकरण किया।
- वर्ष 1852 तक फुले ने तीन स्कूलों की स्थापना की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण वर्ष 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे।
- ज्योतिबा ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा तथा युवा विधवाओं के लिये एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के विचार के पैरोकार बन गए।

नोट :

- ज्योतिराव ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की रुढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया और उन्हें "पाखंडी" करार दिया।
- वर्ष 1868 में, ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनकी सभी मनुष्यों के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है, इसके साथ ही, उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत की।
  - उन्होंने जन जागरूकता अभियान शुरू किया जिसने आगे चलकर डॉ. बी. आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी की विचारधाराओं को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहलें की।
- कई लोगों द्वारा यह माना जाता है कि दलित जनता की स्थिति के चित्रण के लिये फुले ने ही पहली बार 'दलित' शब्द का इस्तेमाल किया था।
  - उन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिये काम किया।

मृत्यु: 28 नवंबर, 1890।
उनका स्मारक फुलेवाडा, पुणे, महाराष्ट्र में बनाया गया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner- CEC) नियुक्त किया।

- उन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है।

प्रमुख बिंदु

भारत निर्वाचन आयोग के बारे में:

- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India- ECI) भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिये एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण (Constitutional Authority) है।
  - इसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी (जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।
- यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है।
  - इसका राज्यों में पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनावों से कोई संबंध नहीं है। भारत का संविधान में इसके लिये एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) का प्रावधान है।

संवैधानिक प्रावधान:

- भारतीय संविधान का भाग XV (अनुच्छेद 324-329): यह चुनावों से संबंधित हैं, और यह इनसे संबंधित मामलों के लिये एक अलग आयोग की स्थापना करता है।
- अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग में चुनावों के संदर्भ में निहित दायित्व हैं- अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
- अनुच्छेद 325: धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिये अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान।
- अनुच्छेद 326: लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।
- अनुच्छेद 327: विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधानमंडल को उनके चुनाव के लिये कानून बनाने की शक्ति।
- अनुच्छेद 329: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।

नोट :

ECI की संरचना:

- निर्वाचन आयोग में मूलत: केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के ज़रिये 16 अक्तूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया।
- इसके बाद कुछ समय के लिये इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्तूबर, 1993 को इसका तीन सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। तब से निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।
  - मुख्य निर्वाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है।

आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल:

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है।
- इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।

निष्कासन:

- वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है।

निष्कासन की प्रक्रिया

- उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General- CAG) को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है।
- निष्कासन के लिये दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिये सदन के कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक मतदान होना चाहिये।
- न्यायाधीशों, CAG, CEC को हटाने के लिये संविधान में 'महाभियोग' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है।
- 'महाभियोग' शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिये किया जाता है जिसके लिये संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती।

सीमा:

- संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता (कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक) निर्धारित नहीं की है।
- संविधान ने चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया है।
- संविधान ने सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया है।

ECI की शक्तियाँ और कार्य:

- प्रशासनिक:
  - संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना।
  - समय-समय पर मतदाता सूची तैयार करना और सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण करना।
  - राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिये।
  - यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव में 'आदर्श आचार संहिता' जारी करता है, ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए।

नोट :

- सलाहकार क्षेत्राधिकार और अर्द्ध-न्यायिक कार्य:
  - निर्वाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है।
  - ऐसे सभी मामलों में आयोग की राय राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी है, किंतु ऐसे मामले पर राज्यपाल अपनी राय दे सकता है।
  - आयोग के पास किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने की शक्ति है, जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा-जोखा करने में विफल रहा है।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने जलियाँवाला बाग हत्याकांड (Jallianwala Bagh Massacre) की 102वीं वर्षगांठ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

- भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (National Archives of India) के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर जलियाँवाला बाग हत्याकांड की शताब्दी को चिह्नित करने के लिये एक प्रदर्शनी "जलियाँवाला बाग" का उद्घाटन किया गया था।

प्रमुख बिंदु

जलियाँवाला बाग हत्याकांड के विषय में:

- 13 अप्रैल, 1919 को जलियाँवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेगीनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हज़ारों निहत्थे पुरुष, महिलाएँ और बच्चे मारे गए थे।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड के लिये उत्तरदायी कारक:

- अप्रैल 1919 का नरसंहार एक ऐसी घटना थी जिसके पीछे कई कारक काम कर रहे थे।
- भारत में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध (1914–18) के दौरान राष्ट्रीय गतिविधियों को रोकने लिये कई दमनकारी कानून लाई।
- अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम (Anarchical and Revolutionary Crimes Act), 1919 जिसे रॉलेट एक्ट या काला कानून (Rowlatt Act or Black Act) के नाम से भी जाना जाता है, को 10 मार्च 1919 को पारित किया गया। सरकार को अब किसी व्यक्ति को जो देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त था और जिससे देशव्यापी अशांति फैलने का डर था, बिना मुकदमा चलाए कैद करने का अधिकार मिल गया।
- 13 अप्रैल, 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की रिहाई का अनुरोध करने के लिये जलियाँवाला बाग में लगभग 10,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भीड़ जमा हुई।
  - हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक दोनों प्रमुख नेताओं को रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध करने पर गिरफ्तार करके शहर से बाहर भेज दिया गया था।
- ब्रिगेडियर- जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ घटनास्थल पर पहुँचकर सभा को घेर लिया और वहाँ से बाहर जाने के एकमात्र मार्ग को अवरुद्ध कर अपने सिपाहियों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के लिये कहा।

जलियाँवाला बाग हादसे के बाद की स्थिति:

- भविष्य में किसी भी विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिये सरकार ने पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसमें सार्वजनिक झंडे और अन्य अपमान शामिल थे। इस घटना की खबर सुनकर भारतीयों में नाराजगी बढ़ गई और पूरे उपमहाद्वीप में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गए।
- बंगाली कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1915 में अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया।
- महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी, जिसे इन्हें बोअर युद्ध (Boer War) के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था।

नोट :

- 14 अक्तूबर, 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इन्क्वायरी कमेटी (Disorders Inquiry Committee) के गठन की घोषणा की। यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता के चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन (Hunter Commission) के नाम से जानी जाती है। इसमें भारतीय भी सदस्य थे।
  - मार्च 1920 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में समिति ने सर्वसम्मति से डायर के कृत्यों की निंदा की और उसे अपने पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया।
- भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस ने अपनी गैर-आधिकारिक समिति नियुक्त की जिसमें मोतीलाल नेहरू, सी. आर. दास, अब्बास तैयब जी, एम. आर. जयकर और गांधी को शामिल किया गया था।
- महात्मा गांधी ने जल्द ही अपने पहले बड़े अहिंसक सत्याग्रह अभियान, असहयोग आंदोलन (Non Cooperation Movement-1920-22) को शुरू किया, जो 25 वर्ष बाद भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

खाद्य उत्पादन में ज़ूनोसिस के जोखिम को कम करना

चर्चा में क्यों ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सरकारों को खाद्य उत्पादन एवं विपणन श्रृंखलाओं के माध्यम से मनुष्यों में ज़ूनोटिक रोगजनकों के संचरण के जोखिम को कम करने के लिये नए दिशा-निर्देश दिये हैं।

- इसके परिणामों की भयावहता को देखते हुए कोविड-19 ने इस नए खतरे पर ध्यान आकर्षित किया है।

प्रमुख बिंदु:

ज़ूनोसिस:

- ज़ूनोसिस एक संक्रामक रोग है जो जानवर से मनुष्यों में संचरित होता है।
- ज़ूनोटिक पैथोजंस बैक्टीरिया, वायरल या परजीवी हो सकते हैं।
- वे सीधे संपर्क या भोजन, पानी और पर्यावरण के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकते हैं।

चिंताएँ:

- पशु विशेष रूप से जंगली जानवर मनुष्यों में संचारित सभी उभरते संक्रामक रोगों के 70% से अधिक का स्रोत होते हैं, जिनमें से कई 'नोवल वायरस' के प्रसार का कारण होते हैं।
- अधिकांश उभरते संक्रामक रोग, जैसे-लासा बुखार, मारबर्ग रक्तस्रावी बुखार, निप्प वायरल संक्रमण और अन्य वायरल रोगों की उत्पत्ति वन्यजीवों से ही होती है।
- पारंपरिक खाद्य बाज़ारों में जीवित जानवरों, विशेष रूप से जंगली जानवरों तथा उनके मांस की बिक्री की अनुमति देने से गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, इनके संभावित जोखिमों का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।
  - इस तरह का वातावरण जानवरों से उत्पन्न वायरस के प्रसार के लिये अवसर प्रदान करता है, जिसमें कोरोनावायरस भी शामिल है।

WHO दिशा-निर्देश:

- पारंपरिक खाद्य बाज़ारों में जीवित तथा मृत जंगली जानवरों की बिक्री को निलंबित करने के लिये आपातकालीन नियम स्थापित करना।
- जंगली जानवरों से ज़ूनोटिक सूक्ष्मजीवों के संचरण के जोखिमों को नियंत्रित करने के लिये नियमों के माध्यम से जोखिम का आकलन करना और जंगली जानवरों को पकड़ना।
- यह सुनिश्चित करना कि खाद्य निरीक्षकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है कि वे विभिन्न व्यवसाय उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये नियमों का अनुपालन करते हैं और उन्हें इसका जवाबदेह ठहराया जाता है।
- ज़ूनोटिक रोगजनकों के लिये निगरानी प्रणाली को मज़बूत बनाना।

नोट :

भारतीय परिदृश्य:

ज़ूनोटिक बीमरियाँ:

- भारत ऐसे शीर्ष भौगोलिक हॉटस्पॉटों में से एक है, जहाँ ज़ूनोटिक रोग एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जिसके कारण रुग्णता और मृत्यु दर में वृद्धि होती है।
- भारत में प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य ज़ूनोटिक रोगों में रेबीज़, ब्रुसेलोसिस, टोक्सोप्लाज़मोसिज़, सिस्टीकोर्सिस, इचिनेकोकोसिस, जापानी एन्सेफेलाइटिस (JE), प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, स्क्रब टाइफस, निपा, ट्रायपैनोसोमियासिस, कैसानूर फारेस्ट रोग (KFD), क्रीमियन कांगो हीमोरेजिक फीवर (CCHF) शामिल हैं।

चुनौतियाँ:

- बड़ी मानव आबादी और जानवरों के साथ इसके लगातार संपर्क।
- गरीबी: आजीविका के साधन के रूप में पशु पालन पर निर्भरता में वृद्धि से मानव-पशु संपर्क उन्हें इस श्रेणी की बीमारियों के जोखिम में डालता है
- जागरूकता में कमी: जनसंख्या का बड़ा हिस्सा बुनियादी स्वच्छता दिनचर्या का पालन करने से अनभिज्ञ है।
- एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस (AMR): AMR तब होता है, जब कोई सूक्ष्मजीवी जो पहले एंटीबायोटिक से प्रभावित होता है, धीरे-धीरे उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर ले और एंटीबायोटिक उस पर बेअसर हो जाए।
- उचित टीकाकरण कार्यक्रमों की कमी, शहरों में झुग्गी-बस्तियों की निगरानी में कमी और नैदानिक सुविधाओं की कमी निवारक और एहतियाती दृष्टिकोण को और अधिक कठिन बना देती है।

उठाए गए कदम:

- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के तहत निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किये गए हैं:
  - एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)।
  - नेशनल प्रोग्राम फॉर कंटेनमेंट एंटीमाइक्रोबियल रेज़िस्टेंस।
  - राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस निगरानी कार्यक्रम।
  - सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्त्व के ज़ूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिये अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को मज़बूत करना।
  - राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम।
  - लेप्टोस्पायरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिये कार्यक्रम।
  - इसके अलावा विशेषज्ञों ने देश में एक स्वास्थ्य ढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

नगालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर (RIIN)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नगा जनजातियों के एक शीर्ष निकाय, नगा होहो (Naga Hoho) द्वारा नगालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर (Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland- RIIN) तैयार करने के संबंध नगालैंड राज्य सरकार को आगाह किया गया है। RIIN को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens) का ही एक रूप माना जा रहा है।

पृष्ठभूमि:

- राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में RIIN के अध्ययन, परीक्षण और कार्यान्वयन के संदर्भ में सिफारिश करने हेतु तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था।

नोट :

- RIIN हेतु गठित समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों का निर्धारण किया जाना था:
  - स्थानीय निवासी होने के लिये पात्रता मानदंड।
  - स्थानीय होने के दावों को प्रमाणित करने के लिये प्राधिकरण।
  - स्थानीय निवासी के रूप में पंजीकरण का स्थान।
  - स्थानीय निवासी होने के दावों का आधार।
  - दस्तावेजों की प्रकृति जो स्थानीय होने के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होंगे।
- हालाँकि, समुदाय आधारित और चरमपंथी संगठनों के विरोध के बाद इस कार्य को निलंबित कर दिया गया था।
- तब से नगालैंड सरकार जुलाई 2019 में शुरू की गई RIIN प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य बाह्य लोगों द्वारा राज्य में नौकरी और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु नकली स्वदेशी प्रमाण पत्रों प्रस्तुत किये जाने पर अंकुश लगाना था, को पुन: शुरू करने का प्रयास कर रही है।

नगालैंड के स्थानीय नागरिकों का रजिस्टर (RIIN):

- RIIN को आधिकारिक अभिलेखों/रिकार्ड्स के आधार पर स्थानीय निवासियों की ग्राम-वार और वार्ड-वार सूची की मदद से एक विस्तृत सर्वेक्षण के बाद तैयार किया जाएगा। साथ ही, इसे प्रत्येक ज़िला प्रशासन की निगरानी में तैयार किया जाएगा।
- एक बार RIIN का कार्य पूर्ण होने के बाद, राज्य के स्थानीय निवासियों बच्चों के जन्म के अलावा किसी को भी नया स्वदेशी निवासी प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा। स्थानीय निवासियों के बच्चों के जन्म प्रमाण के साथ ही उन्हें स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तदनुसार RIIN डेटाबेस को समय-समय पर अपडेट किया जाएगा।
- RIIN को इनर-लाइन परमिट (Inner-Line Permit) प्राप्त करने के हेतु ऑनलाइन प्रणाली के साथ भी एकीकृत किया जाएगा। इनर-लाइन परमिट एक अस्थायी दस्तावेज़ है जो नगालैंड में प्रवेश और यात्रा करने वाले गैर-निवासियों को जारी किया जाता है।
- इस समग्र प्रणाली या प्रक्रिया की निगरानी नगालैंड के आयुक्त द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार सचिव रैंक के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित करेगी।

नगाओं की चिंता:

- यदि RIIN के लिये पहचान प्रक्रिया के तहत 1 दिसंबर, 1963 (नगालैंड को राज्य का दर्जा मिलने की तिथि) को स्थानीय निवासियों के निर्धारण हेतु अंतिम तिथि के रूप में लागू किया जाता है तो इस तिथि के बाद नगालैंड में प्रवेश करने वाले नगा RIIN की सूची से बाहर हो जाएंगे। इसके चलते भयावह परिणाम सामने आ सकते हैं।
- संपत्ति का नुकसान:
  - भारत के असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और म्याँमार में रहने वाली नगा जनजातियाँ अपने पूर्वजों की पैतृक भूमि पर अपने दावे को वैध ठहराती रही हैं।
  - हज़ारों नगा ऐसे हैं जिन्होंने नगालैंड में ज़मीनें खरीदी, अपने घर बनाए और दशकों से यहाँ रहे हैं।
  - 1 दिसंबर, 1963 से पहले के अभिलेखों जैसे- भूमि का पट्टाकरण, भूमि कर तथा हाउस टैक्स का भुगतान या मतदाता सूची में नामांकन आदि का अभाव के रूप कई प्रक्रियात्मक विसंगतियां उन नगा परिवारों में भी देखने को मिल सकती हैं जिन्हें तथाकथित रूप से नगालैंड का विशुद्ध नगा समुदाय माना जाता है।
- अवैध प्रवासी:
  - गैर-स्थानिक नगाओं (Non-Indigenous Nagas) में इस बात की आशंका बनी हुई है कि उन्हें राज्य में "अवैध आप्रवासी" (Illegal Immigrants) घोषित किया जा सकता है तथा उनकी भूमि ज़ब्त हो सकती है। इससे एक साथ, एकजुट और स्वतंत्र रूप से रहने के नगा लोगों की धारणा/विचार पर नकरात्मक प्रभाव पड़ेगा।

नगा:

- नगा, मुख्य तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं जिनकी आबादी लगभग 2. 5 मिलियन (नगालैंड में 1.8 मिलियन, मणिपुर में 0.6 मिलियन और अरुणाचल प्रदेश में 0.1 मिलियन) है। ये भारतीय राज्य- असम और बर्मा (म्याँमार) के मध्य सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।

नोट :

- नगा, केवल एक जनजाति नहीं है, बल्कि एक जातीय समुदाय है, जिसमें नगालैंड और उसके आसपास के क्षेत्रों की कई जनजातियाँ शामिल हैं।
- नगा समुदाय, इंडो-मंगोलॉयड समूह से संबंधित है।
- कुछ प्रमुख नगा जनजातियों में एओस (Aos), अंगामिस (Angamis), चांग्स (Changs), चकेसांग (Chakesang), काबूस (Kabuis), कचरिस (Kacharis), कोन्याक (Konyaks), कूकी (Kuki) लोथस (Lothas), माओ (Maos), मिकीर्स (Mikirs), रेंगमास (Rengmas), टैंकहुल्स (Tankhuls), और ज़ीलियांग (Zeeliang) आदि शामिल हैं।

आगे की राह:

- नागालैंड पहले से ही अस्थिर क्षेत्र है जहाँ सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम 1958 (Armed Forces Special Powers Act-AFSPA) लागू है, अत: ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के लिये RIIN को तैयार करने में खासा सावधानी बरतने काफी आवश्यक है। साथ ही RIIN को एक ऐसे साधन के रूप में प्रयोग करने से बचा जाना चाहिये, जिससे राज्य के मूल निवासियों की पहचान पर कोई भी संकट उत्पन्न हो।
- ज्ञात हो कि असम में NRC के प्रयोग के अत्यंत विभाजनकारी परिणाम सामने आए थे। असम और नगालैंड राज्यों में जो कुछ भी घटित होता है उसका अन्य पूर्वोत्तर राज्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। अत: ऐसी स्थिति में RIIN को तैयार करने में भावनात्मक राजनीतिक मुद्दों को एक आधार बनाने से बचा जाना चाहिये।

दृष्टि The Vision

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

मोटे अनाजों की खेती का पुन: प्रचलन

चर्चा में क्यों ?

कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (International Fund for Agricultural Development- IFAD) द्वारा वर्ष 2013-14 में मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में कोदो और कुटकी (मोटे अनाज) जैसी फसलों की खेती को पुनर्जीवित करने हेतु की गई पहल ने ऐसे अनाजों की खेती को एक नया रूप देने में सफलता हासिल की है, जिनकी कृषि लगभग हाशिये पर पहुँच गई थी।

- IFAD, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की एक विशेष एजेंसी है जो वर्ष 1974 के विश्व खाद्य सम्मेलन का प्रमुख परिणाम था।
- IFAD की स्थापना वर्ष 1977 में गई थी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। यह विकासशील देशों में गरीब ग्रामीण आबादी के साथ मिलकर कार्य करके गरीबी, भूख और कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में कार्यरत है।

प्रमुख बिंदु:

परियोजना के बारे में:

- शुरुआत
  - इस परियोजना को 40 गाँवों के 1,497 महिला किसानों के साथ शुरू किया गया था जिनमें ज़्यादातर गोंड और बैगा जनजातियों की महिला किसान शामिल थीं, इनके द्वारा 749 एकड़ में इन दो मोटे अनाजों (कोदो और कुटकी) की खेती की जाती है।
- बीज और प्रशिक्षण:
  - खेत को तैयार करने, लाइन-बुवाई (पारंपरिक हाथ से बुआई करने के विपरीत) और विशिष्ट पौधों के संरक्षण हेतु खाद, जस्ता, कवकनाशी तथा अन्य रसायनों के उपयोग हेतु चयनित किसानों को जबलपुर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान कर अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए गए।
- स्वयं सहायता समूह:
  - स्व-सहायता समूह के किसानों के एक संघ द्वारा उपज की खरीद कर उसकी यांत्रिक डी-हलिंग (Mechanical De-Hulling) का कार्य किया गया। (अनाज से भूसी निकालने हेतु प्रयुक्त पारंपरिक मैनुअल पाउंडिंग प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है।)

प्रभाव:

- वर्ष 2019-20 में परियोजना क्षेत्र में कोदो-कुटकी उगाने वाले किसानों की मदद की गई जिससे उनकी संख्या बढकर 14,301 हो गई।
- कोदो-कुटकी उगाने वाले क्षेत्र में 14,876 एकड़ की बढ़ोत्तरी हुई।
- पोषण संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिली (बच्चों में कुपोषण से लड़ने में)।
- बाजरे की खेती को पुनर्जीवित करने में मदद मिली (फसल पैदावार पहले की तुलना में 1.5-2 गुना अधिक है)।

मोटे अनाज:

मोटे अनाज के बारे में:

- मोटे अनाजों को अक्सर सुपरफूड के रूप में संदर्भित किया जाता है, इनके उत्पादन को स्थायी कृषि और एक स्वस्थ विश्व के संदर्भ में देखा जा सकता है

नोट :

भारत में मोटे अनाज:

- वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली तीन प्रमुख मोटे अनाज वाली फसलें ज्वार, बाजरा और रागी हैं।
  - इसके साथ ही भारत मोटे अनाजों की जैव-आनुवंशिक रूप से विविध और स्वदेशी किस्मों की एक समृद्ध शृंखला को विकसित कर रहा है।
- प्रमुख उत्पादक राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं।

मोटे अनाजों की ऊपज को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता:

- पोषण सुरक्षा:
  - मोटे अनाज गेहूँ और चावल की तुलना में सस्ते होने के साथ-साथ उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन तथा आयरन आदि की उपस्थिति के चलते पोषण हेतु बेहतर आहार होते हैं।
  - मोटे अनाजों में कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है।
    - जैसे- रागी में सभी खाद्यान्नों की तुलना में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है।
  - इसमें लोहे की उच्च मात्रा महिलाओं की प्रजनन आयु और शिशुओं में एनीमिया के उच्च प्रसार को रोकने में सक्षम है।
- जलवायु अनुकूल:
  - ये कठोर एवं सूखा प्रतिरोधी फसलें हैं जिनका वृद्धि काल (70-100 दिन) गेहूँ या चावल (120-150 दिन) की फसल की तुलना में कम होता है इसके अलावा मोटे अनाजों (350-500मिमी) को गेहूँ या चावल (600-1,200मिमी) की फसल की तुलना में कम जल की आवश्यकता होती है।
- आर्थिक सुरक्षा:
  - चूँकि मोटे अनाजों के उत्पादन हेतु निवेश की कम आवश्यकता होती है, अत: ये किसानों के लिये आय के स्थायी स्रोत साबित हो सकते हैं।
- स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक:
  - मोटे अनाज कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में सहायक है जैसे- मधुमेह और मोटापे की समस्या क्योंकि वे ग्लूटेन मुक्त होते हैं और इनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।(खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट के एक सापेक्ष स्तर के अनुसार वे रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करते हैं)।
    - मोटे अनाज एंटीऑक्सीडेंट का संपन्न स्रोत है।

चुनौतियाँ:

- गेहूँ को वरीयता:
  - गेहूँ में ग्लूटेन प्रोटीन विद्यमान होता है जो आटे में पानी मिलाने पर इसे चिपचिपा बनाता है तथा आटे को अधिक गाढ़ा और लोचदार बनाता है।
  - जिसके परिणामस्वरूप रोटियाँ अधिक मुलायम बनती हैं, यह मोटे अनाजों में संभव नहीं है क्योकि ये ग्लूटेन मुक्त होते हैं।
- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की मांग में बढ़ोतरी:
  - भारत ने अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और रेडी-टू-ईट उत्पादों की मांग में उछाल देखा है, जिनमें सोडियम, चीनी, ट्रांस-वसा और यहाँ तक कि कार्सिनोजेन्स का उच्च स्तर पाया जाता है।
  - प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के तीव्र विपणन के साथ ग्रामीण आबादी में भी मिल-संसाधित चावल और गेहूँ का उपयोग करने की तीव्र इच्छा देखी जा रही है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा अन्य अनाजों को बढ़ावा:
  - वर्ष 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण भारत के तीन-चौथाई परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूँ या चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है जिसमें 2 रुपए प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार यह मोटे अनाजों की मांग में कमी लाता है।

नोट :

भारतीय पहल:

- मोटे अनाजों को बढ़ावा:
  - अप्रैल 2018 में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मोटे अनाजों को उनके "उच्च पोषक मूल्य" और "मधुमेह विरोधी गुणों" के कारण "पोषक तत्त्वों" के रूप में घोषित किया गया था।
  - वर्ष 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स (National Year of Millets) के रूप में मनाया गया।
- MSP में वृद्धि:
  - सरकार द्वारा मोटे अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) को बढ़ाया गया है, जो किसानों को उनकी फसल का अधिक मूल्य प्रदान करती है।
  - इसके अलावा उपज की बिक्री हेतु एक स्थिर बाज़ार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शामिल किया है।
- निवेश सहायता:
  - सरकार द्वारा किसानों को बीज किट और निवेश लागत उपलब्ध कराई गई है, किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से मूल्य श्रृंखला का निर्माण किया गया है और मोटे अनाजों की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु विपणन क्षमता का समर्थन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय पहल

- यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स' (International Year of Millets) के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

आगे की राह:

- जलवायु के साथ सामंजस्य स्थापित करने, छोटी फसल अवधि, कम उपजाऊ मिट्टी, पहाड़ी इलाकों एवं वर्षा की कम मात्रा के साथ उगने की क्षमता को देखते हुए मोटे अनाज़ों की खेती को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।
- मोटे अनाजों की पहुँच गरीबों तक होने के कारण ये सभी आय श्रेणी के लोगों को पोषण प्रदान करने के साथ-साथ वर्षा आधारित कृषि प्रणालियों का जलवायु अनुकूलन के साथ समर्थन करने में एक आवश्यक भूमिका निभा सकते हैं।

टाटा-मिस्त्री निर्णय

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के फैसले को बदलते हुए साइरस पल्लोनजी मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक के पद से हटाने के टाटा समूह के फैसले को सही ठहराया।

प्रमुख बिंदु:

सुप्रीम कोर्ट का अवलोकन:

- अल्पसंख्यक शेयरधारक या उनके छोटे शेयरधारक प्रतिनिधियों को निजी कंपनी के बोर्ड में स्वचालित रूप से किसी पद का हक़दार नहीं माना गया है।
- कंपनी अधिनियम 2013 में शामिल प्रावधान केवल सूचीबद्ध कंपनियों के छोटे शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, ताकि ऐसी कंपनियों को अपने बोर्ड में कम-से-कम एक निदेशक को ऐसे छोटे शेयरधारकों द्वारा चुना जा सके।
- क्योंकि मिस्त्री परिवार और शापूरजी पल्लोनजी (SP) समूह छोटे शेयरधारक नहीं हैं, लेकिन अल्पसंख्यक शेयरधारक के लिये ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है जो उन्हें टाटा संस के बोर्ड में 'आनुपातिक प्रतिनिधित्व का दावा करने का अधिकार' प्रदान करता हो।
- जिन निजी कंपनियों के पास अल्पसंख्यक शेयरधारक हैं, वे उनके लिये एक सक्षम प्रावधान बनाने हेतु स्वतंत्र हैं, लेकिन निजी कंपनियों के बोर्ड में अल्पसंख्यक शेयरधारक को सीट प्रदान करने के लिये कोई वैधानिक दात्यित्व शामिल नहीं है।

नोट :

अल्पसंख्यक शेयरधारक

- अल्पसंख्यक शेयरधारक किसी फर्म या कंपनी के इक्विटी धारक हैं। यदि ये किसी फर्म की इक्विटी पूंजी के 50% से कम स्वामित्व रखते है तो उन्हें फर्म में अपने मताधिकार की शक्ति का उपयोग करने से वंचित होना पड़ता है।

छोटे शेयरधारक

- कंपनी अधिनियम के अनुसार, छोटे शेयरधारक वे शेयरधारक या शेयरधारकों का समूह हैं जो केवल नाम मात्र 20,000 रुपए से कम मूल्य के शेयर रखते हैं।

कंपनी अधिनियम 2013

- यह एक भारतीय कंपनी कानून है, जो एक कंपनी के निगमन, कंपनी की ज़िम्मेदारियों, निदेशकों, शेयरधारकों और इसके विघटन सहित सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

फैसले का महत्व:

- हालाँकि यह निर्णय सीधे तौर पर अल्पसंख्यक शेयरधारकों के अधिकार को प्रभावित नहीं करता है, ऐसे शेयरधारकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास शेयरधारकों का बहुमत है या वे कंपनी के प्रवर्तकों (Promoters) के साथ अनुबंधित हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये उनके पास बोर्ड में पर्याप्त प्रतिनिधित्व भी होना आवश्यक है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT)

- NCLAT का गठन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के अंतर्गत किया गया था।
- NCLAT 1 दिसंबर, 2016 से प्रभावी दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016-IBC) की धारा 61 के तहत NCLT द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिये एक अपीलीय अधिकरण भी है।
  - NCLAT भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील भी सुनता है ।
- NCLAT, भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India) द्वारा दिये गए निर्णयों से असहमत पक्ष के लिये भी अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करता है।

मुद्रास्फीति का लक्ष्य

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने आगामी पाँच वर्षों के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति के लिये +/- 2 प्रतिशत अंक के सहिष्णुता बैंड के साथ 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने का निर्णय लिया है ।

- इससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी मुद्रा और वित्त (RCF) संबंधी वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड (4% +/- 2%) अगले 5 वर्षों के लिये उपयुक्त है।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये केंद्र सरकार ने 2016 में आरबीआई को 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए पाँच साल की अवधि के लिये खुदरा मुद्रास्फीति को 2 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर रखने का आदेश दिया।
  - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के तहत भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा दैनिक उपभोग के लिये खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं जैसे- खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद आदि की कीमतों में परिवर्तन की गणना की जाती है।
- मुद्रास्फीति के लक्ष्य को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिये पिछले 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया है।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2015 में केंद्रीय बैंक अर्थात् रिज़र्व बैंक और सरकार के मध्य एक नीतिगत ढाँचे पर सहमति बनी जिसमें विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित किये गए।
- इसके पश्चात् लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) को वर्ष 2016 में अपनाया गया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 में एक FIT ढाँचे को वैधानिक आधार प्रदान करने हेतु संशोधन किया गया।
- संशोधित अधिनियम के तहत सरकार द्वारा RBI के परामर्श से प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण:

- यह केंद्रीय बैंकिंग की एक नीति है जो मुद्रास्फीति की एक निर्दिष्ट वार्षिक दर प्राप्त करने हेतु मौद्रिक नीति के संयोजन पर आधारित है।
- मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को मौद्रिक नीति निर्धारण में अधिक स्थिरता, पूर्वानुमान प्रदान करने और पारदर्शिता लाने हेतु जाना जाता है।
- कठोर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण:
  - कठोर मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Strict Inflation Targeting) को तब अपनाया जाता है जब केंद्रीय बैंक केवल किसी दिये गए मुद्रास्फीति लक्ष्य के आस-पास मुद्रास्फीति को रखना चाहता है।
- लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण:
  - लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (Flexible Inflation Targeting) को तब अपनाया जाता है जब केंद्रीय बैंक कुछ अन्य कारकों जैसे- ब्याज दरों में स्थिरता, विनिमय दर, उत्पादन और रोज़गार आदि को लेकर चिंतित होता है।

मौद्रिक नीति:

- यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है। इसमें मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दर का प्रबंधन शामिल है, यह मुद्रास्फीति, खपत, वृद्धि और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये इस्तेमाल की जाने वाली मांग पक्ष आधारित आर्थिक नीति है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने और आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिये धन का प्रबंधन करना है।
- RBI खुले बाज़ार की क्रियाओं, बैंक दर नीति, आरक्षित प्रणाली, ऋण नियंत्रण नीति, नैतिक प्रभाव और कई अन्य उपकरणों के माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू करता है।

मौद्रिक नीति समिति:

- RBI की 'मौद्रिक नीति समिति (MPC)' 'भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934' के तहत स्थापित एक वैधानिक एवं संस्थागत निकाय है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है।
  - रिज़र्व बैंक का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।
- MPC मुद्रास्फीति दर के 4% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये ब्याज दर (रेपो रेट) के निर्धारण का कार्य करती है।
- वर्ष 2014 में तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली रिज़र्व बैंक की समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी।

एशिया एवं प्रशांत का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण, 2021: UNESCAP

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एशिया एवं प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – UNESCAP) ने एशिया एवं प्रशांत का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण (Economic and Social Survey of Asia and the Pacific), 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

नोट :

- इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में 7% रहने का अनुमान है, जबकि सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों (Normal Business Activity) पर महामारी के प्रभाव के कारण पिछले वित्त वर्ष (2020-21) में 7.7% का संकुचन देखा गया था।

प्रमुख बिंदु

भारत के संबंध में अन्य अवलोकन:

- हालाँकि कोविड-19 मामलों में कमी तथा टीकाकरण शुरू होने के बावजूद वर्ष 2021 में भारत का आर्थिक उत्पादन वर्ष 2019 के स्तर से नीचे रहने का अनुमान है.
- महामारी का प्रकोप शुरू होने से पहले ही भारत में सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) का विकास और निवेश धीमा पड़ चुका था।
  - कोरोनावायरस महामारी की रोकथाम के लिये भारत में लगाया गया लॉकडाउन विश्व के सबसे कड़े लॉकडाउन में से एक था तथा वर्ष 2020 में देश में गंभीर आर्थिक बाधाएँ अपने चरम पर थीं।
- लॉकडाउन नीतियों में बदलाव और संक्रमण दर (Infection Rates) में कमी की वजह से वर्ष 2020 के अंतिम महीनों में एक प्रभावशाली आर्थिक बदलाव देखा गया।

चुनौतियाँ: रिपोर्ट में भारत में हो रही तीव्र रिकवरी हेतु निम्नलिखित दो बड़ी चुनौतियों का उल्लेख किया गया है।

- कम उधारी लागत को बनाए रखना।
- नॉन-परफॉर्मिंग लोन को रोक कर रखना।

एशिया-प्रशांत देशों के संदर्भ में अवलोकन:

- लोगों और ग्रह के संदर्भ में अनुकूलन तथा निवेश की कमी के कारण कोविड-19 महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव में वृद्धि हुई है।
- चीन ने कोविड-19 से निपटने के लिये तुरंत और प्रभावी कदम उठाए हैं। वह विश्व में एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था वाला ऐसा देश है जिसने वर्ष 2020 में सकारात्मक वृद्धि दर हासिल करने में सफलता प्राप्त की।
- विकासशील एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर औसतन वर्ष 2021 में 5.9% और वर्ष 2022 में 5% रहने की उम्मीद है।
- K- शेप्ड रिकवरी जो कि महामारी के बाद देशों में असमान रिकवरी तथा देशों के भीतर असमानता में वृद्धि को दर्शाती है, को एक प्रमुख नीति चुनौती के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

K- शेप्ड रिकवरी

- जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग दर, समय या परिमाण में 'रिकवरी' होती है तो उसे K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी कहते हैं । यह विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों या लोगों के समूहों में समान 'रिकवरी' के सिद्धांत के विपरीत है।
- के-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी से अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन होता है और आर्थिक परिणाम मंदी के पहले तथा बाद में मौलिक रूप से बदल जाते हैं।
- इस प्रकार की रिकवरी को 'K-शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी' इसलिये कहा जाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जब एक मार्ग पर साथ चलते हैं तो डायवर्ज़न के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो रोमन अक्षर 'K' की दो भुजाओं से मिलती-जुलती है।

सुझाव:

- रिपोर्ट में अर्थव्यवस्था में मज़बूती और समावेशी पुनरुद्धार के लिये विभिन्न देशों द्वारा कोविड-19 टीकाकरण में अधिक समन्वय तथा क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- इसमें सिफारिश की गई है कि अर्थव्यस्थाओं को राजकोषीय और मौद्रिक समर्थन जारी रखा जाना चाहिये क्योंकि यदि समय से पहले इस प्रकार के समर्थन को वापस ले लिया जाता है तो दीर्घकालीन समस्याएँ बढ़ सकती हैं।

नोट :

- नीति समर्थन में निरंतरता बहुत जरूरी है और रिकवरी पॉलिसी पैकेजों में सतत् विकास हेतु एजेंडा 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) को लचीलापन बनाकर निवेश करने पर ध्यान देना चाहिये।
- विभिन्न आर्थिक और गैर-आर्थिक नुकसानों से बचने हेतु योजना बनाने एवं नीति निर्धारण के लिये एक अधिक एकीकृत जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

एशिया एवं प्रशांत का आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण

- एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण की प्रगति पर वर्ष 1947 से प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जाने वाली यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी रिपोर्ट है।
- यह सर्वेक्षण क्षेत्रीय प्रगति के बारे में जानकारी देने के साथ वर्तमान व उभरते सामाजिक-आर्थिक मुद्दों तथा नीतिगत चुनौतियों पर अत्याधुनिक विश्लेषण एवं चर्चा के लिये मार्गदर्शन प्रदान करता है और क्षेत्र में समावेशी एवं सतत् विकास का समर्थन करता है।
- इस सर्वेक्षण में वर्ष 1957 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण पहलू और चुनौती से संबंधित अध्ययन शामिल किये जाते हैं।
- वर्ष 2021 का सर्वेक्षण कोविड-19 महामारी के प्रभाव का अध्ययन करता है और कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्थाओं के लचीलेपन हेतु अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग

- एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र का आर्थिक और सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक क्षेत्रीय विकास शाखा है।
- यह 53 सदस्य देशों और 9 एसोसिएट सदस्यों से बना एक आयोग है।
- इसकी स्थापना 1947 में की गई थी।
- इसका मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक शहर में है।
- उद्देश्य: यह सदस्य राज्यों हेतु परिणामोन्मुखी परियोजनाओं के विकास, तकनीकी सहायता प्रदान करने और क्षमता निर्माण जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य करता है।

पीएम-कुसुम

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के अंतर्गत पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र जयपुर (राजस्थान) ज़िले की कोटपुतली तहसील में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र से प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय :
  - पीएम-कुसुम योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिये शुरू किया गया था।
  - फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वित्तीय सहायता और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने की मंज़ूरी प्रदान की।
  - बजट 2020-21 के अंतर्गत सरकार योजना का विस्तार करते हुए 20 लाख किसानों को एकल सौर पंप स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान करेगी। इसके आलावा अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेटों के सौरीकरण (Solarisation) में मदद करेगी।
  - पीएम कुसुम योजना किसानों को अपनी बंजर भूमि पर स्थापित सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से ग्रिड को बिजली बेचने का विकल्प प्रदान करते हुए अतिरिक्त आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेगी।

नोट :

- पीएम कुसुम योजना के घटक:
  - पीएम कुसुम योजना के तीन घटक हैं और इन घटकों के तहत वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त सौर क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
  - घटक A : भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना।
  - घटक B : 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
  - घटक C : ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण (Solarisation)।
- योजना के अपेक्षित लाभ:
  - डिस्कॉम की सहायता:
    - यह योजना कृषि क्षेत्र में सब्सिडी के बोझ को कम करते हुए बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायक होगी।
    - यह अक्षय ऊर्जा खरीद दायित्व (RPO) के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी।
  - राज्यों की सहायता:
    - इस योजना के तहत विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आपूर्ति के दौरान होने वाली विद्युत क्षति या ट्रांसमिशन हानि (Transmission Loss) को कम किया जा सकेगा।
    - यह योजना सिंचाई पर सब्सिडी के रूप में होने वाले परिव्यय को कम करने का एक संभावित विकल्प हो सकती है।
  - किसानों की सहायता:
    - यदि किसान अपने सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित अधिशेष विद्युत को बेचने में सक्षम होते हैं, तो इससे उन्हें बिजली बचाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सकेगा और भूजल का उचित एवं कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी।
    - यह योजना किसानों को सौर जल पंपों (ऑफ-ग्रिड और ग्रिड-कनेक्टेड दोनों) के माध्यम से जल संरक्षण सुविधा प्रदान करने में सहायक हो सकती है।
  - पर्यावरणीय सहायता:
    - इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिये सौर चालित पंपों की स्थापना के माध्यम से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के साथ ही प्रदूषण में वृद्धि करने वाले डीज़ल पंपों के प्रयोग में कमी लाने में सफलता प्राप्त होगी।
- चुनौतियाँ:
  - संसाधन और उपकरणों की उपलब्धता:
    - इस योजना को व्यापक स्तर पर लागू किये जाने के मार्ग में एक बड़ी बाधा उपकरणों की स्थानीय स्तर पर अनुपलब्धता है। वर्तमान में स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं के लिये पारंपरिक विद्युत या डीज़ल पंप की तुलना में सोलर पंप की उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
    - इसके अलावा 'घरेलू सामग्री की आवश्यकता' (Domestic Content Requirements- DCR) संबंधी नियमों की सख्ती के कारण सौर ऊर्जा उपकरण आपूर्तिकर्त्ताओं को स्थानीय सोलर सेल (Solar Cell) निर्माताओं पर निर्भर रहना पड़ता है, हालाँकि वर्तमान में देश में स्थानीय स्तर पर पर्याप्त घरेलू सोलर सेल निर्माण क्षमता नहीं विकसित की जा सकी है।
  - छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी:
    - इस योजना में छोटे और सीमांत किसानों की अनदेखी किये जाने का आरोप भी लगता रहा है, क्योंकि यह योजना 3 हॉर्स पावर (HP) और उससे उच्च क्षमता वाले पंपों पर केंद्रित है।
    - इस योजना के तहत किसानों की एक बड़ी आबादी तक सौर पंपों की पहुँच सुनिश्चित नहीं की जा सकी है क्योंकि वर्तमान में देश के लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं।
    - विशेषकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भू-जल स्तर में हो रही गिरावट किसानों के लिये छोटे पंपों की उपयोगिता को सीमित करती है।

नोट :

- भू-जल स्तर में गिरावट:
  - कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दिये जाने के कारण सिंचाई पर खर्च की जाने वाली विद्युत की लागत बहुत ही कम होती है, जिसके कारण कई किसानों द्वारा अनावश्यक रूप से जल का दोहन किया जाता है। कृषि क्षेत्र में भू-जल का यह अनियंत्रित दोहन जल स्तर में गिरावट का एक प्रमुख कारण है।
  - सिंचाई के लिये सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना करने के बाद भू-जल स्तर में गिरावट की स्थिति में उच्च क्षमता के पंपों को लगाना और भी कठिन तथा खर्चीला कार्य होगा, क्योंकि इसके लिये किसानों को पंप के साथ-साथ बढ़ी हुई क्षमता के लिये सोलर पैनलों की संख्या में वृद्धि करनी होगी।

आगे की राह:

- केंद्र और राज्यों के बीच आम सहमति इस विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा योजना की सफलता की कुंजी है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा कोई भी सुधार तब तक प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, जब तक कि केंद्र, राज्य और अन्य सभी हितधारकों के बीच इस संदर्भ में आम सहमति न बन जाए।
- सिंचाई के लिये पारंपरिक डीज़ल या विद्युत चालित पंपों से सौर पंपों की तरफ बढ़ने के साथ ही किसानों को 'ड्रिप इर्रिगेशन' (Drip irrigation) जैसे आधुनिक उपायों को भी अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे फसल उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पानी और बिजली की भी बचत होगी।
- इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और हितधारकों की इस पहल में गंभीरता के साथ भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कार्यान्वयन की उच्च लागत और व्यापक रखरखाव की चुनौतियों को देखते हुए योजना की बेंचमार्क कीमतों को अधिक आकर्षक बनाना होगा।

भारत का वाणिज्य वस्तु व्यापार घाटा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सरकार द्वारा जारी प्रारंभिक आँकड़ों से पता चला है कि मार्च 2021 में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 14.11 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि मार्च 2020 के दौरान यह 9.98 बिलियन डॉलर था।

प्रमुख बिंदु

- अन्य पर्यवेक्षण:
  - वाणिज्य वस्तु निर्यात: भारत का वाणिज्य वस्तु (Merchandise) निर्यात मार्च 2020 के 21.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में मार्च 2021 में 58.23% की वृद्धि के साथ 34.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
    - किसी साल के एक महीने में (मार्च 2021 में) पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय निर्यात 34 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया।
  - वाणिज्य वस्तु आयात: भारत का वाणिज्य वस्तु आयात मार्च 2020 के 31.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में मार्च 2021 में 52.89% की वृद्धि के साथ 48.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
    - इस प्रकार भारत मार्च 2021 में एक शुद्ध आयातक देश रहा, जिसको 14.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार घाटा हुआ है।
- आयात बढ़ने का कारण:
  - लॉकडाउन में ढील और आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत वस्तुओं तथा आयात की मांग में वृद्धि के मुख्य कारण हैं।
  - वैश्विक व्यापार में वृद्धि के परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सक्रिय हो गई, जिसने वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ाया है।
  - परिवहन क्षेत्र में गतिविधियाँ शुरू होने से तेल आयात बढ़ा है।
- व्यापार घाटा:
  - किसी देश का व्यापार घाटा उस स्थिति को संदर्भित करता है, जब उसका आयात निर्यात से ज़्यादा हो जाता है।
    - वस्तुओं से संबंधित व्यापार घाटा अर्थव्यवस्था में मांग की वृद्धि को दर्शाता है।
    - यह चालू खाता घाटा (Current Account Deficit) का एक हिस्सा है।

नोट :

- चालू खाता घाटा:
  - चालू खाता, निर्यात और आयात के कारण विदेशी मुद्रा के निवल अंतर को दर्शाता है। यह विश्व के अन्य देशों के साथ एक देश के लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता है तथा पूंजी खाते की तरह देश के भुगतान संतुलन (Balance of Payment) का एक घटक होता है।
  - जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है, तो उसके BoP में व्यापार अधिशेष की स्थिति होती है, वहीं जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो उसे (BoP) व्यापार घाटे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।
  - प्रमुख घटक:
    - वस्तु,
    - सेवाएँ
    - विदेशी निवेश पर शुद्ध कमाई (जैसे ब्याज और लाभांश) तथा निश्चित समयावधि में भुगतानों का शुद्ध अंतरण जैसे कि विप्रेषण (Remittance)।
  - इसे सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product) के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। चालू खाता शेष की गणना के सूत्र हैं:
    - चालू खाता शेष = व्यापार अंतर + शुद्ध वर्तमान स्थानांतरण + विदेश में शुद्ध आय।
    - व्यापार अंतर = निर्यात - आयात

भुगतान संतुलन

- परिभाषा:
  - भुगतान संतुलन (Balance Of Payment-BoP) का अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से होता है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन को रिकॉर्ड करता है।
- BoP के घटक:
  - एक देश का BoP खाता तैयार करने के लिये विश्व के अन्य हिस्सों के बीच इसके आर्थिक लेन-देन को चालू खाते, पूंजी खाते, वित्तीय खाते और त्रुटियों तथा चूक के तहत वर्गीकृत किया जाता है।
    - यह विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserve) में बदलाव को भी दर्शाता है।
  - चालू खाता: यह दृश्यमान (जिसे व्यापारिक माल भी कहा जाता है - व्यापार संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है) और अदृश्यमान वस्तुओं (गैर-व्यापारिक माल भी कहा जाता है) के निर्यात तथा आयात को दर्शाता है।
    - अदृश्यमान में सेवाएँ, विप्रेषण और आय शामिल हैं।
  - पूंजी खाता और वित्तीय खाता: यह किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है।
    - यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों निवेश के शुद्ध प्रवाह का सार प्रदान करता है।
    - बाहरी वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowing), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment) आदि पूंजी खाते के हिस्से हैं।
  - त्रुटियाँ और चूक: कभी-कभी भुगतान संतुलन की स्थिति न होने के कारण इस असंतुलन को BoP में त्रुटियों और चूक (Errors and Omissions) के रूप में दिखाया जाता है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में देश की अक्षमता को दर्शाता है।
  - कुल मिलाकर BoP खाते में अधिशेष या घाटा हो सकता है।
    - यदि कोई कमी है तो विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकालकर इसे पूरा किया जा सकता है।
    - यदि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो रहा है तो इस घटना को BoP संकट के रूप में जाना जाता है।

नोट :

तेल आयात अनुबंध

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार ने तेल उत्पादन में कटौती को लेकर सऊदी अरब के साथ तनाव के मद्देनज़र अपनी रिफाइनरियों (IOC, BPCL और HPCL) को मध्य-पूर्व क्षेत्र (Middle East Region) के बाहर से तेल की आपूर्ति की संभावनाओं पर विचार करने को कहा है।

प्रमुख बिंदु

- सऊदी अरब के साथ तनाव:
  - वर्ष 2021 की शुरुआत में जब तेल की कीमतें बढ़ने लगी थी तो भारत चाहता था कि सऊदी अरब तेल का उत्पादन बढ़ाए, लेकिन उसने भारत की बातों को नज़रअंदाज कर दिया।
  - इसके चलते भारत सरकार ने तेल के आयात पर अपनी निर्भरता का विकेंद्रीकरण करने पर विचार किया।
  - भारत के लिये सऊदी अरब और अन्य ओपेक (OPEC- पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) देश कच्चे तेल के मुख्य आपूर्तिकर्त्ता हैं। इन देशों की शर्तें अक्सर खरीदार देशों को प्रभावित करती हैं।
    - ओपेक तेल निर्यात करने वाले 13 विकासशील देशों का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन है जो अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करता है।
    - सदस्य देश: ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, काँगो गणराज्य, अंगोला और वेनेज़ुएला।
- ओपेक देशों के साथ अनुबंध के मुद्दे:
  - भारतीय कंपनियाँ अपने तेल खरीद का दो-तिहाई हिस्सा एक निश्चित वार्षिक अनुबंध पर खरीदती हैं।
    - कंपनियों को इस अनुबंध से तेल की एक सुनिश्चित मात्रा की आपूर्ति की जाती है लेकिन तेल का मूल्य निर्धारण और अन्य शर्तें केवल आपूर्तिकर्त्ता के पक्ष में होती हैं।
  - इस वार्षिक अनुबंध से खरीदार किसी भी महीने बाहर हो सकता है लेकिन इसके लिये उसे छ: माह पहले बताना होगा और आपूर्तिकर्त्ता द्वारा घोषित औसत आधिकारिक मूल्य का भुगतान करना होगा।
    - तेल खरीदारों के लिये अनुबंधित शर्तों को मानने की बाध्यता है, जबकि सऊदी अरब और अन्य तेल ओपेक देशों के पास यह विकल्प है कि यदि ओपेक देश तेल की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिये तेल का उत्पादन कम करने का निर्णय लेता है तो वे ऐसा कर सकते हैं।
- भारत के पास विकल्प:
  - भारत में जब तेल का उत्पादन किसी कारण से गिरता है तब इसके मूल्य निर्धारण में लचीलेपन के साथ-साथ आपूर्ति की निश्चितता की भी ज़रूरत होती है।
    - इसके अलावा आपूर्ति समय और मात्रा के लचीलेपन के विकल्प (कम करने या बढ़ाने की क्षमता) पर भारत को विचार करना चाहिये।
  - भारतीय रिफाइनरी खरीदे जाने वाले तेल की मात्रा को अवधि अनुबंध के माध्यम से कम करने या स्पॉट बाज़ार (Spot Market) या वर्तमान बाज़ार से अधिक खरीदने पर विचार कर सकती हैं।
  - भारत को स्पॉट बाज़ार से खरीदारी करने पर दिन-प्रतिदिन तेल की कीमतों में होने वाली गिरावट से लाभ मिल सकता है।
    - यह शेयर बाज़ार की तरह है जहाँ किसी दिन या समय में कीमतें कम होने पर शेयर खरीदे जा सकते हैं।
  - राज्य के स्वामित्व वाली रिफाइनरियों को भी खरीदारी में समन्वय करने और निजी रिफाइनरियों जैसे- रिलायंस इंडस्ट्रीज़, नायरा एनर्जी आदि के साथ संयुक्त रणनीति बनाने के लिये कहा गया है।

भारत का तेल आयात

- भारत विश्व में तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।

नोट :

- भारत अपनी कुल तेल ज़रूरतों का 85% आयात करता है, जिससे वह अक्सर तेल के वैश्विक आपूर्ति तथा कीमतों के उतार-चढ़ाव की चपेट में रहता है।
- भारत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे अन्य बड़े आपूर्तिकर्त्ता ब्लॉकों की जगह अपने कुल तेल आयात का 60% मध्य-पूर्व के देशों से खरीदता है।
  - हाल के महीनों में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और गुयाना जैसे नए स्रोतों से अधिक तेल खरीदा है, जहाँ एक बड़ा भारतीय प्रवासी वर्ग रहता है।
  - हालाँकि भारत को इन देशों की तुलना में मध्य-पूर्व से भौगोलिक निकटता के कारण कम समय में और कम माल ढुलाई लागत पर तेल की आपूर्ति होती है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु PLI योजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना" (PLISFPI) को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु:

PLI योजना:

- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिये केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में एक PLI योजना पेश की जिसका उद्देश्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिये कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।
- भारत में वाणिज्यिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिये विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने के अलावा इस योजना का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को विनिर्माण इकाई स्थापना या विस्तार के लिये प्रोत्साहित करना है।
- PLI योजना को ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, IT हार्डवेयर जैसे-लैपटॉप, मोबाइल फोन और दूरसंचार उपकरण, बड़े घरेलू उपकरण, रासायनिक सेल और वस्त्र इत्यादि जैसे क्षेत्रों में भी मंज़ूरी दी गई है।

PLISFPI का उद्देश्य:

- वैश्विक खाद्य विनिर्माण की सर्वोत्तम इकाइयों के निर्माण का समर्थन।
- वैश्विक परिदृश्य और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में व्यापक स्वीकृति हेतु चुनिंदा खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड को मज़बूती प्रदान करना।
- गैर-कृषि रोज़गार के अवसर बढ़ाना।
- कृषि उपज का लाभकारी मूल्य और किसानों की अधिक आय सुनिश्चित करना।

PLISFPI की विशेषताएँ:

- कवरेज:
  - उन खाद्य विनिर्माण संस्थाओ को प्रोत्साहन देना जो निर्धारित न्यूनतम बिक्री के साथ मज़बूत भारतीय ब्रांडों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और विदेशों में ब्रांडिंग हेतु निवेश करने के इच्छुक हैं।
  - पहला घटक चार प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने से संबंधित है-
    - रेडी टू कुक/रेडी टू ईट (RTC/RTE) खाद्य पदार्थ,
    - प्रसंस्कृत फल और सब्जियाँ,
    - समुद्री उत्पाद,
    - मौजेरेला चीज़।
  - दूसरा घटक ब्रांडिंग और विपणन के लिये विदेशों से समर्थन प्राप्त करने से संबंधित है।

नोट :

- अवधि: यह योजना वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि के लिये लागू की जाएगी।

अनुमानित लाभ:

- 33,494 करोड़ रुपए का प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन करने के लिये प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार।
- वर्ष 2026-27 तक लगभग 2.5 लाख व्यक्तियों हेतु रोज़गार का सृजन करना।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित अन्य योजना:

- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

विदेशी मुद्रा भंडार में कमी

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हालिया आँकड़ों की मानें तो 26 मार्च, 2021 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.986 बिलियन डॉलर की कटौती देखने को मिली है और वह घटकर 579.285 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।

- विदेशी मुद्रा भंडार के स्वर्ण आरक्षित घटक में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि अन्य घटकों जैसे- विशेष आहरण अधिकार (SDR), विदेशी परिसंपत्तियों और IMF के पास रिज़र्व ट्रेंच आदि में गिरावट दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु

परिचय

- विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से होता है, जिसमें बॉण्ड, ट्रेज़री बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं।
  - गौरतलब है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किये जाते हैं।

विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य

- मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन हेतु निर्मित नीतियों के प्रति समर्थन और विश्वास बनाए रखना।
- केंद्रीय बैंक को राष्ट्रीय या संघ मुद्रा के समर्थन में यथासंभव हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करना।
- संकट के समय या जब उधार लेने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है, तो संकट के समाधान के लिये विदेशी मुद्रा तरलता को बनाए रखते हुए बाहरी प्रभाव को सीमित करता है।

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

- विदेशी परिसंपत्तियाँ (विदेशी कंपनियों के शेयर, डिबेंचर, बॉण्ड इत्यादि विदेशी मुद्रा में)
- स्वर्ण भंडार
- IMF के पास रिज़र्व ट्रेंच
- विशेष आहरण अधिकार (SDR)

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ

- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ वे हैं जिनका मूल्यांकन उस देश की अपनी मुद्रा के बजाय किसी अन्य देश की मुद्रा में किया जाता है।
- FCA विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। इसे डॉलर के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है।
- गैर-अमेरिकी मुद्रा जैसे- यूरो, पाउंड और येन की कीमतों में उतार-चढ़ाव को FCA में शामिल किया जाता है।

स्वर्ण भंडार

- केंद्रीय बैंकों के विदेशी भंडार में सोना एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसे मुख्य तौर पर विविधीकरण के उद्देश्य से आरक्षित किया जाता है।

नोट :

- इसके अलावा स्वर्ण के भंडार को किसी देश की विश्वसनीयता का प्रतीक माना जाता है।
- उच्च गुणवत्ता और तरलता के साथ स्वर्ण अन्य पारंपरिक आरक्षित परिसंपत्तियों की तुलना में बेहद अनुकूल होता है, जो केंद्रीय बैंकों को मध्यम और दीर्घकाल में पूंजी संरक्षण, पोर्टफोलियो में विविधता लाने और जोखिमों को कम करने में मदद करता है।
  - स्वर्ण ने अन्य वैकल्पिक वित्तीय परिसंपत्तियों की तुलना में लगातार बेहतर औसत रिटर्न दिया है।

विशेष आहरण अधिकार (SDR)

- विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था।
- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। बल्कि यह IMF के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिये SDR का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- SDR के मूल्य की गणना, 'बास्केट ऑफ करेंसी' में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड।
- विशेष आहरण अधिकार ब्याज (SDRi) सदस्य देशों को उनके द्वारा धारण किये जाने वाले SDR पर मिलने वाला ब्याज है।

IMF के पास रिज़र्व ट्रेंच

- रिज़र्व ट्रेंच वह मुद्रा होती है जिसे प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को प्रदान किया जाता है और जिसका उपयोग वे देश अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिये कर सकते हैं।
- रिज़र्व ट्रेंच मूलत: एक आपातकालीन कोष होता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों द्वारा बिना किसी शर्त पर सहमत हुए अथवा सेवा शुल्क का भुगतान किये किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है।

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक: IMF

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (World Economic Outlook), 2021 रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2021 में 12.5% रहने का अनुमान है, इससे पहले जनवरी 2021 में इसे 11.5% अनुमानित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

भारतीय अर्थव्यवस्था:

- भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2021 में 12.5% और वर्ष 2022 में 6.9% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।
  - भारत की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 में 8% का संकुचन देखा गया।
- वर्ष 2021 में भारत की विकास दर चीन की तुलना में अच्छी स्थिति में है।
  - चीन एकमात्र प्रमुख अर्थव्यवस्था था जिसने वर्ष 2020 में 2.3% की सकारात्मक वृद्धि दर बनाए रखी और इसके वर्ष 2021 में 8.6% तथा वर्ष 2022 में 5.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

विश्व अर्थव्यवस्था:

- IMF ने वर्ष 2021 और 2022 में विश्व की विकास दर क्रमश: 6% तथा 4.4% रहने के कारण एक मज़बूत आर्थिक रिकवरी की भविष्यवाणी की।
  - वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 में 3.3% संकुचित हुई है।

नोट :

- यह दर्शाता है कि वर्ष 2020 का संकुचन पहले की तुलना में 1.1% कम है:
  - लॉकडाउन के बाद अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष की दूसरी छमाही में उच्च वृद्धि की उम्मीद कम हो गई थी और अर्थव्यवस्थाओं ने काम करने के नए तरीकों के साथ अपने आप को अनुकूलित किया।
  - कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपने आपको अतिरिक्त राजकोषीय समर्थन और वर्ष की दूसरी छमाही में वैक्सीन के व्यापार से संभाला।

सुझाव:

- स्वास्थ्य देखभाल:
  - टीकाकरण, उपचार और स्वास्थ्य देखभाल के लिये बुनियादी ढाँचे पर खर्च को प्राथमिकता देकर स्वास्थ्य संकट से बचने पर ज़ोर देने के साथ ही देशों का राजकोषीय खर्च प्रभावित परिवारों पर अच्छी तरह से लक्षित होना चाहिये।
- उदार मौद्रिक नीति:
  - मौद्रिक नीति को व्यवस्थित होना चाहिये (जहाँ मुद्रास्फीति अच्छी तरह से व्यवहार करती है), जबकि स्थायी उपायों द्वारा वित्तीय स्थिरता के जोखिमों को दूर करना चाहिये।
- कठोर दृष्टिकोण:
  - नीति निर्माताओं को महामारी से पहले की तुलना में अधिक सीमित नीति और उच्च ऋण स्तर से निपटने के लिये अपनी अर्थव्यवस्था का समर्थन जारी रखने की आवश्यकता होगी।
  - लंबे समय तक समर्थन के लिये बेहतर लक्षित उपायों की आवश्यकता होती है। मल्टी-स्पीड रिकवरी के साथ एक अनुकूलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें महामारी के चरण में अच्छी तरह जाँची-परखी नीतियों, आर्थिक सुधार और देशों की संरचनात्मक विशेषताएँ शामिल हैं।
- प्राथमिकताएँ:
  - प्राथमिकताओं में जलवायु परिवर्तन को कम करना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, बढ़ती असमानता को रोकने के लिये सामाजिक सहायता को मज़बूत करना आदि को शामिल किया जाना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

- इस कोष की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध (Second World War) के पश्चात् युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये विश्व बैंक (World Bank) के साथ की गई थी।
  - इन दोनों संगठनों की स्थापना के लिये अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में आयोजित एक सम्मेलन में सहमति बनी। इसलिये इन्हें 'ब्रेटन वुड्स ट्विन्स' (Bretton Woods Twins) के नाम से भी जाना जाता है।
- वर्ष 1945 में स्थापित IMF विश्व के 189 देशों द्वारा शासित है तथा यह अपने निर्णयों के लिये इन देशों के प्रति उत्तरदायी है। भारत 27 दिसंबर, 1945 को IMF में शामिल हुआ था।
- IMF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली से आशय विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की उस प्रणाली से है जो देशों (और उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।
  - IMF के अधिदेश में वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को शामिल करने के लिये वर्ष 2012 में इसे अद्यतन/अपडेट किया गया था।
- IMF द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट:
  - वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (Global Financial Stability Report)।
  - वर्ल्ड इकॉनमी आउटलुक।

वर्ल्ड इकॉनमी आउटलुक

- यह IMF का एक सर्वेक्षण है जिसे आमतौर पर अप्रैल और अक्तूबर के महीनों में साल में दो बार प्रकाशित किया जाता है।

नोट :

- यह भविष्य के चार वर्षों तक के अनुमानों के साथ निकट और मध्यम अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है।
- इसके पूर्वानुमान के अपडेट्स की बढ़ती मांग के कारण वर्ल्ड इकॉनमी आउटलुक अपडेट जनवरी और जुलाई में प्रकाशित किया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल और अक्तूबर में में प्रकाशित होने वाली मुख्य WEO रिपोर्टों के बीच का समय है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष भुगतान

चर्चा में क्यों ?

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के नवीनतम आदेशों के बाद फार्म यूनियनों ने चेतावनी दी है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के प्रत्यक्ष भुगतान पर केंद्र का आग्रह फसल खरीद प्रक्रिया में बाधक बन सकता है।

प्रमुख बिंदु:

FCI का आदेश:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का प्रत्यक्ष भुगतान:
  - मध्यस्थों को प्रक्रिया से हटाने के लिये केंद्र सरकार ऑनलाइन प्रक्रिया के ज़रिये सीधे किसानों के बैंक खातों में MSP का भुगतान करना चाहती है।
    - यह फसल की वह कीमत होती है, जिसका भुगतान सरकारी एजेंसी द्वारा फसल विशेष की खरीद करते समय किया जाता है।
  - वर्तमान में आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) को उनके खातों में भुगतान किया जाता है और इसके बाद वे चेक के माध्यम से किसानों को भुगतान करते हैं।
  - केंद्र को 2.5 प्रतिशत कमीशन आढ़तियों को देना पड़ता है जो किसानों से लेकर सरकारी एजेंसियों तक फसल की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं और इसके लिये सरकार से कमीशन लेते हैं।
- जमाबंदी प्रणाली:
  - FCI के आदेश में कहा गया है कि पट्टेदार किसानों और अंशधारकों को एक जमाबंदी समझौता प्रस्तुत करना होगा।
  - जमाबंदी एक कानूनी समझौता है जो साबित करता है कि उन्हें पट्टे की समयावधि तक उस ज़मीन पर अधिकार है, ताकि खरीद की गई फसलों का भुगतान किया जा सके।
- FCI ने गेहूँ और धान की खरीद के लिये उनकी गुणवत्ता को प्रभावी बनाए जाने का प्रस्ताव किया है।

महत्त्व:

- पारदर्शिता और जवाबदेही: FCI ने इस बात पर अधिक बल दिया है कि किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान करने से शक्तिशाली आढ़तियों (कमीशन एजेंटों) को हटाने से और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सकती है।
- गैर-भेदभाव की प्रकृति: जाति और भूमि आकार जैसी मापन विधि के आधार पर लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में कोई पूर्वाग्रह शामिल नहीं है।

FCI आदेश को चुनौती:

- चूँकि आढ़ति समुदाय पंजाब और हरियाणा के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में कृषि ऋण प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिये इस आदेश का विरोध पंजाब सरकार के साथ-साथ किसानों के एक बड़े वर्ग ने किया है।
- फार्म यूनियनों के अनुसार, सरकार को बैंक खाते में सीधे भुगतान के प्रावधान को वापस लेना चाहिये क्योंकि इसे ज़ल्दबाज़ी में लागू करने से कई जटिल समस्याएँ पैदा हो सकती हैं जो कई किसानों को उनकी फसल की कीमत पाने से बाहर कर देंगी।
- हज़ारों शेयरधारकों के पास इस तरह की जमाबंदी या कानूनी समझौता नहीं है और वे इस आदेश से बहुत प्रभावित होंगे।
- गेहूँ और धान की खरीद के लिये गुणवत्ता की आवश्यकताओं को प्रभावी बनाने के FCI के प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है।

नोट :

- व्यापक स्तर पर किसानों ने FCI के साथ कृषि कानूनों को निरस्त करने और सभी फसलों की खरीद के लिये कानूनी गारंटी देने और MSP लागू करने के लिये अपने मुद्दों को जोड़ा है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI)

- भारतीय खाद्य निगम एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत वर्ष 1965 में स्थापित किया गया।
- FCI उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
- देश में भीषण अन्न संकट, विशेष रूप से गेहूँ के अभाव के चलते इस निकाय की स्थापना की गई थी।
  - इसके साथ ही कृषकों के लिये लाभकारी मूल्य की सिफारिश (MSP) करने हेतु वर्ष 1965 में कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) का भी गठन किया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है।
- इसका मुख्य कार्य खाद्यान्न एवं अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री करना है।
- FCI के उद्देश्य:
  - किसानों को उनकी फसल लाभकारी मूल्य प्रदान करना।
  - खाद्यान्नों के कार्यात्मक बफर स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाकर राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से संपूर्ण देश में खाद्यान्न का वितरण।
  - किसानों के हितों की सुरक्षा के लिये प्रभावी मूल्य सहायता ऑपरेशन (Effective Price Support Operations) लागू करना।

नाबार्ड के व्यवसाय में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development-NABARD) द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 की समाप्ति तक कुल 6.57 लाख करोड़ का व्यवसाय/कारोबार किया गया जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 23.5% की वृद्धि दर्ज की गई है।

प्रमुख बिंदु:

वर्ष 2020-21 में नाबार्ड का व्यवसाय:

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी: लघु वित्त संस्थान (Non-Banking Financial Company: Micro Finance Institution-NBFC-MFIs) को एक विशेष तरलता सुविधा (Special Liquidity Facility- SLF) के माध्यम से राशि उपलब्ध कराई गई।
  - यह विशेष तरलता सुविधा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी ताकि वे किसानों को ऋण दे सकें।
- नाबार्ड द्वारा महामारी के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास हेतु कुल 2.23 लाख करोड़ रुपए की पुनर्वित्त राशि उपलब्ध कराई गई।
- भारत सरकार के जल, साफ एवं सफाई-वॉश (Water, Sanitisation and Hygiene- WASH) कार्यक्रम का समर्थन करने हेतु 500 करोड़ रुपये की पुनर्वित्त सुविधा की शुरुआत की गई।

नोट :

NABARD के बारे में:

- गठन:
  - 12 जुलाई, 1982 को भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) के कृषि ऋण कार्यों और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम (Agricultural Refinance and Development Corporation - ARDC) के पुनर्वित्त कार्यों को स्थानांतरित कर नाबार्ड की स्थापना की गई।
  - यह एक संवैधानिक निकाय है जिसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित किया गया है।
- कार्य:
  - यह एक विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है।
  - यह कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने वाला शीर्ष बैंकिंग संस्थान है।
- RBI के साथ सहयोग:
  - रिज़र्व बैंक के निदेशकों में से 3 निदेशक नाबार्ड के निदेशक मंडल में शामिल होते हैं।
  - नाबार्ड सहकारी बैंकों को लाइसेंस जारी करने, राज्य सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा नई शाखाएँ खोलने हेतु RBI को सिफारिशें करता है।
- मुख्यालय: मुंबई

नाबार्ड के प्रमुख कार्य:

- यह ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करता है।
  - पुनर्वित्त संस्थान महत्त्वपूर्ण संस्थान होते हैं जो अन्य संस्थानों के माध्यम से अंतिम ग्राहक को ऋण उपलब्ध कराते हैं।
  - नाबार्ड द्वारा सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि किसानों एवं ग्रामीण कारीगरों की निवेश गतिविधियों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराए जा सके।
- यह सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पर्यवेक्षण कर उच्च स्तरीय बैंकिंग सुविधाओं को विकसित करने तथा उन्हें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (Core Banking Solution-CBS) प्लेटफॉर्म में एकीकृत करने में मदद करता है।
  - कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को एक ऐसे साधन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ग्राहकों को एक ही स्थान से किसी भी समय (24X7) बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है।
- यह केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और उनके कार्यान्वयन का खाका प्रस्तुत करता है।
  - जैसे: राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ब्याज अनुदान योजना, नई कृषि विपणन अवसंरचना आदि।
- नाबार्ड के पास विश्व बैंक और प्रमुख वैश्विक संगठनों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय साझेदार हैं जो ग्रामीण विकास के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में नई खोजों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
  - ये अंतर्राष्ट्रीय साझेदार सलाहकार सेवाओं के अलावा ग्रामीण लोगों के उत्थान हेतु विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं के अनुकूलन को सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन की गई वित्तीय सहायता प्रदान करने में एक प्रमुख सलाहकार की भूमिका निभाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की कीमतों में आई गिरावट ने इसमें छः महीने से हो रही बढ़ोतरी को स्थिर कर दिया है, जब पूरे देश में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई।

- मार्च 2021 की शुरुआत में ब्रेंट क्रूड की कीमत में 63 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की गिरावट आई।
- WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में बदलाव से अन्य प्रकार के क्रूड ऑयलों की कीमतें भी प्रभावित होती हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु

तेल का मूल्य निर्धारण:

- सामान्यत: पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) एक तेल उत्पादक संघ के रूप में क्रूड ऑयल का मूल्य निर्धारित करता है।
  - सऊदी अरब के हाथ में OPEC का नेतृत्व है जो विश्व में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक (वैश्विक मांग का 10% निर्यात करता है) है।
  - OPEC के 13 देश (ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला और वेनेज़ुएला) सदस्य हैं।
- OPEC तेल उत्पादन में वृद्धि करके कीमतों में कमी और उत्पादन में कटौती करके कीमतों में बढ़ोतरी कर सकता है।
- तेल का मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से स्वतंत्र स्पर्धा की जगह तेल निर्यातक देशों की नीतियों पर निर्भर करता है।
- तेल उत्पादन में कटौती या तेल के कुएँ पूरी तरह से बंद करना एक कठिन निर्णय है, क्योंकि इसे फिर से शुरू करना बेहद महँगा और जटिल है।
  - यदि कोई देश उत्पादन में कटौती करता है और दूसरा देश इस प्रकार की कटौती नहीं करता है तो उसे बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी खोनी पड़ सकती है।
- OPEC तेल की वैश्विक कीमत और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिये OPEC+ के रूप में रूस के साथ काम कर रहा है।
  - वर्ष 2016 में OPEC ने अन्य शीर्ष तेल-निर्यातक देशों के साथ मिलकर एक और अधिक शक्तिशाली इकाई बनाई, जिसे OPEC+ या ओपेक प्लस नाम दिया गया है।
  - OPEC और अन्य देश जो शीर्ष तेल-निर्यातक हैं, के गठबंधन को OPEC+ के नाम से जाना जाता है जो वर्ष 2016 में अस्तित्व में आया।

मूल्य में गिरावट का कारण:

- कोविड संक्रमण के मामलों में पुन: बढ़ोतरी:
  - OPEC+ देशों द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दूसरे दौर में एक साथ मिलकर क्रूड ऑयल के उत्पादन को बढ़ाने के निर्णय से कीमतों में गिरावट आई है।
    - OPEC+ देशों ने क्रूड ऑयल के उत्पादन में चरणबद्ध कटौती करने के निर्णय को वापस लेने की घोषणा की, जिससे जुलाई से प्रतिदिन 1.1 मिलियन बैरल वृद्धि क्रूड ऑयल के उत्पादन में देखने को मिली।
- आपूर्ति में सुधार:
  - माँग के बिना आपूर्ति बढ़ाने से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है क्योंकि वैश्विक व्यापक आर्थिक स्थिति को देखते हुए तेल उत्पादक देशों के लिये आपूर्ति में कटौती करना मुश्किल था।
    - अमेरिकी आँकड़ों के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों की माँग में कमी हो रही है और गैसोलीन उत्पादों की माँग तेज़ी से बढ़ रही है जो एक चिंतनीय स्थिति है।
    - अमेरिकी क्रूड ऑयल की उत्पादन क्षमता लगभग 11 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गई है जो इससे पहले प्रतिदिन 9.7 मिलियन बैरल हो गया था।

भारत पर प्रभाव:

- चालू खाता घाटा:
  - तेल की कीमतों में कमी से देश के आयात में कमी आएगी, जिससे चालू खाते के घाटे को कम करने में मदद मिलेगी।
    - एक अनुमान के मुताबिक क्रूड ऑयल की कीमत में एक डॉलर की बढ़ोतरी से तेल के खर्च में प्रतिवर्ष लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होती है।
    - भारत अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरतों का 80% आयात करता है।

नोट :

- मुद्रास्फीति:
  - क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी से (जो पिछले कुछ महीनों से बढ़ रही है) महंगाई में कमी आ सकती है।
  - इससे मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) को नीतिगत दरों का निर्धारण करने में आसानी होगी।
- राजकोषीय स्थिति:
  - तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो सरकार को पेट्रोलियम और डीज़ल पर करों में कटौती करने के लिये मज़बूर होना पड़ेगा, जिससे राजस्व का नुकसान हो सकता है। अत: राजकोषीय संतुलन (Fiscal Balance) बिगड़ सकता है।
  - राजस्व में कमी से केंद्र के विभाजन योग्य कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा और राज्य सरकारों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) ढाँचे के तहत दिया जाने वाला मुआवज़ा प्रभावित होगा।

ब्रेंट और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट

उत्पत्ति:

- ब्रेंट क्रूड ऑयल का उत्पादन उत्तरी सागर में शेटलैंड द्वीप (Shetland Islands) और नॉर्वे के बीच तेल क्षेत्रों में होता है।
- वेस्ट क्रूड इंटरमीडिएट (WTI) ऑयल क्षेत्र मुख्यत: अमेरिकी क्षेत्र टेक्सास, लुइसियाना और नॉर्थ डकोटा में अवस्थित है।

लाइट एंड स्वीट:

- ब्रेंट क्रूड ऑयल और WTI दोनों ही लाइट और स्वीट (Light and Sweet) होते हैं, लेकिन ब्रेंट में अमेरिकी पेट्रोलियम संस्थान (American Petroleum Institute- API) की हिस्सेदारी थोड़ी अधिक होती है।
- API क्रूड ऑयल या परिष्कृत उत्पादों के घनत्व का एक संकेतक है।
- ब्रेंट (0.37%) की तुलना में WTI में कम सल्फर सामग्री (0.24%) होने के कारण इसे तुलनात्मक रूप में "स्वीट" कहा जाता है।

बेंचमार्क मूल्य:

- OPEC द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क मूल्य (Benchmark Price) है, जबकि अमेरिकी तेल कीमतों के लिये WTI क्रूड ऑयल मूल्य एक बेंचमार्क है।
- भारत मुख्य रूप से क्रूड ऑयल OPEC देशों से आयात करता है, अत: भारत में तेल की कीमतों के लिये ब्रेंट बेंचमार्क है।

शिपिंग लागत

- शिपिंग की लागत आमतौर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल के लिये कम होती है, क्योंकि इसका उत्पादन समुद्र के पास होता है, जिससे इसे कार्गो जहाज़ों में तुरंत लादा जा सकता है।
- WTI के शिपिंग का मूल्य अधिक होता है क्योंकि इसका उत्पादन भूमि वाले क्षेत्रों में होता है, जहाँ भंडारण की सुविधा सीमित है।

मौद्रिक नीति रिपोर्ट: RBI

चर्चा में क्यों ?

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने अप्रैल 2021 के लिये मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख बिंदु:

अपरिवर्तित नीतिगत दरें:

- रेपो रेट: 4%
- रिवर्स रेपो रेट: 3.35%
- सीमांत स्थायी दर: 4.25%
- बैंक दर: 4.25%

नोट :

सकल घरेलू उत्पाद अनुमान:

- वर्ष 2021-22 के लिये वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 10.5% की वृद्धि के पूर्ववर्ती अनुमान अपरिवर्तित रखा गया है।

मुद्रास्फीति:

- RBI ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति संबंधी अनुमानों को संशोधित किया है:
  - 2020-21 की चौथी तिमाही में 5.0%।
  - 2021-22 की पहली तिमाही में 5.2%।
  - 2021-22 की दूसरी तिमाही में 5.2%।
  - 2021-22 की तिमाही में 4.4%।
  - 2021-22 की चौथी तिमाही में 5.1%।

समायोजित दृष्टिकोण:

- RBI ने सतत् आधार पर विकास को बनाए रखने हेतु आवश्यक रूप से लंबे समय तक समायोजित दृष्टिकोण को जारी रखने का निर्णय लिया है और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को सीमित करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि मुद्रास्फीति अग्रगामी लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
  - एक समायोजित दृष्टिकोण का अर्थ है कि एक केंद्रीय बैंक को जब भी ज़रूरत हो, वह वित्तीय प्रणाली में पैसा लगाने के लिये दरों में कटौती करेगा।

वित्तीय संस्थानों को सहायता:

- RBI वित्तीय वर्ष 2021-22 में नए ऋण देने के लिये अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को प्रदान किये जा रहे आर्थिक समर्थन प्रयासों के क्रम में 50,000 करोड़ रुपए का नया समर्थन प्रदान किया है।
  - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) को कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC), माइक्रो-फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस (MFIs) का समर्थन करने के लिये एक वर्ष हेतु 25,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा (SLF) प्रदान की जाएगी।
  - आवासन क्षेत्र का समर्थन करने के लिये एक वर्ष के लिये राष्ट्रीय आवास बैंक में 10,000 करोड़ रुपए का SLF बढ़ाया जाएगा।
  - लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वित्तपोषण के लिये इस सुविधा के तहत 15,000 करोड़ रुपये प्रदान किये जाएंगे।
- यह तीनों सुविधाएँ प्रचलित नीति रेपो दर पर उपलब्ध होंगी।

ARC हेतु समीक्षा समिति:

- बैड लोन से निपटने हेतु 'परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) के महत्त्व को इंगित करते हुए RBI वित्तीय क्षेत्र के पारि तंत्र में ARCs के काम की व्यापक समीक्षा हेतु एक समिति का गठन करेगी।
- समिति वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये ऐसी संस्थाओं को सक्षम करने हेतु उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगी।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का विस्तार:

- निर्यात और रोज़गार के मामले में अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले क्षेत्रों के लिये तथा ऑन-लेंडिंग प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) वर्गीकरण की समय-सीमा सितंबर 30,2021 में छह महीने के विस्तार को मंज़ूरी दी गई है।
  - ऑन-लेंडिंग का तात्पर्य किसी थर्ड पार्टी को उधार (उधार दिया हुआ पैसा) देना है।
- यह निम्न स्तर पर स्थित संस्थाओं को ऋण प्रदान करने वाले NBFCs को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

नोट :

सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) 1.0:

- RBI ने वर्ष 2021-22 के लिये एक द्वितीयक बाज़ार सरकारी प्रतिभूति (G-sec) अधिग्रहण कार्यक्रम या G-SAP 1.0 लागू करने का निर्णय लिया है।
  - यह RBI की 'खुली बाज़ार प्रक्रियाओं' का हिस्सा है।
- इस कार्यक्रम के तहत RBI सरकारी प्रतिभूतियों की खुली बाज़ार खरीद का संचालन करेगी।
- G-SAP 1.0 के तहत 25,000 करोड़ की कुल राशि के लिये सरकारी प्रतिभूतियों की पहली खरीद 15 अप्रैल, 2021 को की जाएगी।

उद्देश्य:

- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अवधि संरचना और जारीकर्त्ताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य वित्तीय बाज़ार साधनों के मूल्य निर्धारण में इसकी केंद्रीय भूमिका को देखते हुए सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में अस्थिरता से बचना।

महत्त्व:

- यह बॉण्ड बाज़ार सहभागियों को वित्त वर्ष 2022 में RBI के समर्थन की प्रतिबद्धता के संबंध में निश्चितता प्रदान करेगा।
- इस संरचित कार्यक्रम की घोषणा से रेपो दर और 10 वर्ष के सरकारी बॉण्ड यील्ड के बीच के अंतर को कम करने में मदद मिलेगी। यह बदले में वित्त वर्ष 2021-22 में केंद्र और राज्यों की उधार लेने की कुल लागत को कम करने में मदद करेगा।
- यह व्यवस्थित तरलता की स्थिति के बीच 'यील्ड कर्व' (Yield Curve) के स्थिर और व्यवस्थित विकास को सक्षमता प्रदान करेगा।
  - 'यील्ड कर्व' (Yield Curve) एक ऐसी रेखा है जो समान क्रेडिट गुणवत्ता वाले, लेकिन परिपक्वता तिथियों वाले बॉण्ड की ब्याज दर देती है।
  - 'यील्ड कर्व' का ढलान भविष्य की ब्याज दर में बदलाव और आर्थिक गतिविधि को आधार प्रदान करता है।

प्रमुख तथ्य:

रेपो और रिवर्स रेपो दर:

- रेपो दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक) किसी भी तरह की धनराशि की कमी होने पर वाणिज्यिक बैंकों को धन देता है। इस प्रक्रिया में केंद्रीय बैंक प्रतिभूति खरीदता है।
- रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर RBI देश के भीतर वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है।

बैंक दर:

- यह वाणिज्यिक बैंकों को निधियों को उधार देने के लिये RBI द्वारा प्रभारित दर है।

सीमांत स्थायी दर (MSF):

- MSF ऐसी स्थिति में अनुसूचित बैंकों के लिये आपातकालीन स्थिति में RBI से ओवरनाइट ऋण लेने की सुविधा है जब अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह से कम हो जाती है।
- अंतर-बैंक ऋण के तहत बैंक एक निर्दिष्ट अवधि के लिये एक दूसरे को धन उधार देते हैं।

खुले बाज़ार की क्रियाएँ:

- ये RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री/खरीद के माध्यम से बाज़ार से रुपए की तरलता की स्थिति को समायोजित करने के उद्देश्य से किये गए बाजार संचालन हैं।
- यदि अतिरिक्त तरलता है, तो RBI प्रतिभूतियों की बिक्री का समर्थन करता है और रुपए की तरलता को कम कर देता है।
- इसी तरह जब तरलता की स्थिति कठोर होती है तो RBI बाज़ार से प्रतिभूतियाँ खरीदता है, जिससे बाज़ार में तरलता बढ़ती है।
- यह मात्रात्मक (धन की कुल मात्रा को विनियमित या नियंत्रित करने के लिये) मौद्रिक नीति उपकरण है जो देश के केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिये नियोजित किया जाता है।

नोट :

सरकारी प्रतिभूतियाँ:

- सरकारी प्रतिभूति केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारंपरिक उपकरण है।
- यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक (आमतौर पर ट्रेज़री बिल कहा जाता है, एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ वर्तमान में तीन अवधियों में जारी की जाती है, अर्थात् 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घकालिक (आमतौर पर मूल रूप से सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है, एक वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता) होती हैं।

मुद्रास्फीति:

- मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या आम उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है, जैसे कि भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता स्टेपल इत्यादि।
- मुद्रास्फीति समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की बास्केट में औसत मूल्य परिवर्तन को मापती है।
- मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। इससे अंतत: आर्थिक विकास में मंदी आ सकती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

- यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया जाता है।
- CPI खाद्य, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिसे भारतीय उपभोक्ता उपभोग के लिये खरीदते हैं।

शफरी: जलकृषि के लिये प्रमाणन योजना

हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) ने 'शफरी'(SHAPHARI) नामक जलकृषि उत्पादों के लिये एक प्रमाणन योजना विकसित की है।

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- शफ़री संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के जलकृषि के लिये प्रमाणीकरण दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
  - 'शफरी' एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ है-'बेहतर गुणवत्ता की मछली, जो एक मानव उपभोग के लिये उपयुक्त है।
- यह हैचरी (Hatchery) के लिये बाज़ार-आधारित उपकरण है जो उत्कृष्ट जलीय कृषि को अपनाने और वैश्विक उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने के लिये गुणवत्तायुक्त एंटीबायोटिक मुक्त झींगा उत्पादों का उत्पादन करने में मदद करेगा।

घटक और प्रक्रिया:

- दो घटक:
  - अपने बीजों की गुणवत्ता के लिये हैचरी प्रमाणीकृत कराना ।
    - हैचरी उन उद्यमियों को दो वर्ष की अवधि के लिये प्रमाणपत्र देता है जिन्होंने संचालन प्रक्रिया के दौरान कई कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो ।
  - अपेक्षित उत्कृष्ट प्रणाली द्वारा झींगा की खेती को मंजूरी प्रदान करना।

प्रक्रिया :

- संपूर्ण प्रमाणन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी जिसका उद्देश्य मानवीय त्रुटियों को कम करना तथा उच्च विश्वसनीयता और पारदर्शिता को स्थापित करना है।

महत्त्व:

- हैचरी के प्रमाणन से किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उत्पादकों को आसानी से पहचानने में मदद मिलेगी ।

नोट :

- प्रमाणन न केवल उपभोक्ताओं को एक सुरक्षित उत्पाद प्रदान करेगी बल्कि यह किसानों को बेहतर रिटर्न भी प्रदान करेगी साथ ही निर्यात खेपों के अस्वीकृत होने में कमी करेगी जिससे निर्यात में वृद्धि होगी।
- भारत में फ्रोजेन झींगा उत्पाद,समुद्री खाद्य निर्यात के लिये सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

भारत का झींगा निर्यात:

- परिचय:
  - भारत ने 2019-20 के दौरान अमेरिका और चीन को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के फ्रोजेन झींगा का निर्यात किया। भारतीय फ्रोजेन झींगा के लिये सबसे बड़ा बाज़ार अमेरिका है जिसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोपीय संघ, चीन, जापान और मध्य पूर्व के देश हैं।
  - फ्रोजन झींगा भारत का सबसे बड़ा निर्यातित समुद्री खाद्य पदार्थ है ।
  - आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु भारत के प्रमुख झींगा उत्पादक राज्य हैं, और जहाँ से परिष्कृत झींगा उत्पादन का लगभग 95% निर्यात किया जाता है।
- चिंताएँ:
  - खाद्य सुरक्षा संबंधित चिंताओं (खेपों में कमी और अन्य गतिविधियों) के कारण समुद्री खाद्य पदार्थ को खारिज कर दिया गया ।
  - एंटीबायोटिक अवशेषों की उपस्थिति के कारण भारतीय झींगा वाले खेपों को खारिज कर दिया गया है और यह निर्यातकों के लिये चिंता का विषय है।

निर्यात उत्पादों की खाद्य सुरक्षा के लिये अन्य पहल:

- राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP)
  - राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण योजना (NRCP) यूरोपीय संघ के देशों को निर्यात के लिये एक वैधानिक शर्त है ।
  - राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम (NRCP) MPEDA द्वारा कार्यान्वित और निगमित किया जाता है जो प्रत्येक वर्ष एंटीबैक्टीरियल/पशु चिकित्सा औषधीय उत्पाद और पर्यावरण प्रदूषण जैसे पदार्थों के अवशेषों की निगरानी के लिये निश्चित नमूनाकरण अनुसूची और नमूना रणनीति बनाती है।
  - समुद्री राज्यों में स्थित हैचरी, चारा मिलों, एक्वाकल्चर फर्म और प्रसंस्करण संयंत्रों से नमूने एकत्र किये जाते हैं और किसी भी अवशेष/संदूषक की उपस्थिति के लिये परीक्षण किया जाता है ।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण(MPEDA)

- MPEDA राज्य के स्वामित्व वाली एक नोडल एजेंसी है जो मत्स्य उत्पादन और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी हुई है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1972 में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (MPEDA), 1972 के तहत की गई थी ।
- यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है ।
- इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में है।
- MPEDA की भूमिका समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाना है, जिसमें सभी प्रकार की मछलियों के मानकों को निर्दिष्ट करना, विपणन, प्रसंस्करण, विस्तार और विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण शामिल हैं।

वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिकी ट्रेज़री सचिव ने G-20 देशों से वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर (Global Minimum Corporate Tax) को अपनाने का आग्रह किया गया है।

- यह पिछले 30 वर्ष में विभिन्न देशों के बीच बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने हेतु कॉर्पोरेट कर की दरों को कम करने को लेकर चल रही प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की दर संबंधी प्रस्ताव:

- अमेरिकी प्रस्ताव में 21% न्यूनतम कॉर्पोरेट कर की परिकल्पना की गई है, हालाँकि इसमें उन देशों से प्राप्त आय पर छूट को समाप्त करने का भी प्रावधान किया गया है जो कि बहुराष्ट्रीय परिचालनों और मुनाफे को विदेशों में स्थानांतरित करने को हतोत्साहित करने हेतु एक न्यूनतम कर संबंधी कोई कानून नहीं बनाते हैं।
- न्यूनतम कॉरपोरेट कर का प्रस्ताव विश्व के कुछ सबसे बड़े निगमों द्वारा दिये जा रहे कर की निम्न दर से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने हेतु है, इन निगमों में एप्पल, अल्फाबेट और फेसबुक जैसी डिजिटल दिग्गज कंपनियाँ और साथ ही नाइकी और स्टारबक्स जैसे प्रमुख निगम शामिल हैं।
  - ये कंपनियाँ उन देशों, जहाँ प्राय: कर की दर काफी कम है, जैसे- आयरलैंड या कैरेबियाई राष्ट्र जैसे- ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह या बहामास आदि से लाभ अर्जित करने के लिये अपनी सहायक कंपनियों के जटिल नेटवर्क पर निर्भर रहती हैं।

प्रस्ताव के कारण:

- इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य अमेरिकी कॉरपोरेट कर की दर में प्रस्तावित वृद्धि से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान की यथासंभव भरपाई सुनिश्चित करना है।
  - अमेरिका में कॉरपोरेट कर को 21% से बढ़ाकर 28% करने का प्रस्ताव किया गया है, जबकि वर्ष 2017 में अमेरिकी सरकार ने कॉरपोरेट कर को 35% से कम करके 21% कर दिया था।
- अमेरिका में कॉरपोरेट कर में वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब वैश्विक स्तर पर विभिन्न सरकारें महामारी से निपटने के लिये अधिक-से-अधिक खर्च कर रही हैं, साथ ही ऐसे समय में अमेरिका द्वारा 2.3 ट्रिलियन डॉलर के अवसंरचना उन्नयन के प्रस्ताव पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।

महत्त्व:

- महामारी के इस मौजूदा दौर में वैश्विक समुदाय की एकजुटता, अमेरिकी सरकार और पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हैं, यद्यपि कुछ यूरोपीय देश जैसे- नीदरलैंड, आयरलैंड, लक्ज़मबर्ग तथा कुछ कैरेबियन देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने हेतु 'टैक्स अर्बिटेज' पर निर्भर रहते हैं।
- विदेशी कॉर्पोरेट आय पर न्यूनतम कर लगाने से अंतर्राष्ट्रीय निगमों के लिये अपनी आय को विदेशों में स्थानांतरित करना मुश्किल हो जाएगा।
- विकसित अर्थव्यवस्थाओं में औसत कॉर्पोरेट कर की दर वर्ष 2000 में 32% से घटकर वर्ष 2018 तक सिर्फ 23% रह गई थी।
  - इसका मुख्य कारण यह है कि आयरलैंड, नीदरलैंड और सिंगापुर जैसे छोटे देशों ने निम्न कॉरपोरेट कर की पेशकश करके 'फुटलूज़' व्यवसायों (Footloose Businesses) को आकर्षित किया है।
    - 'फुटलूज़ व्यवसाय' शब्द ऐसे व्यवसायों को संदर्भित करता है, जिसे संसाधनों या परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है।
  - अमूर्त संपत्तियों की तीव्र वृद्धि के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे वैश्विक टेक फर्मों द्वारा अपनी लागतों में कटौती करने हेतु अपना व्यवसाय और उस पर अर्जित लाभ टैक्स हेवन (Tax Haven) माने जाने वाले देशों में हस्तांतरित किया जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया:

- यूरोपीय आयोग ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) ने कहा है कि वैश्विक न्यूनतम दर का निर्धारण व्यापक विचार-विमर्श के बाद किया जाना चाहिये।
  - जर्मनी और फ्राँस सहित विभिन्न यूरोपीय देशों ने अमेरिका के इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।
  - OECD और G-20 के देशों द्वारा 'बेस इरोज़न एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS) पहल' का नेतृत्त्व किया जा रहा है जिसमें वर्ष 2013 से अमेरिका सहित 135 से अधिक देशों के साथ हुई बहुपक्षीय वार्ताएँ शामिल हैं।
  - BEPS, बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर योजना रणनीतियों को संदर्भित करता है जो कर का भुगतान करने से बचने के लिये कर नियमों की कमियों का उपयोग करते हैं।

नोट :

- अमेरिका के आह्वान पर चीन को गंभीर आपत्ति होने की संभावना नहीं है, लेकिन हॉन्गकॉन्ग पर इस तरह की कर छूट का असर होगा, जो विश्व का सातवाँ और एशिया का सबसे बड़ा टैक्स हेवन स्थान है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) से भी अमेरिकी प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त है।

चुनौतियाँ:

- यह प्रस्ताव किसी राष्ट्र को अपनी कर नीति तय करने के संप्रभु अधिकार से टकराता है।
  - कराधान एक संप्रभु कार्य है और सरकारें अपनी ज़रूरतों तथा परिस्थितियों के आधार पर कॉर्पोरेट कर ढाँचा पर होने वाली चर्चाओं में भाग लेने एवं संलग्न होने के लिये स्वतंत्र हैं।
- एक वैश्विक न्यूनतम दर अनिवार्य रूप से एक ऐसा साधन होगा, जिसका उपयोग देश उन नीतियों को अपनाने के लिये करेंगे जो उनके अनुरूप हैं। कम कर दर एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग वे आर्थिक गतिविधि को वैकल्पिक रूप से बढ़ाने के लिये कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिये IMF और विश्व बैंक के आँकड़ों से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान विकासशील देशों द्वारा अधिक आर्थिक खर्च उनको विकसित देशों की तुलना में लंबे समय तक आर्थिक संकट में फंसा कर रख सकता है।
  - इसके अतिरिक्त एक वैश्विक न्यूनतम कर दर कर चोरी से निपटने में मददगार हो सकती है।

भारत की स्थिति

कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती:

- निवेश गतिविधि को पुनर्जीवित करने के लिये सितंबर 2019 में घरेलू कंपनियों हेतु कॉर्पोरेट करों में 22% और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिये 15% की कटौती की गई।
  - कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम [Taxation Laws (Amendment) Act], 2019 से आयकर अधिनियम (Income Tax Act), 1961 में एक धारा (115BAA) जोड़ी गई, जिससे मौजूदा घरेलू कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ 22% की कर रियायत दिया गया।
  - रियायती कराधान व्यवस्था का विकल्प चुनने वाली मौजूदा घरेलू कंपनियों को किसी भी न्यूनतम वैकल्पिक कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस तरह की कटौती ने भारत के कॉर्पोरेट कर की दर को एशियाई देशों (23%) के बराबर कर दिया।
  - चीन और दक्षिण कोरिया की कर दर 25% है, जबकि मलेशिया 24%, वियतनाम की 20%, थाईलैंड की 20% और सिंगापुर की 17% है।
  - भारतीय घरेलू कंपनियों के लिये प्रभावी कर की दर अधिभार और उपकर सहित लगभग 25.17% है।
  - मौजूदा कंपनियों के लिये औसत कॉर्पोरेट कर की दर लगभग 29% है जो कुछ लाभ का दावा कर रहे हैं।

समकारी लेवी:

- सरकार समकारी लेवी (Equalisation Levy) का उपयोग उन उद्यमों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिये करते हैं जो दूर से ही डिजिटल माध्यम से अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं।
- समकारी लेवी का उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों पर कर लगाना है, जिनके पास भारत में अधिक स्थानीय ग्राहक आधार है, लेकिन देश की कर प्रणाली से प्रभावी रूप से बचने के लिये देश से बाहर स्थित इकाइयों के माध्यम से कर चुकता कर रहे हैं।
- भारत से बाहर स्थित कंपनियों से "व्यावसायिक संबंध" स्थापित करने के लिये "महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" (Significant Economic Presence) हेतु आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया।

सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये समझौते:

- भारत दोहरे कराधान से बचाव समझौतों, कर सूचना विनिमय समझौतों और बहुपक्षीय सम्मेलनों के अंतर्गत सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिये विदेशी सरकारों के साथ लगातार काम कर रहा है।
  - इस तरह के समझौते कर मामलों में सहयोग को बढ़ावा देते हैं।

नोट :

- विदेशी परिसंपत्तियों के मामलों में शीघ्र जाँच सहित प्रभावी प्रतिक्रियाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें खोज, पूछताछ, जुर्माना, दंड आदि शामिल हैं।

कॉर्पोरेट कर

- कॉरपोरेट टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है जो विदेशी या घरेलू कॉरपोरेट इकाइयों की शुद्ध आय या लाभ पर लगाया जाता है।
- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत जिस दर पर कर अधिरोपित किया जाता है उसे कॉरपोरेट कर दर के रूप में भी जाना जाता है।
- कॉरपोरेट कर दर (Corporate Tax rate) एक स्लैब दर प्रणाली पर आधारित होती है जो कॉरपोरेट इकाई के प्रकार और प्रत्येक कॉर्पोरेट संस्थाओं द्वारा अर्जित अलग-अलग राजस्व पर निर्भर करती है।

न्यूनतम वैकल्पिक कर

- कई बार ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी के रूप में एक करदाता द्वारा वर्ष भर आय उत्पन्न की जाती है, लेकिन आयकर कानून के विभिन्न प्रावधानों (जैसे छूट, कटौती, मूल्यह्रास, आदि) का लाभ उठाकर इस आय को कम किया जा सकता है। करदाता द्वारा अपनी कर देयता को कम किया जा सकता है या वह किसी भी कर का भुगतान करने करने के लिये बाध्य नहीं है।
- शून्य कर भुगतान करने वाली कंपनियों की संख्या में वृद्धि के कारण वित्त अधिनियम,1987 द्वारा मूल्यांकन वर्ष 1988-89 के प्रभाव से न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) की शुरुआत की गई थी। बाद में इसे वित्त अधिनियम, 1990 द्वारा वापस ले लिया गया था और फिर वित्त अधिनियम,1996 द्वारा पुन: प्रस्तुत किया गया था।
- MAT की गणना 15% बुक प्रॉफिट (लाभ और हानि खाते में दिखाया गया लाभ) या सामान्य कॉर्पोरेट दरों पर की जाती है, इसमें से जो भी अधिक है वह कर के रूप में देय है।
- भारत में सभी कंपनियाँ, चाहे वह घरेलू हों या विदेशी, MAT के प्रावधानों के अंतर्गत आती हैं। बाद में MAT के अधिकार क्षेत्र में गैर-कॉरपोरेट संस्थाओं को भी शामिल किया गया।
- MAT एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है जिसकी मदद से कर की चोरी को रोका जा सकता है।

घरेलू कंपनी:

- घरेलू कंपनी वह है जो भारतीय कंपनी अधिनियम (2013) के तहत पंजीकृत है और इसमें विदेशों में पंजीकृत कंपनी भी शामिल है जिसका नियंत्रण और प्रबंधन भारत में स्थित है।
- एक घरेलू कंपनी में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की कंपनियाँ शामिल हैं।

विदेशी कंपनी:

- विदेशी कंपनी वह है जो भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है और उसका नियंत्रण और प्रबंधन भारत के बाहर हो।

टैक्स हैवेन:

- उन देशों को टैक्स हैवेन कहा जाता है, जहाँ राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में विदेशी व्यक्तियों और व्यवसायों पर बहुत कम या कोई कर देयता नहीं होती है।

लाइटहाउस में पर्यटन की संभावना: सागरमाला परियोजना

चर्चा में क्यों ?

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) के माध्यम से 65 लाइटहाउस विकसित करने पर विचार कर रहा है। ओडिशा के पाँच लाइटहाउस पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

- मंत्रालय, सागरमाला परियोजना के तहत लाइटहाउस को पर्यटन के हब के रूप में विकसित करना चाहता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

ओडिशा के पाँच लाइटहाउस

- 'फॉल्स पॉइंट' आइलैंड लाइटहाउस: यह लाइटहाउस केंद्रपाड़ा तट के करीब स्थित है। ब्रिटिश काल का यह लाइटहाउस मगरमच्छों की उपस्थिति के साथ-साथ विशाल मैंग्रोव वनस्पति के करीब स्थित है, जो इसे पूर्वी तट पर एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल बनाता है।
- पारादीप लाइटहाउस: बंदरगाह शहर और कटक तथा भुवनेश्वर जैसे शहरों की निकटता (100 किमी) के कारण पारादीप लाइटहाउस में पर्यटन की क्षमता मौजूद है। यह 1980 के दशक में कमीशन किया गया था।
- गोपालपुर लाइटहाउस: यह गंजम ज़िले में स्थित है। यदि इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाता है, तो इससे चिल्का झील और गोपालपुर तट को भी काफी सहायता मिलेगी।
- चंद्रभागा लाइटहाउस: यह लाइटहाउस विश्व प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर से 10 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। इसने सुपर साइक्लोन (1999), फीलिन (2013) और फानी (2019) जैसे चक्रवातों की गंभीरता को कम करने में काफी सहायता की है।
- पुरी लाइटहाउस: यह 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो स्वयं में एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल है।

भारत में लाइटहाउस पर्यटन की संभावना

- लाइटहाउस की संख्या: भारत के विशाल समुद्र तट के करीब लगभग 189 लाइटहाउस हैं, जो कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी से लेकर लक्षद्वीप सहित अरब सागर में स्थित हैं।
- लाइटहाउस आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य:
  - मौजूदा लाइटहाउस और इसके आसपास के क्षेत्रों को पर्यटन गंतव्य, समुद्री लैंडमार्क और ऐतिहासिक विरासत के रूप में विकसित करना।
  - राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय और राष्ट्रीय लाइटहाउस संग्रहालय जैसी संबद्ध समुद्री संरचना विकसित करना।
  - परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिये विभिन्न हस्तक्षेपों को एकीकृत करके सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) जैसे विभिन्न माध्यमों के तहत इन परियोजनाओं को विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाना।
- लाभ
  - लाइटहाउस को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने से वैश्विक और स्थानीय रूप से पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, जिससे सरकार के लिये राजस्व का एक स्रोत विकसित हो सकेगा, साथ ही इससे स्थानीय लोगों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित करने और स्थानीय स्तर पर वाणिज्य में बढ़ोतरी करने में भी सहायता मिलेगी।

सागरमाला परियोजना

- सागरमाला परियोजना को वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, और इसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबे समुद्र तट पर मौजूद बंदरगाहों पर अवसंरचना का विकास करना है।
- सागरमाला कार्यक्रम का लक्ष्य न्यूनतम अवसंरचना लागत के साथ 'EXIM' (आयात-निर्यात) और घरेलू व्यापार के लिये लॉजिस्टिक लागत को कम करना है।
- सागरमाला परियोजना वर्ष 2025 तक भारत के व्यापारिक निर्यात को 110 बिलियन डॉलर तक बढ़ा सकती है और अनुमानित 10 मिलियन नए रोज़गार (प्रत्यक्ष तौर पर चार मिलियन) सृजित करने में मदद कर सकती है।

सागरमाला परियोजना के प्रमुख घटक

- बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और विकास: मौजूदा बंदरगाहों का क्षमता निर्माण करना और नए बंदरगाहों का विकास करना।
- बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढाना: घरेलू राजमार्गों सहित मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक समाधानों के माध्यम से कार्गो की आवाजाही की लागत और समय को अनुकूलित करने के लिये बंदरगाहों की कनेक्टिविटी बढ़ाना।
- बंदरगाह संबद्ध औद्योगीकरण: EXIM और घरेलू कार्गो की लॉजिस्टिक लागत तथा समय को कम करने के लिये बंदरगाह-समीपस्थ औद्योगिक क्लस्टर और तटीय आर्थिक क्षेत्र विकसित करना।

नोट :

- तटीय सामुदायिक विकास: कौशल विकास और आजीविका निर्माण गतिविधियों, मत्स्य विकास, तटीय पर्यटन आदि के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत् विकास को बढ़ावा देना।
- तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन: सतत् और पर्यावरण के अनुकूल तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो को स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहन।

सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP)

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी में प्राय: एक सरकारी एजेंसी और एक निजी क्षेत्र की कंपनी के बीच सहयोग शामिल होता है, जिसका उपयोग सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क, पार्क और कन्वेंशन सेंटर जैसे परियोजनाओं के वित्त, निर्माण और संचालन के लिये किया जा सकता है।
- सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) के माध्यम से किसी परियोजना को वित्तपोषित करने से उसके जल्द पूरा होने की संभावना काफी अधिक बढ़ जाती है।
- सार्वजनिक-निजी-भागीदारी में प्राय: कर या अन्य परिचालन राजस्व रियायतें, देयता से सुरक्षा या सार्वजनिक सेवाओं और संपत्ति में निजी क्षेत्र के आंशिक स्वामित्त्व जैसे अधिकार शामिल होते हैं।
- यह प्रधान-अभिकर्त्ता (Principal-Agent) से संबंधित जटिल समस्या उत्पन्न कर सकता है, जैसे भ्रष्ट व्यवहार आदि।
- सार्वजनिक-निजी-भागीदारी के तहत अपनाए जाने वाले मॉडल में बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT), बिल्ड-ओन-ऑपरेट (BOO), बिल्ड-ऑपरेट-लीज़-ट्रांसफर (BOLT), डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर (DBFOT), लीज-डेवलप-ऑपरेट (LDO) और ऑपरेट-मेंटेन-ट्रांसफर (OMT) आदि शामिल हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता (Independence of Bangladesh) की स्वर्ण जयंती, राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मजीबुर्रहमान (Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman) की जन्म शताब्दी और भारत तथा बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उत्सव में भाग लेने के लिये बांग्लादेश की यात्रा की।

प्रमुख बिंदु

ऐतिहासिक कड़ियों का संयुक्त समारोह:

- बांग्लादेश ने बंगबंधु शेख मजीबुर्रहमान को वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार (Gandhi Peace Prize) प्रदान करने पर भारत को धन्यवाद दिया।
- ढाका में बंगबंधु-बापू डिजिटल प्रदर्शनी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया।
- भारत-बांग्लादेश मित्रता की 50वीं वर्षगाँठ को चिह्नित करने के लिये:
  - दोनों पक्षों ने संबंधित स्मारक डाक टिकट जारी किये।
  - 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसी दिन भारत ने वर्ष 1971 में बांग्लादेश को मान्यता दी थी।
  - भारत ने दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु पीठ की स्थापना की घोषणा की।
- बांग्लादेश ने बांग्लादेश-भारत सीमा पर मुजीब नगर से नादिया तक ऐतिहासिक सड़क का नाम (मुक्ति संग्राम के दौरान इस सड़क के ऐतिहासिक महत्त्व को याद करते हुए) शाधिनोता शोरोक (Shadhinota Shorok) रखने के बांग्लादेश के प्रस्ताव पर विचार करने के लिये भारत को धन्यवाद दिया।

जल संसाधन सहयोग:

- बांग्लादेश ने तीस्ता नदी जल के बँटवारे पर लंबे समय से लंबित अंतरिम समझौते के समाधान के लिये अपने अनुरोध को दोहराया।
  - दोनों सरकारों द्वारा जनवरी 2011 में मसौदा समझौते पर पहले ही सहमति दे दी गई है।
- भारत ने बांग्लादेश की तरफ से लंबित फेनी नदी के पानी के बंटवारे के लिये अंतरिम समझौते के मसौदे को जल्द अंतिम रूप देने का अनुरोध किया, इस पर दोनों पक्षों ने वर्ष 2011 में सहमति जताई थी।
  - साथ ही दोनों देशों ने संबंधित जल मंत्रालयों को मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, धारला और दुधकुमार नामक छः अन्य नदियों के पानी के बँटवारे संबंधी अंतरिम समझौते को भी जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
- दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त तकनीकी समिति को निर्देश दिया कि वह गंगा जल साझेदारी संधि (Ganges Water Sharing Treaty), 1996 के अनुसार बांग्लादेश द्वारा प्राप्त गंगा जल के इष्टतम उपयोग के लिये गंगा-पद्मा बैराज की व्यवहार्यता का शीघ्रता से अध्ययन करे।

विकास के लिये व्यापार नीतियों पर ज़ोर:

- दोनों पक्षों ने व्यापार नीतियों, विनियमों और प्रक्रियाओं की भविष्यवाणी और गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।
- दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिये समन्वित तरीके से ज़मीनी सीमा शुल्क स्टेशनों/भूमि बंदरगाहों (Land Customs Station/Land Port) के बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं के उन्नयन हेतु तत्काल ज़ोर देने का आह्वान किया गया।

नोट :

- द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिये मानकों हेतु सामंजस्य और समझौतों व प्रमाणपत्रों की मान्यता के महत्त्व को दोहराया गया।
  - बांग्लादेश मानक और परीक्षण संस्थान (Bangladesh Standards and Testing Institute) और भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standard) क्षमता निर्माण तथा परीक्षण एवं लैब सुविधाओं के विकास के लिये सहयोग करेंगे।
- भारत ने अल्प विकसित देश (Least Developed Country) के दर्जे से जल्द बाहर आने पर बांग्लादेश को बधाई दी।
- दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement) में प्रवेश करने की संभावनाओं पर चल रहे संयुक्त अध्ययन के जल्द पूरा किये जाने पर ज़ोर दिया।
- बांग्लादेश ने जूट क्षेत्र के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के लिये अपनी जूट मिलों में भारतीय निवेश को आमंत्रित किया।
- भारत ने कटिहार - परबतीपुर - बोर्नगर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी इंटरकनेक्शन के कार्यान्वयन के लिये तौर-तरीकों को जल्द अंतिम रूप देने का अनुरोध किया।
- दोनों पक्षों ने भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन और मैत्री सुपर थर्मल पॉवर परियोजना की इकाई-1 के कार्यान्वयन में प्रगति का जायजा लिया।

समृद्धि के लिये कनेक्टिविटी:

- भारत ने वर्ष 1965 से पहले के रेल संपर्क को पुनर्जीवित करने की बांग्लादेश की पहल पर आभार व्यक्त किया।
- बांग्लादेश ने भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना (India – Myanmar-Thailand Trilateral Highway Project) पहल में भागीदारी के प्रति अपनी उत्सुकता दोहराई।
- दोनों देशों के बीच बेहतर संपर्क और यात्रियों व माल की आवाजाही को आसान बनाने के लिये दोनों पक्षों ने बांग्लादेश, भारत और नेपाल के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके BBIN मोटर वाहन समझौते (BBIN Motor Vehicles Agreement) को शीघ्र लागू करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि सामानों और यात्रियों की आवाजाही शुरू हो सके। आगे चलकर भूटान को भी इसमें शामिल किया जा सकता है।
- कोलकाता से चट्टग्राम के ज़रिये अगरतला तक माल की आवाजाही के लिये चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाह के इस्तेमाल हेतु ट्रांस-शिपमेंट समझौते को जल्द लागू किये जाने का अनुरोध किया।
  - भारत ने अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के एक भाग के रूप में मुंशीगंज और पनगाँव में ट्रांस-शिपमेंट व्यवस्था के लिये भी अनुरोध किया।
  - हाल ही में दक्षिण त्रिपुरा में फेनी नदी पर मैत्री सेतु (भारत और बांग्लादेश के बीच) का उद्घाटन किया गया।
- बांग्लादेश ने पूर्वोत्तर भारत खासतौर से त्रिपुरा के लोगों द्वारा चट्टग्राम और सिलहट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के इस्तेमाल की पेशकश की।

सार्वजनिक स्वास्थ्य में सहयोग:

- बांग्लादेश ने भारत में बने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन (Oxford Astra Zeneca Covishield) की 3.2 मिलियन खुराक देने के लिये भारत सरकार को धन्यवाद दिया।

सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग:

- बांग्लादेश ने मानवीय आधार पर पद्मा नदी के ज़रिये 1.3 किमी. के जलमार्ग का निवेदन दोहराया है।
  - भारत ने त्रिपुरा-बांग्लादेश क्षेत्र से शुरुआत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सभी लंबित क्षेत्रों में बाड़ लगाने का आग्रह किया।
- रक्षा सहयोग: कार्यक्रमों के लगातार आदान-प्रदान और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।
  - भारत ने बांग्लादेश को भारत से रक्षा आयात के लिये $500 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की है।
- दोनों पक्षों ने आपदा प्रबंधन, पुनर्निर्माण और शमन पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये जाने का स्वागत किया।

सहयोग के नए क्षेत्र:

- विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग, बिग डेटा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा व प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत को स्वीकार किया गया।
- भारत ने बांग्लादेश के 50 युवा उद्यमियों को भारत आने और अपने विचारों को साझा करने के लिये आमंत्रित किया।

नोट :

क्षेत्र और विश्व में भागीदार:

- दोनों देश संयुक्त राष्ट्र (United Nations) और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर साझा उद्देश्यों के लिये साथ मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमत हुए।
- दोनों पक्षों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सार्क (SAARC) और बिम्सटेक (BIMSTEC) जैसे क्षेत्रीय संगठनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, विशेष रूप से कोविड-19 के बाद की स्थिति में।
- बांग्लादेश ने मार्च 2020 में सार्क नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाने और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वैश्विक महामारी के प्रभाव से निपटने के लिये सार्क आपातकालीन प्रतिक्रिया निधि (SAARC Emergency Response Fund) बनाए जाने का प्रस्ताव रखने हेतु भारत को धन्यवाद दिया।
- बांग्लादेश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वह अक्तूबर 2021 में पहली बार इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (Indian Ocean Rim Association) की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अत: उसने हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक समुद्री सुरक्षा तथा रक्षा पर काम करने के लिये भारत से सहयोग का आग्रह किया।
- भारत ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank) में शामिल होने के बांग्लादेश के फैसले का स्वागत किया।

दोनों प्रधानमंत्रियों की अन्य घोषणाएँ:

- भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों, जिन्होंने वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम में अपने जीवन का बलिदान किया, के सम्मान में आशूगंज, ब्राह्मणबारिया में एक स्मारक की आधारशिला रखी गई।
- पाँच पैकेजों वाले (अमीन बाज़ार-कालियाकोर, रूपपुर-ढाका, रूपपुर- गोपालगंज, रूपपुर- धामराई, रूपपुर-बोगरा) रूपपुर पॉवर इवैक्यूएशन प्रोजेक्ट (Rooppur Power Evacuation Project) के लिये आधारशिला समारोह।
- तीन बॉर्डर हाटों यथा- नलीकाटा (भारत)- सायदाबाद (बांग्लादेश), रिनगकु (भारत)- बागान बारी (बांग्लादेश) और भोलागुंज (भारत)- भोलागुंज (बांग्लादेश) का उद्घाटन।
  - बॉर्डर हाट का उद्देश्य स्थानीय बाज़ारों के माध्यम से स्थानीय उपज के विपणन की एक पारंपरिक प्रणाली की स्थापना करके दोनों देशों की सीमाओं के पार दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ पहुँचाना है।
- बांग्लादेश में ढाका को और भारत की तरफ न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस (Mitali Express) यात्री ट्रेन का उद्घाटन।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार

चर्चा में क्यों ?

पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापार निलंबित करने के दो साल पुराने फैसले को आंशिक रूप से बदलते हुए भारत से कपास और चीनी आयात करने की घोषणा की।

- अगस्त 2019 में पाकिस्तान सरकार द्वारा व्यापार को रद्द करने का निर्णय (भारत सरकार के अनुच्छेद 370 में संशोधन करने और जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद) लिया गया था।

प्रमुख बिंदु:

पाकिस्तान का व्यापार प्रतिबंध:

- अगस्त 2019 में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने का पाकिस्तान का निर्णय जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तनों का परिणाम था।
- हालाँकि व्यापार को निलंबित करने का एक अंतर्निहित कारण भारत द्वारा पाकिस्तानी आयातों पर लगाया गया 200% सीमा शुल्क था, जिसके एक साल बाद भारत ने पुलवामा आतंकवादी हमले के पश्चात् पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा रद्द कर दिया था।

नोट :

- इसकी वजह से दोनों देशों के बीच व्यापार अत्यधिक प्रभावित हुआ।
  - भारत से पाकिस्तान को होने वाला निर्यात लगभग 60% की गिरावट के साथ 816.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रह गया और वित्तीय वर्ष 2019-20 में उसका आयात 97% गिरावट के साथ 13.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रह गया।

प्रतिबंध से पूर्व भारत-पाकिस्तान व्यापार:

- वर्षों से भारत का पाकिस्तान के साथ व्यापार अधिशेष है, आयात और निर्यात की तुलना में व्यापार को हमेशा राजनीति से जोड़ा गया है।
- वर्ष 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स पर उरी आतंकी हमले और भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद संबंधों में तनाव के कारण भारत में पाकिस्तान का निर्यात वित्तीय वर्ष 2015-16 के 2.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर से वित्तीय वर्ष 2016-17 में लगभग 16% गिरावट के साथ 1.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
- निरंतर तनाव के बावजूद हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में कुछ वृद्धि हुई है।
  - वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय निर्यात लगभग 6% वृद्धि दर के साथ 1.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसमें लगभग 7% की बढ़ोतरी हुई।
  - हालाँकि पाकिस्तान से आयात में न्यूनतम वृद्धि के चलते वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में यह 7.5% वृद्धि के साथ 488.56 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

प्रमुख व्यापारिक उत्पाद:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में पाकिस्तान भारत के शीर्ष 50 व्यापारिक भागीदारों में से एक था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में मोस्ट फेवर्ड नेशन की सूची से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया था।
  - यह अनुमान लगाया गया था कि देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध पाकिस्तान को अधिक प्रभावित करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स उद्योगों हेतु कच्चे माल के लिये भारत पर सर्वाधिक निर्भर था।
- पाकिस्तान को भारतीय निर्यात:
  - वित्तीय वर्ष 2018-19 में पाकिस्तान को कपास और जैविक रसायनों का भारतीय निर्यात का लगभग आधा भाग प्राप्त हुआ।
  - अन्य प्रमुख वस्तुओं में प्लास्टिक, टैनिंग/ रंगाई के अर्क और परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी तथा यांत्रिक उपकरण शामिल थे।
  - प्रतिबंध के बाद कई वस्तुओं के आयात में भारी गिरावट आई, जबकि कपास का आयात पूरी तरह से बंद हो गया।
    - केवल दवा उत्पादों के आयात में वृद्धि हुई है। पाकिस्तान ने अब तक कोविड -19 महामारी के दौरान दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये दवा उत्पादों और जैविक रसायनों का आयात किया है।
- पाकिस्तान से भारतीय आयात:
  - वित्तीय वर्ष 2018-19 में पाकिस्तान से भारत को आयातित प्रमुख वस्तुओं में खनिज ईंधन, तेल, खाद्य फल, नारियल, नमक, सल्फर, पत्थर ,प्लास्टर सामग्री, अयस्क, लावा, राख, खाल और चमड़ा आदि शामिल थे।

पाकिस्तान द्वारा व्यापार प्रतिबंध हटाया जाना:

- कच्चे माल में कमी: पाकिस्तान ने कपास के आयात पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है, क्योंकि कपास की घरेलू पैदावार कम होने के कारण पाकिस्तान का वस्त्र उद्योग कच्चे माल की कमी का सामना कर रहा है।
- भारत से सस्ता आयात: अमेरिका और ब्राज़ील जैसे- देशों से कपास और चीनी का आयात करना तुलनात्मक रूप से काफी महँगा पड़ता है और डिलीवरी में भी काफी समय लगता है।
- उच्च घरेलू मांग और कीमतें: चीनी पर आयात प्रतिबंध हटाने का निर्णय उसकी उच्च घरेलू मांग और उच्च कीमतों से भी प्रेरित है।
  - भारत से आयात करने का निर्णय पाकिस्तान के स्थानीय बाज़ार में कीमतों को स्थिर करने का एक उपाय है।

निहितार्थ

- चयनित वस्तुओं यथा- चीनी और कपास में व्यापार की अनुमति देने के पाकिस्तान के निर्णय से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के सामान्य होने की संभावना और अधिक बढ़ गई है।

नोट :

- भारत के लिये यह एक अच्छा समय है कि वह उत्पादों पर 200% आयात शुल्क में कमी की संभावनाओं का पता लगाए ताकि उद्योगों को लाभ मिल सके।
- तीन वर्ष के अंतराल के बाद भारत द्वारा खेल संबंधी वीज़ा देने, दिल्ली में सिंधु जल आयुक्तों की बैठक आयोजित करने, नियंत्रण रेखा पर शांति और भारत तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान जैसे उपायों के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होने की संभावना है।

द हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया

चर्चा में क्यों ?

भारत के विदेश मंत्री ने ताज़िकिस्तान के दुशांबे में आयोजित 9वीं हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया में भाग लिया।

- उन्होंने दोहरी शांति प्रक्रिया को अपनाने की बात कही है जिसका अभिप्राय अफगानिस्तान के भीतर और अफगानिस्तान के आसपास के पड़ोसी देशों में शांति से है, साथ ही यह भी कहा कि भारत इंट्रा-अफगान वार्ता (IAN) का समर्थन करता है।

प्रमुख बिंदु:

द हार्ट ऑफ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया (HoA-IP):

- इसकी स्थापना नवंबर 2011 में तुर्की के इस्तांबुल में हुई थी।
- यह अफगानिस्तान को केंद्र में रखकर ईमानदार और परिणामोन्मुखी क्षेत्रीय सहयोग के लिये एक मंच प्रदान करता है, क्योंकि एक सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के लिये हार्ट ऑफ एशिया क्षेत्र की समृद्धि महत्त्वपूर्ण है।
- इस मंच की स्थापना अफगानिस्तान और इसके पड़ोसियों तथा क्षेत्रीय भागीदारों की साझा चुनौतियों और हितों को संबोधित करने के लिये की गई थी।
- हार्ट ऑफ एशिया में 15 सहभागी देश, 17 सहायक देश और 12 सहायक क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।
  - भारत एक सहभागी देश है।
- हार्ट ऑफ एशिया- इस्तांबुल प्रक्रिया का उद्देश्य समन्वय और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से अफगानिस्तान सहित 15 क्षेत्रीय देशों के बीच शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देकर उन्हें मजबूत करना है। अपनी स्थापना के बाद से यह प्रक्रिया क्षेत्रीय सहयोग का एक प्रमुख तत्त्व बन गई है और इसने अफगानिस्तान के निकट एवं दूरस्थ पड़ोसियों, अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों तथा संगठनों के लिये एक मंच बनाया है जो अफगानिस्तान व क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से मौजूदा और उभरती हुई क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये रचनात्मक बातचीत में संलग्न है। इस प्रक्रिया के तीन मुख्य स्तंभ हैं: राजनीतिक परामर्श, आत्मविश्वास बढ़ाना, क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग।

इंट्रा-अफगान वार्ता (IAN):

- यह वार्ता अफगान सरकार और तालिबान विद्रोहियों के बीच लगभग दो दशकों के संघर्ष को (इसमें देश के सार्वभौमिक नुकसान के साथ हज़ारों योद्धाओं और नागरिकों की मृत्यु हुई) समाप्त करने के लक्ष्य को संदर्भित करती है।
- अफगान वार्ता के भागीदार अफगानिस्तान के भविष्य के न्यायसंगत राजनीतिक रोडमैप पर समझौते सहित एक स्थायी और व्यापक युद्ध विराम की दिशा एवं तौर तरीकों पर चर्चा करेंगे।
- वार्ता में अनेक मुद्दों (जैसे-महिलाओं के अधिकार, वाक स्वतंत्रता और देश के संविधान में बदलाव) को शामिल किया जाएगा।
- वार्ता में वर्ष 2001 में तालिबान के सत्ता से बेदखल होने के बाद से तालिबान के हज़ारों योद्धाओं के साथ-साथ भारी हथियारों से संपन्न अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति के भाग्य का भी पता चलेगा।

क्षेत्रीय-कनेक्टिविटी पहल:

- सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने हवाई माल ढुलाई गलियारा (एयर कार्गो कॉरिडोर) और चाबहार बंदरगाह परियोजना के साथ-साथ

नोट :

- तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन सहित कई क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहलों की सराहना की।

भारत का रुख:

- भारत ऐसी समग्र वार्ता और सामंजस्य प्रक्रिया का समर्थन करता है जो अफगान नेतृत्व, स्वामित्व और नियंत्रित हो, उसे अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना होगा और अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक इस्लामी गणराज्य की स्थापना में हुई प्रगति को संरक्षित करना होगा।
- अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के कमज़ोर वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिये और देश तथा उसके पड़ोस में हिंसा के मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाना चाहिये।

तापी पाइपलाइन

- TAPI पाइपलाइन 1,814 किमी. की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुँचती है। इसे 'पीस पाइपलाइन' परियोजना भी कहा जाता है।
- इसका उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान के गैस आपूर्ति एवं भंडार का मुद्रीकरण करना तथा पड़ोसी देशों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।
- इस परियोजना को TAPI पाइपलाइन कंपनी (TPCL) द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो चार अलग-अलग राज्यों के स्वामित्व वाली गैस कंपनियों [तुर्कमेन्गज (तुर्कमेनिस्तान), अफगान गैस (अफगानिस्तान), अंतर-राज्यीय गैस सेवा (पाकिस्तान) और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा इंडियन ऑयल (भारत)] का एक संघ है।
- पाइपलाइन के विकास के लिये चार देशों ने दिसंबर 2010 में अंतर-सरकारी समझौते (IGA) और गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क समझौते (GPFA) पर हस्ताक्षर किये।

चीन-ईरान सामरिक सहयोग समझौता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन और ईरान ने 25 वर्षों के 'रणनीतिक सहयोग समझौते' (Strategic Cooperation Pact) पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते में 'राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक घटक' (Political, Economic and Strategic Components) शामिल हैं।

- यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब ईरान को परमाणु समझौते से हटने के बाद अमेरिका द्वारा लागू किये गए प्रतिबंधों के चलते भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है और चीन द्वारा ऐसी स्थिति में ईरान का समर्थन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु:

समझौते के बारे में:

- यह ईरान और चीन के मध्य संबंधों को बेहतर करेगा तथा परिवहन, बंदरगाहों, ऊर्जा, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य पारस्परिक निवेश हेतु एक खाका तैयार करेगा।
- यह चीन के ट्रिलियन-डॉलर की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative- BRI) के एक हिस्से का निर्माण करता है, जो बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को ऋण देने और विदेशों में प्रभाव बढ़ाने की योजना है।

मध्य-पूर्व में चीन की बढ़ती भूमिका:

- ईरान अपने सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में चीन पर निर्भर है।
- चीनी विदेश मंत्री ने पश्चिम एशियाई देशों की अपनी हालिया यात्रा के दौरान मध्य-पूर्व में सुरक्षा और स्थिरता स्थापित करने हेतु पाँच-सूत्री पहल का प्रस्ताव रखा है, जिसमें "पारस्परिक सम्मान, समानता और न्याय बनाए रखना, एक दूसरे के क्षेत्रों का अधिग्रहण न करने, संयुक्त रूप से सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना और विकास सहयोग में तेज़ी लाना शामिल है।

नोट :

- इससे पहले चीन और रूस द्वारा संयुक्त रूप से अमेरिका से बिना किसी शर्त के ईरान को संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) में शामिल करने और उस पर लगे एकतरफा प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया गया था।
  - इस संदर्भ में देशों की सुरक्षा चिंताओं के समाधान हेतु सहमति बनाने के लिये एक क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मंच स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया।

भारत की चिंताएँ:

- सैन्य भागीदारी: चीन ईरान के साथ सुरक्षा और सैन्य साझेदारी में भी सहयोग कर रहा है।
  - चीन द्वारा आतंकवाद, नशीली दवाओं और मानव तस्करी तथा सीमा पार अपराधों से लड़ने हेतु संयुक्त प्रशिक्षण और अभ्यास, संयुक्त अनुसंधान और हथियारों का विकास एवं खुफिया जानकारी साझा करने का आह्वान किया गया है।
  - ईरानी बंदरगाहों के विकास में बड़े पैमाने पर चीनी निवेश के कारण ईरान के साथ चीन का संबंध स्थायी सैन्य पहुँच समझौते (Permanent Military Access Arrangements) में परिवर्तित हो सकता है।
- चाबहार बंदरगाह के आसपास सामरिक परिदृश्य: ईरान में बढ़ती चीन की उपस्थिति के साथ भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना के आसपास अपने रणनीतिक दाँव के बारे में चिंतित है जिसका विकास भारत के सहयोग से किया जा रहा है।
  - यह बंदरगाह पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के करीब है, जिसे चीन द्वारा अपने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा जो इसे BRI के माध्यम से हिंद महासागर से जोड़ता है।
- भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता: भारत ईरान को लेकर अमेरिका और चीन के मध्य भू- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में फँसा हुआ है।
  - भारत की दुविधा यह है कि सीमा पर चीन के साथ गतिरोध की स्थिति में भारत को अमेरिका के मज़बूत समर्थन की आवश्यकता है।
- अन्य देशों के साथ संबंधों पर प्रभाव: ईरान में चीन का प्रभाव बढ़ने से भारत के संबंध न केवल ईरान के साथ बल्कि अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के साथ भी लंबे समय तक प्रभावित होंगे।

संयुक्त कार्रवाई व्यापक योजना:

- वियना में 14 जुलाई, 2015 को ईरान तथा P5 (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य- अमेरिका, चीन, फ्राँस, रूस तथा ब्रिटेन) देशों के साथ-साथ जर्मनी एवं यूरोपीय संघ द्वारा इस परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - इस सौदे को संयुक्त व्यापक कार्ययोजना (JCPOA) और आम बोलचाल की भाषा में ईरान परमाणु समझौते के रूप में नामित किया गया था।
- इस समझौते के तहत ईरान से प्रतिबंध हटाने और वैश्विक व्यापार तक पहुँच सुनिश्चित करने के बदले ईरान की परमाणु गतिविधि पर अंकुश लगाने के संबंध में सहमति बनी।
- इस समझौते द्वारा ईरान को अनुसंधान हेतु थोड़ी मात्रा में यूरेनियम जमा करने की अनुमति दी गई है लेकिन उसके यूरेनियम संवर्द्धन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका उपयोग रिएक्टर ईंधन और परमाणु हथियार बनाने के लिये किया जाता है।
- ईरान को एक विशाल जल-रिएक्टर का निर्माण करने की भी आवश्यकता थी, जिसके प्रयुक्त किये गए ईंधन में एक बम के लिये उपयुक्त प्लूटोनियम और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण की अनुमति की आवश्यकता हो सकती है।
- वर्ष 2018 में अमेरिका द्वारा स्वयं को JCPOA से अलग करने की घोषणा की गई और ईरान पर एकतरफा प्रतिबंध आरोपित किये गए।
- ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते हो रहे नुकसान की भरपाई के लिये नए आर्थिक प्रोत्साहन हेतु अन्य हस्ताक्षरकर्त्ताओं- जर्मनी, फ्राँस, ब्रिटेन, रूस और चीन आदि पर दबाव डालने के लिये स्वयं को इस सौदे से अलग कर लिया था।

बिम्सटेक की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने बिम्सटेक की 17वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया।

- श्रीलंका की अध्यक्षता में यह बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बैठक में भारत का पक्ष
  - भारत की प्रतिबद्धता
    - बैठक के दौरान भारत ने बिम्सटेक ढाँचे के तहत आगे भी क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और संगठन को मज़बूत, जीवंत, अधिक प्रभावी और परिणाम-उन्मुख बनाने के प्रति प्रतिबद्धता ज़ाहिर की।
  - प्रगति
    - बैठक में भारत द्वारा आतंकवाद, ट्रांस-नेशनल क्राइम, परिवहन एवं संचार, पर्यटन और पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन आदि विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया।
- बैठक का परिणाम
  - बैठक के दौरान श्रीलंका में आयोजित होने वाले आगामी बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में अपनाने हेतु बिम्सटेक परिवहन कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का समर्थन किया गया।
  - भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य, इस मास्टर प्लान का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि कई सड़कें और नदी लिंक इस क्षेत्र से गुज़रते हैं।
  - बिम्सटेक चार्टर को जल्द अपनाने का आह्वान किया गया।
  - बैठक में आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर कन्वेंशन, राजनयिकों तथा प्रशिक्षण अकादमियों के बीच सहयोग और कोलंबो (श्रीलंका) में बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की स्थापना से संबंधित तीन समझौता ज्ञापनों का समर्थन किया गया।
  - इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया कि भारत में स्थापित 'बिम्सटेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट' आपदा संबंधी प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने के लिये अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ पूर्णत: कार्यात्मक है।
- चिंताएँ
  - रोहिंग्या शरणार्थी मामला जिसने म्याँमार और बांग्लादेश के संबंधों में तनाव उत्पन्न कर दिया है, के कारण सदस्यों के बीच सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल हो गया है।
  - इसने संगठन के काम को कुछ हद तक प्रभावित किया है, क्योंकि इसके कारण एक सामान्य चार्टर विकसित करना संभव नहीं हो सका है।

बिम्सटेक

- परिचय:
  - इसका पूरा नाम 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन' (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) है तथा यह एक क्षेत्रीय संगठन है।
  - इसके 7 सदस्यों में से 5 सदस्य- बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशिया से हैं तथा दो- म्याँमार और थाईलैंड दक्षिण-पूर्व एशिया से हैं।
  - यह भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों के चलते दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क-SAARC) के महत्त्वहीन हो जाने के कारण भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ जुड़ने हेतु एक नया मंच प्रदान करता है।
  - अंतर-क्षेत्रीय सहयोग पर ध्यान देने केंद्रित करने के साथ-साथ, बिम्सटेक ने दक्षेस यानी SAARC और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) के सदस्य देशों के साथ एक साझा मंच का निर्माण भी किया है।
  - वर्तमान मे, बिम्सटेक 15 क्षेत्रों में कार्य करता है, जिनमें व्यापार, प्रौद्योगिकी, कृषि, पर्यटन, मत्स्य पालन, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं।
  - वर्ष 1997 में इसकी शुरुआत केवल छह क्षेत्रों को शामिल करते हुए हुई थी और बाद में वर्ष 2008 में शेष नौ क्षेत्रों तक इसे विस्तारित किया गया।

नोट :

- सचिवालय: ढाका, बांग्लादेश।
- उद्देश्य:
  - क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना।
  - सहयोग और समानता की भावना विकसित करना।
  - सदस्य राष्ट्रों के साझा हित के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना।
  - शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक-दूसरे का पूर्ण सहयोग।

ला पेरॉस: बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास

चर्चा में क्यों ?

भारतीय नौसेना के जहाज़ आईएनएस सतपुड़ा (INS Satpura) तथा पी 8I लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट (P8I Long Range Maritime Patrol Aircraft) के साथ आईएनएस किल्तान (INS Kiltan) पहली बार बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास ला पेरॉस (La Perouse) में भाग ले रहे हैं, जिसका संचालन 5 से 7 अप्रैल, 2021 तक पूर्वी हिंद महासागर में किया जा रहा है।

- ला पेरॉस अभ्यास के बाद भारत-फ्राँस के नौसैनिक अभ्यास "वरुण" का आयोजन पश्चिमी हिंद महासागर में किया जाना निर्धारित है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी भाग लेगा।

प्रमुख बिंदु

ला पेरॉस के विषय में:

- इस संयुक्त अभ्यास की शुरुआत फ्राँस द्वारा वर्ष 2019 में की गई थी, जिसके प्रथम संस्करण में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के जहाज़ शामिल हुए थे।
- इस अभ्यास का नाम 18वीं शताब्दी के फ्राँस नौसेना के एक खोजकर्त्ता के नाम पर रखा गया है।
- इस अभ्यास में भारत की भागीदारी ने फ्रांसीसी नेतृत्व वाले नौसैनिक अभ्यास में क्वाड (QUAD) देशों के प्रतिनिधित्व को पूरा कर दिया।
  - क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है, जिसका उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों के हितों की रक्षा करना तथा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है।
- ला पेरॉस अभ्यास में सर्फेस वॉरफेयर, एंटी-एयर वॉरफेयर और एयर डिफेंस एक्सरसाइज़ेज़, वीपन फायरिंग एक्सरसाइज़ेज़, क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशंस, सामरिक युद्धाभ्यास तथा समुद्र में ईंधन भरने जैसे जटिल एवं उन्नत कलात्मक नौसेना अभ्यास देखने को मिलेगा।
- यह अभ्यास इसमें शामिल पाँचों देशों को उच्च-स्तरीय नौसैनिक बलों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने, उनके कौशल को बढ़ाने और स्वतंत्र तथा खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने का समान अवसर प्रदान करेगा।

भारत-प्रशांत क्षेत्र का नौसैनिक महत्त्व:

- यह क्षेत्र धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से स्वतंत्र, खुले, समावेशी और एक नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना के लिये बहुराष्ट्रीय गतिविधियों का महत्त्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है, जो नौचालन की स्वतंत्रता तथा शांतिपूर्ण सहकारी उपयोग के समर्थन पर आधारित है।
- इसका लक्ष्य क्षेत्रीय समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान तथा पालन करना है।
  - क्वाड नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में लाइव फायर ड्रिल, खोज और बचाव (SAR) आदि के संचालन जैसे नौसैनिक अभ्यासों के माध्यम से यह दर्शाया है कि वह बहु-राष्ट्रीय नौसेना की शक्तियों के साथ मिलकर प्रभावी रूप में काम करने में सक्षम है।
  - क्वाड सदस्य देशों की नौसेना ने नवंबर 2020 में मालाबार युद्धाभ्यास (Malabar Exercise) में भाग लिया था।

नोट :

- दूसरी ओर चीन इन क्षेत्रों में समुद्री कानूनों का उल्लंघन करते हुए अपने समुद्रों (पीला सागर, पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर) के चारों ओर एक रक्षात्मक परिधि बनाने का प्रयास कर रहा है।

क्वाड+फ्राँस की प्रशांत महासागर संबंधी चिंताएँ:

- प्रशांत में द्वीपों का क्षेत्र उत्तर में हवाई से लेकर दक्षिण में टोंगा तक और पूर्व में ईस्टर द्वीप से लेकर पश्चिम में न्यू कैलेडोनिया तक फैला हुआ है।
- भारत-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हित को उसका इस क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ा एकीकृत यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड (US Indo-Pacific Command) अच्छी तरह से चित्रित करता है।
- फ्राँस की न्यू कैलेडोनिया, फ्रेंच पोलिनेशिया, वालिस और फ्यूचूना में सीधी रणनीतिक तथा आर्थिक हिस्सेदारी है। फ्राँस प्रशांत समुदाय और प्रशांत क्षेत्रीय पर्यावरण कार्यक्रम (Pacific Community and the Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme- SPREP) के सचिवालय का सदस्य है।
- जापान का यद्यपि चीन के साथ व्यापार संबंध है लेकिन सैन्य शक्ति के रूप में चीन के विकास पर हमेशा संदेह रहा है। जापानी जल और हवाई क्षेत्र के करीब चीन की मुखरता जापान के लिये चिंता का विषय है।
- भारतीय नौसेना समुद्र के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नियमों (Rules of the Road) के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु IOR पर हमेशा से एक सामरिक बढ़त बनाए हुए है।
  - विश्व ने इसका सम्मान (जैसे कि भारत को IOR से गुज़रने वाले युद्धपोतों की सूचना देकर) किया है, लेकिन भारतीय नौसेना ने इस क्षेत्र में कई बार चीनी जहाज़ों और पनडुब्बियों को देखने एवं उनकी संदिग्ध गतिविधियों का दावा किया है।

भारत-फ्राँस के बीच होने वाले संयुक्त अभ्यास

- डेज़र्ट नाइट-21 और गरुड़ (वायु सेना अभ्यास)
- वरुण (नौसेना अभ्यास)
- शक्ति (सेना अभ्यास)

भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

भारत और रूस के बीच एक आम सहमति विकसित करने के लिये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे की चिंताओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित किया।

- इन मुद्दों में रक्षा आपूर्ति, S-400 वायु रक्षा प्रणाली, अफगानिस्तान में भारत की भूमिका और तालिबान की भागीदारी तथा कोरोना वायरस वैक्सीन पर सहयोग आदि शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

दोनों देशों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की गई

- रूस के सुदूर पूर्व में आर्थिक अवसर
  - रूस के सुदूर पूर्व में बैकाल झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, से लेकर प्रशांत महासागर तक इसमें रूस का लगभग एक तिहाई क्षेत्र शामिल है।
  - यद्यपि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों जैसे- खनिज, हाइड्रोकार्बन, लकड़ी और मछली आदि के मामले में समृद्ध है, किंतु इसके बावजूद यह आर्थिक रूप से काफी कम विकसित है।
- भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का लाभ उठाना।
- 'इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर' के माध्यम से कनेक्टिविटी स्थापित करना।

नोट :

- इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC), सदस्य राज्यों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सितंबर 2000 में सेंट पीटर्सबर्ग में स्थापित एक मल्टी मॉडल परिवहन मार्ग है।
- चेन्नई-व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा।
  - यह भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 5,600 समुद्री मील लंबा एक समुद्री मार्ग है।
- अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों में साझेदारी।

S-400 वायु रक्षा प्रणाली

- दोनों देशों के बीच S-400 वायु रक्षा प्रणाली की बिक्री से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
  - एस-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा डिज़ाइन की गई एक गतिशील (Mobile) और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है।
  - यह विश्व में लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने में सक्षम सबसे खतरनाक आधुनिक मिसाइल प्रणाली है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित 'टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम' (THAAD) से भी बेहतर माना जाता है।
- यद्यपि भारत इसे खरीदने के लिये उत्सुक है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिद्वंद्वियों के विरोध हेतु बनाए गए दंडात्मक अधिनियम (CAATSA) के तहत प्रतिबंध लगाए जाने का खतरा अभी भी बना हुआ है।

सैन्य गठबंधन और इंडो-पैसिफिक

- सैन्य गठबंधन
  - रूस के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि रूस और चीन के द्विपक्षीय संबंध वर्तमान में काफी बेहतर हैं, किंतु दोनों देश किसी भी प्रकार के सैन्य गठबंधन स्थापित पर विचार नहीं कर रहे हैं।
  - उन्होंने क्वाड समूह का भी उल्लेख किया और इसे 'एशियाई नाटो' के रूप में संदर्भित किया, जिसका प्रयोग प्राय: चीन द्वारा किया जाता है।
    - क्वाड, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है, का उद्देश्य 'मुक्त, स्वतंत्र और समृद्ध' इंडो-पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है।
- इंडो-पैसिफिक
  - रूस और भारत दोनों देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और कनेक्टिविटी स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं तथा दोनों देशों ने एशिया में किसी भी प्रकार का 'सैन्य गठबंधन' स्थापित न करने का आग्रह किया।
  - रूस ने इस क्षेत्र को 'एशिया प्रशांत' के रूप में संबोधित किया, जबकि भारत ने इसे 'इंडो-पैसिफिक' के रूप में संबोधित किया।

अफगान शांति

- दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान की शांति वार्ता से संबंधित विभिन्न हितधारकों के मध्य 'सामंजस्य' स्थापित करना काफी महत्त्वपूर्ण है।
- शांति प्रक्रिया मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिये और एक राजनीतिक समाधान का आशय स्वतंत्र, संप्रभु, एकजुट एवं लोकतांत्रिक अफगानिस्तान से होना चाहिये।
- अफगानिस्तान में शांति समझौते का अंतिम निर्णय देश के सभी राजनीतिक, जातीय और धार्मिक समूहों की भागीदारी को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिये। अन्यथा यह समाधान स्थिर और संतुलित नहीं होगा।

चिकित्सा सहयोग

- 'रशियन फंड फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट' ने रूस की वैक्सीन 'स्पुतनिक वी' की 700 से 750 मिलियन खुराक के लिये विभिन्न भारतीय निर्माताओं के साथ अनुबंध किया है।
- दोनों मंत्रियों ने रूस को कोवैक्सीन के संभावित निर्यात पर चर्चा की, जिसे जल्द ही रूस के विशेषज्ञों द्वारा मंज़ूरी दिये जाने की संभावना है।

नोट :

भारत-रूस संबंध

- राजनीतिक: भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर बैठक भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है।
- आर्थिक: वर्ष 2019-2020 में भारत और रूस के बीच कुल 10.11 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ, जो कि क्षमता से काफी कम है। दोनों देशों ने वर्ष 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार को 30 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- रक्षा और सुरक्षा: ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, SU-30 एयरक्राफ्ट और T-90 टैंकों का भारत में उत्पादन, दोनों देशों के बीच बढ़ रहे रक्षा और सुरक्षा संबंधों का एक उदाहरण है।
- परमाणु ऊर्जा में सहयोग: कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) भारत में रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग: गगनयान कार्यक्रम में सहयोग।
- समान बहुपक्षीय मंच
  - ब्रिक्स
  - रूस-भारत-चीन समूह (RIC)
  - शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
- सैन्य अभ्यास:
  - अभ्यास- TSENTR
  - इंद्र सैन्य अभ्यास- संयुक्त त्रि-सेवा (सेना, नौसेना, वायु सेना) अभ्यास

आगे की राह

- इंडो-पैसिफिक धारणा में रूस की संलग्नता: भारत को इंडो-पैसिफिक में रूस की संलग्नता को बढ़ाने पर विचार करना चाहिये।
  - इस क्षेत्र में रूस की सक्रिय भागीदारी इंडो-पैसिफिक को सही मायनों में 'स्वतंत्र और समावेशी' बनाने में योगदान करेगी।
- भारतीय विदेश नीति में रूस-भारत-चीन समूह को प्राथमिकता: भारत रूस, चीन और भारत के बीच पारस्परिक लाभप्रद त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दे सकता है, जो भारत एवं चीन के बीच अविश्वास और मतभेद को कम करने में योगदान कर सकता है।

नाटो में शामिल होने के लिये यूक्रेन का प्रयास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization/NATO) में यूक्रेन की सदस्यता हेतु तेज़ी से पहल करने का आग्रह किया।

- यूक्रेन को इस साल नाटो सदस्यता कार्य योजना (Membership Action Plan) में शामिल होने के लिये आमंत्रित किये जाने की उम्मीद है।

प्रमुख पहल

यूक्रेन का नाटो में शामिल होने का कारण:

- यूक्रेन का मानना है कि नाटो में शामिल होना ही रूस समर्थक अलगाववादियों से निपटने का एकमात्र उपाय है।
- दोनों देशों (यूक्रेन और रूस) की सीमा पर सैन्य झड़पों में वृद्धि हुई है, जिसका फायदा उठाकर पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों द्वारा संघर्ष को तेज़ किये जाने की आशंका है।
- यूक्रेन ने रूस पर अपनी उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ क्रीमिया प्रायद्वीप (वर्ष 2014 से रूस के कब्ज़े में) पर हजारों सैन्य कर्मियों को तैनात करने का आरोप लगाया।
- यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों ने रूस की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए उसे चेतावनी दी है।

नोट :

- भारत क्रीमिया में रूस के हस्तक्षेप को लेकर पश्चिमी शक्तियों द्वारा की जाने वाली निंदा में शामिल नहीं हुआ और इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कुछ कहने से बचता रहा है।

उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के विषय में:

- नाटो की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिम यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सैन्य संगठन के रूप में (जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है) की गई थी।
- इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है।
- संधि के एक प्रमुख प्रावधान (तथाकथित अनुच्छेद 5) में कहा गया है कि यदि यूरोप या उत्तरी अमेरिका में संगठन के किसी सदस्य पर हमला किया जाता है, तो इसे सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। इसने प्रभावी रूप से पश्चिमी यूरोप को अमेरिका के "परमाणु छत्र" के तहत रखा है।
  - नाटो ने केवल 12 सितंबर, 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के हमलों के बाद अनुच्छेद 5 को एक बार लागू किया था।
- नाटो का संरक्षण सदस्य देशों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट तक नहीं है।
- इस संगठन में 30 मार्च, 2021 तक कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं, उत्तरी मैसेडोनिया (वर्ष 2020) इस संगठन में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम सदस्य है।

सदस्यता कार्ययोजना

- यह नाटो गठबंधन में शामिल होने के इच्छुक देशों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सलाह, सहायता और व्यावहारिक समर्थन देने वाला कार्यक्रम है।
- इसमें भागीदारी भविष्य की सदस्यता पर गठबंधन द्वारा किसी भी निर्णय को पूर्व निर्धारित नहीं करती है।
- इसमें वर्तमान में बोस्निया और हर्ज़ेगोविना भाग ले रहे हैं।

E-9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में E-9 (बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान) देशों के शिक्षा मंत्रियों की एक परामर्श बैठक हुई।

- यह बैठक सतत् विकास लक्ष्य संख्या-4 (Sustainable Development Goal4/SDG-4) की दिशा में प्रगति में तेज़ी लाने के लिये डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने से संबंधित विषय पर आयोजित की गई थी।

प्रमुख बिंदु

- SDG-4 की दिशा में तेज़ी से प्रगति के लिये डिजिटल लर्निंग स्केलिंग:
  - संयुक्त राष्ट्र (UN) सभी के लिये डिजिटल शिक्षा और कौशल सुनिश्चित करने वाली वैश्विक पहल का नेतृत्व कर रहा है, जिसके अंतर्गत हाशिए पर मौजूद बच्चों और युवाओं को लक्षित कर उनको डिजिटल उपकरणों के पास लाने और शिक्षा प्रणालियों में तेज़ी से बदलाव लाने का लक्ष्य है।
  - इस पहल का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2020 में हुई वैश्विक शिक्षा बैठक (Global Education Meeting) की पाँच प्राथमिकताओं में से तीन (शिक्षकों को सहयोग, कौशल में निवेश और डिजिटल विभाजन को कम करना) पर केंद्रित है।
  - E9 देश छोटी अवधि में डिजिटल लर्निंग और कौशल पर प्रगति तथा लंबी अवधि में SDG4 पर तेज़ी लाने के लिये एक शुरुआती एजेंडा पेश करते हैं।

E9 देश:

- E9 साझेदारी पहली बार वर्ष 1993 में स्थापित की गई थी, जिसका गठन यूनेस्को की 'सभी के लिये शिक्षा' (Education For All) पहल हेतु किया गया था।

नोट :

- E-9 समूह के देशों (बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान) का उद्देश्य सभी के लिये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा आजीवन सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं सामूहिक प्रयास को मज़बूत करना है।
- E9 देश SDG4- शिक्षा 2030 (SDG4 – Education 2030) को प्राप्त करने के लिये काम कर रहे हैं।

सभी के लिये शिक्षा:

- यह एक वैश्विक पहल है, जिसे पहली बार वर्ष 1990 में यूनेस्को, यूएनडीपी, यूएनएफपीए, यूनिसेफ और विश्व बैंक द्वारा थाईलैंड में शिक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शुरू किया गया था।
- इसमें भाग लेने वालों द्वारा 'सीखने की विस्तारित दृष्टि' (Expanded Vision of Learning) का समर्थन किया गया और प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाने तथा दशक के अंत तक निरक्षरता को कम करने का संकल्प लिया गया।
- दस वर्ष बाद कई देशों के साथ राष्ट्रीय सरकारों, नागरिक समाज समूहों और विकास एजेंसियों के एक व्यापक गठबंधन ने डकार, सेनेगल में फिर से मुलाकात की और वर्ष 2015 तक EFA लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की।
  - उन्होंने छ: प्रमुख शिक्षा लक्ष्यों की पहचान की जिनका उद्देश्य वर्ष 2015 तक सभी बच्चों, युवाओं और वयस्कों की सीखने की ज़रूरत को पूरा करना है (जैसे- डकार फ्रेमवर्क)।

वैश्विक शिक्षा बैठक घोषणा, 2020

- वर्ष 2020 वर्ष GEM घोषणा ने SDG-4 पर प्रगति में तेज़ी लाने के लिये और कोविड-19 महामारी से लड़ने हेतु तत्काल कार्रवाई हेतु पाँच प्राथमिकताओं की पहचान की:
  - शिक्षा का वित्तपोषण;
  - स्कूल को पुन: खोलना;
  - सहायक शिक्षकों को अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना;
  - कौशल में निवेश करना; तथा
  - डिजिटल विभाजन को कम करना।
- कोविड-19 संकट ने पूरे विश्व में वर्तमान शिक्षा प्रणालियों की कमज़ोरी और असमानता को प्रकट किया, जिससे लगभग सभी देशों में बड़े पैमाने पर स्कूल बंद होने से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिला।

SDG4

- संयुक्त राष्ट्र (UN) के सदस्य राज्यों द्वारा वर्ष 2015 में सतत् विकास लक्ष्य, 2030 प्रयोजन को अपनाया गया।
  - इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्य और 169 विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिये निर्धारित हैं।
  - SDG कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
- SDG4 सभी के लिये समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तथा आजीवन सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करता है।

फिलिस्तीन के लिये अमेरिका की वित्तीय सहायता

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी पूर्ववर्ती नीति में महत्त्वपूर्ण बदलाव करते हुए, फिलिस्तीन के लिये 235 मिलियन डॉलर से संबंधित योजना की बहाली की घोषणा की है।

- अमेरिकी प्रशासन ने इससे पूर्व भी फिलिस्तीन को कोरोना वायरस राहत सहायता के तौर पर 15 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की थी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

वित्तीय सहायता

- अमेरिका द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता में 75 मिलियन डॉलर वेस्ट बैंक और गाजा की आर्थिक मदद के लिये, 10 मिलियन डॉलर 'यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट' (USAID) के 'शांति निर्माण' कार्यक्रमों के लिये और 150 मिलियन डॉलर संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी (UNRWA) को मानवीय सहायता के लिये प्रदान किये जाएंगे।
  - UNRWA फंड के तहत पश्चिम एशिया में रहने वाले कम-से-कम 5,00,000 फिलिस्तीनी बच्चों के लिये शैक्षिक सहायता शामिल है।
  - पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन ने वर्ष 2018 में संगठन को दी जाने वाली सभी प्रकार की फंडिंग को समाप्त कर दिया था।
- संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद ज़ाहिर की है इससे संयुक्त राष्ट्र को भी अपनी गतिविधियों के लिये अधिक धन मिल सकेगा। ऐसे कई देश हैं, जिन्होंने अमेरिका द्वारा वित्तीय सहायता बंद किये जाने के बाद स्वयं भी UNRWA में योगदान को बंद कर दिया था या कम कर दिया था।
- फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने इस कदम का स्वागत किया और इसे एक 'नए राजनीतिक मार्ग' के रूप में परिभाषित किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर आधारित फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं को पूरा करता है।
  - हालाँकि इज़राइल ने वित्त सहायता की बहाली को लेकर आपत्ति ज़ाहिर की है।

इज़राइल-फिलिस्तीन विवाद

- इज़रायल और फिलिस्तीनियों के बीच दशकों पुराना विवाद पवित्र भूमि पर दावों में निहित है, और इस विवाद में सीमा विवाद, येरुशलम, सुरक्षा और फिलिस्तीनी शरणार्थियों आदि से संबंधित विषय शामिल हैं।
  - इज़राइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1917 में उस समय हुई जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बल्फौर ने 'बल्फौर घोषणा' (Balfour Declaration) के तहत फिलिस्तीन में एक यहूदी 'राष्ट्रीय घर' (National Home) के निर्माण के लिये ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन किया।
  - येरुशलम यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों की समान आस्था का केंद्र है। यहाँ ईसाईयों के लिये पवित्र सेपुलकर चर्च, मुस्लिमों की पवित्र मस्जिद और यहूदियों की पवित्र दीवार स्थित है।
- वर्ष 1967 में हुए 'सिक्स डे वॉर' को दोनों देशों के मध्य चल रहे विवाद में एक महत्त्वपूर्ण घटना माना जाता है। इसे तीसरे अरब-इज़राइल युद्ध के रूप में भी जाना जाता है।
  - इज़राइल ने युद्ध के दौरान वेस्ट बैंक, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी पर कब्ज़ा कर लिया था और उसके बाद से इज़राइल ने इन क्षेत्रों में कई घर और बस्तियाँ बनाई हैं तथा वर्तमान में इन क्षेत्रों में 1 मिलियन से भी अधिक लोग रहते हैं।

अमेरिका की हालिया नीति

- अमेरिकी दूतावास को येरुशलम में स्थानांतरित करने संबंधी वर्ष 2017 के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना की गई थी।
- मध्य पूर्व शांति योजना: इस योजना का अनावरण जनवरी 2020 में तत्कालीन अमेरिकी सरकार द्वारा किया गया था।
  - अमेरिका की शांति योजना के अनुसार, येरुशलम को विभाजित नहीं किया जाएगा और यह 'इज़राइल की संप्रभु राजधानी' होगी, साथ ही इज़राइल वेस्ट बैंक के लगभग 30 प्रतिशत हिस्से का अधिग्रहण करेगा।
  - फिलिस्तीन ने इस योजना को अस्वीकार कर दिया था और स्वयं को ओस्लो शांति समझौते के प्रमुख प्रावधानों से भी अलग कर लिया था, जो कि 1990 के दशक में इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच हुए समझौतों की एक शृंखला है।
- वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 'टू स्टेट सॉल्यूशन' के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

नोट :

भारत का पक्ष

- भारत ने वर्ष 1950 में इज़राइल को मान्यता दी थी, हालाँकि उस समय दोनों देशों में औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं हुए थे, साथ ही भारत पहला गैर-अरब देश था, जिसने वर्ष 1974 में फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान की थी।
  - भारत वर्ष 1988 में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले प्रारंभिक देशों में से एक है।
- वर्ष 2014 में, भारत ने गाजा में इज़राइल द्वारा किये जा रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच के लिये UNHRC के प्रस्ताव का समर्थन किया था, हालाँकि जाँच में समर्थन करने के बावजूद, भारत ने वर्ष 2015 में UNHRC में इज़राइल के विरुद्ध मतदान से स्वयं को अलग कर लिया था।
- अपनी 'लिंक वेस्ट पॉलिसी' के हिस्से के रूप में, भारत ने वर्ष 2018 में अपनी विदेश नीति के तहत इज़राइल और फिलिस्तीन को परस्पर स्वतंत्र रूप से परिभाषित करने के प्रति प्रतिबद्धता ज़ाहिर की थी।
- जून 2019 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) में इज़राइल द्वारा पेश किये गए एक प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, जिसमें फिलिस्तीन के गैर-सरकारी संगठन को परामर्शात्मक दर्जा देने पर आपत्ति जताई गई थी।
- अभी तक भारत ने आत्मनिर्भर फिलिस्तीन के लिये अपने ऐतिहासिक समर्थन बनाए रखने और इज़राइल के साथ सैन्य, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मज़बूत करने के माध्यम से संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है।

नोट

- वेस्ट बैंक: वेस्ट बैंक इज़राइल और जॉर्डन के मध्य अवस्थित है। इसका एक सबसे बड़ा शहर 'रामल्लाह' (Ramallah) है, जो कि फिलिस्तीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी है।
  - इज़राइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में इस पर अपना नियंत्रण स्थापित किया।
- गाजा पट्टी: यह इज़राइल और मिस्र के मध्य स्थित है। इज़राइल ने वर्ष 1967 में गाजा पट्टी का अधिग्रहण किया था, किंतु गाजा शहर के अधिकांश क्षेत्रों के नियंत्रण तथा इनके प्रतिदिन के प्रशासन पर नियंत्रण का निर्णय ओस्लो समझौते के दौरान किया गया था।
  - वर्ष 2005 में इज़राइल ने इस क्षेत्र से यहूदी बस्तियों को हटा दिया यद्यपि वह अभी भी इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहुँच को नियंत्रित करता है।
- गोलन हाइट्स: गोलन हाइट्स एक सामरिक पठार है जिसे इज़राइल ने वर्ष 1967 के युद्ध में सीरिया से छीन लिया था।
  - अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर येरुशलम और गोलान हाइट्स को इज़राइल का एक हिस्सा माना है।
- फतह: 1950 के दशक के अंत में यासिर अराफात द्वारा स्थापित, 'फतह' सबसे बड़ा फिलिस्तीनी राजनीतिक गुट है।
  - हमास के विपरीत, फतह एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन है, और इसने आंशिक तौर पर इज़राइल को मान्यता दी है, और शांति प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- हमास: अमेरिका की सरकार द्वारा हमास को एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। वर्ष 2006 में, हमास ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण के विधायी चुनाव जीते थे।
  - इसने वर्ष 2007 में गाजा से 'फतह' को हटा दिया था, साथ ही इसने फिलिस्तीनी आंदोलन को भौगोलिक रूप से विभाजित कर दिया है।

आगे की राह

- इज़राइल-फिलिस्तीन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण: शांतिपूर्ण समाधान के लिये संपूर्ण वैश्विक समुदाय को एक साथ आने की आवश्यकता है, हालाँकि एक शांतिपूर्ण समाधान के प्रति इज़राइल सरकार और अन्य सभी हितधारकों की अनिच्छा ने इस मुद्दे को और अधिक जटिल बना दिया है।
  - इस प्रकार एक संतुलित दृष्टिकोण अरब देशों और इज़राइल के साथ बेहतर संबंध बनाए रखने में मदद करेगा।

नोट :

- अब्राहम समझौते: इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सूडान तथा मोरक्को के बीच हाल ही में हुए सामान्यीकरण समझौते, जिसे अब्राहम समझौते के रूप में जाना जाता है,को शांति स्थापित करने की दिशा में सही कदम माना जा सकता है।
  - सभी क्षेत्रीय शक्तियों को अब्राहम समझौते के अनुरूप दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये।

भारत के EEZ क्षेत्र में अमेरिकी गश्ती

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत ने पश्चिमी हिंद महासागर में अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) में कार्यवाही करने पर अमेरिका का विरोध किया, जिसमें अमेरिका के इस दावे को खारिज कर दिया कि भारत का घरेलू समुद्री कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।

प्रमुख बिंदु

मुद्दा:

- अमेरिकी गतिविधियों के विषय में:
  - अमेरिका के सातवें बेड़े (US Seventh Fleet) ने घोषणा की कि उसका एक युद्धपोत यूएसएस जॉन पॉल जोन्स (DDG 53) ने भारत के EEZ के अंदर लक्षद्वीप द्वीप समूह के पश्चिम में भारत की पूर्व सहमति के बिना 'नौवहन स्वतंत्रता कार्यवाही' (Freedom of Navigation Operation) को अंज़ाम दिया है।।
- सातवाँ फ्लीट:
  - यह अमेरिकी नौसेना के तैनात बेड़े में सबसे बड़ा है।
- नौवहन स्वतंत्रता कार्यवाही:
  - इसके अंतर्गत अमेरिकी नौसेना तटवर्ती देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्र में जल मार्ग को बनाने का प्रयास करती है।
  - यह कार्यवाही विश्व भर में अपने नौपरिवहन अधिकारों और स्वतंत्रताओं को आगे बढ़ाने तथा इस्तेमाल करने की अमेरिकी नीति की पुष्टि करता है।
  - इस प्रकार के अभिकथन इस बात का संकेत देते हैं कि अमेरिका अन्य देशों के समुद्री दावों को स्वीकार नहीं करता है और इस प्रकार इन देशों द्वारा किये गए अपने दावों को अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्वीकार होने से रोकता है।
  - यह पहली बार है जब अमेरिकी नौसेना ने ऐसे ऑपरेशन का विवरण देते हुए एक सार्वजनिक बयान जारी किया है।

अमेरिका का पक्ष:

- भारत चाहता है कोई अन्य देश उसके EEZ या महाद्वीपीय शेल्फ में सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास करने से पूर्व उसकी अनुमति ले।
- भारत का EEZ पर दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून (संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, 1982) के विरुद्ध है।
- नौवहन स्वतंत्रता कार्यवाही ने भारत के समुद्री दावों को चुनौती देकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अधिकारों, स्वतंत्रता और समुद्र के वैध उपयोग इस्तेमाल करने के अधिकार को बरकरार रखा।

भारत का विरोध:

- भारत का मानना है कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Sea) अन्य देशों को किसी देश की सहमति के बिना उसके EEZ क्षेत्र में और महाद्वीपीय शेल्फ में सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास (विशेष रूप से हथियारों या विस्फोटकों का इस्तेमाल करने वाले) करने का अधिकार नहीं देता है।
- भारत से अनुमति की ज़रूरत केवल तभी है जब EEZ में कोई "सैन्य युद्धाभ्यास" किया जाना हो, लेकिन इस मार्ग से सिर्फ गुज़रने पर अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है।
  - सैन्य युद्धाभ्यास शब्द कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

नोट :

- अमेरिका के सातवीं फ्लीट की यह कार्यवाही भारतीय कानून (प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976) का उल्लंघन है।

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि, 1982

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के विषय में:

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो विश्व के समुद्रों और महासागरों के उपयोग के लिये एक नियामक ढाँचा प्रदान करती है।
- यह संधि समुद्री संसाधनों और समुद्री पर्यावरण के संरक्षण तथा उनका एक समान उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करती है।
- यह इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी भी देश की सभी समुद्र समस्याओं का आपस में गहरा संबंध है और इसे समग्र रूप से संबोधित करने की आवश्यकता है।

अभिपुष्टि:

- इस संधि को मान्यता देने के लिये दिसंबर 1982 में मोंटेगो की खाड़ी, जमैका में सबके सामने रखा गया।
- यह संधि वर्ष 1994 में अपने अनुच्छेद 308 के अनुसार लागू हुई।
  - वर्तमान में यह समुद्री कानून से संबंधित सभी मामलों के लिये एक वैश्विक मान्यता प्राप्त कानून है।
- इस अधिवेशन को 168 पक्षों द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें 167 राज्य (164 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के अलावा इसके पर्यवेक्षक राज्य यथा फिलिस्तीन, कुक आइलैंड्स और नीयू) और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 14 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया लेकिन अधिवेशन की पुष्टि नहीं की है।
- भारत ने वर्ष 1995 में इसकी पुष्टि की, जबकि अमेरिका ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

- UNCLOS के अनुसार, EEZ भौगोलिक सीमा से अलग एक सामुद्रिक क्षेत्र है, जो विशेष कानूनी शासन के अधीन है, जिसके अंतर्गत तटवर्ती देशों और अन्य देशों के अधिकार क्षेत्र इस कानून द्वारा परिभाषित हैं।
- यह सीमा आमतौर पर तट से 200 समुद्री मील तक फैली हुई है, जिसके भीतर तटीय राज्यों को अन्वेषण करने और इस क्षेत्र के संसाधनों (जीवित और गैर-जीवित दोनों) का दोहन, संरक्षण और प्रबंधन करने का अधिकार होता है।

भारतीय कानून

प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, विशेष आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976:

- भारत का EEZ क्षेत्र उसके प्रादेशिक समुद्र (Territorial Sea) से अलग है लेकिन उससे सटा हुआ है, जिसकी सीमा आधार सीमा से दो सौ समुद्री मील दूर तक है।
- भारत का प्रादेशिक समुद्र बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है।
- प्रादेशिक जल के बीच से सभी विदेशी जहाज़ों (उप-मरीन, पनडुब्बी और युद्धपोत) को इनोसेंट पैसेज (Innocent Passage) पर जाने का अधिकार होता है।
  - इनोसेंट पैसेज: यह वह मार्ग है जो भारत की शांति, अच्छी व्यवस्था या सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं है।

भारत-सेशेल्स

चर्चा में ?

हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री और सेशेल्स के राष्ट्रपति के मध्य एक आभासी बैठक संपन्न हुई।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

बैठक में संपन्न कार्यक्रम:

- संयुक्त उद्घाटन:
  - सेशल्स की राजधानी माहे में कुल 3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से निर्मित नए मजिस्ट्रेट भवन (New Magistrates' Court), 3.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र (Solar Power Plant) तथा सेशेल्स में 10 सामुदायिक विकास परियोजनाओं (Community Development Projects) का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री और सेशेल्स के राष्ट्रपति द्वारा किया गया।
    - इस सभी परियोजनाओं को भारत की मदद से पूरा किया गया है।
  - भारत द्वारा सेशेल्स में अब तक 29 छोटी जन-उन्मुख विकास परियोजनाओं (Small People-Oriented Development Projects) को पूर्ण किया जा चुका गया है इनके अलावा 1 मेगावाट की सौर परियोजना को 146 सरकारी भवनों को घरों में सौर प्रणाली स्थापित करने के लिये विकसित किया गया है।
  - यह सौर संयंत्र वर्ष भर में लगभग 400 घरों की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करेगा।
- तीव्र गश्ती पोत:
  - भारत द्वारा 'पीएस ज़ोरोस्टर' (PS Zoroaster) जो कि एक तीव्र गश्ती पोत (Fast Patrol Vessel) है, द्वीपीय राष्ट्र सेशेल्स को सौंपा गया है।
  - कुल 100 करोड़ की लागत से निर्मित 48.9 मीटर लंबा तथा 35 नॉट गति वाले इस गश्ती पोत का निर्माण 'गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग' (रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में) द्वारा किया गया है।
  - इस पोत का इस्तेमाल बहुउद्देश्यीय संचालन हेतु किया जाएगा जिसमें गश्त, तस्करी विरोधी और अवैध शिकार विरोधी अभियान और खोज तथा बचाव कार्य शामिल होंगे।
  - भारत पहले भी वर्ष 2005, 2014 और 2016 में सेशेल्स को इस प्रकार के पोत दे चुका है।

सेशेल्स के प्रति भारत का रुख:

- सेशेल्स भारत की 'सागर' (Security and Growth for All in the Region-SAGAR) पहल के केंद्र में है।
- भारत की सुरक्षा क्षमताओं को विकसित करने और अवसंरचनात्मक और विकासात्मक ज़रूरतों को पूरा करने में सेशेल्स की भागीदार का होना भारत के लिये सम्मान की बात है।

भारत के प्रति सेशेल्स का रुख:

- भारत सेशेल्स का एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार है।
- अप्रैल, 2021 के अंत तक अर्थव्यवस्था के खुलने तथा भारत द्वारा सेशेल्स को कोविड-19 टीकों की 50,000 खुराक की मदद की जा चुकी है।
  - सेशेल्स भारत को कोविड -19 की वैक्सीन उपलब्ध कराने वाला पहला देश था।

भारत-सेशेल्स संबंध:

पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1976 में सेशेल्स ने अपनी स्वतंत्रता के बाद, भारत के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किये है ।
- जब से सेशेल्स को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तब से सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के जहाज़ INS नीलगिरि द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है।
  - तब सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सैन्य भागीदारी की परंपरा आज तक जारी है।

नोट :

- वर्ष 1979 में भारत द्वारा विक्टोरिया (सेशेल्स) में एक मिशन प्रारंभ किया गया जोकि 'दार-ए-सलाम' (तंज़ानिया) में स्थापित उच्चायुक्त के साथ समवर्ती रूप से संबद्ध था।
- वर्ष 1987 में भारत द्वारा अपने पहले स्थायी उच्चायुक्त को सेशेल्स में नियुक्त किया गया था, जबकि सेशेल्स ने वर्ष 2008 के प्रारंभ में नई दिल्ली में अपना स्थायी मिशन खोला।

आर्थिक संबंध:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान भारत द्वारा सेशेल्स को 84.49 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सामान का निर्यात और 5.27 मिलियन अमरीकी डॉलर के सामान का आयात किया गया है।
- अगस्त, 2015 में भारत और सेशेल्स के मध्य कर सूचना विनिमय समझौते (Tax Information Exchange Agreement-TIEA) पर हस्ताक्षर किये गए थे। सेशेल्स भी दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (Double Tax Avoidance Agreement-DTAA) पर हस्ताक्षर करने का इच्छुक है।

ऊर्जा और पर्यावरण:

- अगस्त 2015 में भारत और सेशेल्स के मध्य ब्लू इकोनॉमी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये गए थे।
  - हाल ही में, भारत को हिंद महासागर आयोग (Indian Ocean Commission) के पर्यवेक्षक के रूप में स्वीकार किया गया है, सेशेल्स भी जिसका सदस्य है।
- सितंबर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance-ISA) फ्रेमवर्क समझौते के अनुसमर्थन के साथ, सेशेल्स आधिकारिक रूप से ISA के संस्थापक सदस्यों में शामिल हो गया है।
  - ISA भारत की एक पहल है।

सांस्कृतिक संबंध :

- सेशेल्स में भारतीय प्रवासी की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है, जिसके कारण दो ही देशों की सरकारों के समर्थन से दोनों देशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क मुख्य रूप से समुदाय-संचालित (Community-Driven) रहे हैं।
- सेशेल्स में भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO) की पहल पर, कई भारतीय सांस्कृतिक समूह नियमित रूप से सेशेल्स में अपनी विशेष प्रस्तुति देते हैं।
- जून 2018 में दोनों देशों के मध्य मित्रता और सद्भाव को चिह्नित करने हेतु भारत द्वारा सेशेल्स के साथ सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (Cultural Exchange Programme- CEP) पर हस्ताक्षर किये गए थे।

भारतीय समुदाय:

- सेशेल्स के नागरिकों के साथ यहाँ भारतीय मूल के लोगों की संख्या लगभग 10,000 (या जनसंख्या का 11%) अनुमानित है, जो सेशेल्स की 96,000 (अप्रैल 2019) की कुल आबादी के साथ महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - 'गेनफुल एम्प्लॉयमेंट परमिट' (Gainful Employment Permits) वाले लगभग 10,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से ज़्यादातर निर्माण क्षेत्र, दुकान सहायकों और कुछ व्यवसायों में कामगार के रूप में कार्य करते हैं।

रक्षा:

- भारत और सेशेल्स के पास रक्षा और सुरक्षा सहयोग की एक विस्तृत रूपरेखा है, जो वर्षों से सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में बढ़ती समुद्री डकैती और अन्य आर्थिक अपराधों के साथ और अधिक मज़बूत हुई है।
- वर्ष 2015 में भारत द्वारा सेशेल्स में तटीय सुरक्षा हेतु छह तटीय निगरानी रडार प्रणाली (Coastal Surveillance Radar Systems) स्थापित किये गए।
- सेशेल्स सरकार द्वारा भारतीय नौ-सेना को एक ओवरसीज़ बेस के निर्माण हेतु अज़म्पसन द्वीप (Assumption Island) को पट्टे पर दिया गया है।

नोट :

- सेशेल्स के अज़म्पसन द्वीप पर बुनियादी ढाँचे को विकसित करना भारत की सक्रिय समुद्री रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखता है।
- भारत इस द्वीप पर बुनियादी ढाँचे को "रणनीतिक संपत्ति" के रूप में विकसित कर रहा है।

सागर:

- वर्ष 2015 में सागर (Security and Growth for All in the Region- SAGAR) पहल को शुरू किया गया था। यह हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region- IOR) में भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
- SAGAR पहल के माध्यम से भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत कर उनकी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं के निर्माण में सहायता करना चाहता है।
- इसके अलावा भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित कर हिंद महासागर क्षेत्र में एक समावेशी, सहयोगी और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान सुनिश्चित करना चाहता है।
- सागर की प्रासंगिकता तब और अधिक हो जाती है जब इसे भारत की अन्य नीतियों के साथ जोडकर देखा जाता है, जैसे- एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy), प्रोजेक्ट सागरमाला (Project Sagarmala), प्रोजेक्ट मौसम (Project Mausam) जो कि भारत द्वारा ब्लू इकोनॉमी आदि पर ध्यान केंद्रित करती है।

आगे की राह:

- सेशेल्स क्षेत्र में कई प्रमुख शक्तियों के निहित स्वार्थों के कारण यह एक रणनीतिक स्थान बना हुआ है, हालांकि अन्य देशों की तुलना में सेशेल्स में भारत की छवि काफी सकारात्मक है।
- समकालीन समय में सेशेल्स के भू-सामरिक महत्त्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, बल्कि आने वाले समय में यह और अधिक बढ़ेगा जिस पर चीन अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है ऐसी स्थति में भारत को सख्त रुख अपनाने की आवश्यकता है।
- समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी, IUU (अवैध, बिना लाइसेंस और अनियमित) मछली पकड़ने, समुद्री डकैती और जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से निपटने हेतु दोनों देशों को साझा प्रयासों को मज़बूत करने की भी आवश्यकता है।

भारत-नीदरलैंड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और नीदरलैंड के प्रधानमंत्रियों ने एक आभासी शिखर सम्मेलन (Virtual Summit) में भाग लिया।

- यह नीदरलैंड के प्रधानमंत्री का मार्च 2021 में हुए आम चुनावों के बाद पहला उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलन था।
- इससे पहले नीदरलैंड के राजा और रानी ने वर्ष 2019 में दोनों देशों द्वारा साझा किये जाने वाले द्विपक्षीय संबंधों को गति देने के लिये भारत का दौरा किया था।

प्रमुख बिंदु

द्विपक्षीय अनुबद्धता की समीक्षा:

- दोनों देशों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, जल प्रबंधन, कृषि क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं अंतरिक्ष जैसे विविध क्षेत्रों में अपने संबंध और मज़बूत करने के लिये विचार साझा किये।
- भारत-नीदरलैंड के बीच स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सागरमाला, आयुष्मान भारत और स्टार्टअप इंडिया जैसे महत्वाकांक्षी तथा अभिनव कार्यक्रमों में सहयोग के अपार अवसर हैं।
- दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद से मुकाबला और कोविड-19 महामारी जैसी उभरती क्षेत्रीय तथा वैश्विक चुनौतियों पर भी अपने विचार साझा किये एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र, आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता जैसे नए क्षेत्रों में भी मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।

नोट :

जल पर सामरिक भागीदारी:

- दोनों देशों ने जल क्षेत्र पर रणनीतिक साझेदारी को संस्थागत स्वरूप देने पर सहमति व्यक्त की ताकि जल क्षेत्र से जुड़े इंडो-डच सहयोग को और अधिक मज़बूत किया जा सके। इसके अलावा जल विषय पर संयुक्त कार्य बल को मंत्री स्तरीय किये जाने पर भी सहमति बनी।
  - भारत और नीदरलैंड ने वर्ष 2019 में नई दिल्ली में संयुक्त सहयोग के एक भाग के रूप में 'स्वस्थ पुन: उपयोग के लिये शहरी सीवेज धाराओं के स्थानीय उपचार' (LOTUS-HR) के दूसरे चरण को शुरू किया था।

अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिये प्रतिबद्धता:

- दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय शांति, स्थिरता और संपन्नता के लिये नियम आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा मई 2021 में पुर्तगाल में प्रस्तावित भारत-यूरोपीय संघ (European Union) के नेताओं के सफल सम्मेलन की कामना की।

भारत का पक्ष:

- भारत और नीदरलैंड का जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये एक समान दृष्टिकोण है।
- भारत ने नीदरलैंड का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance) और आपदा रोधी बुनियादी ढाँचा पर सहयोग (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure) को अपना समर्थन देने के लिये धन्यवाद किया।
  - ISA और CDRI दोनों ही भारत की पहल है।
- भारत ने नीदरलैंड की हिंद-प्रशांत नीति और 2023 में जी-20 के भारत के अध्यक्षीय कार्यकाल में मिलकर काम करने की इच्छा का स्वागत किया।
- निवेश प्रोत्साहित करने के लिये एक फास्ट ट्रैक तंत्र को स्थापित करने से दोनों देशों के बीच मज़बूत आर्थिक सहयोग को नई गति मिलेगी।

भारत-नीदरलैंड संबंध

आर्थिक और व्यापार:

- भारत और नीदरलैंड के बीच आर्थिक साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है।
- नीदरलैंड से भारत में वित्त वर्ष 2018-19 में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 3.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आया था। अत: नीदरलैंड इस अवधि में मॉरीशस और सिंगापुर के बाद भारत में निवेश करने वाला तीसरा सबसे बड़ा निवेशक देश था।
- भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश का नीदरलैंड मार्च 2018 के अंत तक दूसरा सबसे बड़ा पसंदीदा स्थान था।
- भारत और नीदरलैंड के बीच वर्ष 2017-18 में द्विपक्षीय व्यापार 8.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 12.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।
  - इस द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2025 तक 18-23 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास होने का अनुमान है।
- नीदरलैंड भारत का यूरोपीय संघ में 5वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारत में निवेश करने वाले अग्रणी देशों में से एक है।
- नीदरलैंड की लगभग 200 कंपनियाँ भारत में और भारत की की लगभग 160 कंपनियाँ नीदरलैंड में सक्रिय हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान नीदरलैंड में निवेश करने वाली भारतीय आईटी कंपनियों में बढ़ोतरी हुई है।

ऐतिहासिक संबंध:

- भारत-नीदरलैंड संबंध 400 वर्ष से अधिक पुराने हैं, लगभग 17वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में पहली डच कंपनी (डच ईस्ट इंडिया कंपनी) स्थापित हुई थी।
- दोनों देश लोकतंत्र, बहुलवाद और कानून के शासन के सामान्य आदर्शों को भी साझा करते हैं।

सांस्कृतिक संबंध:

- नीदरलैंड में भारतीय प्रवासियों की बड़ी संख्या मौजूद है। नीदरलैंड्स में भारतीय छात्रों और पेशेवर समुदायों की बढ़ती संख्या के चलते दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधो में मज़बूती देखी जा रही है, साथ ही इससे तकनीकी साझेदारी को भी बढ़ावा मिल रहा है।
- भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relation) द्वारा अक्तूबर 2011 में हेग में एक सांस्कृतिक केंद्र (गाँधी केंद्र) की स्थापना की गई।

नोट :

- पाँचवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga) 16 जून, 2019 को एम्स्टर्डम के प्रतिष्ठित डैम स्क्वायर (Dam Square) में मनाया गया।

आगे की राह

- नीदरलैंड और भारत को अपनी वास्तविक क्षमता हासिल करना अभी बाकी है। दोनों राष्ट्रों की भू-राजनीतिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए सहयोग की भारी संभावना है।
- अधिक आर्थिक और रक्षा सहयोग के साथ-साथ सर्वोच्च स्तर पर नेताओं की भागीदारी नए स्तर पर संबंधों को ले जाने के लिये समय की माँग है।
- अगले पाँच वर्षों में जैसे-जैसे भारत आगे बढ़ेगा, नीदरलैंड की कंपनियाँ भारत आएंगी और भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगी।

उत्तरी आयरलैंड में हिंसा

चर्चा में क्यों ?

उत्तरी आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम (UK) में हालिया वर्षों के दौरान हिंसा की सबसे खराब स्थिति देखी गई है। 23 वर्ष पहले हुए एक शांति समझौते ने काफी हद तक उत्तरी आयरलैंड की समस्याओं को समाप्त कर दिया था, परंतु वर्तमान में एक बार फिर उत्तरी आयरलैंड के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा देखी जा रही है।

प्रमुख बिंदु:

ऐतिहासिक संघर्ष:

- भौगोलिक रूप से उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड का तथा राजनीतिक रूप से UK का हिस्सा है।
- कई शताब्दियों तक ब्रिटेन के कब्जे में रहने के बाद लगभग 100 वर्ष पहले आयरलैंड में विद्रोह हुआ। जिसके बाद वर्ष 1920-21 में आयरलैंड का बँटवारा हुआ। तब ब्रिटेन ने आयरलैंड की 32 काउंटी में से रोमन कैथोलिक-बहुमत वाली केवल 26 काउंटी को ही स्वतंत्रता प्रदान की जबकि प्रोटेस्टेंट बहुमत वाली शेष छह काउंटी पर आज भी ब्रिटेन का कब्ज़ा है।
- उत्तरी आयरलैंड के कैथोलिक अल्पसंख्यकों ने प्रोटेस्टेंट-बहुमत वाले राज्य में भेदभाव का अनुभव किया।
- 1960 के दशक में एक कैथोलिक नागरिक अधिकार आंदोलन ने बदलाव की मांग की लेकिन उसे सरकार और पुलिस की कठोर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा।
- शांति बनाए रखने के लिये वर्ष 1969 में ब्रिटिश सेना को तैनात किया गया।
  - यह स्थिति आयरिश रिपब्लिकन विद्रोहियों के बीच संघर्ष में बदल गई, जो दक्षिणी आयरलैंड के साथ एकजुट होना चाहते थे।
- तीन दशकों के संघर्ष के दौरान बम विस्फोट और गोलीबारी में 3,600 से अधिक लोग (अधिकांश नागरिक) मारे गए। जिनमे से अधिकांश उत्तरी आयरलैंड से थे।

विवाद की समाप्ति:

- 1990 के दशक तक गुप्त वार्ता के बाद आयरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा राजनयिक प्रयासों की मदद से सभी पक्षों को शांति समझौते के लिये तैयार किया गया ।
- 10 अप्रैल, 1998 को हस्ताक्षरित 'गुड फ्राइडे समझौता' दो समझौतों का समूह है जिसने 1960 के दशक से जारी उत्तरी आयरलैंड संघर्ष की अधिकांश हिंसक झड़पों को समाप्त कर दिया। 1990 के दशक में यह समझौता उत्तरी आयरलैंड शांति प्रक्रिया में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ और इसने उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक-प्रोटेस्टेंट साझा सत्ता सरकार की स्थापना की।
- इसके तहत उत्तरी आयरलैंड की अंतिम स्थिति को समाप्त कर दिया गया तथा कहा गया कि यह तब तक ब्रिटिश के नियंत्रण में रहेगा जब तक कि बहुमत की इच्छा हो, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के आधार पर भविष्य में जनमत संग्रह से भी इनकार नहीं किया गया।

नोट :

- अब जबकि शांति प्रक्रिया काफी हद तक समाप्त हो गई है, 'आयरिश रिपब्लिकन आर्मी' नामक छोटे समूह ने सुरक्षा बलों पर कई बार हमले किये हैं जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक हिंसा की विभिन्न घटनाएँ सामने आई हैं।
- शक्ति के विभाजन की व्यवस्था में विफलता के कारण वर्तमान में भी सरकार को दोनों पक्षों पर भरोसा नहीं है।

मूल समस्या के रूप में ब्रेक्ज़िट:

- उत्तरी आयरलैंड ने यूरोपीय संघ (EU) से ब्रिटेन के अलग होने की प्रक्रिया 'ब्रेक्ज़िट' को मूल समस्या बताया है।
- उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के बीच एक खुली आयरिश सीमा है, जहाँ स्वतंत्र रूप से लोगों तथा सामानों की आवाजाही होती है। इस तरह उत्तरी आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरलैंड और ब्रिटेन दोनों में ही अपना घर महसूस होता है।
- ब्रिटेन की सरकार ने ब्रेक्ज़िट की प्रक्रिया पर ज़ोर दिया है इसके माध्यम से ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के आर्थिक ढाँचे से बाहर कर दिया था इसके फलस्वरूप व्यापार में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
- यूरोपीय संघ से बाहर होने पर अब ब्रिटेन को व्यापार पर नए अवरोध और जाँच प्रक्रियाओं का निर्माण करना पड़ा है। लेकिन ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इस बात पर सहमति जताई कि उत्तरी आयरलैंड की सीमा पर ऐसा नहीं होगा जिसका मूल कारण शांति प्रक्रिया है।
- ब्रिटिश संघवादियों ने चिंता व्यक्त की है कि अगर ऐसा होता रहा तो उत्तरी आयरलैंड में ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो सकती है। इससे उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड के एक होने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है।

वर्तमान हिंसा के कारण:

- ब्रेक्ज़िट और कोरोना:
  - 31 दिसंबर, 2020 ब्रिटेन, यूरोपीय संघ से अलग हो गया और नई व्यापार व्यवस्था जल्द ही उत्तरी आयरलैंड के उन संघवादियों के लिये एक अड़चन बन गई जो ब्रिटेन में रहना चाहते हैं।
  - कोरोना वायरस महामारी के कारण प्रारंभिक व्यापार खामियाँ पहले से भी अधिक गहरी हो गईं तथा व्यापारिक स्थितियाँ और खराब हो गईं।
- पहचान का संकट:
  - "जहाँ कुछ लोगों की पहचान ब्रिटिश के रूप में है और वे ब्रिटेन का हिस्सा बने रहना चाहते हैं वहीं, कुछ लोग स्वयं को आयरलैंड का निवासी मानते हैं और वे पड़ोसी आयरलैंड गणराज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं जो की यूरोपीय संघ का सदस्य है।" यह तथ्य भी हिंसा का एक प्रमुख कारण है।

कज़ाखस्तान के रक्षा मंत्री की यात्रा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और कज़ाखस्तान गणराज्य (Republic of Kazakhstan) के रक्षा मंत्रियों के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की गई ।

- इससे पहले सितंबर 2020 में मॉस्को (रूस) में शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation) के रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान इनके बीच वार्ता हुई थी।

प्रमुख बिंदु

वार्ता के मुख्य बिंदु

- दोनों पक्षों ने रक्षा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग की संभावना पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।
  - प्रशिक्षण, रक्षा अभ्यास और क्षमता निर्माण समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और अधिक मज़बूत करने पर भी विमर्श किया गया।

नोट :

- लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (UNIFIL) में कज़ाखस्तानी सैनिकों को भारतीय बटालियन के साथ तैनात करने के लिये दिये गए अवसर हेतु कज़ाखस्तान ने भारत को धन्यवाद दिया।
  - UNIFIL की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1978 में लेबनान से इज़रायल की वापसी की पुष्टि करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करने तथा लेबनान सरकार की इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने में सहायता के उद्देश्य से की थी।
- वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास काज़िंद (KAZIND) का मूल्यांकन किया गया।

भारत-कज़ाखस्तान के बीच रक्षा सहयोग:

- भारत-कज़ाखस्तान के बीच रक्षा सहयोग की शुरुआत जुलाई 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री की कज़ाखस्तान यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग पर एक समझौते के तहत हुई है।
  - इस समझौते में संयुक्त प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, सैन्य-तकनीकी सहयोग, संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था और खुफिया सूचनाओं का आदान-प्रदान करना शामिल है।
    - UNIFIL, लेबनान में भारतीय बटालियन के एक हिस्से के रूप में तैनाती हेतु कज़ाख सशस्त्र बल यूनिट ने अप्रैल-मई 2018 में भारत में प्रशिक्षण लिया।

भारत के लिये कज़ाखस्तान का महत्त्व:

- कज़ाखस्तान भारत के लिये अपनी भू-रणनीतिक अवस्थिति, आर्थिक क्षमता (विशेष रूप से ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में) और बहु-जातीय तथा धर्मनिरपेक्ष संरचना के कारण विशेष महत्त्व रखता है।
- चीन के साथ लंबी सीमाओं के साथ-साथ रूस और एशिया के बीच भू-राजनीतिक अवस्थिति कज़ाखस्तान को प्रमुख रणनीतिक महत्त्व प्रदान करती है।
  - कज़ाखस्तान पश्चिम में कैस्पियन सागर, उत्तर में रूस, पूर्व में चीन और दक्षिण में किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज़्बेकिस्तान से घिरा हुआ है।
- कज़ाखस्तान भारत को चीन के साथ भू-रणनीतिक संतुलन हासिल करने में मदद कर सकता है। भारत का प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन के वन बेल्ट वन रोड (OBOR) पहल के आर्थिक प्रभाव को कम करना है।
  - इसलिये भारत उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (North-South Transport Corridor- NSTC) को बढ़ावा दे रहा है।
- NSTC सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर 2000 को सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा स्थापित एक बहु उद्देशीय परिवहन समझौता है, जिसे बाद में ग्यारह नए सदस्यों को शामिल करने के लिये संशोधित किया गया।
- कज़ाखस्तान वैश्विक परमाणु सुरक्षा के संदर्भ में प्रमुख देश बन चुका है और इसने नागोर्नो-काराबाख, ईरान, यूक्रेन और सीरिया के संघर्ष में शांति व्यवस्था बहाली के दिशा में अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये हैं।

भारत-कज़ाखस्तान संबंध

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- भारत और कज़ाखस्तान के संबंध अत्यधिक प्राचीन और ऐतिहासिक हैं जो 2000 वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे हैं।
- दोनों देशों के मध्य व्यापार का एक निरंतर और नियमित प्रवाह रहा है तथा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण, विचारों और संस्कृति के आदान-प्रदान की निरंतरता है।
  - भारत से मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार तथा मध्य एशिया से भारत में सूफी विचारों का प्रसार ऐसे ही दो उदाहरण हैं।

राजनीतिक संबंध:

- भारत, कज़ाखस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले शुरूआती देशों में से एक था।
- दोनों देशों के मध्य फरवरी 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित किये गए थे।
- वर्ष 2009 से भारत और कज़ाखस्तान दोनों एक-दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं।

नोट :

बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग:

- दोनों ही देश एक दूसरे को विभिन्न बहुपक्षीय मंचों जैसे- CICA, SCO और संयुक्त राष्ट्र के संगठनों में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं।
- भारत ने कज़ाखस्तान की पहल 'एशिया में सहभागिता और विश्वास निर्माण उपायों' (Conference on Interaction and Confidence-Building Measures in Asia- CICA) का समय-समय पर समर्थन किया गया है और CICA की निर्माण प्रक्रिया सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- कज़ाखस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council- UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है और वर्ष 2021-22 में भारत की अस्थायी सदस्यता हेतु अपने समर्थन को आगे बढ़ाता है।

व्यापार और अर्थव्यवस्था:

- वर्ष 1993 में स्थापित भारत-कज़ाखस्तान अंतर-सरकारी आयोग (India-Kazakhstan Inter-Governmental Commission- IGC) दोनों देशों के मध्य व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने हेतु एक सर्वोच्च द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र है।
  - संबंधित मंत्रियों की सह-अध्यक्षता में भारत की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कज़ाखस्तान की और से ऊर्जा मंत्रालय इस आयोग हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करते हैं।
- दोनों देशों के मध्य काउंटर टेररिज़्म, व्यापार और आर्थिक सहयोग, रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, हाइड्रोकार्बन, कपड़ा, चाय ऋण एवं अंतरिक्ष सहयोग, स्वास्थ्य एवं परिवहन, कनेतर-सरकारी आयोग, India-Kazakhstan Inter-Governmental Commission
- कज़ाखस्तान, मध्य एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और निवेश भागीदार है।

अंतरिक्ष सहयोग:

- वर्ष 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organization- ISRO) ने 103 अन्य उपग्रहों के साथ अल-फराबी कज़ाख नेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित 1.7 किलोग्राम वज़न का नैनो सैटेलाइट "अल -फराबी -1" (Al-Farabi-1) को लॉन्च किया गया।
- मई 2018 में इसरो के एक प्रतिनिधिमंडल ने कज़ाख रक्षा एक्सपो 'KADEX' (Kazakh Defence Expo 'KADEX) में हिस्सा लिया था।

नागरिक परमाणु सहयोग:

- वर्ष 2008 में भारत को परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (Nuclear Suppliers Group- NSG) देशों के साथ असैन्य परमाणु सहयोग की अनुमति देने तथा भारत को विशिष्ट छूट प्राप्त करने में कज़ाखस्तान द्वारा भारत का समर्थन किया गया।

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC):

- भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आईटीईसी कार्यक्रम के तहत विभिन्न विशेष क्षेत्रों में कज़ाखस्तान को क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करता है।

दूतावास संबंधी सहयोग:

- भारत और कज़ाखस्तान के मध्य राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों हेतु वीजा मुक्त प्रवेश (Visa Free Entry) पर एक समझौता हुआ है।
- भारत सरकार द्वारा फरवरी 2018 से कज़ाखस्तान नागरिकों हेतु ई-वीजा सुविधा (E-Visa Facility) का विस्तार किया गया है।

नोट :

- 1 जनवरी, 2019 से कज़ाखस्तान द्वारा भारत के यात्रियों हेतु इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा (Electronic Visa) सुविधा भी शुरू की गई है।

आगे की राह:

- मध्य एशिया का हिस्सा होने के कारण,कज़ाखस्तान भारत के लिये रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। भारत को मध्य एशिया के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने हेतु अपने आर्थिक संसाधनों का अधिक कुशलता के साथ उपयोग करने की आवश्यकता है।
- भारत-कज़ाखस्तान के मध्य स्थापित मज़बूत संबंध नई दिल्ली (भारत) को पाकिस्तान को दरकिनार कर संसाधन संपन्न क्षेत्र नूर-सुल्तान (कज़ाखस्तान) तक पहुँच प्रदान करता है, जो भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण पूरक भूमिका निभा सकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

एपोफिस क्षुद्रग्रह

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने क्षुद्रग्रह एपोफिस के कारण आगामी 100 वर्षों तक पृथ्वी को कोई नुकसान होने की संभावना को खारिज कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

आकार

- एपोफिस पृथ्वी के निकट एक क्षुद्रग्रह है, जिसका आकार तुलनात्मक रूप से काफी बड़ा, लगभग 335 मीटर है।

नाम और खोज

- वर्ष 2004 में खोजे गए इस क्षुद्रग्रह का नाम अराजकता और अंधेरे के प्राचीन मिस्र के देवता के नाम पर रखा गया है तथा इसकी खोज के बाद नासा ने घोषणा की थी कि यह क्षुद्रग्रह उन क्षुद्रग्रहों में से एक है, जिनके कारण पृथ्वी के समक्ष बड़ा खतरा मौजूद है।
  - एपोफिस के वर्ष 2029 और वर्ष 2036 के पृथ्वी के करीब आने की भविष्यवाणी की गई थी, किंतु बाद में नासा ने इन आशंकाओं को खारिज कर दिया था।
  - हालाँकि वर्ष 2068 में इसके पृथ्वी के करीब से गुज़रने या टकराने की आशंका बनी हुई थी।

हालिया उड़ान

- हाल ही में 5 मार्च, 2021 को यह क्षुद्रग्रह पृथ्वी से लगभग 17 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुज़रा है। इस दौरान वैज्ञानिकों ने सूर्य के चारों ओर क्षुद्रग्रह की कक्षा के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिये रडार अवलोकन का उपयोग किया।

प्रभाव- यदि यह पृथ्वी से टकराता है तो:

क्षुद्रग्रह

परिचय

- क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। क्षुद्रग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा ग्रहों के समान ही की जाती है लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है।
  - इन्हें लघु ग्रह भी कहा जाता है।
- नासा के अनुसार, ज्ञात क्षुद्रग्रहों की संख्या तकरीबन 9,94,383 है, जिनका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल के निर्माण के समय हुआ था।

वर्गीकरण: क्षुद्रग्रह तीन वर्गों में विभाजित हैं:

- पहला समूह
  - मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में मौजूद क्षुद्रग्रह, अनुमान के अनुसार, इस क्षुद्रग्रह बेल्ट में 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्रग्रह मौजूद हैं।
- दूसरा समूह
  - इसमें वे ट्रोजन क्षुद्रग्रह शामिल हैं, जो एक बड़े ग्रह के साथ अपनी कक्षा को साझा करते हैं। नासा ने बृहस्पति, नेपच्यून और मार्स ग्रहों के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों की जानकारी दी है। वर्ष 2011 में नासा ने पृथ्वी के ट्रोजन क्षुद्रग्रह की भी सूचना दी थी।

नोट :

- तीसरा समूह
  - इसमें नियर-अर्थ क्षुद्रग्रह (NEA) शामिल होते हैं, जिनकी कक्षा पृथ्वी के पास से गुज़रती हैं। वे क्षुद्रग्रह जो पृथ्वी की कक्षा को पार करते हैं उन्हें अर्थ -क्रॉसर्स कहा जाता है। अब तक कुल 10,000 से अधिक नियर-अर्थ क्षुद्रग्रहों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें से 1,400 से अधिक को 'संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह' (PHAs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  - नासा का सेंटर फॉर नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडी (CNEOS) इन क्षुद्रग्रहों (जब ये पृथ्वी के सबसे करीब होते हैं) के समय और दूरी को निर्धारित करता है।

'संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह' (PHAs)

- यह किसी एक क्षुद्रग्रह के पृथ्वी के करीब आने की संभावना को इंगित करता है।
- विशेष रूप से ऐसे सभी क्षुद्रग्रह जिनकी 'मिनिमम ऑर्बिट इंटेरसेक्शन डिस्टेंस' (MOID) 0.05 खगोलीय इकाई (लगभग 7,480,000 Km) या इससे कम तथा निरपेक्ष परिमाण (H) 22.0 (लगभग 150 MT व्यास) हो, उन्हें संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह माना जाता है।
  - 'मिनिमम ऑर्बिट इंटेरसेक्शन डिस्टेंस' दो लगभग अतिच्छादित अंडाकार कक्षाओं के बीच न्यूनतम दूरी की गणना करने के लिये एक विधि है।
  - खगोलीय इकाई (AU) पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है और यह लगभग 150 मिलियन किमी. है।
  - निरपेक्ष परिमाण किसी भी तारे की चमक का एक मापक है, अर्थात् प्रत्येक समय तारे द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की कुल मात्रा।
- एपोफिस को 'संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह' (PHAs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कोविड-19 का पुन: संक्रमण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research- ICMR) के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा 1,300 ऐसे व्यक्तियों के मामलों की जाँच की गई है जो दो बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं।

- जाँच में पाया गया कि 1,300 लोगों में से 58 अर्थात् 4.5 प्रतिशत लोग कोरोना से दोबारा संक्रमित हुए।

प्रमुख बिंदु:

- पुन: संक्रमण के वैश्विक मामले:
  - पुन: संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि हॉन्गकॉन्ग में की गई।
  - अमेरिका और बेल्जियम में भी कुछ मामले सामने आए।
  - हालाँकि भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें लोगों का कोरोना टेस्ट कई बार पॉज़िटिव आया परंतु ऐसे मामलों को कोरोना के केस में शामिल नहीं किया जा सकता है।
    - इस प्रकार के मामले परसिस्टेंट वायरल शेडिंग (Persistent Viral Shedding) का परिणाम है। वायरल शेडिंग से तात्पर्य शरीर में वायरस के विस्तार से होता है।

परसिस्टेंट वायरल शेडिंग:

- जब कोई व्यक्ति SARS-CoV-2 जैसे श्वसन वायरस (Respiratory Virus) से संक्रमित हो जाता है तो वायरस के कण विभिन्न प्रकार के वायरल रिसेप्टर (Viral Receptor) के साथ बँधे होते हैं।
- कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों में कोरोना के निम्न स्तर के वायरस कम-से-कम तीन महीने तक रह सकते हैं।
- इस निम्न स्तर के वायरस में दूसरों को बीमार करने और संक्रमित कर देने की सीमित क्षमता ही होती है. इस वायरस का पता डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से लगाया जा सकता है।

नोट :

- इस प्रकार लगातार वायरस से विकसित होने वाली बीमारी को पर्सिस्टेंट वायरल शेडिंग कहा जाता है।
- पुन: संक्रमण के अध्ययन का महत्त्व:
  - यह स्पष्ट करना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति जो एक बार संक्रमित हो चुका है क्या उसके द्वारा बीमारी के खिलाफ स्थायी प्रतिरक्षा विकसित की जा चुकी है या वह कुछ समय बाद पुन: संक्रमित होता है।
    - पुन: संक्रमित होने की संभावना के प्रति समझ कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण हो सकती है।
  - यह बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक रणनीतिक हस्तक्षेप के निर्धारण में सहायक होगा।
  - यह इस बात का आकलन करने में भी मदद करेगा कि कब तक लोगों को मास्क का उपयोग और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
  - इसका प्रभाव टीकाकरण की रफ्तार पर भी देखने को मिलेगा।
- पुन: संक्रमण का निर्धारण:
  - पुन: संक्रमण की पुष्टि हेतु वैज्ञानिकों द्वारा वायरस के नमूने का जीनोम अनुक्रम विश्लेषण (Genome sequence analysis) किया गया।
    - क्योंकि वायरस में लगातार उत्परिवर्तन की क्रिया होती रहती है। दो नमूनों के जीनोम अनुक्रमों में कुछ अंतर विद्यमान होता है।
  - हालाँकि जीनोम विश्लेषण हेतु प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति से वायरस के नमूने एकत्र नहीं किये गए हैं।
    - आमतौर पर अधिकांश मामलों में पिछले संक्रमण का कोई जीनोम अनुक्रम नहीं देखा गया, जिससे तुलना की जा सके।
  - इस प्रकार ICMR के वैज्ञानिकों द्वारा अपने अध्ययन में उन मामलों को शामिल किया गया जिनमें रोगी 102 दिनों के भीतर कम-से-कम दो बार संक्रमित हुए थे लेकिन इस प्रकार के संक्रमण को परसिस्टेंट वायरल शेडिंग में शामिल नहीं किया जाएगा।
    - सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल (Centers for Disease Control- CDC) के अनुसार, वायरल शेडिंग में लगभग 90 दिनों का समय लगता है।
- पुन: संक्रमण के लक्षण:
  - पुन: संक्रमण की मध्यावधि में अधिकांश रोगियों में वायरस का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है, हालाँकि कुछ रोगियों द्वारा हल्के लक्षणों की पुष्टि की गई है।
  - कुछ लक्षणों में रुक-रुक कर बुखार आना, खाँसी या साँस लेने में तकलीफ आदि शामिल हैं।
- पुन: संक्रमण का निहितार्थ:
  - पुन: संक्रमण के कारण स्थायी प्रतिरक्षा (Permanent Immunity) प्रणाली को विकसित नहीं किया जा सकता है।
    - यदि प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति के जीनोम का विश्लेषण करना संभव हो तो पुन: संक्रमण की पुष्टि सही तरीके से की जा सकती है।
  - यदि पुन: संक्रमण के मामलों की पुष्टि हो जाती है तो मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपाय सभी लोगों के लिये सामान्य हो जाएंगे।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद:

- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं संवर्द्धन हेतु भारत का शीर्ष निकाय है।
- ICMR द्वारा जारी अधिदेश समाज के लाभ हेतु चिकित्सा अनुसंधान का संचालन, समन्वय और कार्यान्वयन करना है जो उत्पादों/प्रक्रियाओं में चिकित्सा नवाचारों का अनुवाद कर उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करता है।
- यह भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्तपोषित है।

नोट :

कोविड -19 के दौरान महासागरीय ध्वनिक

चर्चा में क्यों ?

कोविड -19 महामारी के दौरान लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों (जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) के रुकने की वजह से पृथ्वी की सतह पर ध्वनि प्रदूषण कम हो गया था।

- महासागरों में पिछले कई महीनों से मानव निर्मित ध्वनि प्रदूषण (एन्थ्रोफोनी) काफी हद तक कम हो गया है।

प्रमुख बिंदु:

महासागरों में ध्वनिक:

- महासागरीय ध्वनिक के तीन व्यापक घटक हैं:
  - जियोफोनी (Geophony) : गैर-जैविक प्राकृतिक घटनाओं (जैसे: भूकंप, लहरों और बुदबुदाहट) से उत्पन्न ध्वनियाँ।
  - बायोफोनी(Biophony): समुद्री जीवों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ ।
  - एंथ्रोफोनी(Anthrophony): मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ (प्रमुख रूप से समुद्री जहाज़ों से होने वाली ध्वनि)।
- वर्ष 2021 में साइंस जर्नल में प्रकाशित 'द साउंडस्केप ऑफ एंथ्रोपोसीन ओशन रिपोर्ट' के अनुसार, औद्योगिक युग से पहले जियोफोनी और बायोफोनी महासागरों के साउंडस्केप पर हावी थे।
  - हालाँकि अब एंथ्रोफोनी इन प्राकृतिक घटकों के साथ हस्तक्षेप करती है और इन्हें बदल देती है।

आधुनिक समय में ध्वनि का स्तर:

- वर्तमान भूगर्भीय युग के महासागर (एंथ्रोपोसीन युग , जब मानव निर्मित व्यवधान काफी हद तक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं) पूर्व-औद्योगिक समय के महासागरों की तुलना में अधिक प्रदूषणकारी(ध्वनि) हैं।
- महामारी के शुरूआती दौर में, समुद्री ध्वनियों की निगरानी के समय कई स्थानों पर एक डेसीबल (डीबी) की गिरावट दर्ज की गई।
- कनाडा के 'नेपच्यून ओशन ऑब्ज़र्वेटरी' के एंडेवर नोड के हाइड्रोफोंस में प्रतिवर्ष औसतन 1.5dB की कमी परिलक्षित हुई, जिसका अभिप्राय 100 हर्ट्ज पर साप्ताहिक शोर शक्ति का वर्णक्रमीय घनत्व।

एंथ्रोफोनी का प्रभाव

- एंथ्रोफोनी का अल्पावधि उपयोग समुद्री जीवों द्वारा उत्पन्न श्रवण संकेतकों की पहचान करने, खाद्य सामग्री में उनकी क्षमता को कमज़ोर करने, अन्य शिकारी जीवों से बचने के लिये किया जाता है।
- लंबे समय तक इसका उपयोग, समुद्री प्रजातियों की आबादी को कम कर सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय शांत महासागर प्रयोग (IQOE)

- यह अनुसंधान, निरीक्षण और प्रसारण गतिविधियों के जरिये समुद्री जीवों और समुद्री जीवों पर पड़ने वाले ध्वनि के प्रभावों को समझने के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम की अवधि 2015-2025 तक निर्धारित है I IQOE टीम ने कोविड -19 महामारी के दौरान बड़ी मात्रा में आँकडों को एकत्रित किया है।
- IQOE महासागर ध्वनिक डेटा को अधिक तुलनीय बनाने की विधियाँ विकसित कर रहा है। इन आँकडों से महासागरीय ध्वनि का आकलन करके और उन पर COVID-19 महामारी के प्रभावों की तलाश करने के लिये एक वैश्विक डेटा सेट में संकलित किया जाएगा।
- IQOE ने दुनिया भर के महासागरों में 200 से अधिक गैर-सैन्य हाइड्रोफोन (समुद्री सतह के माइक्रोफोन) के एक नेटवर्क की पहचान की है।
  - इस परियोजना के नेटवर्क में अधिकांश हाइड्रोफोन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के तटों पर स्थित हैं । अब दुनिया के कई अन्य हिस्सों (विशेष रूप से यूरोप में) में इनकी उपस्थिति बढ़ रही है।

नोट :

- इन हाइड्रोफोन (जो दूरस्थ आवृत्ति के संकेतों की भी पहचान करते है) में व्हेल और अन्य समुद्री जानवरों के साथ-साथ मानव गतिविधियों से उत्पन्न ध्वनियों को भी रिकॉर्ड किया गया है।

हाइड्रोफ़ोन

- जिस तरह एक माइक्रोफोन हवा में उपस्थित ध्वनि को एकत्र करता है, उसी प्रकार से एक हाइड्रोफोन पानी के नीचे ध्वनिक संकेतों का पता लगाता है ।
- अधिकांश हाइड्रोफोन सिरेमिक उत्पादों पर आधारित होते हैं जो जलदाब परिवर्तन के कारण एक लघु विद्युत प्रवाह का उत्पादन करते हैं।
- जब एक सिरेमिक (चीनी मिटटी से निर्मित) हाइड्रोफोन समुद्र में डूबता है तो कई तरह की आवृत्तियों पर लघु विद्युत का संकेत देता है क्योंकि यह चारों तरफ से पानी के नीचे उपस्थित ध्वनियों के संपर्क में होता है।
- इन विद्युत संकेतों को परिवर्द्धित और रिकॉर्ड करके, हाइड्रोफोन बड़ी सटीकता के साथ महासागरीय ध्वनियों का मापन करते हैं।

फॉर्मूला-1 हेतु 100% सतत् ईंधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन (FIA) ने जैव अपशिष्ट से बने 100% सतत् ईंधन के पहले बैरल की घोषणा की है और कठोर F1 (फॉर्मूला वन) विनिर्देशों को विकसित कर पावर यूनिट निर्माताओं को दिया गया है।

- FIA ने वर्ष इसे 2025 से संचालित करके वर्ष 2030 तक F1 को कार्बन तटस्थ बनाने की घोषणा की है।

फॉर्मूला वन

- फॉर्मूला वन, जिसे संक्षेप में एफ 1 (F1) भी कहा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय ऑटो रेसिंग खेल है। एफ 1 सिंगल-सीट, ओपन-व्हील और ओपन-कॉकपिट पेशेवर मोटर रेसिंग प्रतियोगिता का उच्चतम स्तर है।
- F1 सत्र में दौड़ की एक श्रृंखला होती है जिसे ग्रैंड्स प्रिक्स के रूप में जाना जाता है।
- फॉर्मूला वन रेसिंग एक विश्व निकाय द्वारा संचालित और स्वीकृत है जिसे FIA (Fédération Internationale de l'Automobile or the International Automobile Federation कहा जाता है। इस नाम में निहित "फ़ॉर्मूला" शब्द नियमों के एक क्रम को संदर्भित करता है जिसका सभी प्रतिभागियों द्वारा पालन किया जाना चाहिये

प्रमुख बिंदु:

वर्तमान F1 कार्बन फुटप्रिंट:

- प्रत्यक्ष प्रभाव:
  - F1 की संचालित गतिविधियाँ प्रति वर्ष लगभग 2,56,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करती हैं , जो वर्तमान समय अवधि में ब्रिटेन में लगभग 30,000 घरों को बिजली देने के बराबर है।
- अप्रत्यक्ष प्रभाव:
  - वर्ष 2019 में खेलों के माध्यम से उत्पन्न 0.7% कार्बन उत्सर्जन का मुख्य स्रोत केवल कारें नहीं थी बल्कि उनके साथ-साथ दुनिया भर में टीमों द्वारा लाए गए उपकरण भी ज़िम्मेदार थे।
  - इस सूची में खेल में कारखानों और सुविधाओं के उत्सर्जन का 19.3% और घटना संचालन का 7.3% का प्रतिनिधित्व करता है ।

100% सतत ईंधन:

पृष्ठभूमि:

- F 1 योजना ऊर्जा-कुशल इंजनों के निरंतर विकास के माध्यम से सबसे उच्च-स्तरीय तकनीकों में से एक है जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके।

नोट :

- 1989 से जब FIA वैकल्पिक ईंधन आयोग का गठन किया गया था तब से एफ 1 ने इंजन की दक्षता में सुधार के लिये कई प्रयास किये हैं, जो 2007 में अपनी वैश्विक ईंधन अर्थव्यवस्था पहल के रूप में उल्लेखनीय है, जिसका उद्देश्य प्रतियोगिता के दौरान ईंधन की खपत को 50% तक कम करना है।
- वर्ष 2020 में FIA ने घोषणा की कि उसने 100% सतत् ईंधन विकसित किया है और इंजन निर्माता पहले ही इसका परीक्षण करने की प्रक्रिया में थे क्योंकि वे 2026 तक इसका उपयोग शुरू करना चाहते थे।

परिचय:

- एक 100% सतत् ईंधन अनिवार्य रूप से तीसरी पीढ़ी और जैव ईंधन के सबसे उन्नत पुनरावृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है ,जो सामान्य तौर पर औद्योगिक या कृषि अपशिष्ट उत्पादों द्वारा बनाया जाता है।
- F1 कारें पहले से ही जैव ईंधन का उपयोग करती हैं लेकिन वर्तमान नियम केवल यह आदेश देते हैं कि ईंधन में 5.75% जैव घटक शामिल होने चाहिये।
- वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 10% हो जाएगी और वर्ष 2025 तक जब नई बिजली इकाइयों को प्रतियोगिता में प्रवेश करने का प्रस्ताव होगा तो FIA को पूरी तरह से 100% उन्नत टिकाऊ ईंधन के रूपांतरण की उम्मीद है।

जैव ईंधन:

परिचय:

- कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन, जो किसी कार्बनिक पदार्थ (जीवित अथवा मृत पदार्थ) से कम समय (दिन, सप्ताह या महीने) में निर्मित होता है, जैव ईंधन (Biofuels) माना जाता है।
- जैव ईंधन प्रकृति में ठोस, तरल या गैसीय हो सकते हैं।
  - ठोस: लकड़ी, पौधों से प्राप्त सूखी हुई सामग्री तथा खाद
  - तरल: बायोएथेनॉल और बायोडीज़ल
  - गैसीय: बायोगैस
- इन्हें परिवहन, स्थिर, पोर्टेबल और अन्य अनुप्रयोगों के लिये डीज़ल, पेट्रोल या अन्य जीवाश्म ईंधन के अलावा इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही, उनका उपयोग ऊष्मा और बिजली उत्पन्न वाले यंत्रो में भी किया जा सकता है।

जैव ईंधन की श्रेणियाँ:

- पहली पीढ़ी के जैव ईंधन:
  - ये खाद्य स्रोतों जैसे कि चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या पशु वसा से पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके बनाए जाते हैं ।
  - सामान्य रूप से पहली पीढ़ी के जैव ईंधन में बायो अल्कोहल, बायोडीज़ल, वनस्पति तेल, बायोएथर्स, बायोगैस आदि शामिल हैं ।
- दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन:
  - ये गैर-खाद्य फसलों या खाद्य फसलों के कुछ हिस्सों से उत्पन्न होते हैं जो खाद्य अपशिष्ट के रूप में माने जाते हैं, जैसे: डंठल, भूसी, लकड़ी के टुकड़े और फलों के छिलके और गुद्दे।
  - ऐसे ईंधन के उत्पादन के लिये थर्मोकेमिकल अभिक्रियाओं या जैव रासायनिक रूपांतरण प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है।
  - उदाहरण: सेल्यूलोज़ इथेनॉल और बायोडीज़ल।
- तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन:
  - ये शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं।
    - उदाहरण: ब्यूटेनॉल (Butanol)
  - शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों को खाद्य उत्पादन के लिये उपयोग भूमि और अनुपयुक्त जल से उगाया जा सकता है, इससे घटते जल स्रोतों पर दबाव को कम किया जा सकता है।

नोट :

- चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन:
  - इन ईंधनों के उत्पादन के लिये उन फसलों को चुना जाता है जिनमें आनुवंशिक रूप से अधिक मात्रा में कार्बन अभिनियांत्रित होते हैं, उन्हें बायोमास के रूप में उगाया और काटा जाता है ।
  - उसके बाद फसलों को दूसरी पीढ़ी की तकनीकों का उपयोग करके ईंधन में परिवर्तित किया जाता है।
  - ईंधन का पूर्व दहन करके कार्बन का पता लगाया जाता है। तब कार्बन भू-अनुक्रमित होता है, जिसका अर्थ है कि कार्बन कच्चे तेल या गैसीय क्षेत्र में या अनुपयुक्त पानी के खेतों में जमा हो जाता है।
  - इनमें से कुछ ईंधन को कार्बन नकारात्मक माना जाता है क्योंकि उनका उत्पादन पर्यावरण से कार्बन की मात्रा को नष्ट करता है।

भारत की संबंधित पहल:

- E-20 ईंधन: इससे पहले भारत सरकार ने E20 ईंधन (गैसोलीन के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण) को अपनाने के लिये सार्वजनिक टिप्पणियाँ आमंत्रित की थीं।
- प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019 (Pradhan Mantri JI-VAN Yojana, 2019): इस योजना का उद्देश्य दूसरी पीढ़ी (2G) के इथेनॉल उत्पादन हेतु वाणिज्यिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है।
- जीएसटी में कटौती: सरकार ने ईंधन में इथेनॉल के सम्मिश्रण के लिये इस पर लगने वाली जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है।
- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति-2018: इस नीति में 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1जी) के बायोइथेनॉल और बायोडीज़ल तथा 'विकसित जैव ईंधनों' यानी दूसरी पीढ़ी (2जी) के इथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (एमएसडब्ल्यू) से लेकर ड्रॉप-इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन, बायो CNG आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है, ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (National Supercomputing Mission) का दूसरा चरण सितंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें भारत की कुल संगणन (Computational) क्षमता 16 पेटाफ्लॉप्स होगी।

प्रमुख बिंदु

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के विषय में:

- लॉन्च: मार्च 2015 में सात वर्षों की अवधि (वर्ष 2015-2022) के लिये 4,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 'राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन' की घोषणा की गई थी। इस मिशन के अंतर्गत 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपरकंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित कर देश भर के राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों और R&D संस्थाओं को सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है।
  - यह मिशन सरकार के 'डिजिटल इंडिया' और 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
- कार्यान्वयन: इस मिशन को 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग' (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय) तथा 'इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' (MeitY) द्वारा 'सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग' (C-DAC) और 'भारतीय विज्ञान संस्थान' (IISc) बंगलूरू के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- विशेषताएँ:
  - यह भारत के स्वामित्व वाले सुपर कंप्यूटरों की संख्या में सुधार करने का भी एक प्रयास है।

नोट :

- इन सुपरकंप्यूटरों को 'राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क' (National Knowledge Network- NKN) के विस्तार के माध्यम से 'राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटर ग्रिड' के साथ जोड़ा जाएगा। NKN एक उच्च गति के नेटवर्क के माध्यम से शैक्षणिक संस्थानों और आर एंड डी प्रयोगशालाओं को जोड़ता है।

- NSM के अंतर्गत अगले पाँच वर्षों में 20,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो सुपरकंप्यूटरों की जटिलताओं के समाधान तथा उन्हें प्रबंधित करने में सक्षम होंगे।

NSM की प्रगति:

- NSM के प्रथम चरण में 'परम शिवाय' (Param Shivay) को IIT-BHU, 'परम शक्ति' (Param Shakti) को आईआईटी-खड़गपुर, 'परम ब्रह्म' (Param Brahma) को 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च' (IISER)- पुणे में और 'परम संगणक' को जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च में स्थापित किया गया।
- हाल ही में 'परम सिद्धि' (Param Siddhi) को विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की शीर्ष 500 सूची में 63वाँ स्थान दिया गया। इसे NSM के अंतर्गत विकसित किया गया था।

हालिया विकास:

- अक्तूबर 2020 में C-DAC ने IIT के साथ-साथ IISc, राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और NIT, तिरुचिरापल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये, जिसके अंतर्गत इन संस्थानों में उच्च शक्ति कंप्यूटिंग (High Power Computing- HPC) प्रणाली स्थापित की जा रही है।
- अब तक 4,500 से अधिक लोगों को HPC में प्रशिक्षित किया गया है और आगे का प्रशिक्षण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चार IITs (खड़गपुर, मद्रास, गोवा और पलक्कड़) में स्थापित NSM के विशेष केंद्रों में आयोजित किया जाएगा।

चुनौतियाँ:

- NSM ने देश में 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन वाले सुपरकंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपरकंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करने की परिकल्पना की है, लेकिन मिशन के शुरुआती वर्षों के दौरान वित्तपोषण की विषमता ने सुपर कंप्यूटर के निर्माण की गति को धीमा कर दिया।

  इस मिशन के लिये आवंटित 4,500 करोड़ रुपए में से केवल 16.67% का ही शुरू के चार वर्षों के दौरान खर्च किया गया था।

वैश्विक परिदृश्य:

- विश्व स्तर पर अधिकतम सुपरकंप्यूटरों के साथ चीन दुनिया में शीर्ष स्थान रखता है। इसके बाद अमेरिका, जापान, फ्राँस, जर्मनी, नीदरलैंड, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों का स्थान है।

HGCO19: mRNA वैक्सीन कैंडिडेट

चर्चा में क्यों ?

भारत के mRNA आधारित कोविड -19 वैक्सीन कैंडिडेट, (HGCO19) को इसके नैदानिक परीक्षण के लिये अतिरिक्त सरकारी धन प्राप्त हुआ है।

- यह धनराशि 'मिशन कोविड सुरक्षा' के अंतर्गत प्रदान की गई है।

प्रमुख बिंदु:

HGCO19:

- नोवल mRNA टीका कैंडिडेट, HGCO19 को पुणे स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जीनोवा (Gennova) बायोफार्मा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने अमेरिका के HDT बायोटेक कारपोरेशन के सहयोग से विकसित किया है।
- HGCO19 ने पहले से ही कृंतक और गैर-मानव प्राइमेट मॉडल में सुरक्षा, प्रतिरक्षा, तटस्थता एंटीबॉडी गतिविधि का प्रदर्शन किया है।
- जीनोवा (Gennova) ने HGCO19 के लिये चरण 1/2 नैदानिक परीक्षणों हेतु स्वयंसेवकों के नामांकन की पहल की है।

नोट :

पारंपरिक टीके बनाम mRNA टीका

- टीके शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों (वायरस या बैक्टीरिया) द्वारा उत्पन्न प्रोटीन को पहचानने और उन पर प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते है।
- पारंपरिक टीके रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की लघु या निष्क्रिय खुराक से या इनके द्वारा उत्पन्न प्रोटीन से बने होते हैं, जिन्हें प्रतिरक्षा प्रणाली की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये शरीर में टीकाकरण के माध्यम से प्रवेश कराया जाता है।
- mRNA टीका वह विधि है जो शरीर में वायरल प्रोटीनों को स्वयं से उत्पन्न करने के लिये प्रेरित करता है।
  - वे mRNA या messenger RNA का उपयोग करते हैं, यह अणु अनिवार्य रूप से डीएनए निर्देशों के लिये कार्रवाई में भाग लेता है। कोशिका के अंदर mRNA का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिये टेम्पलेट के रूप में विकसित किया जाता है।

mRNA टीकों की कार्यप्रणाली:

- mRNA वैक्सीन का उत्पादन करने के लिये वैज्ञानिक mRNA के एक सिंथेटिक संस्करण का उत्पादन करते हैं जैसा कि एक वायरस अपने संक्रामक प्रोटीन के निर्माण के लिये उपयोग करता है।
- इस mRNA को मानव शरीर में पहुँचाया जाता है, जिसकी कोशिकाएँ इसे उस वायरल प्रोटीन के निर्माण के निर्देश के रूप में ग्रहण करती हैं और इसलिये वायरस के कुछ अणुओं का निर्माण स्वयं करती हैं।
- ये एकल प्रोटीन होते हैं, इसलिये वे वायरस निर्माण के लिये एकत्रित नहीं हो पाते हैं।
- प्रतिरक्षा प्रणाली तब इन वायरल प्रोटीनों का पता लगाती है और उनके लिये एक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना शुरू कर देती है।

mRNAआधारित टीकों के उपयोग के लाभ:

- mRNA टीके को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह मानक सेलुलर तंत्र द्वारा गैर-संक्रामक, प्रकृति में गैर-एकीकृत संचरण के लिये जाना जाता है।
- वे अत्यधिक प्रभावशाली होते है क्योंकि उनकी अंतर्निहित क्षमता के कारण वे कोशिका द्रव्य के अंदर प्रोटीन संरचना में स्थानांतरित हो जाते है ।
- इसके अतिरिक्त, mRNA टीके पूरी तरह से सिंथेटिक हैं और उनके विकास के लिये किसी जीव (अंडे या बैक्टीरिया) की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिये उन्हें स्थायी रूप से सामूहिक टीकाकरण के लिये उनकी "उपलब्धता" और "पहुँच" सुनिश्चित करने के लिये आसानी से निर्मित किया जा सकता है।

मिशन कोविड सुरक्षा

- मिशन COVID सुरक्षा भारत के लिये स्वदेशी, सस्ती और सुलभ वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाने हेतु भारत का लक्षित प्रयास है. जो कि भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन की दृष्टि से भी काफी महत्त्वपूर्ण होगा।
- केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा तीसरे आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के दौरान की थी।
- यह मिशन नैदानिक परीक्षण, वैक्सीन उत्पादन और बाज़ार तक उसकी पहुँच आदि स्तरों में मदद करके त्वरित उत्पाद विकास के लिये सभी उपलब्ध और वित्तपोषित संसाधनों को समेकित करेगा।
- इस मिशन का नेतृत्त्व जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा किया जाएगा और इसका कार्यान्वयन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) की एक समर्पित मिशन कार्यान्वयन इकाई द्वारा किया जाएगा।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)

- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) सार्वजनिक क्षेत्र का एक गैर-लाभकारी उपक्रम है।
- इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिये उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्यम को मज़बूत और सशक्त बनाने के लिये एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को क्षमता बढ़ाने का आदेश

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal) ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Haryana State Pollution Control Board) को निर्देश दिया है कि वह अपनी क्षमता को मज़बूत करे, साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board) से कहा कि वह एक समान भर्ती मापदंड अपनाए।

- यह निर्देश पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन हेतु बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिये दिया गया।
- इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने जनवरी 2021 में हरियाणा में अनुपचारित सीवेज द्वारा जल निकायों में प्रदूषण पर स्वत: संज्ञान लिया था।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- याचिका:
  - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड्स (State Pollution Control Boards) द्वारा वर्ष 2018 में मौजूदा निगरानी तंत्र को संशोधित करने के लिये NGT की प्रमुख पीठ के समक्ष एक मामला दायर किया गया था।
    - इसमें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के साथ-साथ वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के अनिवार्य निरीक्षण और स्वत: नवीनीकरण के लिये कंसेंट टू ऑपरेट (Consent to Operate) प्रमाणपत्र शामिल है।
  - इस याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड (Central Ground Water Board) की एक पूर्व रिपोर्ट ने हरियाणा में भूजल की गुणवत्ता में गिरावट की तरफ इशारा किया था।
  - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General) की वर्ष 2016 की रिपोर्ट में भी बताया गया था कि निगरानी तंत्र की कमज़ोरी से कई परियोजनाएँ बिना सीटीओ प्रमाणपत्र के संचालित हैं।
- एनजीटी की कार्रवाई:
  - एनजीटी ने हरियाणा सरकार को अपनी निरीक्षण नीति को फिर से लागू करने और कानून का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिये एक आदेश पारित किया।
- हरियाणा का प्रस्ताव:
  - एनजीटी के आदेश का पालन करते हुए हरियाणा सरकार ने निरीक्षण की आवृत्ति में वृद्धि, रियल टाइम डेटा के लिये ऑनलाइन निगरानी उपकरणों की स्थापना करने और दस्तावेज़ों के नवीनीकरण से पूर्व उनके सत्यापन हेतु एक संशोधित नीति का प्रस्ताव किया।

वर्तमान आदेश:

- निरीक्षण की आवृत्ति में वृद्धि करना।
- SPCB की क्षमता में वृद्धि करना/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (Pollution Control Committees) की क्षमता में वृद्धि करना।
- पर्यावरण क्षतिपूर्ति निधि का उपयोग करने के लिये CPCB की क्षमता में वृद्धि।
- राज्य PCB/PCC के वार्षिक निष्पादन का लेखापरीक्षा करना।
- CPCB के प्रमुख पदों के लिये योग्यता, न्यूनतम पात्रता मानदंड और आवश्यक अनुभव का प्रारूप तैयार करना।

नोट :

महत्त्व:

- SPCB की शक्ति और प्राधिकारियों के साथ 'ईज़ ऑफ डूइंग' के नाम पर समझौता किया गया। यह एनजीटी के हालिया निर्णय CPCB/SPCB/PCCs को मज़बूत करने की लंबे समय से विलंबित पहल की शुरुआत है।
- एनजीटी के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया जा सकता है। एनजीटी ने उन अड़चनों को दूर करने की कोशिश की है, जिनका इस्तेमाल पर्यावरण नियमन की मज़बूती को रोकने के लिये किया जा रहा था।
- CPCB को मानक भर्ती नियमों को लाने लिये कहा गया, इस फैसले का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका सभी राज्यों द्वारा पालन किया जा सकता है। मौजूदा SPCBs भर्ती नियमों का दशकों से नवीनीकरण नहीं किया गया है।

नोट:

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

- इसका गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

- ये बोर्ड CPCB के पूरक और सांविधिक होते हैं जो संबंधित राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू करने के लिये अधिकृत होते हैं।

पर्यावरण मुआवज़ा:

- पर्यावरण क्षतिपूर्ति पर्यावरण के संरक्षण का एक साधन है जो "पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल" (Polluter Pays Principle) पर काम करता है।

पर्यावरण क्षतिपूर्ति कोष:

- यह पर्यावरण के उल्लंघन के चलते वसूले गए धन का एक विशेष प्रकार का कोष है।
  - उदाहरण: जल निकायों में अवैध निर्वहन।

वनाग्नि: एक गंभीर चिंता

चर्चा में क्यों ?

भारत के कई राज्यों और वन्यजीव अभयारण्यों में वर्ष 2021 के आगमन के बाद से ही वनाग्नि की घटनाएँ देखी जा रही है।

प्रमुख बिंदु

वनाग्नि:

- इसे बुशफायर (Bushfire) या जंगल की आग भी कहा जाता है। इसे किसी भी जंगल, घास के मैदान या टुंड्रा जैसे प्राकृतिक संसाधनों को अनियंत्रित तरीके से जलाने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे- हवा, स्थलाकृति आदि के आधार पर फैलता है।
- वनाग्नि को कृषि हेतु नए खेत तैयार करने के लिये वन क्षेत्र की सफाई, वन क्षेत्र के निकट जलती हुई सिगरेट या कोई अन्य ज्वलनशील वस्तु छोड़ देना जैसी मानवीय गतिविधियों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है।
- उच्च तापमान, हवा की गति और दिशा तथा मिट्टी एवं वातावरण में नमी आदि कारक वनाग्नि को और अधिक भीषण रूप धारण करने में मदद करते हैं।

नोट :

वर्ष 2021 में वनाग्नि के उदाहरण:

- जनवरी में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश (कुल्लू घाटी) और नगालैंड-मणिपुर सीमा (जुकू घाटी) क्षेत्र में लंबे समय तक वनाग्नि की घटनाएँ देखी गईं।
- ओडिशा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत के दौरान आग की एक बड़ी घटना घटित हुई।
- हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिज़र्व और गुजरात में एशियाई शेरों तथा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अभयारण्यों में भी वनाग्नि की घटनाएँ देखी गईं।

भारत के जंगलों की वनाग्नि के प्रति सुभेद्यता:

- भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India- FSI), देहरादून द्वारा जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट (India State of Forest Report), 2019 के अनुसार, वर्ष 2019 तक देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 21.67% (7,12,249 वर्ग किमी.) भाग की वन के रूप में पहचान की गई है।
  - इसमें वनस्पति कवरेज कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.89% (95,027 वर्ग किमी.) है।
- पिछली आग की घटनाओं और रिकॉर्डों के आधार पर यह पाया गया कि पूर्वोत्तर तथा मध्य भारत के जंगल वनाग्नि के प्रति ज़्यादा सुभेद्य हैं।
  - वनाग्नि से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले जंगलों के रूप में असम, मिज़ोरम और त्रिपुरा के जंगलों की पहचान गई।
- अत्यधिक प्रवण श्रेणी के अंतर्गत बड़े वन क्षेत्र वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
- MoEFCC की वर्ष 2020-2021 की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य ओडिशा के साथ-साथ पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्र अत्यंत संभावित 'वन फायर हॉटस्पॉट' में बदल रहे हैं।
- अत्यधिक प्रवण 'और' मध्यम प्रवण 'श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का लगभग 26.2% हैं जो 1,72,374 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला हुआ है।

वनाग्नि के कारण:

- वन की आग के कई प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन भारत में इसका प्रमुख कारण मानव गतिविधियाँ हैं।
  - कई अध्ययन विश्व स्तर पर आग के बढ़ते मामलों को जलवायु परिवर्तन से जोड़ते हैं, विशेष रूप से ब्राज़ील (अमेज़न) और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग को।
  - वनाग्नि की लंबी अवधि, बढ़ती तीव्रता, उच्च आवृत्ति आदि को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है।
- भारत में मार्च और अप्रैल के दौरान वनाग्नि की सबसे अधिक घटनाएँ घटित होती हैं क्योंकि यहाँ के जंगलों में इस समय सूखी लकडियाँ, पत्तियाँ, घास और खरपतवार जैसे आग को बढ़ावा देने वाले पदार्थ मौजूद होते हैं।
- इसके लिये उत्तराखंड में मिट्टी की नमी में कमी भी एक महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा रहा है। लगातार दो मॉनसून सीज़न (वर्ष 2019 और 2020) में क्रमश: 18% और 20% तक औसत से कम वर्षा हुई है।
- वनों की अधिकांश आग मानव निर्मित होती हैं, कभी-कभी तो जान-बूझकर भी आग लगाई जाती है। उदाहरण के लिये ओडिशा में सिमलीपाल के जंगल में पिछले महीने भीषण आग की घटना देखी गई थी, जिसका कारण यह था कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने महुआ के फूलों को इकट्ठा करने के लिये ज़मीन साफ करने हेतु सूखी पत्तियों में आग लगा दी और यह आग जंगल में फैल गई।

वनाग्नि का प्रभाव:

- वनाग्नि से वन आवरण, मिट्टी की उर्वरता, पौधों के विकास, जीवों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।
- आग कई हेक्टेयर जंगल को नष्ट कर देती है और राख को पीछे छोड़ देती है, जिससे यह क्षेत्र वनस्पति विकास के लिये प्रतिकूल हो जाता है।

नोट :

- आग जानवरों के आवास को नष्ट कर देती है।
  - मिट्टी की संरचना में परिवर्तन के साथ इसकी गुणवत्ता घट जाती है।
  - मिट्टी की नमी और उर्वरता भी प्रभावित होती है।
  - वनों का आकार सिकुड़ सकता है।
  - आग से बचे हुए पेड़ अक्सर अस्त-व्यस्त रहते हैं और इनका विकास बुरी तरह प्रभावित होता है।

वनों का महत्त्व:

- वन जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वन कार्बन सिंक के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।
  - एक पूर्ण विकसित वन किसी भी अन्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन का संचय करता है।
- भारत में वनों के निकट बसे लगभग 1.70 लाख गाँवों (वर्ष 2011 की जनगणना) में कई करोड़ लोगों की आजीविका ईंधन, बाँस, चारा आदि के लिये इन पर निर्भर है।

वनाग्नि को कम करने के प्रयास:

- FSI ने वर्ष 2004 के बाद से सही समय पर जंगल की आग की निगरानी के लिये फॉरेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम (Forest Fire Alert System) विकसित किया।
  - इस सिस्टम का जनवरी 2019 में उन्नत संस्करण लॉन्च किया गया जो अब नासा और इसरो से एकत्रित उपग्रह जानकारियों का उपयोग करता है।
- वनाग्नि को कम करने के प्रयासों में शामिल अन्य योजनाएँ हैं- वनाग्नि पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Forest Fire), 2018 और वनाग्नि निवारण तथा प्रबंधन योजना।

दक्षिण पूर्व एशिया को EU का सहयोग

चर्चा में क्यों ?

यूरोपीय संघ (EU) ने दक्षिण पूर्व एशिया में जलवायु अनुकूल विकास का समर्थन करने हेतु लाखों यूरो के वित्तपोषण का निर्णय लिया है।

- दिसंबर 2020 में यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन 'आसियान' का 'रणनीतिक भागीदार' बना था, जिसके बाद से दोनों क्षेत्रीय समूहों ने जलवायु परिवर्तन नीति को सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण घोषित किया था।

प्रमुख बिंदु

दक्षिण पूर्व एशिया के लिये यूरोपीय संघ की सहायता:

- बहुपक्षीय सहायता
  - यूरोपीय संघ आसियान क्षेत्र के लिये विकास सहायता का सबसे बड़ा प्रदाता है, और वह विभिन्न पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों के लिये लाखों यूरो प्रदान करता है।
  - इसमें 'आसियान स्मार्ट ग्रीन सिटिज़' पहल के लिये 5 मिलियन यूरो और निर्वनीकरण को रोकने के लिये शुरू की गई 'फॉरेस्ट लॉ एंफोर्समेंट, गवर्नेंस एंड ट्रेड इन आसियान' पहल के लिये 5 मिलियन यूरो शामिल है।
- व्यक्तिगत सहायता
  - बहुपक्षीय सहायता के साथ, यूरोपीय संघ आसियान सदस्य देशों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी कार्य कर रहा है और उनकी पर्यावरण अनुकूल नीतियों जैसे- थाईलैंड का बायो-सर्कुलर-ग्रीन इकोनॉमिक मॉडल और सिंगापुर का ग्रीन प्लान 2030 आदि में सहायता कर रहा है।

नोट :

दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय संघ के समक्ष मौजूद समस्याएँ

- दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय संघ के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती इस क्षेत्र की पर्यावरण संबंधी नीतियाँ है, क्योंकि यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पहलुओं में गलत दिशा में जा रहा है।
- जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार वर्ष 1999 से वर्ष 2018 के बीच जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले पंद्रह देशों में से पाँच आसियान देश थे।

दक्षिण पूर्व एशिया में कोयले की खपत

- वर्ष 2040 तक दक्षिण पूर्व एशिया की ऊर्जा माँग में 60% वृद्धि होने का अनुमान है।
- अनुमान के मुताबिक, आसियान क्षेत्र में वर्ष 2030 कोयला आधारित ऊर्जा, ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस से आगे निकल जाएगी और वर्ष 2040 तक यह क्षेत्र के अनुमानित CO_2 उत्सर्जन में लगभग 50% का योगदान देगा।
  - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के आँकड़ों की मानें तो वर्ष 2019 में, दक्षिण पूर्व एशिया ने लगभग 332 मिलियन टन कोयले का उपभोग किया था, जो कि एक दशक पहले किये गए उपभोग का लगभग दोगुना था।
- साउथ-ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक 2019 के मुताबिक, यह क्षेत्र CO_2 उत्सर्जन में लगभग दो-तिहाई यानी लगभग 2.4 गीगाटन वृद्धि में योगदान देगा।

दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय संघ के लिये जोखिम

- निर्यातकों का आक्रोश
  - यदि यूरोपीय संघ इस क्षेत्र में कोयले के प्रयोग को लेकर कोई कड़ा कदम उठाता है, तो उसे कोयले के प्रमुख निर्यातकों जैसे- चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया आदि के आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है।
- नीतिगत प्रतिरोध
  - दक्षिण पूर्व एशिया में यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन नीति को पहले से ही प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है।
    - इंडोनेशिया ने पिछले वर्ष यूरोपीय संघ द्वारा पाम ऑयल पर लागू किये गए चरणबद्ध प्रतिबंधों के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन में कार्यवाही की शुरुआत की थी।
    - यूरोपीय संघ ने तर्क दिया है कि ये प्रतिबंध पर्यावरण की रक्षा के लिये आवश्यक हैं, जबकि विश्व के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक इंडोनेशिया के मुताबिक, ये प्रतिबंध केवल संरक्षणवादी है।
    - दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक, मलेशिया यूरोपीय संघ के विरुद्ध इंडोनेशिया का समर्थन कर रहा है।
- पाखंड के आरोप
  - यूरोपीय संघ के लिये दूसरी समस्या यह है कि यदि वह दक्षिण-पूर्व एशिया में कोयला आधारित ऊर्जा पर अधिक ज़ोर देता है, तो उस पर पाखंड के आरोप लगाए जा सकते हैं।
    - यूरोपीय संघ में शामिल पोलैंड और चेक गणराज्य अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये कोयला आधारित ऊर्जा पर निर्भर हैं।
    - वर्ष 2019 में दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप दोनों ने वैश्विक स्तर पर थर्मल कोयले के आयात में 11-11% का योगदान दिया था।

जलवायु परिवर्तन पर आसियान देशों के साथ भारत का समन्वय:

- वर्ष 2012 में दोनों देशों ने 'अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आसियान-भारत सहयोग पर नई दिल्ली घोषणा' को अपनाया था।
- वर्ष 2007 में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनुकूलन और शमन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने हेतु पायलट परियोजनाओं को शुरू करने के लिये 5 मिलियन डॉलर के साथ आसियान-भारत ग्रीन फंड की स्थापना की गई थी।
- आसियान और भारत IISc, बंगलूरु के साथ साझेदारी के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं।

नोट :

डेन्यूब स्टर्जन

चर्चा में क्यों ?

विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund- WWF) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, डेन्यूब नदी के निचले क्षेत्र विशेष रूप से बुल्गारिया,रोमानिया, सीरिया और यूक्रेन में डेन्यूब स्टर्जन (मछली की एक प्रजाति) की अवैध बिक्री के कारण इसे विश्व की सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है।

- डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत (Black Forest Mountain) से होता है जो लगभग 2,850 किमी. तक प्रवाह के बाद काला सागर में मिल जाती है।

प्रमुख बिंदु:

डेन्यूब स्टर्जन के बारे में:

- डायनासोर के समय से लेकर लगभग 200 मिलियन वर्षों तक स्टर्जन प्रजाति मौजूद रही है। इसकी प्रजातियों की लंबाई आठ मीटर तक होती हैं। यह 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रह सकती है।
- स्टर्जन को 'जीवित जीवाश्म' (Living Fossils) कहा जाता है क्योंकि अपनी उत्पत्ति के बाद से इस प्रजाति में अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन हुए हैं।
  - जीवित जीवाश्म ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें प्रारंभिक भूगर्भीय काल से अब तक कोई परिवर्तन न हुआ हो और उनके निकट संबंधी विलुप्त हो गए हों।
  - स्टर्जन के अलावा, हॉर्सशू क्रैब (Horseshoe Crab) और जिन्कगो या जिन्को के वृक्ष (Ginkgo Trees) जीवित जीवाश्म के उदाहरण हैं।
- WWF के अनुसार, स्टर्जन (Sturgeons) मछलियाँ लंबे समय तक जीवित रहती हैं, देर से परिपक्व होती हैं और एक लंबे समयांतराल के बाद अंडे देती हैं। इन्हें पर्यावरण और मानवीय दबाव से उबरने में एक लंबा समय लगता है, जिस कारण ये नदी और अन्य पारिस्थितिक मापदंडों के स्वास्थ्य हेतु एक प्रमुख संकेतक के रूप में कार्य करती हैं।

निवास स्थान:

- उत्तरी गोलार्द्ध में स्टर्जन और पैडलफिश (Paddle Fishes) की 27 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जहाँ कुछ प्रजातियाँ केवल मीठे जल में में पाई जाती हैं वहीं अधिकांश प्रजातियाँ ऐसी हैं जो ताज़े जल में विचरण करती हैं लेकिन अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्री या खारे जल के वातावरण में बिताती हैं।
- डेन्यूब स्टर्जन अधिकांशत: काला सागर में निवास करती हैं तथा अंडे देने के लिये डेन्यूब और अन्य प्रमुख नदियों की ओर पलायन करती हैं।

खतरा/संकट:

- अतिदोहन और अवैध शिकार (कमज़ोर मत्स्य प्रबंधन और फिशिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के अपर्याप्त प्रवर्तन के कारण इसमें वृद्धि हुई है)।
- बाँधों द्वारा प्रवासन मार्गों का अवरुद्ध होना।
- प्राकृतिक आवासों का क्षरण अथवा क्षति।
- प्रदूषण।

संरक्षण स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट: डेन्यूब नदी में स्टर्जन की 6 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें से पाँच गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं।
- CITES: परिशिष्ट- II

नोट :

वर्ल्ड वाइल्डलाईफ फंड फॉर नेचर:

- यह एक प्रमुख वैश्विक संरक्षण संगठन है जो 100 से अधिक देशों में कार्य करता है।

स्थापना:

- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में की गई थी तथा इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में स्थित है।

मिशन:

- प्रकृति का संरक्षण करने और पृथ्वी पर जीवन की विविधता को बनाए रखने के लिये सर्वाधिक दबाव वाले खतरों को कम करने की दिशा में कार्य करना।

WWF कीमहत्त्वपूर्ण पहले:

- TX2 लक्ष्य
- TRAFFIC
- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट
- अर्थ ऑवर

काला सागर:

- काला सागर एक अंतर्देशीय समुद्र है जो सुदूर-दक्षिणपूर्वी यूरोप और एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारों तथा तुर्की के मध्य स्थित है।
- यह बोस्पोरस जलडमरूमध्य (Bosporus Strait) इसके बाद यह मारमरा सागर (Marmara Sea), डारडेनेल्स जलडमरूमध्य (Dardanelles Strait) तथा दक्षिण में एजियन सागर (Aegean Sea) और क्रीट सागर (Sea of Crete) के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।
- कर्च जलडमरूमध्य (Strait of Kerch) के द्वारा यह आज़ोव सागर (Sea of Azov) से भी जुड़ता है।

सीमावर्ती देश:

- रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की।

इंडियन राइनो विज़न' 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में 'इंडियन राइनो विज़न' 2020 (Indian Rhino Vision 2020- IRV2020) के तहत असम स्थित मानस नेशनल पार्क (Manas National Park) में दो गैडों (Rhinos) को स्थानांतरित करने के साथ IRV2020 अपने लक्ष्य के और अधिक करीब पहुँच गया है।

- IRV2020 के तहत गैडों के स्थानांतरण का यह आठवाँ दौर था।

प्रमुख बिंदु:

इंडियन राइनो विज़न' 2020 के बारे में:

- इसे वर्ष 2005 में शुरू किया गया। भारतीय राइनो विज़न 2020 के तहत वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम में स्थित सात संरक्षित क्षेत्रों में फैले एक सींग वाले गैंडों की आबादी को बढ़ाकर कम-से-कम 3,000 से अधिक करने का एक महत्त्वाकांक्षी प्रयास था।
- सात संरक्षित क्षेत्रों में काज़ीरंगा (Kaziranga), पोबितोरा (Pobitora), ओरांग नेशनल पार्क (Orang National Park), मानस नेशनल पार्क (Manbs National Park), लोखोवा वन्यजीव अभयारण्य (Laokhowa Wildlife Sanctuary), बुराचौरी वन्यजीव अभयारण्य (Burachapori Wildlife Sanctuary) और डिब्रू सैखोवा वन्यजीव अभयारण्य (Dibru Saikhowa Wildlife Sanctuary) शामिल हैं।

नोट :

- IRV2020 का उद्देश्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जंगली जीवों का हस्तांतरण करना है। इसके तहत काज़ीरंगा नेशनल पार्क जैसे सघन गैंडों की आबादी वाले क्षेत्र से मानस नेशनल पार्क, जहाँ आबादी कम है, में गैंडों को हस्तांतरण किया जाना है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय राइनो फाउंडेशन (International Rhino Foundation), असम वन विभाग (Assam's Forest Department), बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (Bodoland Territorial Council), वर्ल्ड वाइड फंड- इंडिया (World Wide Fund - India) और यूएस फिश एंड वाइल्डलाइफ सर्विस (US Fish and Wildlife Service) सहित विभिन्न संगठनों के मध्य एक सहयोगात्मक प्रयास है।

कार्यक्रम का प्रदर्शन:

- गैंडों की आबादी को बढ़ाकर 3,000 करने के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया गया है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से चार संरक्षित क्षेत्रों में हस्तांतरित जीवों में से केवल एक क्षेत्र में ही उनकी आबादी को दोबारा से देखा जा रहा है ।
  - काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांगा नेशनल पार्क और पोबितोरा के अलावा चार संरक्षित क्षेत्रों में एक-सींग वाले गैंडों (Greater one-Rorned Rhino) के प्रसार की योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका।
- मानस नेशनल पार्क में गैंडों के हस्तांतरण ने इसे वर्ष 2011 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिलाने में मदद की है।
- पूरे असम में वन्यजीव अपराध से निपटने हेतु वानिकी, स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारी अधिकारियों के सयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2018 और 2019 में गैंडों के अवैध शिकार में कमी देखी गई है।

एक-सींग वाले गैंडे के बारे में:

- एशिया में राइनो की तीन प्रजातियाँ एक-सींग वाला गैंडा (Greater One-Horned Rhino), जावन (Javan) और सुमात्रन (Sumatran) पाई जाती हैं।
- गैंडों के सींग के लिये इनका शिकार करना और इनके निवास स्थान की क्षति एशिया में गैंडों के अस्तित्व के लिये दो सबसे बड़े खतरे हैं।
- राइनो रेंज़ के पाँच देशों (भारत, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया और मलेशिया) ने इन प्रजातियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिये 'न्यू डेल्ही डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज़ (The New Delhi Declaration on Asian Rhinos), 2019 पर हस्ताक्षर किये हैं।
- संरक्षण स्थिति:
  - जावा और सुमात्रन राइनो गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) श्रेणी में शामिल तथा एक-सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा) है, IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य श्रेणी में शामिल है।
  - गैंडो की तीनों प्रजातियों को परिशिष्ट I (CITES) के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
  - एक-सींग वाले गैंडे को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची I के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- एक-सींग वाले गैंडे का निवास स्थान:
  - यह प्रजाति इंडो-नेपाल के तराई और उत्तरी पश्चिम बंगाल तथा असम में छोटे आवासों तक ही सीमित है।
  - भारत में गैंडे मुख्य रूप से काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में गोरुमारा नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं।

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम

चर्चा में क्यों ?

वैज्ञानिकों ने नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन ईकोसिस्टम (National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem- NMSHE) का समर्थन करते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम लेह क्षेत्र में सतत् और जलवायु अनुरूप कृषि को सक्षम बनाने के लिये किसानों को उपलब्ध वैज्ञानिक जानकारी देता है।

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (National Action Plan on Climate Change - NAPCC) की शुरुआत वर्ष 2008 में किया गया था। NMSHE इस कार्ययोजना में शामिल 8 मिशनों में से एक है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

परिचय:

- NMSHE कार्यक्रम को वर्ष 2010 में शुरु किया गया था परंतु सरकार द्वारा औपचारिक रूप से वर्ष 2014 में इसे अनुमोदित किया गया था ।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में एक बहु-आयामी, क्रॉस-कटिंग मिशन है ।
- यह जलवायु परिवर्तन के बेहतर प्रबंधन द्वारा देश के सतत विकास में योगदान देता है, जो इसके संभावित प्रभावों और हिमालय के उन क्षेत्रों, जिन पर भारत की आबादी का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात जीविका के लिये निर्भर है, को आवश्यक अनुकूल दशाएँ प्रदान करता है।

राज्य विस्तार :

- ग्यारह राज्य: हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल।
- दो केंद्रशासित प्रदेश: जम्मू- कश्मीर और लद्दाख।

उद्देश्य:

- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की स्थिति का लगातार पता लगाने के लिये एक स्थायी राष्ट्रीय क्षमता विकसित करना और उचित नीति उपायों तथा समयबद्ध कार्रवाई कार्यक्रमों के लिये नीति निर्माण निकायों को सक्षम बनाना है।
- राष्ट्रीय स्तर पर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की स्वास्थ्य स्थिति का लगातार आकलन करने के लिये उपयुक्त प्रबंधन और नीतिगत उपायों को विकसित करना।
- इसमें विभिन्न क्षेत्रों के हिमालयी ग्लेशियर एवं जल विज्ञान संबद्ध परिणामों को प्राकृतिक खतरों की भविष्यवाणी और प्रबंधन का अध्ययन करना शामिल हैं।

हिमालय:

- परिचय:
  - हिमालय दुनिया की सबसे ऊँची और नवीन वलित पर्वत शृंखला है।
  - इसकी भूगर्भीय संरचना नवीन, मुलायम और मोड़दार है क्योंकि हिमालयी उत्थान एक सतत् प्रक्रिया है, जो उसे दुनिया के उच्च भूकंप-संभावित क्षेत्रों में से एक बनाती है। भारतीय भूकंपीय ज़ोनिंग एक सतत् प्रक्रिया है जो भूकंप की घटना संबंधी अधिक-से-अधिक आँकड़े प्राप्त होने पर बदलती रहती है।
  - यह भारत को अपने उत्तर-मध्य और पूर्वोत्तर सीमांत के साथ चीन (तिब्बत) से अलग करता है।
- क्षेत्रफल:
  - भारतीय हिमालय लगभग 5 लाख वर्ग किमी. (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 16.2%) क्षेत्र में फैला हुआ है जो देश की उत्तरी सीमा बनाता है।
  - इस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वाधिक भू-भाग में जल की उपलब्धता के लिये उत्तरदायी माना जाता है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र मानी जाने वाली कई नदियाँ हिमालय से निकलती हैं।
- पर्वत श्रेणी:
  - हिमालय समानांतर पर्वत श्रेणी की एक शृंखला है जो उत्तर-पश्चिम से लेकर दक्षिण-पूर्व दिशा तक फैली हुई है। इन श्रेणियों को अनुदैर्ध्य घाटियों द्वारा अलग किया जाता है। उनमें शामिल है:
    - ट्रांस-हिमालय या पार हिमालय
    - महान हिमालय या हिमाद्रि
    - लघु हिमालय या हिमाचल

नोट :

- शिवालिक या बाह्य हिमालय
- पूर्वी पहाड़ी या पूर्वांचल

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (NAPCC)

परिचय:

- इसे वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री-जलवायु परिवर्तन परिषद नामक समिति द्वारा शुरू किया गया था।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) NAPCC का समन्वय मंत्रालय है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इनसे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है।

मिशन या लक्ष्य:

- राष्ट्रीय कार्ययोजना में प्रमुख रूप से आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जो जलवायु परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
  - राष्ट्रीय सौर मिशन: वर्ष 2010 में इस मिशन की शुरुआत सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये की गई ।
  - विकसित ऊर्जा दक्षता के लिये राष्ट्रीय मिशन: इस पहल की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई जिसका उद्देश्य अनुकूल नियामक और नीतिगत व्यवस्था द्वारा ऊर्जा दक्षता के लिये बाज़ार को मज़बूत करना और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में नवीन और स्थायी व्यापार मॉडल को बढ़ावा देने की परिकल्पना करना है।
  - सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन: 2011 में अनुमोदित, इसका उद्देश्य इमारतों में ऊर्जा दक्षता में सुधार, ठोस कचरे के प्रबंधन और सार्वजनिक परिवहन में बदलाव के माध्यम से शहरों का विकास करना है।
  - राष्ट्रीय जल मिशन: राष्ट्रीय जल मिशन इस प्रकार आयोजित किया जाएगा ताकि जल संरक्षण, जल के अपव्यय को कम करने और राज्यों तथा राज्यों के बीच जल का अधिक समीकृत वितरण सुनिश्चित करने हेतु समेकित जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।
  - सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन: हिमालय की रक्षा करने के उद्देश्य से इसने सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय में आसानी के लिये हिमालयी पारिस्थितिकी पर काम करने वाले संस्थानों और नागरिक संगठनों को चिह्नित किया है।
  - हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन: 20 फरवरी, 2014 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शामिल करने के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करना अर्थात् अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन से भारत के कम होते वन आवरण को बहाल करना तथा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिये तैयारी करना है।
  - सतत कृषि के लिये राष्ट्रीय मिशन: इसे 2010 में शुरू किया गया था। यह विशेष रूप से एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिये तैयार किया गया है।
  - जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन: यह एक गतिशील और जीवंत ज्ञान प्रणाली का निर्माण करता है जो राष्ट्र के विकास लक्ष्यों पर समझौता न करते हुए जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिये राष्ट्रीय नीति और कार्रवाई को सूचित और समर्थित करता है।

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

गोदावरी नदी

चर्चा में क्यों ?

गोदावरी नदी के जल को पोलावरम सिंचाई परियोजना (Polavaram Irrigation Project) स्थल से पूर्व और पश्चिमी गोदावरी ज़िलों की सिंचाई नहरों में छोड़ने की 31 मार्च, 2021 तक की पिछली समयसीमा को 15 अप्रैल, 2021 बढ़ा दिया गया है।

- अप्रैल माह में ही कॉफरडैम (Cofferdam) पर काम शुरू होने की संभावना है।

प्रमुख बिंदु:

गोदावरी नदी:

- गोदावरी नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है।
- उद्भव: गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है।
- अपवाह तंत्र: गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पुदुचेरी के मध्य क्षेत्र के छोटे हिस्सों में फैला हुआ है।
- सहायक नदियाँ: प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता (वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा का संयुक्त प्रवाह), इंद्रावती, मनेर और सबरी।
- सांस्कृतिक महत्त्व: नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला (Kumbh Mela) लगता है।
  - कुंभ का आयोजन उज्जैन में क्षिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा और प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर भी होता है।
- गोदावरी नदी जल विवाद: गोदावरी नदी के जल का बँटवारा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक के बीच विवाद का प्रमुख कारण है।
- गोदावरी नदी पर महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ:
  - पोलावरम सिंचाई परियोजना।
  - कालेश्वरम।
  - गोदावरी नदी पर स्थित सदरमट एनीकट नामक दो सिंचाई परियोजनाओं को सिंचाई एवं जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग' (WHIS) द्वारा धरोहर सिंचाई संरचना (Heritage Irrigation Structures) स्थल के रूप में मान्यता दी गई है।
  - इंचमपल्ली: इंचमपल्ली परियोजना गोदावरी नदी पर प्रस्तावित है, यह परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी तथा इंद्रावती के संगम के पास 12 किमी. अनुप्रवाह पर स्थित है।
    - यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है।
  - श्रीराम सागर परियोजना: श्रीराम सागर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जो तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में पोचमपाद के पास गोदावरी नदी पर स्थित है।

पोलावरम सिंचाई परियोजना:

- पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर पोलावरम गाँव के पास स्थित है।
- यह एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है क्योंकि एक बार पूर्ण होने के बाद यह परियोजना सिंचाई संबंधी लाभ प्रदान करेगी तथा जल विद्युत उत्पन्न करेगी।
  - इसके अलावा यह परियोजना पेयजल की आपूर्ति भी करेगी।

नोट :

- इस परियोजना के दाईं ओर स्थित नहर से कृष्णा नदी बेसिन हेतु अंतर-बेसिन हस्तांतरण (Inter-Basin Transfer) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस परियोजना के परोक्ष लाभ भी होंगे जैसे- मत्स्य पालन (मछली का प्रजनन और पालन), पर्यटन और शहरीकरण।
- वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा-90 के तहत केंद्र सरकार द्वारा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया है।

कॉफरडैम (Cofferdam):

- कॉफरडैम को जलस्रोत या उसके आसपास अस्थायी अवरोधक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके द्वारा किसी सीमित/बंद क्षेत्र में जल के निष्कासन, डायवर्ज़न या जल क्षति की प्रक्रिया संपन्न की जाती है।
- किसी भी कॉफरडैम प्रकार का प्रमुख उद्देश्य अत्यधिक या असुविधाजनक जल को पीछे हटाकर निर्माण कार्य करने हेतु एक शुष्क (जल मुक्त) परिस्थिति उपलब्ध कराना है।
- यह किसी भी परियोजना के लिये न्यूनतम प्रतिरोध और यथासंभव अधिक सुरक्षा के साथ आगे बढ़ने में सहायक होता है।

मानसून पर धूल का प्रभाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक शोध से पता चला है कि मध्य-पूर्व के रेगिस्तानी इलाकों (एशियाई रेगिस्तान) से चलने वाली हवाओं और उनके साथ आने वाले वायुमंडलीय धूल कणों से भारतीय मानसून कैसे प्रभावित होता है।

प्रमुख बिंदु:

धूल-कण:

- पृथ्वी या रेत के बहुत छोटे शुष्क कणों को धूल कहते हैं।
  - PM10 और PM2.5 आकार वाले कणों को धूल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- धूल के प्रमुख स्रोतों में मृदा, रेत और चट्टानों का प्राकृतिक रूप से अपरदित होना शामिल है।
- शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उद्योगों के संचालन आदि कार्य धूल उत्सर्जन के प्रमुख कारक हैं।
- धूल कणों को मानसून और तूफान को प्रभावित करने के साथ-साथ वर्षावनों को निषेचित करने के लिये भी जाना जाता है।
- धूल उत्सर्जन योजना जलवायु परिवर्तन के प्रति बेहद संवेदनशील है तथा इन तंत्रों और धूल के प्रभावों को समझने से हमारे मानसून प्रणालियों को वैश्विक जलवायु परिवर्तन का सामना करने में मदद मिलेगी।

मानसून पर धूल का प्रभाव:

- परिचय:
  - तेज़ हवाएँ रेगिस्तान से उठने वाले धूल के तूफान सौर विकिरण को अवशोषित कर सकती हैं और इससे धूलकण बहुत अधिक गर्म हो सकते हैं।
  - ये गर्म धूल कण वायुमंडल को इतना अधिक गर्म कर देते हैं कि उससे हवा का दबाव बदल जाता है, हवा का संचार पैटर्न बदल सकता है और समुद्र से आने वाली नमी की मात्रा भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण वहाँ भारी बारिश हो सकती है। इस घटना को 'एलिवेटेड हीट पंप' कहा जाता है।
- भारतीय मानसून पर प्रभाव:
  - मध्य-पूर्व (पश्चिम एशिया) से और ईरान के पठार से निकलने वाली धूल भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून (दक्षिण पश्चिम मानसून) को भी प्रभावित करती है।
    - गर्म हवा ईरानी पठार के वातावरण को गर्म कर सकती है और अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानों में परिसंचरण वृद्धि मध्य-पूर्व से धूल उत्सर्जन को बढ़ा सकती है।

नोट :

- विपरीत प्रभाव :
  - भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून का विपरीत प्रभाव पश्चिम एशिया में हवाओं को अधिक प्रभावी बनाकर धूल उत्सर्जन में वृद्धि कर सकता है।
  - एक मज़बूत मानसून पश्चिम एशिया में भी परिसंचरण कर सकता है और धूल की मात्रा को बढ़ा सकता है।

मानव-जनित धूल का प्रभाव:

- विभिन्न मतों के अनुसार, कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप द्वारा उत्सर्जित मानव-जनित एरोसोल गर्मियों में मानसूनी वर्षा को कम कर सकता है, जबकि अन्य ने पाया है कि धूल जैसे शोषक एरोसोल मानसून परिसंचरण को मज़बूत कर सकते हैं।
  - सूक्ष्म ठोस कणों अथवा तरल बूँदों के हवा या किसी अन्य गैस में मौजूदगी को एरोसोल (Aerosol) कहा जाता है। एरोसोल प्राकृतिक या मानव जनित हो सकते हैं। हवा में उपस्थित एरोसोल को वायुमंडलीय एरोसोल कहा जाता है। धुंध, धूल, वायुमंडलीय प्रदूषक कण तथा धुआँ एरोसोल के उदाहरण हैं।
  - एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल मानव-जनित एयरोसोल के उदाहरण हैं। इनका निर्माण धुंध कण, प्रदूषक और धुएँ से होता है।
  - एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल में सल्फेट, नाइट्रेट और कार्बोनेसस एरोसोल शामिल हैं तथा यह मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन दहन स्रोतों से उत्पन्न होते हैं।
- हालाँकि हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि इसकी वजह से भारत में गर्मियों में मानसूनी वर्षा की मजबूत स्थिति देखी जा सकती हैं।
  - एरोसोल कण, जैसे- धूल, वर्षा प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मानसून में रेगिस्तान की भूमिका:

- दुनिया भर में रेगिस्तान मानसून की उत्पत्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - "पश्चिमी चीन में तक्लामाकन मरुस्थल से तथा पूर्वी एशिया में गोबी मरुस्थल से धूल एरोसोल का परिवहन पूर्वी चीन में होने पर यह पूर्वी एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून को प्रभावित कर सकता है।
  - दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य में कुछ छोटे रेगिस्तान हैं जो उत्तरी अफ्रीकी मानसून को प्रभावित करते हैं।

विश्व के प्रमुख रेगिस्तान:

मानसून:

परिचय:

- एक मानसून अक्सर तूफान या आंधी के समान मूसलाधार बारिश करता है। लेकिन इसमें एक अंतर यह है कि मानसून एक तूफान नहीं है बल्कि यह एक क्षेत्र विशेष में हुए मौसमी पवन में बदलाव है।
- यह मौसमी परिवर्तन गर्मियों में भारी बारिश का कारण बन सकता है, लेकिन अन्य समय यह एक शुष्क अवस्था में रहता है।

मानसून की उत्पत्ति:

- मानसून (अरबी भाषा के मौसिम जिसका अर्थ "मौसम" होता है) की उत्पत्ति भूमि द्रव्यमान और आसन्न महासागर के बीच तापमान में अंतर के कारण होती है।
- जल की अपेक्षा स्थल तीव्रता से गर्म और ठंडा होता है, अत: सूर्यास्त के पश्चात् ताप विकिरण द्वारा धरातल शीतल होने लगता है तथा स्थल पर अधिक वायुदाब तथा जल पर न्यून वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है जिससे हवाओं की दिशा बदल जाती है।
- मानसून के मौसम के अंतिम चरण में हवाएँ फिर से विपरीत दिशा का अनुसरण करती हैं।

प्रकार:

- नम या आर्द्र मानसून:
  - एक आर्द्र मानसून आमतौर पर गर्मियों के महीनों (अप्रैल से सितंबर तक) के दौरान भारी बारिश करता है।

नोट :

- औसतन भारत की वार्षिक वर्षा का लगभग 75% और उत्तरी अमेरिकी मानसून क्षेत्र की लगभग 50% वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान होती है।
- आर्द्र मानसून की शुरुआत तब होती है जब हवाएँ समुद्र के ऊपर से स्थल तक ठंडी, आर्द्र हवाओं का परिसंचरण करती हैं।

- शुष्क मानसून:
  - शुष्क मानसून की स्थिति आमतौर पर अक्तूबर से अप्रैल के मध्य होती है ।
  - महासागरों से आने वाली शुष्क हवाएँ, गर्म जलवायु क्षेत्रों जैसे कि मंगोलिया और उत्तर-पश्चिमी चीन से भारत के दक्षिण में प्रवेश करती हैं।
  - ग्रीष्म मानसून या समकक्ष की तुलना में शुष्क मानसून कम शक्तिशाली होता है।
  - शीतकालीन मानसून की स्थिति तब देखी जाती है जब जल की तुलना में स्थल तेज़ी से ठंडा हो जाता है और स्थल पर एक उच्च दाब विकसित होता है, जो किसी भी समुद्री हवा (शुष्क अवधि के दौरान) को स्थल की ओर आने से रोकता है।

अवस्थिति:

- उष्णकटिबंधीय मानसून 0 और 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य तथा उपोष्णकटिबंधीय मानसून 23.5 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य बनता है।
- सबसे शक्तिशाली मानसून की अवस्थिति उत्तर में भारत एवं दक्षिण एशिया तथा दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया और मलेशिया में होती है।
- मानसून की उपस्थिति मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी क्षेत्रों तथा पश्चिमी अफ्रीका में भी पाई जाती है।

लाल सागर

चर्चा में क्यों:

हाल ही में इज़रायल द्वारा लाल सागर में खड़े ईरानी मालवाहक पोत एम.वी. साविज़ (MV Saviz) पर हमला किया गया। इज़रायल द्वारा यह हमला अपने जहाज़ों पर पिछले ईरानी हमलों के जवाब में किया गया था।

- यह हमला उस समय किया गया है जब ईरानी अधिकारी ईरान के परमाणु गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से तैयार की गई संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना (JCPOA) की बहाली पर बातचीत करने के लिये वियना में एकत्रित हुए।

प्रमुख बिंदु:

लाल सागर के बारे में:

- अवस्थिति:
  - लाल सागर एक अर्द्ध-संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन (Semi-Enclosed Tropical Basin) है, जो उत्तर-पूर्व में अफ्रीका, पश्चिम और पूर्व में अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है।
  - लंबा और संकीर्ण आकार का बेसिन भूमध्य सागर के मध्य और उत्तर-पश्चिम तथा हिंद महासागर से दक्षिण-पूर्व तक फैला हुआ है।
  - उत्तरी छोर पर यह अकाबा की खाड़ी (Gulf of Aqaba)और स्वेज की खाड़ी (Gulf of Suez) से अलग हो जाता है, जो स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है।
  - दक्षिणी छोर पर यह बाब अल मंदेब (Bab-el-Mandeb) जलडमरूमध्य के द्वारा अदन की खाड़ी और बाहरी हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है।
  - यह रेगिस्तान या अर्द्ध-रेगिस्तानी क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जिसमें कोई भी बड़ा ताज़े पानी का प्रवाह नहीं है।
- निर्माण:
  - पिछले 4 से 5 मिलियन वर्षों में लाल सागर ने अपने वर्तमान आकार को प्राप्त किया है। धीमी गति से समुद्री फैलाव इसे भू-गर्भीय रूप से पृथ्वी पर सबसे कम आयु के समुद्री क्षेत्रों के रूप में निर्मित करता है।

नोट :

- वर्तमान में यह बेसिन प्रति वर्ष 1-2 सेमी. की दर से चौड़ा हो रहा है।

- जैव विविधता:
  - लाल सागर के अद्वितीय आवास समुद्री कछुओं, डोंग, डॉल्फिन और कई स्थानिक मछली प्रजातियों सहित समुद्री जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का आश्रय हैं।
  - प्रवाल भित्तियों (Coral Reefs) का विस्तार मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य तटों के साथ हैं जबकि दक्षिणी क्षेत्र में इनकी संख्या में कमी देखी जाती है, क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र का तटीय जल अधिक अशांत है।
- लाल सागर का नाम:
  - लाल सागर के नाम के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय पानी की सतह के पास ट्राइकोडेस्मियम इरीथीयम (Trichodesmium erythraeum) नामक एक लाल रंग के शैवाल की उपस्थिति माना जाता है।
  - अन्य विद्वानों का मानना है कि अक्सर एशियाई भाषाओं में प्रमुख दिशाओं (Cardinal Directions) को संदर्भित करने हेतु रंगों का उपयोग किया जाता है जिसमें लाल "दक्षिण" दिशा को और उसी प्रकार काला सागर 'उत्तर' दिशा को संदर्भित करता है।

संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना:

- वर्ष 2015 में ईरान ने वैश्विक शक्तियों P5 + 1 के समूह (संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्राँस, चीन, रूस और जर्मनी) के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम से संबंधित दीर्घकालिक समझौते पर सहमति व्यक्त की।
- इसे संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना (Joint Comprehensive Plan Of Action-JCPOA) और सामान्यत: 'ईरान परमाणु समझौता' के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते के तहत ईरान ने प्रतिबंधों को हटाने और वैश्विक व्यापार तक पहुँच स्थापित करने के बदले अपनी परमाणु गतिविधियों पर अंकुश लगाने की सहमति व्यक्त की।
- ईरान द्वारा ज़ोर देकर कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसा नहीं मानता था।
- इस समझौते के तहत ईरान को शोध के लिये थोड़ी मात्रा में यूरेनियम जमा करने की अनुमति दी गई लेकिन यूरेनियम के संवर्द्धन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसका उपयोग रिएक्टर ईंधन और परमाणु हथियार बनाने के लिये किया जाता है।
- हालाँकि मई 2018 में अमेरिका ने स्वयं को JCPOA से अलग कर लिया तथा ईरान के साथ उन देशों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है जो ईरान के साथ महत्त्वपूर्ण व्यापारिक संबंध साझा करते हैं।

अंटार्कटिका का डूम्सडे ग्लेशियर

चर्चा में ?

हाल ही में स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग (Sweden's University of Gothenburg) के शोधकर्त्ताओं द्वारा थ्वाइट्स ग्लेशियर (Thwaites Glacier) जिसे 'डूम्सडे ग्लेशियर' (Doomsday Glacier) के नाम से भी जाना जाता है, के नीचे से डेटा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है।

- शोधकर्त्ताओं ने पाया है कि ग्लेशियर में गर्म पानी की आपूर्ति पहले की तुलना में बढ़ गई है जो बर्फ के पिघलने की दर को और अधिक तीव्र कर सकता है।

प्रमुख बिंदु:

डूम्सडे ग्लेशियर:

- इसे थ्वाइट्स ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। यह 120 किलोमीटर चौड़ा तथा तेज़ी से गतिशील है। पिछले कुछ वर्षों में इसके पिघलने की दर में तेज़ी आई है

नोट :

- इसका आकार 1.9 लाख वर्ग किमी. है जिसमे विश्व जल स्तर को आधा मीटर से अधिक बढ़ाने हेतु पर्याप्त जल विद्यमान है।
  - अध्ययन में पाया गया है कि पिछले 30 वर्षों में ग्लेशियर के बर्फ की लगभग दोगुनी मात्रा पिघल चुकी है।
- वर्तमान में थ्वाइट्स ग्लेशियर के पिघलने से प्रति वर्ष वैश्विक समुद्र तल के स्तर में 4 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।
- ऐसे अनुमान है कि थ्वाइट्स ग्लेशियर 200-900 वर्षों में पूर्णत: समुद्र में समा जाएगा।
- अंटार्कटिका के लिये थ्वाइट्स अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने पीछे मौजूद स्वतंत्र रूप से समुद्र में बहने वाले ग्लेशियरों को भी आगे बढ़ने से रोकता है।
- थवाइट्स ग्लेशियर पर मंडराते खतरे के कारण इसे अक्सर 'डूम्सडे' भी कहा जाता है जिसका अर्थ है 'चेतावनी' या 'खतरा' कभी-कभी इसे तबाही भी कहा जाता है।

पूर्व अध्ययन:

- ग्लेशियर में छिद्र: वर्ष 2019 के दौरान किये गए एक अध्ययन में इस ग्लेशियर में तेज़ी से बढ़ने वाली गुहा/कैविटी की खोज की गई थी, जिसका आकार मैनहट्टन (Manhattan) के क्षेत्र के लगभग दो-तिहाई के बराबर था।
  - ग्लेशियर के नीचे मौजूद गर्म जल के कारण ग्लेशियर में कैविटी का आकार बढ़ रहा है।
- भू-संपर्क रेखा/ग्राउंडिंग लाइन पर गर्म जल की उपस्थिति:
  - वर्ष 2020 में, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय (NYU) के शोधकर्त्ताओं द्वारा ग्लेशियर के नीचे एक महत्त्वपूर्ण बिंदु पर गर्म जल का पता लगाया गया। NYU द्वारा किये गए अध्ययन में, वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर के एक स्थान पर 600 मीटर गहरा और 35 सेमी चौड़ा गड्ढा खोदा तथा ग्लेशियर की सतह के नीचे पानी को मापने हेतु आइसफिन (Icefin) नामक एक महासागर-संवेदी उपकरण तैनात किया गया।
  - अध्ययन से प्राप्त परिणाम:
    - NYU द्वारा किये गए अध्ययन में थ्वाइट्स के 'भू-संपर्क क्षेत्र/ग्राउंडिंग ज़ोन' या 'भू-संपर्क रेखा/ग्राउंडिंग लाइन' पर हिमांक बिंदु से केवल दो डिग्री अधिक तापमान पर जल की उपस्थित दर्ज़ की गई।
    - ग्राउंडिंग लाइन एक ग्लेशियर के नीचे वह स्थान होता है जिस पर आधार शैल पर स्थित बर्फ तथा स्वयं महासागर की सतह पर बर्फ के टुकड़े के बीच संक्रमण होता है। इस रेखा की अवस्थिति एक ग्लेशियर के पीछे हटने की दर का संकेतक है।
    - जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उनके भार में कमी आती है जिस कारण वे उसी आधार पर ही तैरते हैं जहाँ वे स्थित होते हैं। इस स्थिति में, ग्राउंडिंग लाइन पीछे हट जाती है। यह समुद्री जल में ग्लेशियर के अधिक भाग की स्थिति का सूचक है, ग्राउंडिंग लाइन के अधिक पीछे हटने पर ग्लेशियर और तेज़ी से पिघल जाएगा।
    - ग्राउंडिंग लाइन के पीछे हटने के परिणामस्वरूप ग्लेशियर में तीव्रता से प्रसार होगा और वे पहले की तुलना में अधिक पतले हो जाएंगे।

स्वीडन के गोथेनबर्ग अध्ययन (नए अध्ययन) के निष्कर्ष:

- नए अध्ययन के विषय में: स्वीडन के गोथेनबर्ग अध्ययन में थ्वाइट्स ग्लेशियर के निकट जाकर अवलोकन करने हेतु एक पनडुब्बी का उपयोग किया।।
  - इस पनडुब्बी का नाम "रन" (Ran) था, जिसके द्वारा ग्लेशियर के नीचे जाने वाली समुद्र की धाराओं की उग्रता, तापमान, लवणता और ऑक्सीजन आदि को मापा गया।
  - इसके परिणामस्वरूप शोधकर्त्ता थ्वाइट्स के तैरते हुए हिस्से के नीचे बहने वाली समुद्री धाराओं का नक्शा बनाने में सफल हो सके।
- खोज: शोधकर्त्ताओं ने गर्म पानी के तीन प्रवाहों की पहचान की, जिन पर पूर्व में हानिकारक प्रभावों को कम करके आँका गया था।
  - शोधकर्त्ताओं ने पाया कि पाइन द्वीप खाड़ी (Pine Island Bay) से बहते पानी का पूर्व दिशा से गहरा संबंध है, एक ऐसा संबंध जिसे पहले सतही पानी के एक गर्त/रिज (Ridge) से अवरुद्ध माना जाता था।
    - पाइन द्वीप खाड़ी पश्चिम अंटार्कटिका की एक जल निकासी प्रणाली है।

नोट :

- अध्ययन में तीन चैनलों में से एक में गर्म जल धारा को भी देखा गया, जो गर्म उत्तर से ग्लेशियर की ओर गर्म जल को लाती है।
- उन्होंने पाया कि समुद्र के तल की ज्यामिति से प्रभावित बर्फ के शेल्फ गुहा में पानी के अलग-अलग रास्ते थे।

आगे की राह

- अध्ययन से पता चलता है कि गर्म जल चारों ओर से ग्लेशियर के पिनिंग पॉइंट (Pinning Point) तक पहुँच रहा है, जिसका प्रभाव सीबेड से जुड़ी बर्फ और स्थिर बर्फ की चादरों पर पड़ रहा है। यह थ्वाइट्स की स्थिति को और अधिक चिंताजनक बना सकता जिसकी बर्फ की चादरें पहले से ही कम हो रही हैं।
- थ्वाइट्स ग्लेशियर में होने वाले परिवर्तन को जानने के लिये डेटा एकत्र करना आवश्यक है। यह डेटा भविष्य में बर्फ के पिघलने की दर को मापने में मदद करेगा।
- इसमें नई तकनीक की मदद से सुधार किया जा सकता है और वैश्विक पर समुद्र स्तर में होने वाली भारी अनिश्चितता को कम किया जा सकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक न्याय

मानवाधिकार रिपोर्ट 2020: अमेरिका

चर्चा में क्यों ?

अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी वर्ष 2020 की मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत में कई मानवाधिकार मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

- प्रत्येक वर्ष अमेरिकी कॉन्ग्रेस को प्रस्तुत की जाने वाली इस रिपोर्ट में मानव अधिकारों के विषय में देशवार चर्चा की जाती है।
- इससे पहले मार्च 2021 में 'फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021' रिपोर्ट में भारत की स्थिति को 'स्वतंत्र' से 'आंशिक रूप से स्वतंत्र' कर दिया गया था।
- स्वीडन के 'वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी' संस्थान ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत को 'चुनावी निरंकुशता' के रूप वर्गीकृत किया गया था।

प्रमुख बिंदु

पत्रकारों का उत्पीड़न

- सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग के माध्यम से सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न और उनकी नज़रबंदी अभी भी जारी है, जबकि सरकार सामान्य तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्मान की बात करती है।
- इस रिपोर्ट में प्रेस पर प्रतिबंध, हिंसा, हिंसा की धमकी, या पत्रकारों की अनुचित गिरफ्तारी या उन पर मुकदमा चलाए जाने का उल्लेख किया गया है।

निजी डेटा तक पहुँचना

- इंटरनेट कंपनियों द्वारा उपयोगकर्त्ताओं के डेटा के लिये सरकार से किये गए अनुरोधों में नाटकीय रूप से वृद्धि दर्ज की गई है।
- सरकार द्वारा वर्ष 2019 में फेसबुक से 49,382 उपयोगकर्त्ताओं से संबंधित डेटा का अनुरोध किया गया, जो कि वर्ष 2018 की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में गूगल और ट्विटर से किये गए अनुरोधों में क्रमश: 69 प्रतिशत और 68 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

मनमानी के आधार पर जीवन की क्षति

- इस रिपोर्ट में तमिलनाडु में हिरासत में हुई मौतों के मामले को भी रेखांकित किया गया।

अनुचित नज़रबंदी

- रिपोर्ट में अप्रैल 2020 में गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत नागरिकता कानून का विरोध कर रहे लोगों और अन्य प्रदर्शनों में शामिल लोगों को हिरासत में लिये जाने के मामलों का भी उल्लेख किया गया है।
- इसके अलावा रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, 1978 के तहत राजनेताओं को नज़रबंद करने की भी बात की गई है।

जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार स्थिति में सुधार

- रिपोर्ट की मानें तो सरकार ने सुरक्षा और संचार प्रतिबंधों को धीरे-धीरे समाप्त कर जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल करने हेतु कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
  - सरकार ने इंटरनेट को आंशिक रूप से बहाल कर दिया है, हालाँकि जम्मू और कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में वर्ष 2020 तक उच्च गति का 4G मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंधित था।

नोट :

प्रतिबंधात्मक नियम और जाँच का अभाव

- रिपोर्ट में भारत के संदर्भ में गैर-सरकारी संगठनों पर अत्यधिक प्रतिबंधात्मक नियम, राजनीतिक भागीदारी पर प्रतिबंध, सरकार में सभी स्तरों पर व्यापक भ्रष्टाचार, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की उपयुक्त जाँच और जवाबदेही का अभाव तथा अनिवार्य बाल श्रम आदि बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।

धार्मिक स्वतंत्रता

- रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन और धार्मिक संबद्धता या सामाजिक स्थिति के आधार पर महिलाओं सहित तमाम अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के साथ हिंसा और भेदभाव आदि की भी बात की गई है।

भारत में मानव अधिकारों का प्रावधान

संविधान में शामिल प्रावधान

- मौलिक अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान किये गए हैं। इनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कुछ विशिष्ट कानूनों से सुरक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि शामिल हैं।
- राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत: इससे संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मां किये गए हैं। इनमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, स्वतंत्र रोज़गार चयन का अधिकार, बेरोज़गारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, समान कार्य के लिये समान वेतन का अधिकार, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार आदि शामिल हैं।

सांविधिक प्रावधान

- मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (जिसे वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था) मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था करता है।
  - अधिनियम की धारा 2(1)(d) मानवाधिकार को जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा और समानता से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करता है, जिनकी गारंटी भारतीय संविधान द्वारा दी गई है अथवा जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन्स में सन्निहित है, साथ ही ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं।
- भारत ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) के प्रारूपण में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था।
  - इन 30 अधिकारों और स्वतंत्रता में नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार जैसे- जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र भाषण और गोपनीयता का अधिकार तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार जैसे- सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं।

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2021

चर्चा में क्यों ?

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum's- WEF) द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2021 में भारत 28 पायदान नीचे आ गया है।

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर (OSC) योजना, उज्ज्वला योजना लैंगिक असमानता से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने हेतु सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ पहलें हैं।
- इसके अलावा लैंगिक समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी जोड़ा गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट:

- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के बारे में:
  - इसे पहली बार वर्ष 2006 में WEF द्वारा प्रकाशित किया गया था।
  - इसमें निम्नलिखित चार आयामों के मद्देनज़र 156 देशों द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है:
    - आर्थिक भागीदारी और अवसर।
    - शिक्षा का अवसर।
    - स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता।
    - राजनीतिक सशक्तीकरण।
  - इंडेक्स में 1 उच्चतम स्कोर होता है जो समानता की स्थिति तथा 0 निम्नतम स्कोर होता है जो असमानता की स्थिति को दर्शाता है।
- उद्देश्य:
  - स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के मध्य सापेक्ष अंतराल में हुई प्रगति का आकलन करने हेतु एक सीमा का निर्धारण करना। वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारकों द्वारा विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जा सकता है।

भारत की स्थिति:

- ओवरऑल रैंकिंग:
  - दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, भारत रैंकिंग में 156 देशों में 140वें स्थान पर है।
    - दक्षिण एशिया के देशों में बांग्लादेश 65वें, नेपाल 106वें, पाकिस्तान 153वें, अफगानिस्तान 156वें, भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें स्थान पर है।
    - वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडेक्स, 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर था।
- राजनीतिक सशक्तीकरण:
  - भारत के राजनीतिक सशक्तीकरण सूचकांक में 13.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। महिला मंत्रियों की संख्या वर्ष 2019 में 23.1% थी जो वर्ष 2021 में घटकर 9.1% रह गई है।
  - हालाँकि अन्य देशों की तुलना में भारत द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में यह 51वें स्थान पर है।
- शिक्षा तक पहुँच:
  - शिक्षा प्राप्ति सूचकांक में भारत को 114वें स्थान पर रखा गया है।
- आर्थिक भागीदारी:
  - रिपोर्ट के अनुसार, भारत में इस वर्ष आर्थिक भागीदारी में अंतर 3% बढ़ा है।
  - पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 29.2% तक घट गई है।
  - उच्च और प्रबंधकीय पदों पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी 14.6% है तथा देश में केवल 8.9% फर्मों में ही शीर्ष पर महिला प्रबंधक हैं।
  - भारत में महिलाओं की अनुमानित आय पुरुषों की केवल 1/5 है, जो इस संकेतक पर देश को वैश्विक स्तर पर 10 पायदान नीचे रखता है।
    - पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक महिला की औसत आय पुरुष की औसत आय से 16% से भी कम है, जबकि भारत में यह 20.7% है।
- स्वास्थ्य और उत्तरजीविता सूचकांक:
  - इस पर भारत द्वारा खराब प्रदर्शन किया गया तथा भारत रैंकिंग में 155वें स्थान पर रहा है।
    - इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन चीन का रहा है।

नोट :

- रिपोर्ट प्रमुख कारक के रूप में एक विषम लिंग अनुपात (Skewed Sex Ratio) की ओर इशारा करती है।
  - लड़कों की चाह में प्रसव पूर्व पक्षपातपूर्ण तरीके से लिंग चयन को इसके लिये ज़िम्मेदार ठहराया गया है।
  - प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण जैसी प्रथाओं के चलते प्रतिवर्ष गायब होने वाली बालिकाओं के 1.2 से 1.5 मिलियन मामलों में से 90-95% मामले केवल भारत और चीन में देखने को मिलते हैं।

वैश्विक परिदृश्य:

- क्षेत्रवार रैंक:
  - दक्षिण एशिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसके बाद मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का स्थान है।
- राजनीतिक सशक्तीकरण में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल:
  - राजनीतिक सशक्तीकरण में लैंगिक अंतराल सबसे अधिक है, वैश्विक स्तर पर संसद की कुल 35,500 सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 26.1 प्रतिशत है, कुल 3,400 से अधिक मंत्रियों में से केवल 22.6 प्रतिशत ही महिलाएँ हैं।
  - 15 जनवरी, 2021 तक 81 देशों में से किसी में भी महिला प्रमुख की नियुक्ति नहीं हुई है।
  - बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पिछले 50 वर्षों में पुरुषों की तुलना में ऐसी महिलाओं की संख्या अधिक है जो राज्य के प्रमुख पदों पर नियुक्त हुईं।
- आर्थिक भागीदारी:
  - आर्थिक भागीदारी के मामले में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल वाले देशों में ईरान, भारत, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक और अफगानिस्तान शामिल हैं।
- अंतराल को भरने हेतु समयसीमा:
  - लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में दक्षिण एशिया में 195.4 वर्ष तथा पश्चिमी यूरोप में 52.1 वर्ष का समय लगेगा।

विश्व आर्थिक मंच:

- विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
- इसकी स्थापना 1971 में गैर-लाभकारी संगठन के रूप में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थिति है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है।
- फोरम अपने सभी प्रयासों में शासन के उच्चतम मानकों को कायम रखते हुए जनहित में वैश्विक उद्यमिता का प्रदर्शन करने का प्रयास करता है।

WEF द्वारा प्रकाशित कुछ प्रमुख रिपोर्ट:

- ऊर्जा संक्रमण सूचकांक।
- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक।
- वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट।
- इस रिपोर्ट का प्रकाशन WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किया जाता है।
- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट।
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट।
- यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट।

कोविड के कारण मातृ मृत्यु दर में वृद्धि: लैंसेट रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

'द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल' में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, कोविड-19 महामारी से निपटने में स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता के कारण मातृ मृत्यु दर और गर्भपात के मामलों में वृद्धि हुई है।

नोट :

- यह रिपोर्ट ब्राज़ील, मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, यू.के., डेनमार्क, नीदरलैंड, इटली, भारत, चीन और नेपाल सहित 17 देशों में किये गए 40 अध्ययनों के विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है।

प्रमुख बिंदु:

- वैश्विक परिदृश्य:
  - मृत्यु दर में वृद्धि:
    - गर्भपात के मामलों में 28% की वृद्धि हुई और गर्भावस्था या प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर का जोखिम लगभग एक-तिहाई बढ़ गया है।
    - कोविड-19 महामारी के दखल के कारण माताओं और शिशुओं दोनों की मृत्यु के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है।
    - मातृ अवसाद में भी वृद्धि हुई।
  - गरीब देश सर्वाधिक प्रभावित:
    - गर्भावस्था पर कोविड-19 का प्रभाव गरीब देशों में अत्यधिक देखा गया।
  - हाशिये पर स्थित समूह सर्वाधिक प्रभावित:
    - हाशिये पर स्थित समूहों में कोविड-19 का प्रभाव सर्वाधिक देखा गया।
    - नेपाल में अस्पताल में होने वाले प्रसवों की संख्या में कमी को सर्वाधिक रूप से देखा गया।
    - यू.के. में महामारी की पहली लहर के दौरान कुल गर्भवती महिलाओं की मौतों में से 88% मौतें अल्पसंख्यक जातीय समूहों से संबंधित महिलाओं की हुईं।
- भारतीय परिदृश्य:
  - वर्ष 2020 में अप्रैल और जून के बीच राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान वर्ष 2019 की इसी अवधि की तुलना में निम्नलिखित अंतर देखा गया:
    - चार या उससे अधिक प्रसव-पूर्व जाँच प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं में 27% की गिरावट।
    - संस्थागत प्रसव में 28% की गिरावट।
    - जन्म-पूर्व सेवाओं में 22% की गिरावट।
- कारण:
  - स्वास्थ्य सेवाओं की अक्षमता:
    - स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की अक्षमता और महामारी का सामना करने के लिये लागू किये गए सख्त लॉकडाउन उपायों के कारण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुँच कम हो गई है।
  - सामाजिक परिवर्तन:
    - व्यापक सामाजिक परिवर्तन मातृ-स्वास्थ्य में गिरावट का कारण हो सकता है, इनमें घरेलू हिंसा, रोज़गार की हानि और स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की अतिरिक्त देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं।
- सुझाव:
  - काल्पनिक रणनीति:
    - नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य सेवा नेतृत्त्वकर्त्ताओं द्वारा तत्काल वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित कर सुरक्षित और सम्मानजनक मातृत्व देखभाल के संरक्षण हेतु मज़बूत रणनीतियों का निरीक्षण किया जाना चाहिये।
  - निवेश में वृद्धि करना:
    - कम-संसाधन वाले क्षेत्रों में मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने में दशकों से देखी जा रही निवेश में कमी को पूरा करने के लिये तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
  - मातृत्व सेवा क्षेत्र के कर्मचारियों को दूसरे कार्यों में नियोजित न करना:
    - महामारी के दौरान महत्त्वपूर्ण और चिकित्सा देखभाल संबंधी मातृत्व सेवाओं से संबंधित कार्मिकों को अन्य कार्यों में नियोजित नहीं किया जाना चाहिये।

नोट :

- मातृ और बाल स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भारतीय पहलें:
  - लक्ष्य (LaQshya) कार्यक्रम।
  - सुरक्षित मातृत्व आश्वासन (सुमन) पहल।
  - जननी सुरक्षा योजना।
  - जननी शिशु सुरक्षा कार्यकम (JSSK)।
  - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)।
  - मिशन इंद्रधनुष।
  - पोषण अभियान।
  - माता और बाल संरक्षण कार्ड।

राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति, 2021

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति (National Rare Disease Policy), 2021 को मंज़ूरी दी है।

- इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को एक दुर्लभ रोग समिति और निधि की स्थापना करने तथा 31 मार्च, 2021 तक या उससे पहले इसके लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को अंतिम रूप देने एवं अधिसूचित करने का निर्देश दिया था।

प्रमुख बिंदु

लक्ष्य:

- दवाओं के स्वदेशी अनुसंधान और स्थानीय उत्पादन पर ध्यान बढ़ाना।
- दुर्लभ रोगों के उपचार की लागत को कम करना।
- शुरुआती चरणों में दुर्लभ रोगों की स्क्रीनिंग और पता लगाना।

नीति के प्रमुख प्रावधान:

- वर्गीकरण:
  - इस नीति ने दुर्लभ रोगों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया है:

  समूह 1: एक बार उपचार की आवश्यकता वाले विकार।

  समूह 2: दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार।

  समूह 3: ऐसे रोग जिनके लिये निश्चित उपचार उपलब्ध है, लेकिन इनके उपचार की लागत बहुत अधिक है।
- वित्तीय सहायता:
  - जो लोग समूह 1 के तहत सूचीबद्ध दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें राष्ट्रीय आरोग्य निधि (Rashtriya Arogya Nidhi) योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    - राष्ट्रीय आरोग्य निधि: इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, ताकि वे सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकें। इसके अंतर्गत गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों को सुपर स्पेशिलिटी अस्पतालों/संस्थानों और सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
  - ऐसी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये लाभार्थी बीपीएल परिवारों तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि इसे लगभग 40% ऐसी आबादी तक बढ़ाया जाएगा जो केवल सरकारी तृतीयक अस्पतालों में इलाज के लिये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana) के मानदंडों के अनुसार पात्र हैं।

नोट :

वैकल्पिक निधि:

- इसमें स्वैच्छिक क्राउडफंडिंग (Crowdfunding) उपचार शामिल है, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत योगदान के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे- सोशल मीडिया और क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म आदि का उपयोग किया जाता है।

उत्कृष्टता केंद्र:

- इस नीति का उद्देश्य 'उत्कृष्टता केंद्र' (Centres of Excellence) के रूप में वर्णित 8 स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से दुर्लभ रोगों की रोकथाम और उपचार के लिये तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को मज़बूत बनाना है तथा निदान सुविधाओं में सुधार हेतु 5 करोड़ रुपए तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय रजिस्ट्री:

- अनुसंधान और विकास में रुचि रखने वालों के लिये पर्याप्त डेटा सुनिश्चित करने हेतु दुर्लभ रोगों की एक राष्ट्रीय अस्पताल आधारित रजिस्ट्री बनाई जाएगी।

चिंताएँ:

- स्थायी निधि का अभाव:
  - समूह 1 और समूह 2 के विपरीत समूह 3 वाले रोगियों को स्थायी उपचार सहायता की आवश्यकता होती है।
  - समूह 3 के रोगियों के लिये एक स्थायी वित्तपोषण सहायता की कमी के कारण सभी रोगी जिनमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं, का जीवन जोखिम में है और क्राउडफंडिंग पर निर्भर है।
- औषधि निर्माण का अभाव:
  - दवाओं की कम उपलब्धता के कारण इनका मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है।
  - वर्तमान में कुछ दवा कंपनियाँ विश्व स्तर पर दुर्लभ बीमारियों उपचार के लिये दवाओं का निर्माण कर रही हैं और भारत में कोई भी घरेलू निर्माता नहीं है सिवाय उन लोगों के जो चयापचय विकार वाले लोगों हेतु चिकित्सा-ग्रेड भोजन बनाते हैं।

दुर्लभ रोग

- लगभग 6,000-8,000 वर्गीकृत दुर्लभ बीमारियाँ हैं, लेकिन सिर्फ 5% से भी कम का उपचार उपलब्ध है।
  - उदाहरण: लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर (Lysosomal Storage Disorder), पोम्पे डिज़ीज़, साइस्टिक फाइब्रोसिस (Cystic Fibrosis) हीमोफिलिया आदि।
- लगभग 95% दुर्लभ बीमारियों का कोई प्रमाणित उपचार उपलब्ध नहीं है और इनसे प्रभावित सिर्फ 10 में से 1 रोगी का ही रोग-विशिष्ट उपचार हो पाता है।
- इन बीमारियों को विभिन्न देशों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है और ये प्रति 10,000 आबादी में 1 से 6 लोगों में पाई जाती हैं।
- हालाँकि सामान्य बीमारियों की तुलना में इनसे बहुत कम लोग प्रभावित होते हैं। फिर भी इनके कई मामले गंभीर, पुराने और जानलेवा हो सकते हैं।
- भारत में दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित करीब 50-100 मिलियन लोग हैं। इस नीति रिपोर्ट में कहा गया है कि इन रोगियों में से लगभग 80% बच्चे हैं, जिनमें से अधिकांश उच्च रुग्णता और मृत्यु दर के कारण वयस्कता तक नहीं पहुँच पाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस

चर्चा में क्यों ?

प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया जाता है।

- यह दिवस जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकजुटता का आह्वान करता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

परिचय

- अक्तूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।
- 21 मार्च, 1960 को पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले में लोगों द्वारा नस्लभेदी कानून के खिलाफ किये जा रहे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान आग लगा दी और 69 लोगों को मार डाला।
- रंगभेद
  - यह एक नीति थी जिसने दक्षिण अफ्रीका के 'श्वेत' अल्पसंख्यकों और 'अश्वेत' बहुसंख्यकों के बीच संबंधों को नियंत्रित किया।
  - इस नीति ने 'अश्वेत' बहुसंख्यकों के विरुद्ध नस्लीय अलगाव तथा राजनीतिक और आर्थिक भेदभाव को मंज़ूरी दी।
- वर्ष 1966 में की गई इस दिवस की घोषणा दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति को समाप्त करने हेतु किये गए संघर्ष का प्रतीक है।

वर्ष 2021 की थीम

- 'यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज़्म'

महत्त्व

- मानवाधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त इस नस्लीय भेदभाव का मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है तथा यह सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करता है।

नस्लवाद

परिचय

- नस्लवाद का आशय ऐसी धारणा से है, जिसमें यह माना जाता है कि मनुष्यों को 'नस्ल' नामक अलग और विशिष्ट जैविक इकाइयों में विभाजित किया जा सकता है; इस धारणा के मुताबिक, विरासत में मिली भौतिक विशेषताओं और व्यक्तित्व, बुद्धि, नैतिकता तथा अन्य सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक विशेषताओं के लक्षणों के बीच संबंध होता है और कुछ विशिष्ट 'नस्लें' अन्य की तुलना में बेहतर होती हैं।
- यह शब्द राजनीतिक, आर्थिक या कानूनी संस्थानों और प्रणालियों पर भी लागू होता है, जो 'नस्ल' के आधार पर भेदभाव करते हैं अथवा धन एवं आय, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, नागरिक अधिकारों तथा अन्य क्षेत्रों में नस्लीय असमानताओं को बढ़ावा देते हैं।

नोट

- प्राय: ज़ेनोफोबिया और नस्लवाद को एक समान माना जाता हैं, किंतु इनमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि नस्लवाद में शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भेदभाव किया जाता है, जबकि ज़ेनोफोबिया में इस धारणा के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि कोई विदेशी है अथवा किसी अन्य समुदाय या राष्ट्र में उत्पन्न हुआ है।
  - 'ज़ेनोफोबिया' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 'ज़ेनो' से हुई है।

वर्तमान स्थिति

- इंटरनेट की एनोनिमिटी/गुमनामी ने नस्लवादी रूढ़ियों और गलत सूचनाओं के ऑनलाइन प्रयास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।
  - आँकड़ों की मानें तो महामारी के बाद से एशियाई लोगों के विरुद्ध नफरत फैलाने वाली वेबसाइट्स पर जाने वाले लोगों की संख्या में 200 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
  - भारत और श्रीलंका में सोशल मीडिया ग्रुप और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने के लिये किया जा रहा है तथा सोशल मीडिया के माध्यम से अल्पसंख्यकों पर वायरस फैलाने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है।
- नस्लीय भेदभाव का संरचनात्मक स्वरूप, जिसमें सूक्ष्म-आक्रामकता और अपमान आदि शामिल हैं, व्यापक स्तर पर हमारे समाज में प्रचलित है।

नोट :

- नई तकनीकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग ने 'टेक-नस्लवाद' की अवधारणा को जन्म दिया है, क्योंकि इस प्रकार की तकनीक के माध्यम से किसी एक नस्लीय समुदाय के लोगों की पहचान कर उन्हें अनुचित रूप से लक्षित करने की संभावना काफी बढ़ गई है।
- पक्षपातपूर्ण व्यवहार और भेदभावपूर्ण कार्य, समाज में मौजूद असमानता को बढ़ाते हैं।
  - 'द लांसेट' द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक आयामों और उससे प्रभावित जातीय अल्पसंख्यकों की सुभेद्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है।

नस्लवाद के विरुद्ध अन्य पहलें

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से नस्लवाद के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई इस संबंध में एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करती है।
  - यूनेस्को द्वारा गठित 'समावेशी एवं सतत् शहरों का अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन' शहरी स्तर पर नस्लवाद के विरुद्ध लड़ाई को और मज़बूत करने और इस संबंध में बेहतर प्रथाओं को अपनाने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- पेरिस स्थित यूनेस्को के मुख्यालय में कोरिया गणराज्य के साथ साझेदारी के माध्यम से 22 मार्च, 2021 को 'ग्लोबल फोरम अगेंस्ट रेसिज़्म एंड डिस्क्रिमिनेशन' की मेजबानी की गई थी।
  - इस फोरम के दौरान नस्लवाद के विरुद्ध एक नई बहु-हितधारक भागीदारी शुरू करने के लिये शिक्षाविदों और शैक्षणिक भागीदारों समेत तमाम हितधारक एकत्रित हुए थे।
- जनवरी 2021 में विश्व आर्थिक मंच ने कार्यस्थल में नस्लीय और जातीय न्याय की व्यवस्था में सुधार के लिये प्रतिबद्ध संगठनों का एक गठबंधन शुरू किया था।
- 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन ने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका बल्कि संपूर्ण विश्व में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश को जन्म दिया है। वैश्विक स्तर पर तमाम तरह के लोग नस्लीय भेदभाव की व्यापकता के विरुद्ध एकजुट हुए हैं।

भारत में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध प्रावधान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 29 'नस्ल', 'धर्म' तथा 'जाति' के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाते हैं।
- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A भी 'नस्ल' को संदर्भित करती है।
- भारत ने वर्ष 1968 में 'नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन' (ICERD) की पुष्टि की थी।

आगे की राह

- अंतर-सांस्कृतिक संवाद का नवीनतम दृष्टिकोण युवाओं को किसी वर्ग विशिष्ट से संबंधित रूढ़ियों को समाप्त करने और उनमें सहिष्णुता बढ़ाने में सहायक हो सकता है।
- नस्लवाद और जातिवाद से संबंधित भेदभाव की हालिया घटनाएँ संपूर्ण समाज को समानता के संबंध में विभिन्न पहलुओं को नए सिरे से सोचने पर मज़बूर करती हैं। नस्लवाद की समस्या को केवल सद्भाव अथवा सद्भावना के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिये नस्लवाद-विरोधी कार्रवाई की भी आवश्यकता होगी।
- इसके लिये सहिष्णुता, समानता के साथ ही भेदभाव विरोधी एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण किया जाना काफी महत्त्वपूर्ण है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस, 2021 और भारत की जीवन प्रत्याशा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस (World Health Day), 2021 के अवसर पर भारत की जनगणना और रजिस्ट्रार जनरल के नमूना पंजीकरण प्रणाली (Sample Registration System- SRS) पर आधारित संग्रहीत जीवन सारणी (Abridged Life Table), 2014-18 के अनुमानों के अनुसार एक भारतीय बच्चे की जीवन प्रत्याशा वैश्विक औसत से कम है।

- प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

जीवन प्रत्याशा:

- यह एक दी गई आयु के बाद जीवन के शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। यह एक व्यक्ति के औसत जीवनकाल का अनुमान है।
  - इसे मापने का सबसे आम उपाय जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है।
- भारत की जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2021 में पैदा हुए बच्चे के लिये) 69 वर्ष और 4 महीना है जो वैश्विक जीवन प्रत्याशा 72.81 वर्ष से कम है।

शिशु मृत्यु दर:

- यह अतिरिक्त वर्षों की औसत संख्या का अनुमान है यानी इतने वर्ष एक व्यक्ति जीने की उम्मीद कर सकता है।
- भारत की शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) 33 है।

प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा का कम होना:

- देश में बच्चों के जीवन की गुणवत्ता में कमी आएगी और "जहरीली हवा" के लगातार संपर्क में रहने के कारण इनके औसत जीवन काल में दो वर्ष छह महीने की कमी होने का अनुमान है।
  - स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर (State of Global Air), 2020 के अनुसार, विश्व में वर्ष 2019 के दौरान PM2.5 की सर्वाधिक वार्षिक औसत सांद्रता दर्ज की गई, भारत इस चार्ट में सबसे ऊपर है।
  - विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 35 भारत में थे।
    - जिसमें गाज़ियाबाद, बुलंदशहर और दिल्ली शीर्ष 10 शहरों में शामिल थे।
- इस प्रकार भारत में बच्चों की जीवन प्रत्याशा केवल 66 वर्ष और 8 महीने तक रहने का अनुमान है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस

विश्व स्वास्थ्य दिवस के विषय में:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ष 1948 में आयोजित हुई थी तथा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी।
- इन वर्षों में यह मानसिक स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु देखभाल और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दों को प्रकाश में लाया है।

उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य एवं उससे संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करना तथा विश्व में समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों एवं मिथकों को दूर करना है।

थीम:

- इस वर्ष की थीम "सभी के लिये एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण"।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की कुछ पहलें:

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019।
- प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
- भारत का स्वास्थ्य सूचकांक।

SRS-आधारित संग्रहीत जीवन सारणी

संग्रहीत जीवन सारणी के विषय में:

- एक जीवन तालिका एक संभावित समूह या अलग-अलग उम्र में जीवित रहने की संभावनाओं को बताती है, जो मृत्यु के कारण धीरे-धीरे कम हो जाते हैं।

नोट :

- SRS की शुरुआत के साथ जीवन तालिकाओं के निर्माण के लिये डेटा का एक वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध हो गया है।
- SRS डेटा के आधार पर जीवन सारणी पाँच साल के अंतराल पर वर्ष 1970-75, 1976-80, 1981-85 और 1986-90 की अवधि के लिये तैयार किये गए हैं। जीवन सारणियों को वर्ष 1986-90 से पाँच वर्ष का औसत निकालकर वार्षिक आधार पर लाया गया है ताकि एक सतत् शृंखला बनाई जा सके।

उपयोग:

- यह मृत्यु की आयु वितरण के विषय में सबसे मौलिक और आवश्यक तथ्यों को व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका है तथा विभिन्न आयु समूहों के जीवन एवं मृत्यु की संभावना को मापने का एक शक्तिशाली उपकरण है।
- यह औसत जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में आयु-विशिष्ट मृत्यु दर के निहितार्थ को समझने में सक्षम बनाता है। इसे भारत की जनसंख्या की आयु सीमा का उपयोग करके तैयार किया जाता है जो क्रमिक रूप से होने वाली जनसंख्या गणनाओं पर आधारित होती है। यह भारत में होने वाली क्रमिक जनगणनाओं से जनसंख्या की आयु संरचना का उपयोग जीवन सरणियों के निर्माण में करता है।

B.1.617:भारतीय डबल म्यूटेंट स्ट्रेन

चर्चा में क्यों ?

भारत में महामारी के प्रसार को प्रभावित करने वाले 'डबल म्यूटेंट' (Double Mutant) वायरस को औपचारिक रूप से B.1.617 के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- उत्परिवर्तन एक जीवित जीव या किसी वायरस के कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ (जीनोम) मां एक परिवर्तन है जो कम या अधिक रूप से स्थायी होता है और जिसे कोशिका या वायरस के प्रतिरूपों में प्रेषित किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- डबल म्यूटेंट (B.1.617):
  - इससे पहले 'जीनोमिक्स पर भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम (INSACOG)' द्वारा वायरस के नमूनों के एक खंड की जीनोम अनुक्रमण प्रक्रिया से दो उत्परिवर्तनों, E484Q और L452R की उपस्थिति का पता चला।
    - हालाँकि ये उत्परिवर्तन व्यक्तिगत रूप से कई देशों में पाए गए हैं, पहली बार भारत में इन दोनों उत्परिवर्तन की उपस्थिति कोरोनोवायरस जीनोम में पाई गई है।
  - भारत में इसके 'डबल म्यूटेंट' को वैज्ञानिक रूप से B.1.167 नाम दिया गया है। हालाँकि इसे अभी तक 'वेरिएंट ऑफ़ कंसर्न 'के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।
  - अब तक केवल तीन वैश्विक 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' की पहचान की गई है: यू.के. (B.1.1.7), दक्षिण अफ्रीकी (B.1.351) और ब्राज़ील (P.1)।
  - INSACOG के अनुसार, भारत में कोरोनावायरस रोगियों से प्राप्त जीनोम के नमूने का अनुक्रमण करते हुए B.1.617 के संक्रमण को पहली बार दिसंबर, 2020 में भारत में देखा गया था।
  - वर्तमान में B.1.617 उत्परिवर्तन की विशेषता वाले लगभग 70% जीन अनुक्रम भारत से संबंधित हैं।
  - इसके बाद यूनाइटेड किंगडम (23%), सिंगापुर (2%) और ऑस्ट्रेलिया (1%) हैं।

'वेरिएंट ऑफ कंसर्न ':

- ये ऐसे वेरिएंट हैं, जिनके संबंध में संक्रामकता में वृद्धि तथा अधिक गंभीर बीमारी (अस्पतालों में भर्ती होने वाले मामलों में वृद्धि) पिछले संक्रमण या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न एंटीबॉडी द्वारा न्यूनीकरण में कमी, उपचार या टीके की प्रभावशीलता में कमी या नैदानिक पता लगाने में विफलता से संबंधित प्रमाण उपस्थित हैं।

नोट :

- म्यूटेंटस से जुड़े मुद्दे:
  - 'म्यूटेंट वायरस' कुछ देशों में कोविड-19 मामलों के बड़े स्पाइक्स से जुड़ा हुआ है।
  - यह वायरस को और अधिक संक्रामक होने के साथ-साथ एंटीबॉडी भी बनने में सक्षम बनाता है।
  - एक अन्य मुद्दा टीके की प्रभावकारिता में कमी से भी जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों ने विशेष रूप से फाइज़र, मॉडर्ना और नोवावैक्स द्वारा कुछ वैरिएंट्स में टीकों की कम प्रभावकारिता को दिखाया है।
    - हालाँकि इसके बावजूद टीके काफी सुरक्षात्मक बने हुए हैं।
- अन्य उत्परिवर्तन
  - INSACOG के अनुसार, दो उत्परिवर्तन (E484Q और L452R) के अलावा एक तीसरा महत्त्वपूर्ण उत्परिवर्तन, P614R भी है।
  - सभी तीनों उत्परिवर्तन स्पाइक प्रोटीन पर हैं। स्पाइक प्रोटीन वायरस का वह हिस्सा है जिसका उपयोग वह मानव कोशिकाओं में घुसने के लिए करता है।
    - वायरस की स्पाइक प्रोटीन जोखिम को बढ़ा सकती है और वायरस को प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने की अनुमति दे सकती है।
- टी-कोशिका प्रतिरोधी
  - L452R कोरोनवायरस टी-कोशिकाओं के लिये प्रतिरोधी बन सकता है, यह वायरस संक्रमित कोशिकाओं को लक्षित करने और नष्ट करने के लिये आवश्यक कोशिकाओं का एक वर्ग है।
    - टी-कोशिकाएँ एंटीबॉडीज़ से भिन्न होती हैं जो कोरोनोवायरस कणों को अवरुद्ध करने और इसे फैलने से रोकने में उपयोगी होती हैं।

टी-कोशिकाएँ

- एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिये महत्त्वपूर्ण है और अनुकूली प्रतिरक्षा के लिये अत्यंत आवश्यक है।
- ये विशिष्ट रोगजनकों के लिये शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का निर्माण करती हैं।
- टी-कोशिकाएँ सैनिकों की तरह व्यवहार करती हैं जो लक्षित हमलावर को खोजकर नष्ट कर देती हैं।

जीनोमिक्स पर भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्टियम

- INSACOG जीनोमिक विविधता की निगरानी के लिये एक बहु-प्रयोगशाला, बहु-एजेंसी और एक अखिल भारतीय नेटवर्क है।
- यह समझने में मदद करता है कि वायरस कैसे फैलता और विकसित होता है।
- जीनोमिक निगरानी,राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर रोगजनक संचरण और विकास पर नज़र रखने के लिये जानकारी का एक समृद्ध स्रोत उत्पन्न कर सकती है।

भिक्षावृत्ति

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र और चार राज्यों से भिक्षावृत्ति के प्रावधानों को निरस्त करने के लिये निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने को कहा है।

- याचिका में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो कुछ परिस्थितियों के कारण भिक्षावृत्ति करने के लिये मज़बूर है, को इसके लिये दोष नहीं दिया जा सकता है।
- रेल मंत्रालय ने रेलगाड़ियों या रेलवे परिसरों में भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का प्रस्ताव किया।

प्रमुख बिंदु

भिक्षावृत्ति को गैर-आपराधिक करने के पक्ष में तर्क:

- इस सन्दर्भ में हाल के निर्णय: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1959 के प्रावधान, जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र में भिक्षावृत्ति को आपराधिक बनता है, संवैधानिक सुरक्षा के प्रावधानों के विपरीत है।

नोट :

- जीवन के अधिकार के विरुद्ध: भिक्षावृत्ति के कृत्य को आपराधिक बनाने वाले कानूनों ने लोगों को अपराध करके पेट भरने या भूखा रहकर कानून मानने के बीच दुविधा में डाल दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन है।
- सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की बाध्यता: यह सरकार का दायित्व है कि वह सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर इसे सुनिश्चित करें, जिससे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के अनुसार सभी के पास बुनियादी सुविधाएँ हों।
  - भिखारियों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि राज्य अपने सभी नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ देने में विफल रहा है।
  - इसलिये अपनी विफलता पर काम करने और लोगों के भिक्षावृत्ति की जाँच करने के बजाय, इसका अपराधीकरण करना तर्कहीन है और यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है।

याचिका में सुझाव:

- फास्ट फॉरवर्ड भिखारी पुनर्वास विधान: याचिका में दावा किया गया है कि भिखारी उन्मूलन एवं पुनर्वास विधेयक (Abolition of Begging and Rehabilitation of Beggars Bill), 2018 को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन अब तक यह विधेयक पारित नहीं हुआ है और इसे लंबी संसदीय प्रक्रिया में शामिल कर दिया गया है।
  - मौजूदा मनाने कानूनों के कारण हज़ारों गरीबों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
  - विधायी प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाना चाहिये।
- कुछ प्रावधान को समाप्त करें: याचिका में बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1959; पंजाब प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट, 1971; हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1971 और बिहार प्रिवेंशन ऑफ बेगिंग एक्ट, 1951 के कुछ धाराओं को छोड़कर सभी प्रावधानों को "गैरकानूनी और शून्य" घोषित करने के निर्देश दिये गए हैं।
- इसमें देश के किसी भी हिस्से में प्रचलित अन्य ऐसे ही सभी अधिनियमों को अवैध घोषित करने की भी मांग की गई है।

बॉम्बे भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम, 1959:

- भारत में भिक्षावृत्ति की रोकथाम और नियंत्रण के लिये कोई संघीय कानून नहीं है, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने स्वयं के कानूनों के आधार के रूप में बॉम्बे अधिनियम का उपयोग किया है।
- इस अधिनियम में भिक्षावृत्ति की परिभाषा में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल किया गया है जो गाना गाकर, नृत्य करके, भविष्य बताकर, कोई सामान देकर या इसके बिना भीख मांगता है या कोई चोट, घाव आदि दिखाकर, बीमारी बताकर भीख मांगता है।
- इसके अलावा जीविका का कोई दृश्य साधन न होने और सार्वजनिक स्थान पर इधर-उधर भीख मांगने की मंशा से घूमना भी भिक्षावृत्ति में शामिल है।
- यह अधिनियम पुलिस को बिना वारंट व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। इस कानून में भिक्षावृत्ति करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार में तीन साल तक के लिये और दूसरी बार में दस साल तक के हिरासत में रखने का प्रावधान है।
  - यह कानून भिखारियों के गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है और उन्हें अपने फिंगरप्रिंट देने के लिये बाध्य करता है।
- इस अधिनियम में भिखारियों के परिवारों को हिरासत में लेने और उनके पाँच साल से अधिक उम्र के बच्चों को अलग रखने का अधिकार दिया गया है।
- इसके साथ ही पकड़े गए व्यक्ति के आश्रितों को भी पंजीकृत संस्था में भेजा जा सकता है। यहाँ यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इन संस्थाओं को भी कई प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे-संस्था में लाए गए व्यक्ति को सजा देना, कार्य करवाना आदि। इन नियमों का पालन न करने पर व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है।

भारत में भिखारियों की संख्या:

- भारत में जनगणना 2011 के अनुसार भिखारियों की कुल संख्या 4,13,670 (2,21,673 पुरुष और 1,91,997 महिलाएँ) है जो पिछली संख्या (जनगणना 2001) से ज़्यादा है।
- भिक्षावृत्ति के मामले में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार क्रमशः दूसरे एवं तीसरे नंबर पर हैं। लक्षद्वीप में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केवल दो भिखारी हैं।

नोट :

- केंद्र शासित प्रदेशों में नई दिल्ली में भिखारियों की संख्या सबसे अधिक (2,187) है और उसके बाद चंडीगढ़ में (121) है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में असम में सबसे ज़्यादा (22,116) और मिज़ोरम में सबसे कम (53) भिखारियों की संख्या है।

आगे की राह

- सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण के आधार पर एक केंद्रीय कानून बनाया जाना चाहिये। इस संदर्भ में 2016 में केंद्र सरकार ने पहला प्रयास 'The Persons in Destitution (Protection, Care, Rehabilitation) Model Bill, 2016' लाकर किया था। इस पर फिर से काम किये जाने की आवश्यकता है।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना (Bhikshavriti Nivaran Yojana) एक अनुकरणीय योजना है।
  - इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को हिरासत में लेने की जगह उन्हें सामुदायिक घरों में रखने की व्यवस्था है।
  - इसके अंतर्गत पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें उपचार, पारिवारिक सुदृढीकरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- संगठित तौर पर चलने वाले भिक्षावृत्ति रैकेट्स को मानव तस्करी और अपहरण जैसे अपराधों के साथ जोड़ कर देखा जाना चाहिये।

दृष्टि The Vision

नोट :

कला एवं संस्कृति

शिवकुमार स्वामीगलु

चर्चा में क्यों ?

1 अप्रैल, 2021 को शिवकुमार स्वामीगलु (स्वामी जी) की जयंती मनाई गई।

- शिवकुमार स्वामी जी प्रसिद्ध लिंगायत विद्वान, शिक्षक और आध्यात्मिक गुरु थे।

प्रमुख बिंदु:

जन्म:

- उनका जन्म 1 अप्रैल, 1907 को कर्नाटक के रामनगर ज़िले में स्थित वीरापुरा ग्राम में हुआ था।

प्रारंभिक जीवन:

- वह अपने माता-पिता की तेरहवीं संतान थे और जन्म के समय उनका नाम शिवन्ना रखा गया था।
  - धर्म में उनकी रुचि की शुरुआत बचपन में माता-पिता के साथ धार्मिक केंद्रों में जाने के कारण हुई।
- गाँव से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद वे माध्यमिक शिक्षा के लिये नागवल्ली चले गए।
  - इसके साथ ही वह कुछ समय के लिये सिद्धगंगा मठ में एक निवासी छात्र के रूप में रहे।
  - श्री सिद्धगंगा मठ एक प्राचीन आश्रम है जो 'शिव योगी सिद्ध पुरुषों' की प्रसिद्धि के लिये जाना जाता है। 15वीं शताब्दी ईस्वी में श्री गोशाला सिद्धेश्वरा स्वामी जी ने इस मठ की स्थापना की थी।
    - यह मठ बंगलूरू (कर्नाटक) से 63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
- वर्ष 1930 में उन्होंने बंगलूरू के सेंट्रल कॉलेज से कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वह अंग्रेज़ी, कन्नड़ और संस्कृत भाषा के ज्ञानी थे।
- 1965 में उन्हें कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा साहित्य की उपाधि से सम्मानित किया गया।

शिवकुमार स्वामीगलु का परिचय:

- वे कर्नाटक में स्थित सिद्धगंगा मठ के प्रमुख तथा लिंगायत समुदाय के व्यक्ति थे। उन्हें लिंगायतवाद के सबसे सम्मानित अनुयायी के रूप में जाना जाता है।
  - 3 मार्च,1930 को उन्होंने संत या विरक्त आश्रम के रुप में सिद्धगंगा मठ में प्रवेश किया।
- वे अपने अनुयायियों के बीच 'नादेदुदेव देवरु'' अथवा 'भगवान' के रूप में जाने जाते थे।
- उन्हें 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक, बसवेश्वरा के अवतार के रूप में भी माना जाता था, क्योंकि उन्होंने सभी धर्म या जाति के लोगों को स्वीकार किया।

सामाजिक कार्य

- उन्होंने शिक्षा और प्रशिक्षण के लिये 132 संस्थानों की स्थापना की थी।
  - यहाँ बच्चों को मुफ्त आश्रय, भोजन और शिक्षा प्रदान की जाती है।
  - मठ में आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को भी मुफ्त भोजन मिलता है।
- उन्होंने श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की।
- स्वामी जी के मार्गदर्शन में स्थानीय लोगों की सहायता के लिये प्रतिवर्ष एक कृषि मेला भी आयोजित किया जाता था।

नोट :

पुरस्कार

- वर्ष 2007 में उन्हें कर्नाटक रत्न (कर्नाटक में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार) से सम्मानित किया गया था।
- वर्ष 2015 में पद्म भूषण (भारत में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार) से सम्मानित किया गया था।

मृत्यु

- उनका निधन 21 जनवरी, 2019 को लगभग 112 वर्ष की आयु में हुआ था।

लिंगायत

- बारहवीं सदी में कर्नाटक में 'बासवन्ना' के नेतृत्व में एक धार्मिक आंदोलन चला जिसमें बासवन्ना के अनुयायी 'लिंगायत' कहलाए।
  - बसवेश्वरा पूर्णत: जाति व्यवस्था और वैदिक अनुष्ठानों के विरुद्ध थे।
- लिंगायत पूर्णत: एकेश्वरवादी होते हैं। वे केवल एक ही ईश्वर 'लिंग' (शिव) की पूजा करते हैं।
- 'लिंग' शब्द का अर्थ मंदिरों में स्थापित लिंग से नहीं है, बल्कि सार्वभौमिक ऊर्जा (शक्ति) द्वारा प्राप्त सार्वभौमिक चेतना से है।
- वीरशैव तथा लिंगायत को एक ही माना जाता है किंतु लिंगायतों का तर्क है कि वीरशैव का अस्तित्व लिंगायतों से पहले का है तथा वीरशैव मूर्तिपूजक हैं।
- कर्नाटक में लगभग 18 प्रतिशत आबादी लिंगायतों की है। ये लंबे समय से हिंदू धर्म से पृथक् धर्म का दर्जा चाहते हैं।

पारंपरिक नववर्ष आधारित त्योहार

चर्चा में क्यों ?

भारत के उपराष्ट्रपति ने लोगों को 'चैत्र शुक्लादि, गुड़ी पड़वा, उगादि, चेटीचंड, वैसाखी, विसु, पुथंडु और बोहाग बिहू' त्योहारों पर शुभकामनाएँ दीं।

- वसंत ऋतु के ये त्योहार भारत में पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत के प्रतीक हैं।

प्रमुख बिंदु:

चैत्र शुक्लादि:

- यह विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत को चिह्नित करता है जिसे वैदिक [हिंदू] कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है।
- विक्रम संवत उस दिन से संबंधित है जब सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराया और एक नए युग का आह्वान किया।
- उनकी देखरेख में खगोलविदों ने चंद्र-सौर प्रणाली के आधार पर एक नया कैलेंडर बनाया जिसका अनुसरण भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अभी भी किया जाता है।
- यह चैत्र (हिंदू कैलेंडर का पहला महीना) माह के 'वर्द्धित चरण' (जिसमें चंद्रमा का दृश्य पक्ष हर रात बड़ा होता जाता है) का पहला दिन होता है।

गुड़ी पड़वा और उगादि:

- ये त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र में लोगों द्वारा मनाए जाते हैं।
- दोनों त्योहारों के समारोहों में आम प्रथा है कि उत्सव का भोजन मीठे और कड़वे मिश्रण से तैयार किया जाता है।
- दक्षिण में बेवु-बेला नामक गुड़ (मीठा) और नीम (कड़वा) परोसा जाता है, जो यह दर्शाता है कि जीवन सुख और दुख दोनों का मिश्रण है।
- गुड़ी महाराष्ट्र के घरों में तैयार की जाने वाली एक गुड़िया है।
  - गुड़ी बनाने के लिये बाँस की छड़ी को हरे या लाल ब्रोकेड से सजाया जाता है। इस गुड़ी को घर में या खिड़की/दरवाजे के बाहर सभी को दिखाने के लिये प्रमुखता से रखा जाता है।

नोट :

- उगादि के लिये घरों में दरवाजे आम के पत्तों से सजाए जाते हैं, जिन्हें कन्नड़ में तोरणालु या तोरण कहा जाता है।

चेटी चंड:

- सिंधी 'चेटी चंड' को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। चैत्र माह को सिंधी में 'चेत' कहा जाता है।
- यह दिन सिंधियों के संरक्षक संत उदयलाल/झूलेलाल की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

नवरेह:

- यह कश्मीर में मनाया जाने वाला चंद्र नववर्ष है।
  - संस्कृत के शब्द 'नववर्ष'से 'नवरेह' शब्द की व्युत्पत्ति हुई है।
- यह चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आयोजित किया जाता है।
- इस दिन कश्मीरी पंडित चावल के एक कटोरे के दर्शन करते हैं, जिसे धन और उर्वरता का प्रतीक माना जाता है।

बैसाखी:

- इसे हिंदुओं और सिखों द्वारा मनाया जाने वाला बैसाखी भी कहा जाता है।
- यह हिंदू सौर नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।
- यह वर्ष 1699 में गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है।
- बैसाखी वह दिन था जब औपनिवेशिक ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकारियों ने एक सभा में जलियाँवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया था, यह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय आंदोलन की एक घटना थी।

विशु:

- यह एक हिंदू त्योहार है जो भारत के केरल राज्य, कर्नाटक में तुलु नाडु क्षेत्र, केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी का माहे ज़िला, तमिलनाडु के पड़ोसी क्षेत्र और उनके प्रवासी समुदाय में मनाया जाता है।
- यह त्योहार केरल में सौर कैलेंडर के नौवें महीने, मेदाम के पहले दिन को चिह्नित करता है।
- यह हमेशा ग्रेगोरियन कैलेंडर में अप्रैल के मध्य में 14 या 15 अप्रैल को हर वर्ष आता है।

पुथांडू:

- इसे पुथुवरुडम या तमिल नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, यह तमिल कैलेंडर वर्ष का पहला दिन है और पारंपरिक रूप से एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है।
- इस त्योहार की तारीख तमिल महीने चिथिरई के पहले दिन के रूप में हिंदू कैलेंडर के सौर चक्र के साथ निर्धारित की जाती है।
- इसलिये यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में हर वर्ष 14 अप्रैल को आता है।

बोहाग बिहू:

- बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू, जिसे हतबिहु (सात बिहू) भी कहा जाता है, असम के उत्तर-पूर्वी भारत और अन्य भागों में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी जातीय त्योहार है।
- यह असमिया नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।
- यह आमतौर पर अप्रैल के दूसरे सप्ताह में आता है, ऐतिहासिक रूप से यह फसल के समय को दर्शाता है।

नोट :

आंतरिक सुरक्षा

सुकमा में माओवादी हमला

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा-बीजापुर ज़िले की सीमा के पास टेरम क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक दल पर पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (People's Liberation Guerilla Army- PLGA) की एक टुकड़ी द्वारा हमला किया गया, इसमें कई सुरक्षाकर्मी मारे गए और कुछ घायल हुए हैं।

- PLGA की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है और गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम,1967 के तहत प्रतिबंधित है।

प्रमुख बिंदु

सुकमा ज़िले के विषय में:

- यह ज़िला छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी सिरे पर स्थित है जिसे वर्ष 2012 में दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया है।
- यह ज़िला अर्द्ध-उष्णकटिबंधीय वन से आच्छादित है और जनजातीय समुदाय गोंड (Gond) की मुख्य भूमि है।
- इस ज़िले से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी सबरी (Sabari- गोदावरी नदी की सहायक नदी) है।
- कुछ दशकों से यह क्षेत्र वामपंथी अतिवाद (Left Wing Extremism- LWE) गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र बन गया है।
  - इस क्षेत्र को ऊबड़-खाबड़ और मुश्किल भौगोलिक स्थानों ने LWE कार्यकर्ताओं के लिये एक सुरक्षित ठिकाना बना दिया।

भारत में वामपंथी अतिवाद:

- वामपंथी अतिवादियों को विश्व के अन्य देशों में माओवादियों के रूप में और भारत में नक्सलियों के रूप में जाना जाता है।
- भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग ज़िले के नक्सलबाड़ी नामक गाँव से हुई और इसीलिये इस उग्रपंथी आंदोलन को 'नक्सलवाद' के नाम से जाना जाता है।
  - ज़मींदारों द्वारा छोटे किसानों के उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिये सत्ता के खिलाफ चारू मजूमदार, कानू सान्याल और कन्हाई चटर्जी द्वारा शुरू किये गए इस सशस्त्र आंदोलन को नक्सलवाद का नाम दिया गया।
- यह आंदोलन छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे कम विकसित पूर्वी भारत के राज्यों में फैल गया है।
- यह माना जाता है कि नक्सली माओवादी राजनीतिक भावनाओं और विचारधारा का समर्थन करते हैं।
  - माओवाद, साम्यवाद का एक रूप है जो माओ त्से तुंग द्वारा विकसित किया गया है। इस सिद्धांत के समर्थक सशस्त्र विद्रोह, जनसमूह और रणनीतिक गठजोड़ के संयोजन से राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा करने में विश्वास रखते हैं।

वामपंथी अतिवाद का कारण:

- आदिवासी असंतोष:
  - वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उपयोग आदिवासियों को लक्षित करने के लिये किया गया है, जो अपने जीवन यापन हेतु वनोपज पर निर्भर हैं।
  - विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारणों की वजह से नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में व्यापक स्तर पर जनजातीय आबादी का विस्थापन हुआ है।

नोट :

- माओवादियों के लिये आसान लक्ष्य: ऐसे लोग जिनके पास जीवन जीने का कोई स्रोत नहीं है, उन्हें माओवादियों द्वारा आसानी से अपने साथ कर लिया जाता है।
  - माओवादी ऐसे लोगों को हथियार, गोला-बारूद और पैसा मुहैया कराते हैं।
- देश की सामाजिक-आर्थिक प्रणाली में अंतराल:
  - सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में किये गए विकास के बजाय हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर अपनी सफलता को मापती है।
  - नक्सलियों से लड़ने के लिये मज़बूत तकनीकी बुद्धिमत्ता का अभाव है।
  - उदाहरण के लिये ढाँचागत समस्याएँ, कुछ गाँव अभी तक किसी भी संचार नेटवर्क से ठीक से जुड़ नहीं पाए हैं।
- प्रशासन से कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं: यह देखा जाता है कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर नियंत्रण किये जाने के बाद भी प्रशासन उस क्षेत्र के लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है।
- नक्सलवाद से एक सामाजिक मुद्दे के रूप में निपटा जाए या सुरक्षा के खतरे के रूप में, इस पर अभी भी भ्रम बना हुआ है।

LWE से लड़ने की सरकारी पहल:

- ग्रेहाउंड: इसे वर्ष 1989 में एक विशिष्ट नक्सल विरोधी शक्ति के रूप में अपनाया गया था।
- ऑपरेशन ग्रीन हंट: यह वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की गई थी।
- LWE मोबाइल टॉवर परियोजना: LWE क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिये वर्ष 2014 में सरकार ने LWE प्रभावित राज्यों में मोबाइल टॉवरों की स्थापना को मंज़ूरी दी।
- आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम: इस कार्यक्रम को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य उन ज़िलों में तेज़ी से बदलाव लाना है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति की है।
- समाधान (SAMADHAN) का अर्थ है-

  S- स्मार्ट लीडरशिप,
  A- आक्रामक रणनीति,
  M- प्रेरणा और प्रशिक्षण,
  A- एक्शनेबल इंटेलिजेंस,
  D- डैशबोर्ड आधारित KPI (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) और KRA (मुख्य परिणाम क्षेत्र),
  H- हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी,
  A- प्रत्येक रंगमंच के लिये कार्ययोजना,
  N- फाइनेंसिंग तक कोई पहुँच नहीं।
- यह सिद्धांत LWE समस्या के लिये वन-स्टॉप समाधान है। इसमें विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक सरकार की पूरी रणनीति शामिल है।

आगे की राह

- हालाँकि हाल के दिनों में LWE हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, लेकिन ऐसे समूहों को खत्म करने के लिये निरंतर ध्यान देने और प्रयास करने की आवश्यकता है।
- सरकार को दो चीज़ सुनिश्चित करने की ज़रूरत है; शांतिप्रिय लोगों की सुरक्षा और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों का विकास।
- केंद्र और राज्य सरकारों को विकास तथा सुरक्षा के मामले में अपने समन्वित प्रयासों को जरी रखना चाहिये, जहाँ केंद्र को राज्य पुलिस बलों के साथ एक सहायक भूमिका निभानी चाहिये।
- सरकार को सुरक्षाकर्मियों के जीवन के नुकसान को कम करने के लिये ड्रोन के उपयोग जैसे तकनीकी समाधान पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

नोट :

चर्चा में

वज्र प्रहार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और अमेरिका के विशेष बलों द्वारा हिमाचल प्रदेश में संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार (VAJRA PRAHAR)-2021 का आयोजन किया गया।

- इससे पहले भारत और अमेरिकी नौसेना द्वारा पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में दो दिवसीय 'पैसेज सैन्य अभ्यास' (Passage Exercise-PASSEX) का आयोजन किया गया था।

प्रमुख बिंदु

वज्र प्रहार के विषय में:

- दोनों देशों के विशेष बलों द्वारा इस संयुक्त अभ्यास का आयोजन बारी-बारी से भारत और अमेरिका में किया जाता है।
  - किसी भी देश में विशेष बल, सशस्त्र बलों की ऐसी इकाइयाँ होती हैं जिन पर गुप्त, आतंकवाद निरोधक और अन्य विशेष अभियानों की ज़िम्मेदारी होती है।
- वज्र प्रहार का 11वाँ संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेज़ ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया।
  - वज्र प्रहार के 10वें संस्करण का आयोजन वर्ष 2019 में अमेरिका के सिएटल में किया गया था।

लक्ष्य:

- संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं तथा अनुभवों को साझा करने के साथ-साथ दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतर-संचालनीयता को बेहतर बनाना।

संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के अन्य युद्ध अभ्यास:

- युद्ध अभ्यास (सेना)।
- कोप इंडिया (वायु सेना)।
- रेड फ्लैग (अमेरिका का बहुपक्षीय वायु अभ्यास)।
- मालाबार युद्ध अभ्यास (भारत, अमेरिका और जापान का त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास)।

वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम

दिल्ली के मुख्यमंत्री, वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम (WCCF) में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

- ज्ञात हो कि इस वर्ष के वार्षिक शिखर सम्मेलन की तिथि की घोषणा की जानी अभी शेष है।

प्रमुख बिंदु

- स्थापना: WCCF की स्थापना वर्ष 2012 में लंदन में आठ शहरों के साथ की गई थी।
- सदस्य शहर: वर्तमान में इस फोरम में कुल 43 भागीदार सदस्य शहर शामिल हैं।
  - भाग लेने वाले सदस्य शहरों में लंदन, हॉन्गकॉन्ग, एम्स्टर्डम, एडिनबर्ग, लिस्बन, सैन फ्रांसिस्को, शंघाई आदि शामिल हैं।
  - राजधानी दिल्ली को इस वर्ष आमंत्रित किया गया है हालाँकि अभी तक यह सदस्य शहरों का हिस्सा नहीं है।

नोट :

- भूमिका: यह सदस्य शहरों के नीति निर्माताओं को अनुसंधान और खुफिया सूचनाओं को साझा करने में सक्षम बनाता है और शहरों की समृद्धि में संस्कृति की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास करता है।
- प्रबंधन: वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम की गतिविधियों का प्रबंधन ग्रेटर लंदन अथॉरिटी (लंदन की नगरपालिका सरकार) द्वारा एक विशेषज्ञ कंसल्टिंग फर्म-'बीओपी कंसल्टिंग' के माध्यम से प्किया जाता है।
  - 'बीओपी कंसल्टिंग' संस्कृति और रचनात्मकता के प्रभाव और महत्त्व को मापने के लिये तुलनात्मक शोध करती है और इसे फोरम के साथ साझा करती है, ताकि सदस्य साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णय ले सकें।
- वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर समिट: फोरम के सदस्य शहर थीम आधारित संगोष्ठी, क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन और कार्यशालाओं सहित कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग करते हैं। ये आयोजन वार्षिक वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर समिट में शामिल होते हैं।
  - सदस्य शहरों द्वारा रोटेशन के आधार पर आयोजित इस अनूठी सभा से सदस्य शहरों के नेताओं को भविष्य के सतत् शहर के लिये एक आयोजन सिद्धांत के रूप में संस्कृति की भूमिका के बारे में विचारों और ज्ञान को साझा करने की अनुमति मिलती है।
  - इसमें सदस्य शहरों के सांस्कृतिक प्रमुखों द्वारा हिस्सा लिया जाता है।
  - वर्ष 2021 की थीम: 'संस्कृति का भविष्य'।
- वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर रिपोर्ट: दिल्ली वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर रिपोर्ट का भी हिस्सा होगी, जो कि शहरों की संस्कृति पर सबसे व्यापक वैश्विक डेटासेट है।
  - यह वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के शहरों की अभिनव परियोजनाओं से संबंधित डेटा और विवरण शामिल होता है। अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2018 में प्रकाशित हुई थी।

कवि सारला दास

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उपराष्ट्रपति ने ओडिशा के कटक ज़िले में आदिकवि सारला दास की 600वीं जयंती समारोह को संबोधित किया।

- सारला दास ओडिया साहित्य (Odia literature) के महान विद्वानों में से एक थे।

प्रमुख बिंदु:

- वह पहले विद्वान थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में ओडिया भाषा में अपनी रचनाएँ लिखी थीं।
- इन्हें ओडिया भाषा के तीन प्रमुख ग्रंथों- महाभारत (Mahabharata), विलंका रामायण (Vilanka Ramayana) और चंडी पुराण (Chandi Purana) के लिये जाना जाता है।
- इन्हें लक्ष्मी नारायण वचनिका की रचना हेतु भी जाना जाता है।
- इन्होने ओडिशा के प्रसिद्ध गजपति राजा (1435-67 ई) कपिलेश्वर जिसे कपिलेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, के शासनकाल में महाभारत की रचना शुरू की।

ओडिया भाषा:

- इंडो-आर्यन परिवार के पूर्वी समूह में सबसे पुरानी, ओडिया भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी प्राकृत से हुई है।
- ओडिया उन छह भाषाओं में शामिल है जिन्हें भारतीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है।
- यह भारतीय संविधान में आधिकारिक तौर पर "अनुसूचित" भाषा है अर्थात् यह संविधान की अनुसूची 8 में शामिल भाषा है।
- ओडिशा राज्य की मुख्य आधिकारिक भाषा भी है।

चिनाब पुल

भारतीय रेल ने जम्मू-कश्मीर स्थित प्रतिष्ठित चिनाब पुल की मेहराब बंदी का कार्य पूरा कर लिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

चिनाब पुल

- यह विश्व का सबसे ऊँचा रेलवे पुल है और 'ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना' (USBRL) का हिस्सा है।
  - इसे मार्च 2002 में राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित किया गया था।
- जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले में बनाया गया यह रेलवे पुल समग्र तौर पर 1,315 मीटर लंबा है और नदी तल से इसकी ऊँचाई 359 मीटर है।
- मेहराब के कार्य का पूरा होना, कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे वक्राकार खंड को पूरा करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति है।
  - यह रेलवे परियोजना अब तक के ज्ञात इतिहास में भारत के समक्ष आने वाली सबसे बड़ी सिविल-इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है।

पुल की अनूठी विशेषताएँ:

- इस रेलवे पुल को 266 किलोमीटर/घंटा तक की उच्च गति वाली हवाओं का सामना करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- भारत में पहली बार DRDO के परामर्श से किसी पुल को 'ब्लास्ट लोड' के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह पुल उच्चतम तीव्रता वाले ज़ोन-V के भूकंप के झटकों को भी सह सकता है।
- भारत में पहली बार 'वेल्ड परीक्षण' के लिये 'फेज़्ड ऐरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग' मशीन का प्रयोग किया गया है।
- भारतीय रेलवे ने पहली बार निर्माण स्थल पर ही 'वेल्ड परीक्षण' के लिये 'राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (NABL) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापित की है।
- इस पुल के निर्माण के दौरान अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य निगरानी और चेतावनी प्रणालियों की योजना बनाई गई है।

चिनाब नदी

- स्रोत: इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति ज़िले में ऊपरी हिमालय के बारालाचा-ला दर्रे के पास से होता है।
  - चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहुल एवं स्पीति ज़िले के तांडी में कीलोंग के दक्षिण-पश्चिम से 8 किलोमीटर दूर दो नदियों चंद्र एवं भागा के संगम से बनती है।
    - भागा नदी सूर्या ताल झील से निकलती है जो हिमाचल प्रदेश में बारालाचा-ला दर्रे के पास अवस्थित है।
    - चंद्र नदी का उद्गम बारालाचा-ला दर्रे (चंद्र ताल के पास) के पूर्व के ग्लेशियरों से होता है।
- बहाव: चिनाब नदी जम्मू-कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से बहती हुई पाकिस्तान के पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और आगे चलकर सतलज नदी में मिल जाती है।
- चिनाब पर कुछ महत्त्वपूर्ण परियोजनाएँ/बाँध
- रतले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
  - सलाल बाँध- हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (रियासी)
  - दुलहस्ती हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट- विद्युत परियोजना (किश्तवाड़ ज़िला)
  - पाकल दुल बाँध (निर्माणाधीन)- किश्तवाड़ ज़िला

भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज

भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज (IEX) के विद्युत बाज़ार ने मार्च 2021 के महीने में 8,248.52 MU (मिलियन यूनिट्स) का उच्च स्तर हासिल किया है, जिससे पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं।

नोट :

प्रमुख बिंदु:

- यह भारत में विद्युत के भौतिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र के लिये एक राष्ट्रव्यापी, स्वचालित व्यापार मंच प्रदान करने वाला पहला और सबसे बड़ा ऊर्जा एक्सचेंज है।
- यह एक्सचेंज उचित मूल्य निर्धारण में सक्षम बनाता है और व्यापार निष्पादन की गति और दक्षता को बढ़ाते हुए भारत में विद्युत बाज़ार तक पहुँच और पारदर्शिता को बढ़ाता है।
- यह 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' (NSE) और 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज' (BSE) के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है।
- यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा अनुमोदित और विनियमित है तथा वर्ष 2008 से कार्यरत है।

उद्देश्य:

- उपभोक्ताओं की वहनीय ऊर्जा तक पहुँच स्थापित करने के लिये पारदर्शी और कुशल ऊर्जा बाज़ार स्थापित करके प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना।

व्यापारिक प्लेटफॉर्म के रूप में:

विद्युत का भौतिक वितरण:

- डे-अहेड मार्केट (DAM):
  - यह आधी रात से शुरू होकर अगले 24 घंटों में किसी भी 15 मिनट के समय के वितरण के लिये एक भौतिक बिजली बाज़ार है।
- टर्म अहेड मार्केट (TAM):
  - TAM के तहत अनुबंध 11 दिनों तक बिजली खरीदने/बेचने हेतु एक सीमा को कवर करता है।
  - यह प्रतिभागियों को इंट्रा-डे कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से उसी दिन के लिये आकस्मिक अनुबंध के माध्यम से अगले दिन के लिये, दैनिक अनुबंधों के आधार पर सात दिनों के लिये बिजली खरीदने में सक्षम बनाता है।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (REC):

- REC तंत्र के तहत एक जनरेटर देश के किसी भी हिस्से में नवीकरणीय संसाधनों के माध्यम से बिजली पैदा कर सकता है।
  - बिजली उत्पादन के रूप में एक जनरेटर की किसी भी पारंपरिक स्रोत के बराबर लागत होती है जबकि इसकी पर्यावरणीय साख बाज़ार निर्धारित मूल्य पर एक्सचेंजों के माध्यम से बेची जाती है।
- देश के किसी भी हिस्से से संबद्ध इकाई अपने 'नवीकरणीय खरीद दायित्व' (RPO) अनुपालन को पूरा करने के लिये इन REC को खरीद सकती है।
  - संबद्ध इकाइयाँ या तो नवीकरणीय ऊर्जा खरीद सकती हैं या संबंधित राज्यों के RPO के तहत अपने RPO लक्ष्यों को पूरा करने के लिये REC खरीद सकती हैं।

ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र:

- ये 'ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी' (BEE) की 'परफॉर्म, अचीव, ट्रेड' (PAT) योजना के तहत जारी होने वाले पारंपरिक प्रमाण-पत्र हैं।
- यह बड़े ऊर्जा-गहन उद्योगों में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिये एक बाज़ार आधारित तंत्र है।

केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC):

- CERC भारत में बिजली क्षेत्र का एक नियामक है।
- यह थोक बिजली बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार, निवेश को बढ़ावा देने और मांग आपूर्ति की खाई को पाटने के लिये संस्थागत बाधाओं को हटाने पर सरकार को सलाह देने का इरादा रखता है।
- यह विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अर्द्ध-न्यायिक स्थिति के साथ एक सांविधिक निकाय है।

नोट :

नवेगाँव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व

महाराष्ट्र के नवेगाँव-नागझिरा टाइगर रिज़र्व (NNTR) में लगी वनाग्नि को बुझाने के लिये चलाए जा रहे एक ऑपरेशन के दौरान तीन मज़दूरों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए।

प्रमुख बिंदु:

अवस्थिति:

- यह महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा ज़िलों में स्थित है।
  - गोंदिया ज़िला उत्तर में मध्य प्रदेश और पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा साझा करता है।
- रणनीतिक रूप से यह टाइगर रिज़र्व, केंद्रीय भारतीय बाघ परिदृश्य के केंद्र में स्थित हैजहाँ देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है।

गठन:

- दिसंबर 2013 में इसे भारत के 46 वें टाइगर रिज़र्व के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- NNTR में नवेगाँव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगाँव वन्यजीव अभयारण्य, नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य, नवीन नागझिरा वन्यजीव अभयारण्य और कोका वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं।

जुड़ाव:

- NNTR मध्य भारत में प्रमुख बाघ अभयारण्यों के साथ सीमा साझा करता है जैसे,
  - ताडोबा-अंधारी टाइगर रिज़र्व, महाराष्ट्र
  - कान्हा और पेंच टाइगर रिज़र्व, मध्यप्रदेश
  - इंद्रावती टाइगर रिज़र्व, छत्तीसगढ़
  - तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कवाल टाइगर रिज़र्व तथा और नागार्जुन सागर और छत्तीसगढ़ में अचनकमार टाइगर रिज़र्व (अप्रत्यक्ष रूप से)
- यह उमरेद-करहंदला अभयारण्य और ब्रह्मपुरी डिवीज़न (महाराष्ट्र) जैसे महत्त्वपूर्ण बाघ क्षेत्रों से भी जुड़ा हुआ है।

वनस्पति:

- यहाँ प्रमुख रूप से 'दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन' पाए जाते हैं।
  - यहाँ कुछ काँटेदार पौधे भी पाए जाते हैं।
  - यहाँ बाँस बहुतायत में होता है।

जीव जंतु

- यहाँ तेंदुए जैसे बड़े मांसाहारी और जंगली कुत्ते, भेड़िया, गीदड़, जंगल बिल्लियों तथा 'स्लॉथ बीयर' जैसे छोटे माँसाहारी जानवर पाए जाते हैं।
- महत्त्वपूर्ण शाकाहारी जंतुओ में चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा, कांकड़/बार्किंग डियर, जंगली सुअर और भारतीय गौर शामिल हैं। यहाँ माउस डीयर को भी देखा गया है।
- यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

महाराष्ट्र में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- सह्याद्री टाइगर रिज़र्व।
- मेलघाट टाइगर रिज़र्व।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य।

नोट :

- कर्नाला पक्षी अभयारण्य।
- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
- पेंच राष्ट्रीय उद्यान।

सैन्य अभ्यास 'शांतिर ओग्रोशेना'

बांग्लादेश में आयोजित 10-दिवसीय बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'शांतिर ओग्रोशेना' का 12 अप्रैल, 2021 को सफलतापूर्वक समापन हो गया है।

- वर्ष 2021 में भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगाँठ भी मनाई गई।

प्रमुख बिंदु

'शांतिर ओग्रोशेना'- सैन्य अभ्यास

- यह बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के 'राष्ट्रपिता' बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, साथ ही यह अभ्यास बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है।
- यह सैन्य अभ्यास बांग्लादेश स्थित 'बंगबंधु सेनानीबास' (BBS) में आयोजित किया गया था।
- 'शांतिर ओग्रोशेना' का अर्थ है 'फ्रंट रनर ऑफ द पीस'।

थीम

- इस अभ्यास का विषय रक्षा संबंधों को मज़बूत करना और प्रभावी शांति अभियानों को सुनिश्चित करने के लिये पड़ोसी देशों के बीच अंतर-संचालन को बढ़ाना था।
- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा अधिदिष्ट एक काउंटर-टेररिज़्म अभ्यास है।

भागीदार देश

- इस अभ्यास के दौरान भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के सैनिकों ने हिस्सा लिया, वहीं इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहे।

बांग्लादेश से संबंधित अन्य अभ्यास

- सम्प्रति अभ्यास (थल सेना)
- टेबल टॉप (वायु सेना)
- IN-BN कोर्पेट (नौसेना)
- संवेदना अभ्यास (बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और संयुक्त अरब के साथ बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास)

भारत ऊर्जा डैशबोर्ड- दूसरा संस्करण

हाल ही में भारत सरकार के थिंक टैंक 'नीति आयोग' ने भारत ऊर्जा डैशबोर्ड का दूसरा संस्करण का लॉन्च किया गया है।

- नीति आयोग द्वारा इसके प्रथम संस्करण की शुरुआत मई 2017 में की गई थी।

प्रमुख बिंदु

भारत ऊर्जा डैशबोर्ड- 2.0

- भारत ऊर्जा डैशबोर्ड (IED) एक ही स्थान पर देश के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित समग्र डेटा प्रदान करने का एक प्रयास है।
  - यह भारत के लिये एक व्यापक, मुक्त, स्वतंत्र और सुलभ ऊर्जा डेटा पोर्टल बनाने की दिशा में किया गया आरंभिक प्रयास है।
- इस डैशबोर्ड में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, कोयला नियंत्रक संगठन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित/प्रदत्त ऊर्जा डेटा को संकलित किया गया है।

नोट :

- भारत ऊर्जा डैशबोर्ड, वित्त वर्ष 2005-06 से वित्त वर्ष 2019-20 तक के लिये समय शृंखला डेटा प्रदान करता है।
- यह डैशबोर्ड, अर्द्ध-वार्षिक अनुक्रम में भी डेटा उपलब्ध कराता है। इसमें विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित मासिक और API (एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) लिंक डाटा भी शामिल हैं।
- डैशबोर्ड में सौभाग्य, उजाला, प्राप्ति और विद्युत प्रवाह जैसे पोर्टलों और योजनाओं का API-लिंक डेटा शामिल किया गया है।

सौभाग्य योजना

- 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना' यानी 'सौभाग्य योजना' को सितंबर, 2017 से दिसंबर 2018 तक सभी घरों को विद्युतीकृत करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।
- सभी राज्यों ने 'सौभाग्य पोर्टल' पर घोषणा की थी कि सभी स्वीकृत अविद्युतीकृत घरों को 31 मार्च, 2019 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था, हालाँकि इसमें वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित छत्तीसगढ़ के 18,734 घर शामिल नहीं है।

उजाला योजना

- वर्ष 201 में शुरू की गई उजाला योजना (Unnat Jeevan by Affordable LEDs and Appliances for All -UJALA) एक एक शून्य-सब्सिडी योजना है।
- यह विश्व की सबसे बड़ी घरेलू लाइटिंग परियोजना है।
- प्रत्येक परिवार, जिसके पास किसी विद्युत वितरण कंपनी का मीटर कनेक्शन है, योजना के तहत LED बल्ब प्राप्त करने के लिये पात्र होगा।
- इस योजना का उद्देश्य कम लागत पर LED बल्ब उपलब्ध कराकर ऊर्जा बचत करना और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है।

प्राप्ति

- यह विद्युत मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया एक वेब पोर्टल है।
- 'प्राप्ति' (PRAAPTI) का पूरा नाम 'पेमेंट रेटीफीकेशन एंड एनालिसिस इन पॉवर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स' है।
- बिजली वितरण कंपनियाँ इस पोर्टल पर उत्पादक/जनरेटर द्वारा किये गए दावों से निपटने में सक्षम हैं।

विद्युत प्रवाह

- यह मोबाइल/वेब आधारित एप विद्युत की वर्तमान माँग, अधिशेष बिजली उपलब्धता और पॉवर एक्सचेंज में कीमतों के बारे में वास्तविक समय सूचना प्रदान करता है ।

'ई-सांता' प्लेटफॉर्म

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री वर्चुअल माध्यम से 'ई-सांता' (E-SANTA) नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया, जो कि जल कृषकों और खरीदारों को जोड़ने हेतु एक मंच प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदु

ई-सांता' प्लेटफॉर्म

- 'ई-सांता' का प्रयोग वेब पोर्टल के लिये किया गया है, जिसका अर्थ है- 'इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर ऑग्मेंटिंग NaCSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर' (e-SANTA)।
- 'ई-सांता' प्लेटफॉर्म बाज़ार विभाजन को समाप्त करने के लिये एक डिजिटल ब्रिज के रूप में कार्य करेगा और मध्यस्थों को समाप्त कर किसानों एवं खरीदारों को एक वैकल्पिक विपणन का साधन उपलब्ध कराएगा।

नोट :

- इस प्लेटफॉर्म पर किसान स्वतंत्र रूप से अपनी उपज को सूचीबद्ध कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार, कीमतों का निर्धारण कर सकते हैं, इसके अलावा निर्यातकों को भी अपनी आवश्यकताओं को सूचीबद्ध करने तथा अपनी आवश्यकताओं (जैसे- वांछित आकार, स्थान, फसल की अवधि आदि) के आधार पर उत्पादों का चयन करने की स्वतंत्रता होगी।
- यह प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में उपलब्ध है, जो स्थानीय लोगों के लिये काफी मददगार होगा।

महत्त्व:

- ई-सांता निम्नलिखित तरीकों से जल कृषकों की आय में वृद्धि (RAISE) करने, जीवनशैली तथा गुणवत्ता स्तर में सुधार करने, उन्हें आत्मनिर्भरता बनाने और नए विकल्प प्रदान करने में सहायता करेगा:
  - जोखिम कम करके (Reducing Risk)
  - उत्पादों और बाज़ारों के बारे में जागरूकता प्रदान करके (Awareness of Products & Markets)
  - आय में वृद्धि करके (Increase in Income)
  - अनुचित प्रथाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करके (Shielding Against Wrong Practice)
  - प्रक्रियाओं को सुगम बनाकर (Ease of Processes)
- यह किसानों एवं खरीदारों को व्यापार पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाएगा और उन्हें सूचित निर्णय लेने में सहायता करेगा।
- यह किसानों और निर्यातकों के बीच एक कैशलेस, संपर्क रहित और कागज रहित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच प्रदान करेगा।
- ई-सांता प्लेटफॉर्म सामूहिक रूप से उत्पादों को खरीदने वाले, मछुआरों एवं मत्स्य उत्पादक संगठनों को एक साथ लाने का एक माध्यम बन सकता है।
- यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को उत्पादों की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा तथा इस तरह यह भविष्य में एक नीलामी मंच भी बन सकता है।

नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर (NaCSA)

- नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर (NaCSA), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के तहत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (MPEDA) की एक विस्तारित शाखा है।
- NaCSA का प्राथमिक उद्देश्य छोटे एवं सीमांत किसानों को संगठित कर उनका उत्थान सुनिश्चित करना और जलीय कृषि (खासतौर पर झींगा पालन संस्कृति) में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन प्रथाओं को बनाए रखना है।
- झींगा पालन के लिये सामूहिक या क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण का प्राथमिक लाभ यह है कि इससे उत्पादन की लागत में महत्त्वपूर्ण कमी आती है।
- यह किसानों को निम्नलिखित कार्यों हेतु संगठित होने में सक्षम बनाता है:
  - कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियों का निर्धारण
  - गुणवत्तापूर्ण बीज की खरीद
  - भंडारण
  - जल विनिमय
  - हार्वेस्टिंग पद्धति

नोट :

विविध

हंस-न्यू जनरेशन: प्रशिक्षक विमान

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की बंगलूरू स्थित नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी (NAL) ने दो सीटों वाला प्रशिक्षक विमान 'हंस-न्यू जनरेशन' विकसित किया है। स्वदेश में ही विकसित यह विमान अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी के साथ ऐसे पाँच विमान खरीदने हेतु एक समझौता किया है। इस लेबोरेटरी को देश के विभिन्न उड़ान प्रशिक्षण संस्थानों से ऐसे 30 प्रशिक्षण विमानों के आर्डर मिले हैं। उन्नत स्वदेशी ट्रेनर विमान की बढ़ती आवश्यकता के मद्देनज़र सरकार ने वर्ष 2018 के अंत में 'हंस-न्यू जनरेशन' परियोजना को मंज़ूरी दी थी। ट्रेनर विमान स्मार्ट मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, एक ग्लास कॉकपिट और बबल कैनोपी डिज़ाइन के साथ IFR-कंप्लेंट एवियोनिक्स से लैस है। बेहतर प्रदर्शन के साथ अत्यधिक कुशल डिजिटली नियंत्रित रोटैक्स 912 आईएससी इंजन ने इस प्रशिक्षक विमान की सीमा एवं क्षमता को और बढ़ा दिया है। यह देश के नागरिक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाली भारत की पहली बड़ी तथा एकमात्र सरकारी एयरोस्पेस प्रयोगशाला है। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा वर्ष 1959 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। वर्ष 1960 में इसका मुख्यालय बंगलूरू स्थानांतरित कर दिया गया था।

सरस्वती सम्मान 2020

सुप्रसिद्ध मराठी साहित्यकार डॉ. शरण कुमार लिंबाले को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके मराठी उपन्यास 'सनातन' के लिये देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 'सरस्वती सम्मान' से सम्मानित किया गया है। 64 वर्षीय शरण लिंबाले यह पुरस्कार पाने वाले देश के पहले दलित लेखक हैं। शरण कुमार लिंबाले नासिक के यशवंतराव चव्हाण मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और उन्होंने कुल 40 पुस्तकों की रचना की है। वर्ष 1991 में के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित इस पुरस्कार के तहत पिछले 10 वर्षों में किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक रचना को सम्मानित किया जाता है और इसके तहत विजेता को 10 लाख रुपए की नकद राशि तथा एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। फाउंडेशन द्वारा स्थापित दो अन्य पुरस्कारों में हिंदी लेखकों के लिये व्यास सम्मान और राजस्थान के लेखकों के लिये बिहारी सम्मान शामिल है। डॉ. लिंबाले का मराठी उपन्यास 'सनातन' एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जो सनातन, मुगल और ब्रिटिश शासकों के समय के सामाजिक विकास पर प्रकाश डालता है और इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इस दौरान दलितों एवं आदिवासियों पर किस तरह से अत्याचार किया गया। डॉ. लिंबाले को उनकी जीवनी 'अकर्माशी' के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

01 अप्रैल, 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक अपना स्थापना दिवस मना रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। प्रारंभ में रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। RBI का गवर्नर बैंक के केंद्रीय कार्यालय में बैठता है और वहीं नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं। यद्यपि प्रारंभ में यह निजी स्वमित्व वाला था, किंतु वर्ष 1949 में RBI के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। रिज़र्व बैंक का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड द्वारा शासित है। भारत सरकार के भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार, इस बोर्ड की नियुक्ति/नामन चार वर्ष के लिये होती है। रिज़र्व बैंक का प्राथमिक कार्य मौद्रिक नीति तैयार कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त यह मुद्रा जारीकर्त्ता के रूप में भी कार्य करता है।

उत्कल दिवस

1 अप्रैल, 2021 को ओडिशा में 85वें उत्कल दिवस अथवा ओडिशा दिवस का आयोजन किया गया। ओडिशा 1 अप्रैल, 1936 को स्वतंत्र प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ओडिशा तथा आस-पास की रियासतों ने नवगठित भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी थी। राज्य को एक अलग ब्रिटिश भारत प्रांत के रूप में स्थापित किया गया था और उसी के याद में तथा राज्य के सभी नागरिकों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिये इस दिवस का आयोजन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि आदिवासियों की जनसंख्या के मामले में ओडिशा भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। प्राचीन भारत में उड़ीसा कलिंग साम्राज्य का हिस्सा था, 250 ईसा पूर्व अशोक द्वारा इसे जीत लिया गया, जिसके पश्चात् लगभग एक सदी तक यहाँ मौर्य वंश का शासन रहा।

नोट :

सैन्य फार्म

हाल ही में भारतीय सेना की सैन्य फार्म सेवा को औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया। ज्ञात हो कि देश में पहला सैन्य फार्म वर्ष 1889 में इलाहाबाद में ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। बाद में देश के तमाम हिस्सों में कई अन्य सैन्य फार्म स्थापित किये गए, जिनका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सैनिकों के लिये पोषक दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करना था। दूध और मक्खन की आपूर्ति के अलावा सैन्य फार्म्स द्वारा भारतीय सेना की पशु परिवहन इकाइयों को घास की आपूर्ति भी की जाती थी। धीरे-धीरे, सैन्य फार्म्स की भूमिका दूध उत्पादन से बढ़कर गायों के कृत्रिम गर्भाधान तक विस्तृत हो गई और इस संबंध में पहला अग्रणी कदम वर्ष 1925 में उठाया गया था। सैन्य फार्म्स में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों में नियुक्त कर दिया गया है। आँकड़ों की मानें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संपूर्ण भारत में 130 सैन्य फार्म्स में 30,000 से अधिक मवेशी मौजूद थे और पिछली एक सदी से अधिक समय से ये सैन्य फार्म अपनी समग्र प्रतिबद्धता के साथ प्रतिवर्ष 3.5 करोड़ लीटर दूध और 25,000 मीट्रिक टन चारे की आपूर्ति कर रहे थे।

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार

जाने-माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें आगामी माह की तीन तारीख को दिया जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिये प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 'भारतीय सिनेमा के पितामह' कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की स्मृति में वर्ष 1969 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 1969 में पहली बार देविका रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल (गोल्डन लोटस), एक शॉल और 10 लाख रुपए की नकद धनराशि दी जाती है। सत्यजीत रे, नागी रेड्डी, राज कपूर, लता मंगेशकर, अक्किनेनी नागेश्वर राव, दिलीप कुमार, शिवाजी गणेशन, आशा भोसले जैसे दिग्गज लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिये वर्ष 2018 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

महेंद्रगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का प्रस्ताव

ओडिशा सरकार ने महेंद्रगिरि, जो कि राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिज़र्व के रूप में प्रस्तावित किया है। महेंद्रगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व का क्षेत्र लगभग 470,955 हेक्टेयर है और यह पूर्वी घाट में गजपति एवं गंजम ज़िलों तक फैला हुआ है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक, पौधों की लगभग 1,358 प्रजातियों के साथ महेंद्रगिरि में मौजूद समृद्ध वनस्पति ओडिशा की 40 प्रतिशत वनस्पतियों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जानवरों की 388 प्रजातियाँ मौजूद हैं, जिनमें स्तनधारियों की 27 प्रजातियाँ, पक्षियों की 165 प्रजातियाँ, साँपों की 23 प्रजातियाँ, उभयचरों की 15 प्रजातियाँ, कछुओं की तीन प्रजातियाँ और छिपकलियों की 19 प्रजातियाँ शामिल हैं। 5,569 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व ओडिशा का पहला बायोस्फीयर रिज़र्व है, जिसे 20 मई, 1996 को अधिसूचित किया गया था।

विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 2 अप्रैल को 'विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य ऑटिज़्म के बारे में जागरूकता फैलाने और आम लोगों को इस विकार से जुड़ी चुनौतियों को समझने में मदद करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल, 2007 को विश्व ऑटिज़्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। ऑटिज़्म (Autism) या आत्मविमोह/स्वलीनता, एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। नीले रंग को ऑटिज़्म का प्रतीक माना गया है। इस विकार के लक्षण जन्म या बाल्यावस्था (पहले तीन वर्षों) में ही नज़र आने लगते है। यह विकार व्यक्ति की सामाजिक कुशलता और संप्रेषण क्षमता पर विपरीत प्रभाव डालता है। यह जीवनपर्यंत बना रहने वाला विकार है। इस विकार से पीड़ित बच्चों का विकास अन्य बच्चों से अलग होता है। इससे प्रभावित व्यक्ति सीमित और दोहरावयुक्त व्यवहार करता है, जैसे- एक ही काम को बार-बार करना। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की कुल संख्या 78,62,921 है, जिनमें से 5,95,089 बच्चे बौद्धिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं।

शांतिर ओग्रोशेना-2021

बांग्लादेश के 'राष्ट्रपिता' बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किये जा रहे बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'शांतिर ओग्रोशेना-2021' (शांति का फ्रंट रनर) में भारतीय सेना हिस्सा लेगी, यह सैन्य अभ्यास बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। भारतीय सेना की टुकड़ी में डोगरा रेजिमेंट की एक बटालियन के अधिकारी, जूनियर कमीशन अधिकारी और जवान शामिल हैं, जो 4 अप्रैल से

नोट :

12 अप्रैल, 2021 तक रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंकाई सेना और बांग्लादेश सेना की टुकड़ी के साथ अभ्यास में भाग लेंगे। इस सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहेंगे। वर्ष 2021 बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगाँठ और शेख मुजीबुर्रहमान की जन्म शताब्दी का प्रतीक है। भारत और बांग्लादेश के निकट संबंधों को प्रतिबिंबित करने और वर्ष 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगाँठ को चिह्नित करने के लिये भारत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। 16 दिसंबर, 1971 को लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना और 'मुक्ति बाहिनी' की संयुक्त सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और इसी आत्मसमर्पण से बांग्लादेश के जन्म का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ज्ञात हो कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री भी बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे

स्मार्ट हाईवे के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को उसके शेष हिस्सों (फेज़-2 और फेज़-4) को पूरा करने के बाद आम जनता के लिये खोल दिया गया। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का 14 किलोमीटर लंबा पहला चरण (दिल्ली के अक्षरधाम से यूपी गेट तक) और 22 किलोमीटर लंबा तीसरा चरण (डासना से हापुड़ तक) पहले ही आम जनता के लिये खोला जा चुका है। इस परियोजना के फेज़-1 को वर्ष 2018 में और फेज़-3 को वर्ष 2019 में आम जनता के लिये खोला गया था। इस समग्र परियोजना को 8,346 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। एक्सप्रेसवे के संबंध में जारी सूचना के मुताबिक, इस पर कुल 24 छोटे और बड़े पुल, 10 फ्लाईओवर, तीन रेलवे पुल, 95 अंडरपास और पैदल यात्रियों के लिये कई पुल बनाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा के लिये संपूर्ण एक्सप्रेसवे पर 4,500 से अधिक लाइट्स और कैमरे लगाए गए हैं। एक्सप्रेसवे से यात्रा करने वाले यात्रियों को इस दौरान मौसम तथा इससे संबंधित कई अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ प्रदान की जाएंगी। इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत के परिणामस्वरूप दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा का समय 2.5 घंटे से घटकर 45 मिनट रह जाएगा।

जॉइंट लॉजिस्टिक नोड

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने हाल ही में मुंबई में तीनों सेनाओं के लिये 'जॉइंट लॉजिस्टिक नोड' का उद्घाटन किया, इसे तीनों सेनाओं के कामकाज में अधिक-से-अधिक एकीकरण लाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। जॉइंट लॉजिस्टिक नोड छोटे हथियारों, गोला-बारूद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर, सिविल ट्रांसपोर्ट, पुर्जों और इंजीनियरिंग कार्यों में सहयोग के लिये तीनों सेनाओं को एकीकृत लॉजिस्टिक कवर प्रदान करेंगे। सशस्त्र बलों के सफल संचालन के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें युद्ध के सभी चरणों में यथासंभव लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान किया जाए। यह वित्तीय बचत के अलावा मानव शक्ति और संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने में भी लाभदायक होगा। साथ ही लॉजिस्टिक क्षेत्र में एकीकरण, तीनों सेनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी अवसंरचना और लॉजिस्टिक में हो रहे सुधारों से लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा।

मुक्तिजोद्धा छात्रवृत्ति

भारत सरकार ने अपनी नई मुक्तिजोद्धा छात्रवृत्ति योजना के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों के 2000 वंशजों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, हायर सेकेंडरी और अंडर ग्रेजुएट श्रेणियों में से प्रत्येक में 1000 छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि प्रत्यक्ष तौर पर उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य आगामी पाँच वर्ष की अवधि में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना है। इस छात्रवृत्ति के तहत बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले सेनानियों यानी मुक्तिजोद्धाओं के प्रत्यक्ष वंशजों को उच्च माध्यमिक श्रेणी में 20,000 टका और स्नातक श्रेणी में 50,000 टके की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत अब तक 17,082 छात्रों को लाभ प्राप्त हुआ है और इस प्रयोजन हेतु 37.99 करोड़ टके की राशि का उपयोग किया गया है।

H1-B वीज़ा प्रतिबंध

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू किये गए वीज़ा प्रतिबंधों का विस्तार न करने का फैसला लिया है। बीते वर्ष जून माह में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध मुख्य रूप से H1-B वीज़ा पर केंद्रित थे, साथ ही इन प्रतिबंधों का कुछ प्रभाव L-1 वीज़ा पर भी पड़ा था। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लागू किये गए इन प्रतिबंधों का प्राथमिक प्रभाव आतिथ्य उद्योग के श्रमिकों और अध्ययन के साथ-साथ कार्य कर रहे छात्रों पर देखा गया था। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और कोरोना वायरस महामारी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा करते हुए H1-B सहित कई अस्थायी या 'गैर-आप्रवासी' वीज़ा श्रेणियों के आवेदकों का अमेरिका में प्रवेश निलंबित कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह तर्क दिया था कि इन वीज़ा कार्यक्रमों के कारण अमेरिकी श्रम बाज़ार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक लोगों को H1-B वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक होता है। H1-B वीज़ा वस्तुत: 'इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट' की धारा 101(a) और 15(h) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोज़गार के इच्छुक गैर-अप्रवासी नागरिकों को दिया जाने वाला वीज़ा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषज्ञतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।

नोट :

राष्ट्रीय समुद्री दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को 'राष्ट्रीय समुद्री दिवस' मनाया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल अंतर-महाद्वीपीय वाणिज्य एवं व्यापार तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस देश के समुद्री क्षेत्र की रक्षा और संरक्षण पर केंद्रित है। ज्ञात हो कि लगभग 100 वर्ष पूर्व 5 अप्रैल, 1919 को पहला भारतीय समुद्री जहाज़ मुंबई से ब्रिटेन की यात्रा पर रवाना हुआ था, उसी की याद में 1964 से प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का लक्ष्य आम लोगों को भारतीय जहाज़रानी उद्योग की गतिविधियों के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका से रूबरू कराना है। इतिहासकारों की मानें तो भारत के समुद्री इतिहास की शुरुआत तब हुई थी जब तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व सिंधु घाटी के लोगों ने मेसोपोटामिया के साथ अपने समुद्री व्यापार की शुरुआत की थी और जब रोमन साम्राज्य द्वारा मिस्र का अतिक्रमण किया गया, तो रोम के साथ भी व्यापार शुरू हो गया। नौवहन महानिदेशालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के मुताबिक, भारत में दिसंबर 2018 तक कुल 43 शिपिंग कंपनियाँ हैं, जिनके पास कुल 1,401 समुद्री जहाज़ मौजूद हैं।

राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर

डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस को समाप्त करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 31 मार्च से 'राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर' की शुरुआत की है। इस रजिस्टर का उद्देश्य डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और उसके दुरुपयोग को रोकना है, साथ ही इसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस में होने वाले सभी परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किये जाएंगे। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें से अधिकांश दुर्घटनाओं में ड्राइवर की गलती होती है। यद्यपि राज्यों के अधिकांश ड्राइविंग लाइसेंस पहले से ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के 'सारथी' पोर्टल पर मौजूद हैं, इस रजिस्टर के प्रभाव में आने पर आगामी कुछ महीनों में सभी राज्य सरकारों के लिये राज्य के सभी पुराने ड्राइविंग लाइसेंस संबंधित डेटा को ऑनलाइन स्थानांतरित करना अनिवार्य हो जाएगा।

इनसाइट लैंडर

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इनसाइट लैंडर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर भूकंप के दो झटकों को रिकॉर्ड किया है। क्रमश: 3.3 और 3.1 की तीव्रता के ये भूकंप के झटके 'सर्बरस फॉसए' नामक क्षेत्र में महसूस किये गए, जहाँ इससे पूर्व भी भूकंप के दो अन्य झटकों को महसूस किया गया था। ज्ञात हो कि ये भूकंप के झटके इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मंगल ग्रह पर 'सर्बरस फॉसए' भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र है। नासा द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की मानें तो नवंबर 2018 में जब से इनसाइट लैंडर ने मंगल ग्रह पर लैंड किया है, तब से 500 से अधिक भूकंप के झटकों को रिकॉर्ड किया जा चुका है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की मानें तो मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह टेक्टोनिक प्लेट नहीं हैं, किंतु वहाँ ज्वालामुखी गतिविधियों की दृष्टि से सक्रिय क्षेत्र ज़रूर मौजूद हैं, जो सतह पर कंपन उत्पन्न कर सकते हैं। 'इनसाइट' का पूरा नाम 'इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूज़िंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट' (InSight) है। इनसाइट लैंडर मिशन मंगल ग्रह की सतह के नीचे विस्तृत अध्ययन के लिये समर्पित पहला मिशन है, यह 26 नवंबर, 2018 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था।

संकल्प से सिद्धि' ड्राइव

समाज के वंचित आदिवासी वर्गों तक पहुँच बनाने के लिये सरकार ने देश भर के लगभग 1,500 गाँवों में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करने हेतु 100 दिन की ड्राइव शुरू की है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED) द्वारा शुरू की गई 'संकल्प से सिद्धि' ड्राइव, एक गाँव और डिजिटल कनेक्शन ड्राइव है, जिसका उद्देश्य जनजातीय पारिस्थितिकी तंत्र के पूर्ण परिवर्तन में सहायता करना है। 1 अप्रैल, 2021 से शुरू हुए इस 100 दिवसीय अभियान में ट्राइफेड और राज्य सरकार की कुल 150 एजेंसियाँ शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक एजेंसी 10 गाँवों का दौरा करेंगी। 'संकल्प से सिद्धि' अभियान देश भर में जनजातीय पारितंत्र के पूर्ण परिवर्तन को प्रभावी बनाने में सहायता करेगा। ट्राइफेड, भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था है, जिसका गठन वर्ष 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था। इसने अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1988 में नई दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय से की थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य जनजातीय लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तीकरण एवं क्षमता निर्माण करना है।

अंबेडकर जयंती- सार्वजानिक अवकाश

हाल ही में केंद्र सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत अंबेडकर जयंती (14 अप्रैल) पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस वर्ष से 14 अप्रैल को सभी

नोट :

केंद्रीय सरकारी कार्यालयों (जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं) में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। विदित हो कि 14 अप्रैल, 2021 को बाबासाहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई जाएगी। बाबासाहेब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को मध्य प्रदेश में हुआ था। एक सामाजिक विचारक, दलित नेता और जाति-विरोधी सुधारक के रूप में उन्होंने देश के संविधान के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाबासाहेब ने अपना जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिये समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है। बाबासाहेब ने देश की मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारत में महिला सशक्तीकरण की नींव रखी और महिलाओं के लिये संपत्ति तथा मातृत्व लाभ की वकालत की। बाबासाहेब अंबेडकर को वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिये ऋण

विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक ने पंजाब में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 2,190 करोड़ रुपए) की नहर आधारित पेयजल परियोजना के लिये ऋण को स्वीकृति दे दी है। इस परियोजना का उद्देश्य पीने योग्य जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और अमृतसर तथा लुधियाना में जल के नुकसान को कम करना है। इस संपूर्ण परियोजना को विश्व बैंक की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)- 105 मिलियन डॉलर, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक- 105 मिलियन डॉलर और पंजाब सरकार- 90 मिलियन डॉलर द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाएगा। अमृतसर में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत 'ऊपरी बारी दोआब नहर' है और इस क्षेत्र के सतही जल के उपचार हेतु अमृतसर के वल्लाह गाँव में 440 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला जल उपचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसी तरह लुधियाना में जलापूर्ति का मुख्य स्रोत 'सरहिंद नहर' है और इस क्षेत्र में सतही जल के उपचार के लिये 580 MLD जल उपचार संयंत्र का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के माध्यम से अमृतसर और लुधियाना के निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

बाबू जगजीवन राम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सामाजिक रूप से शोषित और वंचित वर्ग के उत्थान हेतु उनके प्रयास हमेशा सभी के लिये प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। सामान्यत: बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध बाबू जगजीवन राम सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक न्याय और वंचित वर्ग के पक्षधर, एक उत्कृष्ट नीतिनिर्माता और सच्चे लोकतंत्रवादी थे। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल, 1908 को ब्रिटिश भारत के भोजपुर (बिहार) में हुआ था। वर्ष 1928 में कलकत्ता (अब कोलकाता) के वेलिंगटन स्क्वायर में एक मज़दूर रैली के दौरान इनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई। उन्होंने वर्ष 1935 में 'अखिल भारतीय शोषित वर्ग लीग' की नींव रखने में अहम योगदान दिया था, जो अछूतों के लिये समानता का अधिकार प्राप्त करने हेतु एक समर्पित संगठन था। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के अलावा 'बाबूजी' ने भारतीय राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण कार्य किया। अपने पाँच दशक लंबे राजनीतिक कॅरियर में उन्होंने एक राजनीतिज्ञ के तौर पर काफी ख्याति हासिल की।

एन.वी. रमण

राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नथालपति वेंकट रमण को भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमण 24 अप्रैल, 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। वे देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। वे आंध्र प्रदेश के एक किसान परिवार से हैं, जिन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय तथा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय (SC) के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश पद के मामले में देश के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की जाती है। द्वितीय न्यायाधीश वाद में वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये। केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्रधानमंत्री को हस्तांतरित की जाती है और प्रधानमंत्री उसी आधार पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।

विश्व स्वास्थ्य दिवस

वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 07 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है- 'सभी के लिये निष्पक्ष और स्वस्थ विश्व का निर्माण'। इस दिवस के

नोट :

माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के इस संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित करने का प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, आर्थिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। कोरोना वायरस महामारी ने स्वास्थ्य लाभ को सीमित कर लोगों को गरीबी और खाद्य असुरक्षा की दिशा में धकेल दिया है तथा महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी असामानताओं को और बढ़ा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को की गई थी और इस दिवस के आयोजन की शुरुआत वर्ष 1950 में हुई थी। बीते 50 वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य, मातृत्व और शिशु देखभाल तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने हाल ही में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 'समन्वित स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म' (IHIP) का शुभारंभ किया है। यह प्लेटफॉर्म मौजूदा 'समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम' का अत्याधुनिक और अपडेटेड रूप है। इसी के साथ भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने बीमारियों की निगरानी के लिये ऐसी परिष्कृत प्रणाली अपनाई है। जहाँ एक ओर पुराने कार्यक्रम के तहत केवल 18 बीमारियों की निगरानी की व्यवस्था की गई थी, वहीं नए प्लेटफॉर्म में 33 बीमारियों की निगरानी की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली के माध्यम से रोगों के बारे में डिजिटल रूप में आँकड़े तत्काल उपलब्ध हो सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रकोप की जाँच संबंधी गतिविधियों की शुरुआत और निगरानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही की जा सकेगी। साथ ही इसे आसानी से अन्य निगरानी कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

अंबोली क्षेत्र: जैव विविधता विरासत स्थल

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पश्चिमी घाट के सिंधुदुर्ग ज़िले में अंबोली क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार ने गढ़चिरौली ज़िले में अल्लापल्ली, जलगाँव में लैंडोर खोरी पार्क, पुणे में गणेश खिंड, सिंधुदुर्ग ज़िले में मिरिस्टिका दलदल वनस्पति को जैव विविधता विरासत स्थलों के रूप में घोषित किया है। ज्ञात हो कि बीते दिनों महाराष्ट्र में वन्यजीव शोधकर्त्ताओं के एक समूह ने सिंधुदुर्ग ज़िले की सावंतवाड़ी तहसील में अंबोली के पास मीठे पानी (Fresh Water) में पाई जाने वाली मछली की दुर्लभ प्रजाति- शिस्टुरा हिरण्यकेशी' की खोज की थी। 'शिस्टुरा हिरण्यकेशी', मीठे जल में पाई जाने वाली 'शिस्टुरा' मछली की एक दुर्लभ उप-प्रजाति है। शोधकर्त्ताओं का मत है कि आसपास की मत्स्य पालन संबंधी गतिविधियों के कारण यह दुर्लभ प्रजाति जल्द ही विलुप्त हो सकती है, ऐसे में इसके संरक्षण के लिये इस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है।

मिसाइल प्रणाली के विकास में निजी क्षेत्र को अनुमति

जटिल सैन्य हार्डवेयर के विकास में घरेलू निजी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त करने के लिये रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने निजी क्षेत्र की घरेलू कंपनियों को स्वदेशी रूप से मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में भागीदारी करने की अनुमति दे दी है। डेवलपमेंट-कम-प्रोडक्शन पार्टनर कार्यक्रम के तहत निजी क्षेत्र के लिये शुरू किये गए प्रारंभिक मिसाइल कार्यक्रमों में 'वर्टिकल लॉन्च- शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम' (VL-SRSAM) भी शामिल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का उद्देश्य भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत के निजी उद्योग को जटिल सैन्य प्रणाली के विकास में सक्षम बनाना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इससे पूर्व निजी क्षेत्र के कई उद्योगों को 'एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम' विकसित करने में सहायता की थी, जिसे जल्द ही भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किया जाएगा। विदित हो कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। DRDO अत्याधुनिक और महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की स्थिति हासिल करने के लिये भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य करता है तथा तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार हमारे सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों और उपकरणों से लैस करता है।

कार्निवैक-कोव

विश्व की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी (Sputnik V) के विकास के बाद रूस ने हाल ही में घोषणा की है कि उसने जानवरों के लिये कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस के मुताबिक, वायरस को जानवरों में उत्परिवर्तित होने से रोकने के लिये इस प्रकार की वैक्सीन काफी महत्त्वपूर्ण है। रूस की कृषि नियामक एजेंसी- रोसेलखोजनाज़ोर के अनुसार, अक्तूबर 2020 में बिल्लियों, कुत्तों, मिंक, लोमड़ियों और अन्य जानवरों पर इस वैक्सीन का परीक्षण किया जा चुका है और जल्द ही व्यापक पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू किया

नोट :

जाएगा। मनुष्यों के लिये कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास के बावजूद वायरस के उत्परिवर्तित संस्करण, आम लोगों के समक्ष नए खतरे उत्पन्न कर रहे हैं और यदि यह उत्परिवर्तन जानवरों में और भी गंभीर हो सकता है। गौरतलब है कि बीते वर्ष 2020 में डेनमार्क ने वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिये 15 मिलियन मिंक को मारने का निर्णय लिया था, क्योंकि उनमें से कुछ में वायरस का उत्परिवर्तित संस्करण पाया गया था। ऐसे में रूस द्वारा कार्निवैक-कोव का विकास जानवरों में वायरस के उत्परिवर्तन को रोक सकता है।

'वुल्फ-रेएट' तारे

भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी के दौरान 'वुल्फ-रेएट' (Wolf-Rayet) नामक सबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगाया है। दुर्लभ 'वुल्फ-रेएट' तारे सूर्य से एक हज़ार गुना अधिक प्रकाशमान और काफी अधिक गर्म होते हैं। नासा के मुताबिक, ऐसे तारों का सतही तापमान सूर्य की तुलना में 10 से 40 गुना अधिक होता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन नैनीताल स्थित स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के खगोलविदों की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ वर्ष 2015 में मिले एनएसजी 7371 आकाशगंगा में SN 2015dj नाम के सुपरनोवा की ऑप्टिकल मॉनीटरिंग की। उन्होंने उस सितारे के द्रव्यमान की गणना की जिसके कारण सुपरनोवा का निर्माण हुआ था। वैज्ञानिकों ने पाया कि असल में यह तारा दो सितारों का मिश्रण था- जिनमें से एक विशाल 'वुल्फ-रेएट' तारा था और दूसरा तारे का द्रव्यमान सूर्य से कम था। विदित हो कि सुपरनोवा, ब्रह्मांड में होने वाले अत्यधिक ऊर्जावान विस्फोट हैं, जिसमें बड़ी संख्या में ऊर्जा मौजूद होती है। इन विस्फोटों की दीर्घकालीन निगरानी विस्फोट वाले तारे की प्रकृति और विस्फोट के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। यह विशालकाय तारों की गणना में भी मदद करता है।

विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस

प्रत्येक वर्ष 06 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य सतत् विकास को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों के संरक्षण में खेलों के सकारात्मक योगदान को रेखांकित करना है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2021 आम लोगों को उनके जीवन में संपूर्ण समुदाय के विकास और वैश्विक महामारी से उबरने में खेलों की भूमिका को पहचानने का अवसर प्रदान करता है। खेल जनमानस में भागीदारी और एकजुटता की भावना को बढ़ावा देता है और राष्ट्र के विकास में सहायता करता है। यह संवाद की संस्कृति का निर्माण करने के साथ-साथ समावेश को बढ़ावा देने और संवेदनशील वर्ग के लोगों के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने का भी कार्य करता है।

मंगल पांडे और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय

देश भर में 08 अप्रैल को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे और राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के रचयिता तथा बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई, 1827 को अकबरपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। मंगल पांडे 29 मार्च, 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने वाले पहले भारतीय सैनिक थे, यह पहला बड़ा विद्रोह था, जिसे 1857 के 'सिपाही विद्रोह' के रूप में जाना गया। इस विद्रोह को प्राय: स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध माना जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सैनिकों के लिये 'एनफील्ड राइफल मस्कट' नाम से एक नया हथियार प्रस्तुत किया। इस नए हथियार (कारतूस) के कारण भारतीय सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया और इस असंतोष ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर विद्रोह को जन्म दिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से ब्रिटिश भारत के प्रशासन में व्यापक बदलाव करने पर मज़बूर किया। वहीं बंगाली साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 27 जून, 1838 को पश्चिम बंगाल के नैहाटी में एक रूढ़िवादी बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रसिद्ध उपन्यास 'आनंदमठ' की रचना और उसमें वंदे मातरम' गीत को शामिल किया। बंकिम चंद्र द्वारा रचित उपन्यास 'आनंदमठ' वर्ष 1882 में प्रकाशित हुआ था। 'दुर्गेश नंदिनी' और 'कपालकुंडला' उनकी प्रारंभिक प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। दोनों उपन्यासों का कई अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

हाल ही में सरकार ने एस. रमन को 'भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक' (SIDBI) का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर एस. रमन की नियुक्ति तीन वर्षीय कार्यकाल के लिये की गई है। दिसंबर में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के प्रमुख बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) ने इस पद के लिये एस. रमन के नाम की सिफारिश की थी। वर्ष 1991 बैच के भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा अधिकारी एस. रमन वर्तमान में नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप

नोट :

में कार्यरत हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल, 1990 को की गई थी। SIDBI, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र के संवर्द्धन, वित्तपोषण एवं विकास के साथ-साथ समान गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिये प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में है। वहीं BBB एक स्वायत्त संस्तुतिकर्त्ता संस्था के रूप में कार्य करती है, जिसका प्राथमिक कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के निदेशक मंडल की नियुक्ति हेतु सरकार को सुझाव देना है।

CRPF का शौर्य दिवस

09 अप्रैल, 2021 को केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) का शौर्य दिवस मनाया गया। 09 अप्रैल,1965 को केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल की एक छोटी सी टुकड़ी ने गुजरात के 'रन ऑफ कच्छ' में सरदार पोस्ट पर पाकिस्तानी ब्रिगेड द्वारा किये गए हमले को विफल कर दिया था। इस हमले में 34 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, जबकि 4 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह लड़ाई इस मायने में काफी खास है कि सैन्य युद्ध के इतिहास में कभी भी इतनी छोटी सैन्य टुकड़ी ने इस तरह से एक पैदल सेना ब्रिगेड से युद्ध नहीं लड़ा था। इस संघर्ष में भारत के 6 बहादुर सैनिक शहीद हुए थे। इस युद्ध में भारत की जीत और भारतीय सैनिकों की शहादत को चिह्नित करने के लिये प्रतिवर्ष 09 अप्रैल को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) एक ऐसा अर्द्ध-सैन्य बल है, जिसका प्राथमिक कार्य देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल 27 जुलाई, 1939 को रॉयल रिप्रेज़ेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था, जो 28 दिसंबर, 1949 को CRPF अधिनियम लागू होने पर केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल बन गया।

टोक्यो ओलंपिक में शामिल नहीं होगा उत्तर कोरिया

कोरोना वायरस के तीव्र प्रसार का हवाला देते हुए उत्तर कोरिया ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है और वह ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इससे पूर्व उत्तर कोरिया ने वर्ष 1988 में शीत युद्ध के दौरान ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय किया था। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन मूलत: वर्ष 2020 में किया जाना था, किंतु महामारी के मद्देनज़र इसे वर्ष 2021 तक के लिये स्थगित कर दिया गया था। एक अनुमान के मुताबिक, इस वर्ष जुलाई माह में शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में लगभग 11,000 एथलीट और 10 हज़ार से भी अधिक कोच हिस्सा लेंगे। जापान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कई जानकारों का मत है कि महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक के आयोजन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

प्रिंस फिलिप

09 अप्रैल, 2021 को ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एडिनबर्ग के ड्यूक प्रिंस फिलिप ने वर्ष 1947 में ब्रिटेन की राजकुमारी एलिज़ाबेथ-II से विवाह किया था, जो कि ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला हैं। प्रिंस फिलिप का जन्म 10 जून, 1921 को कोर्फू (ग्रीस) में हुआ था और वे ग्रीस के राजकुमार एंड्रयू के इकलौते पुत्र थे। उनकी माँ बैटलबर्ग की राजकुमारी थीं, इसलिये प्रिंस फिलिप को 'प्रिंस ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क' भी कहा जाता था। राजकुमारी एलिज़ाबेथ-II के साथ विवाह के बाद, प्रिंस फिलिप को 'ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग', 'अर्ल ऑफ मेरियोनेथ' और 'बैरन ग्रीनविच' की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। प्रिंस फिलिप वर्ष 1939 में एक कैडेट के रूप में रॉयल नेवी में शामिल हुए। अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, प्रिंस फिलिप ने वर्ष 1940 में युद्धपोत HMS रैमिलीज़ पर मिडशिपमैन के रूप में हिंद महासागर में छह माह तक अपनी सेवाएँ दी थीं। बाद में प्रिंस फिलिप को सब-लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत दे दी गई। वर्ष 1947 में उन्होंने राजकुमारी एलिज़ाबेथ से विवाह किया और वर्ष 1952 में उन्हें रॉयल नेवी के कमांडर के तौर पर पदोन्नत किया गया, हालाँकि राजकुमारी एलिज़ाबेथ-II के पिता, किंग जॉर्ज-VI की मृत्यु के बाद रॉयल नौसेनिक के तौर पर प्रिंस फिलिप का कॅरियर समाप्त हो गया।

दुती चंद

जकार्ता एशियाई खेलों में 100 और 200 मीटर में रजत पदक जीतने वाली भारत की महिला धावक दुती चंद को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के 'वीरानी पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, खेल के क्षेत्र में दुती चंद के योगदान को देखते हुए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में, ओडिशा की धावक दुती चंद, इटली में आयोजित विश्व विश्वविद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। दुती चंद ने 100 मीटर की दौड़ 11.22 सेकंड में पूरी कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा खेल, साहित्य, शिक्षा, कानून, संगीत, इतिहास, सामाजिक

नोट :

कार्य और व्यवसाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करने के लिये छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कारों का गठन किया गया था। इस पुरस्कार का उद्देश्य, भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करना है, साथ ही यह महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिये भी प्रेरित करता है।

हॉन्गकॉन्ग प्रवासियों के लिये ब्रिटेन का फंड

ब्रिटिश सरकार ने हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व उपनिवेश-हॉन्गकॉन्ग में राजनीतिक दमन से बच कर आने वाले प्रवासियों को एक नया जीवन शुरू करने के लिये 59 मिलियन डॉलर (43 मिलियन पाउंड) का कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इस कोष के तहत हॉन्गकॉन्ग के ऐसे सभी ब्रिटिश नेशनल (ओवरसीज़) पासपोर्ट धारक लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे, जिन्हें विशेष वीज़ा की पेशकश की गई है। यह ब्रिटेन में कार्य करने, निवास करने और अंतत: वहाँ की नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। हॉन्गकॉन्ग की कुल 7.4 मिलियन आबादी में से 5 मिलियन लोग इस कोष के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस कोष के तहत शुरू किये जाने वाले एकीकृत कार्यक्रमों के माध्यम से आवास, शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच प्राप्त करने में मदद करने का प्रयास किया जाएगा। चीन ने ब्रिटेन के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और उसे 'पासपोर्ट प्रणाली' के दुरुपयोग के रूप में परिभाषित किया है, साथ ही चीन ने ब्रिटिश नेशनल (ओवरसीज़) पासपोर्ट को एक यात्रा अथवा पहचान दस्तावेज़ के रूप में मान्यता नहीं दी है। गौरतलब है कि वर्ष 1997 तक हॉन्गकॉन्ग ब्रिटिश साम्राज्य के नियंत्रण में था। 'वन कंट्री, टू सिस्टम' के सिद्धांत के तहत, हॉन्गकॉन्ग 1 जुलाई, 1997 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (SAR) बन गया।

श्री बैंडेड रोज़फिंच

बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) के वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालय में पक्षी की नए नई प्रजाति की उपस्थिति दर्ज की है। 'श्री बैंडेड रोज़फिंच' नामक यह पक्षी प्रजाति प्राय: दक्षिणी चीन और भूटान में पाई जाती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के शोधकर्त्ताओं द्वारा इस पक्षी प्रजाति को अरुणाचल प्रदेश में समुद्र तल से लगभग 3800 मीटर ऊँचाई पर देखा गया है, जो कि भारत की जैव-विविधता की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है। इसी के साथ ही यह भारत में पक्षी परिवार की 1,340वीं प्रजाति बन गई है। ज्ञात हो कि वर्ष 2016 के बाद से, भारत में पाई जाने वाली पक्षी प्रजातियों की सूची में 104 नई प्रजातियाँ शामिल की गई हैं। 'श्री बैंडेड रोज़फिंच' पक्षी प्रजाति, फ्रिंजिलिडे परिवार से संबंधित है। भारत में इस पक्षी प्रजाति को जिस ऊँचाई पर रिकॉर्ड किया गया है, वह चीन में ज्ञात ऊँचाई से काफी अधिक है। इससे इस प्रजाति पर पारिस्थितिक अनुसंधान की संभावनाएँ और अधिक बढ़ गई हैं।

लिटिल गुरु' एप

बांग्लादेश में ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा आम जनमानस को संस्कृत सिखाने वाले एक एप 'लिटिल गुरु' की शुरुआत की गई है। यह एप विश्व भर में विद्यार्थियों, धार्मिक विद्वानों, भारतविदों और इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। 'लिटिल गुरु' नाम का यह संवादात्मक एप संस्कृत सीखने को आसान और मज़ेदार बनाएगा। यह एप संस्कृत सीख रहे लोगों और संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को खेल, प्रतियोगिता, पुरस्कार जैसे आसान तरीको से यह भाषा सीखने में मदद करेगा। इस एप को शिक्षा के साथ-साथ मनोरंज़न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के मुताबिक, दुनिया के उन विभिन्न विश्वविद्यालयों ने इस 'लिटिल गुरु' एप में रुचि ज़ाहिर की है, जहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती है। माना जाता है कि भारत में संस्कृत भाषा की उत्पत्ति लगभग 3500 पूर्व हुई थी। संस्कृत को लगभग सभी भारतीय भाषाओं की जननी माना जाता है और यह भारत में बोली जाने वाली प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। गौरतलब है कि संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिये सबसे अनुकूल वैज्ञानिक भाषा माना जाता है।

विश्व पार्किंसन दिवस

विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों को पार्किंसन रोग के बारे में जागरूक करना है। पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है, जिसमें तंत्रिका तंत्र लगातार कमज़ोर होता जाता है। इस बीमारी का कोई इलाज़ उपलब्ध नहीं है। पार्किंसन के कारण चलने-फिरने की गति धीमी पड़ जाती है और मासपेशियाँ सख्त हो जाती है तथा शरीर में कंपन की समस्या पैदा हो जाती है। सामान्यत: 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में पार्किंसन रोग के लक्षण दिखते हैं किंतु यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। शरीर में कंपन, जकड़न, शिथिल गतिशीलता, झुककर चलना, याद्दाश्त संबंधी समस्याएँ और व्यवहार में बदलाव आदि इसके

नोट :

प्रमुख लक्षण हैं। यह मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाता है, जिससे डोपामाइन के स्तर में कमी हो जाती है। डोपामाइन एक रसायन है, जो मस्तिष्क से शरीर में व्यवहार संबंधी संकेत भेजता है। यद्यपि दवा रोग के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, किंतु इस रोग को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है। आँकड़ों की माने तो दुनिया भर में, लगभग 10 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं।

विश्व होम्योपैथी दिवस

होम्योपैथी के महत्त्व और चिकित्सा जगत में इसके योगदान को उजागर करने के लिये प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती को भी संदर्भित करता है। होम्योपैथी के संस्थापक और विभिन्न चिकित्सीय पद्धतियों के जन्मदाता डॉ. क्रिश्चियन हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल, 1775 को जर्मनी में हुआ था। डॉ. क्रिश्चियन हैनीमैन द्वारा होम्योपैथी की खोज अठारहवीं सदी के अंत के दशक में की गई थी। 'होम्योपैथी' शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है, जिसमें 'होमोइस' का अर्थ 'समान' से तथा 'पैथोस' का अर्थ 'दुख' से है। यह 'सम: समम् शमयति' या 'समरूपता' दवा सिद्धांत पर आधारित एक चिकित्सीय प्रणाली है। यह प्रणाली दवाओं द्वारा रोगी का उपचार करने की एक ऐसी विधि है, जिसमें किसी स्वस्थ व्यक्ति में प्राकृतिक रोग का अनुरूपण करके समान लक्षण उत्पन्न किया जाता है जिससे रोगग्रस्त व्यक्ति का उपचार किया जा सकता है।

लीलावती पुरस्कार

केंद्रीय शिक्षा मंत्री हाल ही में नई दिल्ली में महिला सशक्तीकरण से संबंधित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के लीलावती पुरस्कारों का वितरण किया। लीलावती पुरस्कार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य AICTE के अनुमोदित संस्थानों द्वारा महिलाओं के बीच 'समानता और निष्पक्षता' को बढ़ावा देने हेतु किये जा रहे प्रयासों को मान्यता प्रदान करना है। इस पुरस्कार का विषय 'महिला सशक्तीकरण' है और इसका लक्ष्य स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिये 'पारंपरिक भारतीय मूल्यों' का उपयोग करना है। इस पुरस्कार के माध्यम से AICTE साक्षरता, रोज़गार, प्रौद्योगिकी, ऋण, विपणन, नवाचार, कौशल विकास, प्राकृतिक संसाधन और महिलाओं के अधिकार जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने का प्रयास कर करता है। प्रत्येक उप-श्रेणी में, शीर्ष तीन विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ-साथ पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 लाख रुपए, दूसरे विजेता को 75,000 रुपए और तीसरे विजेता को 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। इस पुरस्कार का नाम 12वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ भास्कर II द्वारा रचित पुस्तक 'लीलावती' के नाम पर रखा गया है। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर II की बेटी का नाम था।

UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री

दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के आगामी अंतरिक्ष अभियान के लिये चुने गए दो नए अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है। इनमें से एक 'नोरा अल-मातरोशी' हैं, जो कि संयुक्त अरब अमीरात और संपूर्ण अरब जगत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। संयुक्त अरब अमीरात के अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रमों के लिये चुने गए आवेदकों में नोरा अल मातरोशी के अलावा 'मोहम्मद अल मुल्ला' भी शामिल हैं, दोनों उम्मीदवारों को संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में प्रशिक्षण के लिये भेजा जाएगा। वर्ष 1993 में जन्मी 27 वर्षीय नोरा अल-मातरोशी, एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और वर्तमान में अबू धाबी की 'नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कंपनी' में कार्यरत हैं। नोरा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी सदस्य हैं। संयुक्त अरब अमीरात अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने तथा तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिये अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का उपयोग कर रहा है। ज्ञात हो कि इसी वर्ष फरवरी माह में संयुक्त अरब अमीरात ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल करते हुए अपने 'होप' मिशन को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचाया था। संयुक्त अरब अमीरात ने वर्ष 2017 में स्थानीय विशेषज्ञता विकसित करने के उद्देश्य से अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी।

जलियाँवाला बाग हत्याकांड

13 अप्रैल, 2021 को जलियाँवाला बाग हत्याकांड की 102वीं वर्षगाँठ मनाई जा रही है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, भारतीय नेताओं को उम्मीद थी कि अब ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें स्वशासन की अनुमति दी जाएगी, किंतु इसके विपरीत ब्रिटिश सरकार ने रोलैट एक्ट लागू कर दिया, जिसके मुताबिक ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए किसी भी प्रकार की देशद्रोही गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के पारित होने से देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और 9 अप्रैल, 1919 को

नोट :

रॉलेट एक्ट का विरोध करने के आरोप में पंजाब के दो लोकप्रिय नेताओं डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल, 1919 को बैशाखी के दिन अमृतसर के जलियाँवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। जनरल डायर ने इसे अपने आदेश की अवहेलना माना तथा सभास्थल पर पहुँचकर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। आँकड़ों के अनुसार, मरने वालों की संख्या 379 थी लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए थे। इस नरसंहार के विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई 'नाइटहुड' की उपाधि त्याग दी थी। इस हत्याकांड की जाँच के लिये कॉन्ग्रेस ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। ब्रिटिश सरकार ने इस हत्याकांड की जाँच के लिये हंटर आयोग गठित किया।

बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स

चीन की फिल्म निर्देशक क्लो झाओ की 'नोमैडलैंड' ने बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित चार प्रमुख पुरस्कारों प्राप्त किये हैं। फिल्म की मुख्य अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, जबकि स्वयं क्लो झाओ ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। 'नोमैडलैंड' फिल्म ने सिनेमाटोग्राफी श्रेणी में भी पुरस्कार जीता है। वहीं प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता 'एंथनी हॉपकिंस' को उनकी फिल्म 'द फादर' के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। बाफ्टा को ब्रिटेन के सबसे प्रसिद्ध फिल्म पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ये पुरस्कार 'ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स' द्वारा प्रदान किये जाते हैं। अकादमी का गठन वर्ष 1947 में ब्रिटिश फिल्म निर्माताओं के एक समूह द्वारा किया गया था, इसका उद्देश्य फिल्म एवं टेलीविजन का विकास करना और इनके महत्त्व को रेखांकित करना है। यह अकादमी प्रतिवर्ष विभिन्न श्रेणियों में फिल्म पुरस्कार प्रदान करती है। बाफ्टा अवार्ड्स के विजेताओं को दी जाने वाली ट्रॉफी, प्राचीन ग्रीस के नाटकीय मुखौटे पर आधारित होती है।

एडवांस एंटीक्यूटिस मैनेजमेंट सिस्टम (AAMS)

गोवा सरकार के अभिलेखागार और पुरातत्त्व निदेशालय (DAA) ने हाल ही में एडवांस एंटीक्यूटिस मैनेजमेंट सिस्टम (AAMS) का उद्घाटन किया था, जो कि एंटीक वस्तुओं के भंडारण और प्रबंधन के लिये देश में अपनी तरह की पहली प्रणाली है। लगभग 3 मीटर लंबा एडवांस एंटीक्यूटिस मैनेजमेंट सिस्टम एक बंद कंटेनर जैसा दिखता है, जिसमें 350 किलोग्राम की क्षमता वाले आठ ट्रे शामिल हैं। वर्तमान में इस प्रणाली में कुल 83 एंटीक वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर से जुड़ी एंटीक वस्तुओं के बारे में त्वरित जानकारी प्रदान कर उनका बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करना है। इस प्रणाली में शामिल सॉफ्टवेयर एंटीक यानी पुरातन वस्तु की अनुमानित आयु, उसके निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री और उसके संक्षिप्त इतिहास से संबंधित सूचना प्रदान करेगा। सिस्टम के तहत सूचीबद्ध की गईं कुल 83 एंटीक वस्तुओं में 10वीं शताब्दी का एक 'शिवलिंग' सबसे पुरातन वस्तु है।

पोषण ज्ञान'- डिजिटल कोष

हाल ही में नीति आयोग ने, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज' (अशोका यूनिवर्सिटी) के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष 'पोषण ज्ञान' की शुरुआत की है। यह कोष पोषण क्षेत्र में ज्ञान जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये सरकारी एजेंसियों और अन्य विकास संगठनों द्वारा बनाया गया एक प्रभावी सामग्री संग्रह है। इस डिजिटल कोष में मौजूद सामग्री में विभिन्न प्रकार के विषय जैसे- प्रसवपूर्व देखभाल, पूरक आहार, किशोर स्वास्थ्य, आहार विविधता, एनीमिया की रोकथाम आदि शामिल हैं। इस डिजिटल कोष का रख-रखाव नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। यह कोष, भारत में पोषण क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों के लिये एक विश्वसनीय और व्यापक ऑनलाइन स्रोत के रूप में कार्य करेगा। 'पोषण ज्ञान' डिजिटल मंच मानवीय व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के माध्यम से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सकारात्मक योगदान दे सकता है। यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहल है, जो पोषण को जन आंदोलन बनाने में काफी मददगार साबित हो सकती है।

रायसीना डायलॉग

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भू-राजनीति संबंधी भारत के प्रमुख वैश्विक सम्मेलन, रायसीना डायलॉग के 6वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इस चार-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जा रहा है। यह भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। भारत के विदेश मंत्रालय का मुख्यालय रायसीना हिल (साउथ ब्लॉक), नई दिल्ली में स्थित है, इसलिये इसे रायसीना डायलॉग के नाम से जाना जाता है। यह एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल बैठक है जिसमें नीति-निर्माताओं एवं निर्णयकर्त्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्चाधिकारियों तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है। रायसीना डायलॉग का आरंभ वर्ष 2016 में किया गया था। भारत द्वारा आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य वैश्विक समुदाय के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना और उन पर विचार-विमर्श करना है। साथ ही रायसीना डायलॉग से सरकार की कूटनीतिक क्षमता में भी वृद्धि होती है।

नोट :

सियाचिन दिवस

13 अप्रैल, 2021 को भारतीय सेना ने सियाचिन के वीर शहीदों को याद करते हुए 37वाँ सियाचिन दिवस मनाया। सियाचिन दिवस पर भारतीय सैनिकों द्वारा दुनिया में सबसे ऊँचे और सबसे ठंडे युद्धक्षेत्र को सुरक्षित करने के लिये उनके अदम्य साहस को याद किया जाता है। दरअसल 13 अप्रैल, 1984 को भारतीय सेना द्वारा 'ऑपरेशन मेघदूत' लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सैनिकों ने संपूर्ण सियाचिन ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल कर लिया था। सियाचिन ग्लेशियर या सियाचिन हिमनद हिमालय की काराकोरम रेंज में भारत-पाक नियंत्रण रेखा के समीप स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर 76.4 किमी लंबा है और लगभग 10,000 वर्ग किमी. क्षेत्र को कवर करता है। सामरिक दृष्टिकोण से यह स्थान अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की सीमाएँ मिलती हैं। पर्यावरण की दृष्टि से यह अति-संवेदनशील क्षेत्र है इसलिये यहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप को सीमित रखा गया था। हालाँकि इस क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा किये जाने वाले प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर है और भारतीय सेना लगातार इस चुनौती से निपटने का प्रयास कर रही है।

राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस

भारत में प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस 'व्हाइट रिबन एलायंस इंडिया' (WRAI) की एक पहल है, जिसके अनुरोध पर भारत सरकार ने वर्ष 2003 में प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का आयोजन करने की घोषणा की थी। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षित मातृत्व के संबंध में जागरूकता पैदा करना और गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान तथा प्रसव बाद महिलाओं के लिये आवश्यक देखभाल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भारत दुनिया में गर्भावस्था और प्रसव के लिहाज़ से सबसे अधिक जोखिमपूर्ण स्थानों में से एक है, जहाँ दुनिया भर में होने वाली कुल मातृ मृत्यु के 12 प्रतिशत से अधिक मामले दर्ज किये जाते हैं। हालाँकि विशेषज्ञों का मत है कि भारत में होने वाली कुल मातृ मृत्यु के मामलों में से अधिकांश में बचाव किया जा सकता है।

फुकुशिमा परमाणु संयंत्र

जापान ने वर्ष 2011 की सुनामी में तबाह हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के एक मिलियन टन से अधिक दूषित जल को समुद्र में छोड़ने की योजना को मंज़ूरी दे दी है। समुद्र में छोड़े जाने से पूर्व इस दूषित जल को यथासंभव उपचारित किया जाएगा, जिससे जल का रेडिएशन/विकिरण स्तर कम होगा और वह पीने योग्य बन सकेगा। हालाँकि स्थानीय मत्स्यपालन उद्योग ने जापान सरकार के इस कदम का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि इससे स्थानीय जैव-विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा मत्स्यपालकों की आजीविका भी प्रभावित होगी। ज्ञात हो कि फुकुशिमा पॉवर प्लांट के परमाणु रिएक्टर की इमारत वर्ष 2011 में आए भूकंप और सुनामी के बाद हुए हाइड्रोजन विस्फोट के कारण ध्वस्त हो गई थी। इस भूकंप और सुनामी ने परमाणु संयंत्र के रिएक्टर की कूलिंग/शीतलन प्रणाली को प्रभावित किया था, जिससे वहाँ मौजूद तीन रिएक्टर पिघलने लगे थे। पिघले हुए रिएक्टरों को ठंडा करने के लिये एक मिलियन टन से अधिक जल का उपयोग किया गया। वर्तमान में, इसी रेडियोएक्टिव जल का उपचार करने के लिये एक जटिल फिल्ट्रेशन प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है ताकि इसमें मौजूद अधिकांश रेडियोएक्टिव तत्त्व समाप्त हो जाएँ, किंतु इस प्रक्रिया के बाद भी कुछ तत्त्व पानी में मौजूद रहेंगे, जिसमें ट्राइटियम भी शामिल है। ट्राइटियम की बहुत अधिक मात्रा मनुष्यों के लिये हानिकारक मानी जाती है।

बलबीर सिंह जूनियर

13 अप्रैल, 2021 को पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह जूनियर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 2 मई, 1932 को पंजाब के संसारपुर में जन्मे बलबीर सिंह जूनियर ने मात्र छह वर्ष की आयु में हॉकी खेलना शुरू किया था। 1950 के दशक में भारतीय रेलवे टीम में शामिल होने से पूर्व बलबीर सिंह जूनियर ने इंटर यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट में पंजाब विश्वविद्यालय टीम की कप्तानी भी की थी। वर्ष 1958 में टोक्यो में आयोजित एशियाई खेलों में, बलबीर सिंह जूनियर को बलबीर सिंह सीनियर के बैकअप (सेंटर फॉरवर्ड) के रूप में भारतीय टीम में शामिल किया गया, हालाँकि टूर्नामेंट में वे इनसाइड-लेफ्ट के रूप में खेले। बलबीर सिंह जूनियर वर्ष 1962 में सेना में एक आपातकालीन कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे और बाद में सेना की ऑर्डिनेंस कोर से मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए। विदित हो कि बलबीर सिंह जूनियर वर्ष 1958 में आयोजित एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे।

नोट :

हिमाचल दिवस

प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है। ध्यातव्य है कि 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में अस्तित्त्व में आया था। भारतीय संविधान लागू होने के साथ 26 जनवरी, 1950 को हिमाचल प्रदेश 'ग' श्रेणी का राज्य बन गया। इसके पश्चात् 1 जुलाई, 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया। वर्ष 1966 में कांगड़ा और पंजाब के अन्य पहाड़ी इलाकों को हिमाचल में मिला दिया गया, किंतु इसका स्वरूप केंद्रशासित प्रदेश का ही रहा। दिसंबर 1970 में संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 25 जनवरी, 1971 को नया राज्य अस्तित्त्व में आया। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश, भारतीय गणराज्य का 18वाँ राज्य बना। क्षेत्र के प्राचीनतम ज्ञात जनजातीय निवासियों को 'दास' कहा जाता था, बाद में आर्य आए और वे भी इसी क्षेत्र में रहने लगे। राज्य उत्तर में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से, दक्षिण-पश्चिम में पंजाब से, दक्षिण में हरियाणा से, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड से तथा पूर्व में तिब्बत (चीन) की सीमाओं से घिरा हुआ है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की संख्या तकरीबन 68 लाख है और राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 55,673 वर्ग किलोमीटर है।

लक्षद्वीप और बडगाम: क्षयरोग मुक्त

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्षद्वीप और जम्मू-कश्मीर के बडगाम को क्षयरोग-मुक्त घोषित किया है। इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वर्ष 2025 तक संपूर्ण भारत से क्षयरोग को समाप्त करने को समाप्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत से टीबी का उन्मूलन न सिर्फ भारत के लिये महत्त्वपूर्ण है, बल्कि यह समूचे विश्व पर गहरा प्रभाव डालेगा और अन्य देशों को भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिये प्रेरणा मिलेगी। ज्ञात हो कि क्षयरोग बैक्टीरिया (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस) के कारण होने वाला एक रोग है, जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। यह एक संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने, छींकने या थूकने के दौरान हवा के माध्यम से या फिर संक्रमित सतह को छूने से फैलता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में बलगम और खून के साथ खांसी, सीने में दर्द, कमज़ोरी, वजन कम होना, तथा बुखार इत्यादि के लक्षण देखे जाते हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों में- 'राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम' (NTEP), 'निक्षय पोषण योजना' और 'टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान' आदि शामिल हैं।

The Vision

नोट :